53 वीं वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

संवृद्धि एवं गौरव की
वैश्विक ऊँचाइयों की ओर

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

संवृद्धि एवं गौरव की वैश्विक ऊँचाइयों की ओर

भारत की प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी को देश तथा स्वयं की उन्नति के सोपान खड़े करने का गौरव प्राप्त है। "प्रीमियर ट्रेड़िंग हाउस" की अपनी प्राधिकृत भूमिका में एमएमटीसी भारतीय उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति पूरी करने के साथ दूसरे देशों की आवश्यकता पूरी करने के लिए देश के सरप्लस माल का निर्यात करने के बीच में सेतू का काम करती है। अपनी वैश्विक पहचान तथा स्रोत के साथ एमएमटीसी ने अन्तर्राष्ट्रीय निर्यातक तथा आयातक के रूप में काम करते हुए उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया है।

एमएमटीसी की वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः "संवृद्धि एवं गौरव की वैश्विक ऊंचाईयों की ओर" में की गई उन्नति पर आधारित है। इसे ग्राफ में हरे रंग की आभा से दर्शाया गया है जो कि एमएमटीसी की सतत वृद्धि का द्योतक है जबकि गहरे नीले रंग के कोण कंपनी की विश्व बाजार में व्यापकता तथा व्यापार में संवर्धन को इंगित करते हैं तथा व्योम में प्रतीक्षारत अपार अवसरों की विद्यमानता को दर्शाते हैं।

विषय सूची

कारपोरेट मिशन	2
कारपोरेट उद्देश्य/एमएमटीसी वर्तमान में/रणनीतिक पहल	3
कार्यनिष्पादन एक नजर में	4
अध्यक्ष का वक्तव्य	5
निदेशक मंडल	8
निदेशकों की रिपोर्ट	10
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	21
सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट	29
कारपोरेट गवर्नेंस	33
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	44
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	63
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	79
दशक पर एक नजर	82
सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा उसके संबंध में प्रबंधतंत्र के उत्तर	93
एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण	111
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरण	149
समेकित वित्तीय विवरण	165
एमएमटीसी के लेखा परीक्षक	221
एमएमटीसी के बैंकर्स	222
एमएमटीसी कार्यालय	223

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एमएमटीसी फेस्टीवल ऑफ गोल्ड 2016 का दिल्ली में उद्‌घाटन करते हुए तथा उनके साथ भारत सरकार के वाणिज्य सचिव हैं

कारपोरेट मिशन

भारत की विशालतम व्यापारिक कंपनी तथा एशिया की व्यापारिक कंपनी होने के नाते अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता लाकर विकास की दीर्घकालिक तथा व्यवहारिक दर प्राप्त कर अपनी स्थिति और मजबूत करना तथा शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा समाज को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन करना एमएमटीसी का लक्ष्य है।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा लगाई गई पूंजी से समुचित लाभ कमाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता तथा कुशलता के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करना।
- मध्यम व लघु उद्योगों को सहायक सेवाएं मुहैया कराना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर ही कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।

एमएमटीसी वर्तमान में

- भारत की विशालतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी।
- भारत में खनिजों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक, पिछले 22 वर्षों से लगातार कैपेक्सिल पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा ईईपीसी द्वारा उच्चतम निर्यात के लिए मान्यता–प्राप्त (मर्चेंट इंटरप्राईज वर्ग)।
- देश में बुलियन तथा अलौह धातुओं का एकल सबसे बड़ा आयातक/सप्लायर। कृषि, उर्वरक, कोल एवं हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी।
- भारत में 56 स्थानों पर कार्यालय, वेयरहाउसिस, पोर्ट ऑफिस तथा रिटेल आउटलेट्स।
- जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में विदेश कार्यालय
- सिंगापुर में सहायक कंपनीए एमटीपीएल जिसका दिनांक 31.03.2016 को 15.36 मिलियन यूएस डॉलर का नेट वर्थ है।
- प्रोमोटेड प्रोजेक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) के 1.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले ओडिशा स्थित आयरन एवं स्टील प्लांट के माध्यम से संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराता है।
- एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्रा. लि. (एमपीआईपीएल) भारत में गोल्ड व सिल्वर का पहला एलएमबीए अक्रीडिटेड रिफाइनर।

रणनीतिक पहल

- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर सोने/चांदी के मेडालियन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में एक यूनिट स्थापित करना।
- मेडालियंस, ज्वेलरी तथा सांची सिल्वरवेयर की बिक्री के लिए भारत के विभिन्न शहरों में रिटेल स्टोर्स की चेन स्थापित करना।
- इंडिया बुल्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना करना।
- कर्नाटक में पवन आधारित पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ।
- पारादीप पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रूप में डीप ड्राट आयरन ओर की लोडिंग के लिए बर्थ विकसित करना।

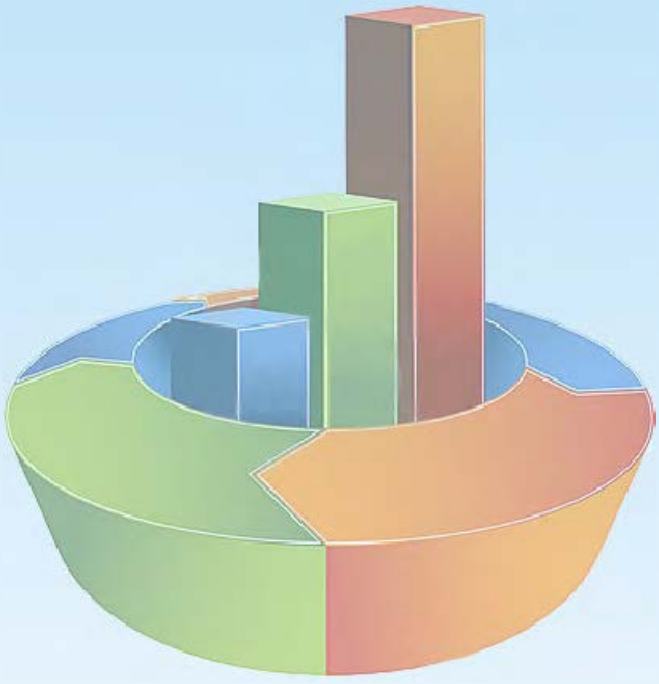

कार्यनिष्पादन पर एक नजर

₹ मिलियन में

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष	2016	2015	2014
कुल बिक्री	**124604**	182415	250745
जिसमें शामिल हैं:			
निर्यात	**6726**	23007	41270
आयात	**102958**	145302	187135
घरेलू	**14920**	14106	22340
व्यापारिक लाभ	**1297**	2079	3456
अन्य स्रोतों से आय	**2179**	1949	2328
कर पश्चात लाभ	**549**	479	186
वर्ष की समाप्ति			
कुल परिसम्पत्तियां	**38003**	59509	46970
नेटवर्थ	**13779**	13592	13419
प्रति शेयर(रुपये)			
अर्जन	**0.55**	0.48	0.19
लाभांश	**0.30**	0.25	0.15
शेयर पूंजी के अनुपात में नेटवर्थ (गुना)	**13.78**	13.59	13.42
नियोजित पूंजी के अनुपात में कर पश्चात लाभ (%)	**7.42**	6.41	2.37
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात लाभ (%)	**3.98**	3.53	1.39
प्रति कर्मचारी बिक्री (मिलियन रुपये)	**93.41**	126.77	163.89

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मैं अपनी ओर से तथा निदेशक मंडल की ओर से कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कंपनी को देश की तथा विश्व की एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों में से एक कंपनी बनाने के प्रयास में आपसे मिले निरंतर सहयोग के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

वर्ष 2015–16 के दौरान विश्व आर्थिक परिवेश चुनौतियों से भरा रहा जिसके कारण देश में आयात तथा निर्यात दोनों क्षेत्रों में निरंतर कमी का रूझान बना रहा। इस चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक परिवेश में तथा विश्व व्यापार में कायम अनिश्चितताओं के कारण विश्व में मांग में कमी दर्ज की गई तथा चीन व यूरोप में अर्थव्यवस्था में सुस्ती बनी रहने तथा भू–राजनीतिक तनाव, उच्च ब्याज दरों, मुद्राओं में तेजी से होने वाले उतार–चढ़ाव के बीच चालू वर्ष में कंपनी की टर्नओवर तथा लाभ को बनाए रखने में काफी कठिनाईंयों का सामना करना पड़ा।

सरकार द्वारा की गई बिजनेस अनुकूल पहलों जैसे जीएसटी को लागू करना, बुनियादी ढ़ांचे से संबंधित परियोजनाओं में निवेश, निर्यात को प्रोत्साहन, विश्व मांग में सुधार की आशा के परिणामस्वरूप आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में तेजी से विकास करने की ओर अग्रसर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अपने निर्धारित टर्नओवर तथा लाभ की प्राप्ति के लिए सभी उपाय कर रही है।

कार्यनिष्पादन

आपकी कंपनी ने विश्व स्तर पर व्यावसायिक माहौल में कायम चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया है जिसके परिणामस्वरूप इसका निवल लाभ पिछले वर्ष के 47.91 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 54.86 करोड़ रु. रहा है जो वित्तीय वर्ष 2014–15 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का कुल कारोबार 12503.43 करोड़ रुपए का हुआ जिसमें 672.57 करोड़ रु. का निर्यात, 10295.85 करोड़ रु. का आयात तथा 1492.05 करोड़ रु. का घरेलू व्यापार शामिल है। इसके कारोबार में खनिज समूह का योगदान 476 करोड़ रु. बहुमूल्य धातुओं का 7050 करोड़ रु. कृषि उत्पाद – 356 करोड़ रु., धातु – 558 करोड़ रु., उर्वरक तथा रसायन – 2884 करोड़ रु., कोल व हाईड्रोकार्बन 1126 करोड़ रु. का रहा। आपकी कंपनी की नेटवर्थ पिछले वर्ष के 1359 करोड़ रु. की तुलना में बढ़कर 1378 करोड़ रु. हो गई है।

कंपनी अपने शेयर धारकों को लगातार लाभांश का पुरस्कार देती रही है तथा वर्तमान अवधि के लिए भी पेड–अप पूंजी पर 30 प्रतिशत लाभांश की घोषणा कर चुकी है, जो पिछले छः वर्षों में सबसे अधिक है।

व्यवसाय में विविधीकरण की पहल

जबकि परंपरागत रूप में कंपनी की भूमिका ट्रेड आर्गेनाइजर तथा ट्रेड फेसिलिटेटर तक ही सीमित थी, आपकी कंपनी इससे आगे बढ़कर बहु राष्ट्रीय व्यापार परिवेश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वित्त वर्ष 2015–16 में कंपनी द्वारा मूल्य संवर्धन में उठाए गए कुछ कदमों से आने वाले समय में भारी लाभांश प्राप्त होने की अपेक्षा है – इनमे सरकार के "मेक इन इंडिया" अभियान के हिस्से में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले सोवरिन गोल्ड कॉयन का जारी किया जाना, कांडला, गुजरात में फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) का आपरेशन शुरू करना, एनआईएनएल में स्टील बनाने की सुविधा आरंभ होना, जापानी तथा कोरिअन स्टील मिलों के साथ आयरन ओर सप्लाई के दीर्घकालिक करार करना, उत्तर–पूर्व राज्यों में व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए गुवाहाटी में कार्यालय खोलना; सरकार के लिए आयातित दालों के मूल्य नियन्त्रण के लिए बफर–स्टॉक बनाना; फर्टिलाइजर बास्केट का विविधिकरण करना जिसके लिए फर्टिलाइजर तथा फर्टिलाइजर कच्चा माल के बड़े उत्पादनकर्ताओं के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना; व्यापार में विविधिकरण के लिए इंजिनियरिंग गुड्स एवं ड्रग्स, फार्मसूटिकल एवं फाइन कैमिकल्स के लिए नए सैट–अप लगाना इत्यादि शामिल है। अफ्रीकी महादीप में व्यापार के असीम अवसरों का लाभ उठाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में इंजिनियरिंग गुड्स के प्रदर्शन तथा बिक्री के लिए एक वेयर हाउस खोलने के लिए भी प्रयास जारी है।

ओडिशा सरकार के साथ मिलकर प्रोन्नत किए गए कंपनी के स्टील प्लांट, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को अनुमानित 110 मिलियन टन रिर्जव आयरन ओर की माइनिंग के लिए माइनिंग लीज मिली है जो वैधानिक पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करने की एडवांस स्टेज में है। एनआईएनएल के चरण–2 में स्टील बिलेट्स का उत्पादन अब शुरू हो चुका है। अर्थव्यवस्था में विशेषकर स्टील सेक्टर में, मंदी के बावजूद भी एनआईएनएल ने वर्ष 2015–16 के दौरान 1086 करोड़ रुपए का कारोबार किया। स्टील उत्पादन की सुविधाओं में स्थिरता आ जाने के बाद तथा इस वर्ष में आयरन ओर की माइनिंग शुरू हो जाने पर, एनआईएनएल के कार्यनिष्पादन में काफी सुधार हो जाएगा। भारत की प्रथम एलबीएमए मान्यता प्राप्त रिफाइनर, एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमपीआईपीएल) मैडालियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने 24560 करोड़ रुपए का करोबार लक्ष्य प्राप्त किया है तथा कर के बाद 59 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। आपकी कंपनी द्वारा प्रोन्नत 15 मेगावाट की क्षमता वाले विंडमिल संयंत्र द्वारा "रीअल कैश रिसीप्ट" पर फरवरी 2015 में पूरी पूंजी वसूली की स्थिति प्राप्त कर ली गई है।

सहायक कंपनी

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की 100 प्रतिशत सब्सिडी वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई. लि. (एमटीपीएल), सिंगापुर ने कुल व्यावसायिक टर्नओवर 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की। 31 मार्च, 2016 को एमटीपीएल की नेटवर्थ 15.36 मिलियन यूएस डॉलर थी। आपकी कंपनी अफ्रीकी महाद्वीप में भी व्यवसाय की संभावनाओं का लाभ उठाने के प्रयास कर रही है।

टेक्नोलॉजी तथा मानकीकरण

आपकी कंपनी की सदैव यह मान्यता रही है कि आज के गतिशील व्यावसायिक माहौल में लंबी अवधि का सतत विकास प्राप्त करने के लिए आईटी सिस्टम्स का प्रभावी प्रयोग तथा नई आईटी टेक्नोलाजी का विकास तथा क्रियान्वयन आवश्यक है। आपकी कंपनी द्वारा आईटी के क्षेत्र में की गई पहलों में से ईआरपी, वेब इनेबल्ड कस्टमर इंटरफेस तथा फीडबैक, जन शिकायत लाजिंग मानीटरिंग सिस्टम, दस्तावेजों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग सुविधा, कर्मचारी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्मचारी पोर्टल का विकास, ई–भुगतान सुविधा के साथ ई–टेंडर प्रणाली, एजीएम के लिए ई–वोटिंग इत्यादि सही प्रकार से कार्य कर रही हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) का कार्य इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह कर्मचारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करे, उनके कार्यनिष्पादन में अधिकतम कुशलता आए, कर्मचारी सशक्तिकरण प्रोत्साहन तथा नए विचारों का उन्मेषण हो तथा निष्पक्ष पुरस्कारों का वितरण हो।

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण व आपसी मेलजोल के औद्योगिक संबंध बने रहे। औद्योगिक असंतोष के कारण किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं हुई तथा कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी फोरम के अंतर्गत यूनियनों/एसोशिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गई। इन बैठकों का उद्देश्य कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करना तथा कर्मचारियों की शिकायतों को कम से कम करना था।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास

एमएमटीसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह इसके व्यवसायिक उद्देश्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस उद्देश्य के लिए कुछ क्षेत्र विर्निदिष्ट कर लिए गए हैं जिसमें स्वास्थय एवं चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा/साक्षरता वृद्धि, सामुदायिक विकास एवं पुनर्वास उपाय, पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, आधारभूत एवं ग्रामीण विकास इत्यादि है। वर्ष के दौरान कुछ सीएसआर कार्य किए गए जिनमें ओडिशा राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता एवं पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना,

स्वच्छ गंगा निधि में योगदान करना, प्राइमरी/सेकेंडरी विद्यालयों में हैंड पम्प लगाना, सरकारी विद्यालयों/कॉलेजों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति/वित्तीय मदद योजना शुरू करना, अपने आउटरिच कार्यक्रम के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को संगीत थेरेपी उपलब्ध कराने के लिए संगीत थेरेपी ट्रस्ट को सहयोग देना, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग खरीदने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना इत्यादि शामिल है।

कारपोरेट गवर्नेंस

समर्थ कारपोरेट गवर्नेंस के सिद्धातों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आपकी कंपनी ने कई प्रयास किए हैं। कंपनी ने पारदर्शिता बढ़ाने तथा प्रकटीकरण के लिए, अपने स्टेकहोल्डर्स के अधिकारों की सुरक्षा, बोर्ड की दक्ष कार्यप्रणाली में संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क तैयार करना, विसल ब्लोवर नीति एवं जोखिम प्रबंधन नीति का होना, सेबी नियमों तथा डीपीई दिशानिर्देशों इत्यादि के अनुपालन को सुनिश्चित करना इत्यादि है।

भविष्य के लिए विजन

शेयरधारक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी तथा समाज की संतुष्टि से जुड़ी अपनी सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता लाते हुए आपकी कंपनी को विश्व की बड़ी व्यापारिक कंपनियों में स्थान दिलाने का लक्ष्य है। कंपनी का मुख्य ध्यान अपनी वर्तमान मुख्य क्षमता के क्षेत्रों तथा व्यवसाय के विविधीकरण पर होगा ताकि कंपनी की टर्नओवर तथा लाभ में सुधार लाया जा सके। कर्मठ मानव संसाधन के सहयोग से आपकी कंपनी ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हुए भविष्य में कंपनी को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने के अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

सरकार की ओर से विभिन्न नीतियों पर सकारात्मक संकेत मिलने पर यह उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में देश का व्यावसायिक परिवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सतत रूप से सुधार होगा। जीएसटी के लागू हो जाने से आपकी कंपनी के व्यवसाय को और प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इससे व्यवसाय के क्षेत्र में सुगमता आएगी तथा घरेलू एवं विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होगी।

आभार

इस अवसर पर मैं सभी शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निदेशक मंडल तथा कंपनी के प्रबंधन में निरंतर अपना विश्वास बनाए रखा। मैं कंपनी की तरफ से अपने सभी वेंडरों, ग्राहकों और व्यवसाय सहयोगियों, जिन्होंने कंपनी के विकास और वृद्धि में सहयोग दिया है, को भी धन्यवाद देता हूं। अंत में, मैं सरकार विशेषकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रेलवे पोर्ट्स, एनएमडीसी, बैंकों तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स को उनके सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28.09.2016

निदेशक मंडल

वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशक

रजनी रंजन रश्मि
29.04.2015 तक

अजय कुमार भल्ला
29.04.2015 से

बी.पी. पाण्डेय
06.08.2015 तक

जे.के. दादू
06.08.2015 से

कार्यरत निदेशक

राजीव जयदेव,
निदेशक (कार्मिक)

एम. जी. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

आनंद त्रिवेदी
निदेशक (विपणन)

पी.के. जैन
निदेशक (विपणन)

अश्वनी सोंधी
निदेशक (विपणन)
06.01.2016 से

निदेशक मंडल

स्वतंत्र निदेशक

अरविंद कालरा
14.02.2016 तक

राणा सोम
09.04.2016 तक

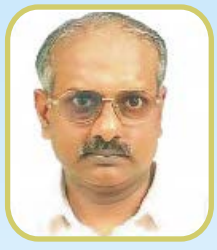
एन. बाला भास्कर
09.04.2016 तक

डॉ. सुभाष पाणि
09.04.2016 तक

एस. आर. तयाल
09.04.2016 तक

आर. आनंद
15.06.2016 से

बी.के. शुक्ला
04.07.2016 से

वरिष्ठ कार्यपालक

ए.के. गुप्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी (2015-16)

संजय भूसरेड्डी,
आईएएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी - 04.08.2016 से

विजय पाल

उमेश शर्मा

एम.वाई. बिडिकर

संजीव दुआ

राजेन्द्र प्रसाद

आलोक श्रीवास्तव

एन. बालाजी

वी.के. पाण्डेय

टी. के. सेन गुप्ता

संजय कौल

बी. एल. जैन

पी.के. सिंह

सूरज मोदी

अंजना सिंह
04.04.2016 से

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

देवियों और सज्जनों

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्पादन परिणाम

आपकी कंपनी, जो कि भारत की मुख्य व्यापारिक कंपनियों में एक है ने गत वर्ष के 182,415.04 मिलियन रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान 125,034.22 मिलियन रुपये (429.57 मिलियन रूपये की सेवाओं की बिक्री सहित) का कुल कारोबार दर्ज किया है। इस कुल व्यापार में 6725.70 मिलियन रुपये का निर्यात, 102958.5 मिलियन रुपये का आयात तथा 14920.50 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार आय में 429.57 मिलियन रूपये की राशि का योगदान शामिल है। आपकी कंपनी द्वारा अर्जित व्यापारिक लाभ गत वर्ष के 2079.12 मिलियन रुपये की तुलना में 1296.12 मिलियन रुपये रहा। पिछले वर्ष के 479.10 मिलियन रूपये के लाभ की तुलना में कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 548.56 मिलियन रूपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विषेशताएं निम्नानुसार हैं :

		(₹ मिलियन में)
	2015-16	**2014-15**
उत्पादों की बिक्री	**1,24,344.04**	1,82,374.40
सेवाओं की बिक्री	**262.41**	46.20
अन्य व्यापार अर्जन	**429.57**	427.78
घटाएं: उत्पाद शुल्क	**1.75**	5.56
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**1,25,034.27**	1,82,842.82
बिक्री की लागत	**1,23,737.46**	1,80,763.70

		(₹ in million)
व्यापारिक लाभ	**1,296.81**	2,079.12
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	**278.36**	252.05
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय तथा असाधारण मदें आदि।	**1,886.85**	2,053.66
घटाएं : बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे	**0.97**	299.96
घटाएं : संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/निवेशों के लिए प्रावधान	**2.80**	12.36
ब्याज, मूल्यह्रास पूर्वावधि एवं करों से पूर्व लाभ	**(315.45)**	(34.81)
जोडें : अर्जित ब्याज (निवल)–(वित्तीय लागत घटाकर निवल अर्जित ब्याज)	**946.91**	827.65
मूल्यह्रास, पूर्वावधि व करों से पूर्व लाभ	**631.46**	792.84
घटाएं : मूल्यह्रास	**46.29**	178.17
घटाएं : पूर्वावधि खर्चे	**6.39**	15.99
असाधारण मदों तथा करों से पूर्व लाभ	**578.78**	598.68
घटाएं : असाधारण मदें	**-**	-
घटाएं : चालू करों के लिए प्रावधान	**44.20**	136.99
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**(14.00)**	(17.41)
कर पश्चात लाभ	**548.58**	479.10
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**6,522.06**	6,448.82
शेष		
जिसे निदेशक मंडल ने निम्नानुसार नियोजित किया है		
(I) प्रस्तावित लाभांश	**300.00**	250.00
(II) लाभांश कर	**61.07**	50.89
(III) सामान्य रिजर्व	**100.00**	100.00
(IV) मूल्यह्रास का आरंभिक समायोजन	**-**	4.97
(V) कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**(0.07)**	-
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**6,609.64**	6,522.06

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्य निष्पादन प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण संलग्न रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है।

अवार्ड व बैंकिंग

- कैपेक्सिल अवार्ड – 2012–13 के लिए बड़ा निर्यातक
- ईईपीसी अवार्ड – 2013–14 के लिए मर्चेन्ट इन्टरप्राइजेज श्रेणी में बड़े निर्यातक का गोल्ड ट्राफी
- एमेटी यूनिवर्सिटी – भारत से मिनेरल्स एवं मेटलस के निर्यात में क्रान्तिकारी योगदान के लिए एक्सपोर्ट एक्सिलेंश अवार्ड
- शारदा – श्री वेद प्रकाश, सीएमडी को लीडर शिप एक्सीलेंश के लिए टॉप रैंकर्स एक्सीलेंश अवार्ड
- एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड 2015 – श्री वेद प्रकाश, सीएमडी को एचआर आरिएंटेशन के साथ सीईओ
- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा निति के उत्कृष्ट कार्यानव्यन के लिए राजभाषा (तृतीय पुरस्कार) ट्राफी
- इकोनोमिक टाइम्स – वर्ष 2015 में ईटी500 द्वारा 56वां रैंक

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

निदेशक मंडल ने कंपनी की 1000 मिलियन रुपये की इक्विटी पूंजी पर कंपनी के लाभ से वर्ष 2015–16 के लिए 30 प्रतिशत की दर से लांभाश घोषित करने की सिफारिश की है।

रिजर्व

दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12,591.95 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध थी। कंपनी के निदेशकों ने निगम के लाभ से 30 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव किया है। तदानुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12779.46 मिलियन रूपये उपलब्ध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	अर्जन		बहिर्गमन
	मिलियन ₹ में		मिलियन ₹ में
निर्यात	6,761.88	आयात	91,415.38
अन्य	63.04	ब्याज	0.54
		अन्य	420.58
कुल	6,824.92	कुल	91,836.50

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। गत वित्त वर्ष के 248.02 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल व्यारपार की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान एमटीपीएल ने 108.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान एमटीपीएल ने 0.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कर पश्चात हानि उठाई। दिनांक 31.03.2015 को 15.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर नेटवर्थ की तुलना में 31 मार्च, 2016 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 15.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने ओडिशा सरकार एवं अन्य के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवेन तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। प्रोजेक्ट को आयरन ओर की आपूर्ति किए जाने के लिए अनुमानित 110 मिलियन टन रिजर्व आयरन ओर के खनन के लीज अधिकार प्राप्त हैं। बेसिक आक्सीजन फर्नेस, आक्सीजन संयंत्र तथा एसएमएस के साथ–साथ इस्पात उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट के फेस–2 को मार्च 2013 में आरंभ कर दिया गया है तथा स्टील बिलेट्स का उत्पादन भी आरंभ हो चुका है। वर्ष 2015–16 के दौरान एनआईएनएल ने 10856 मिलियन रुपये का कारोबार किया जिसमें 3345 मिलियन रुपये की हानि दर्ज की गई। यह इस्पात उत्पादन के क्षेत्रों में आने वाली स्थिरता तथा मुख्यतः आर्थिक मंदी के कारण हुआ।

प्रोजेक्ट्स / संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने तथा आपकी कंपनी ने पूर्व वर्षों में तरह पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के माडल का अनुसरण करते हुए कुछ संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया है। इन संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

(i) मैसर्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की 100 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूंजी से 10 प्रतिशत स्टेक डिवेस्ट कर 200 मिलियन रुपए की पूंजी निकाल ली है। इस प्रकार इस कंपनी में एमएमटीसी की 26 प्रतिशत की भागीदारी घट कर दिनांक 31.03.2016 को 16 प्रतिशत रह गई है। वर्ष 2014–15 की रुपए 81.56 मिलियन की शुद्ध हानि के मुकाबले आईसीईएल ने वर्ष 2015–16 में 74.56 मिलियन रुपए की हानि दर्ज की है।

(ii) एमएमटीसी ने 'युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया के नाम एवं स्टाइल के अधीन करेंसी फयूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भाग लिया था जिसका बीएसई के साथ विलय हो गया है तथा जिसके परिणामस्वरूप आपकी कंपनी के पास बीएसई में रु. 1 प्रतिशत मूल्य के 77,922 इक्विटी शेयर है। वर्ष 2014–15 के रु. 1014.4 मिलियन की तुलना में बीएसई ने वर्ष 2015–16 में 1061.2 का शुद्ध लाभ कमाया है तथा रु. 1 के प्रति शेयर पर रु. 3–50 का अंतरित तथा रु. 4.00 का फाइनल लाभांश का भुगतान किया है।

(iii) एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पैम्प स्विटजरलैंड के सहयोग से मेडालियन निर्माण इकाई के लिए बनाए गए संयुक्त उद्यम ने वर्ष 2015–16 के दौरान 2456007 मिलियन रूपए का कुल व्यापार किया है तथा 590.2 मिलियन रूपए का सकल लाभ अर्जित किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान एमएमटीसी पैम्प भारत की प्रथम एलबीएमए द्वारा मान्यता प्राप्त स्वर्ण व चांदी की रिफाइनर बन गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान एमएमटीसी ने एमपीआईपीएल द्वारा निर्मित गोल्डबार की घरेलू व्यापार में बिक्री करके 5301.0 मिलियन रु. का कारोबार किया है।

(iv) मेडालियन तथा आभूषण दोनों तैयार उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए भारत के विभिन्न शहरों में खुदरा स्टोर स्थापित करने के उद्देश्य से एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड के नाम एवं स्टाईल के अधीन एक प्रमुख भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड ने वर्ष के दौरान 283.24 मिलियन रूपए का कारोबार करने के संबंध में सूचित किया है तथा जिसमें वर्ष 2014–15 में 9.70 मिलियन रूपए की सकल हानि की तुलना में वर्ष 2015–16 के लिए 21.8 मिलियन रूपए की हानि सूचित की है।

(v) कर्नाटक राज्य के बैलारी–होस्पेट सेक्टर से आयरन ओर के निर्यात पर लगे बैन के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान संयुक्त–उद्यम मैसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) ने कोई प्रगति नहीं की है। लौह अयस्क के निर्यात के भविष्य की अनिश्चितता के कारण इस टर्मिनल को कोयले की हैंडलिंग डिस्चार्ज की सुविधा में परिवर्तित करने के लिए कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) के साथ यह संयुक्त उद्यम कंपनी बातचीत कर रही है।

(vi) खनन, अन्वेनषण तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ किए गए संयुक्त उद्यम, टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड के प्रचालन आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। क्रियाशील (आपरेशनालाईज) बनाने के लिए उचित परियोजनाओं की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

(vii) दो तरफा व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के समरूप हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब तथा कांडला में फ्री ट्रेड एण्ड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए आईएल एण्ड एफएस के सहयोग से आपकी कंपनी द्वारा प्रोन्नात किए गए एसपीबी को भूमि आबंटित की गई है। हल्दिया परियोजना के लिए बिजनेस प्लान तथा आर्किटक्चर प्लान तैयार करने के लिए बोलिदाता को आदेश जारी किए गए हैं।

(viii) एमएमटीसी ने गजेंद्रगढ में मार्च 2007 में 25 विंड एनर्जी जनरेटर (डब्ल्यूईजी) के साथ 15 मेगावाट की विंडमिल परियोजना की स्थापना की है। इस परियोजना की लागत 68.75 करोड रु. है तथा इसका 30 वर्षों तक काम करना अपेक्षित है। दिनांक 31 मार्च, 2016 तक इस परियोजना से 77 करोड़ रूपये की उर्जा की बिक्री की गई है जिस पर कर की पूरी छूट है। 'वास्तविक रोकड़ प्राप्ति आधार' पर पूंजी का सम्पूर्ण प्रतिफल फरवरी 2015 में प्राप्त किया गया। इस परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा एचईएस सीओएम को बेची जाती है। परियोजना सफलता से चल रही है तथा कर्नाटक राज्य की बिजली की मांग के एक हिस्से की पूर्ती करते हुए उस क्षेत्र के विकास में सहायक है। वर्ष 2015–16 में परियोजन का कुल कारोबार 73.9 मिलियन रु. का रहा जिसमें 56.8 रु. मिलियन रु. का लाभ रहा।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी श्रम दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों/एसोशिएशनों अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से संयुक्त बैठकें की गईं ताकि मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2016 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1340 थी इसमें बोर्ड स्तर के कार्यकारी शामिल नहीं होने के अतिरिक्त, 513 अधिकारी तथा 827 कार्मिक शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो गया था, के 7 अधिकारी 106 स्टाफ/वर्कर शामिल हैं। कुल कर्मचारियों की मिश्रित संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21.12 प्रतिशत (283 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.19 प्रतिशत (284 कार्मिक), 9.18 प्रतिशत (123 कार्मिक), 9.10 प्रतिशत(122 कार्मिक) तथा 2.01 प्रतिशत (27 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती तथा खुले विज्ञापन के माध्यम से 08 अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

आरक्षण नीति

संगठन की सेवा में अ.जा/अ.ज.जा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तथा भर्ती तथा नियुक्तियों में आरक्षण नीति का सरकार द्वार जारी निर्देशों के अनुसार पूरी तरह पालन किया गया है।

प्रशिक्षण एवं विकास

व्यापार के निरंतर बदलते परिवेश में कर्मचारियों के कौशल में और अधिक वृद्धि/विकास आने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 1243 कर्मचारियों को कंपनी के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के जुडी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण इन–हाउस फैक्लटी के साथ–साथ बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों से फैक्लटी लेकर भी किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015–16 में आपकी कंपनी ने गृह

मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनवरत प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिक्षाधीन वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके अलावा कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया गया। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहे तथा दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिन्दी में प्रयोग में काफी वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने हमारे कारपोरेट कार्यालय तथा मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान कंपनी को राजभाषा कार्यालय में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तृतीय पुरस्कार अर्थात् राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई। इसी वर्ष में कंपनी को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा भी राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किया गया।

सतर्कता

मूल्य आधारित प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख एवं भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का संचालन पेशेवर ढंग से करने हेतु इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संगठन बनाए रखने की दिशा में आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया। आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाग के प्रयासों से वित्त व लेखों के व्यापक मैन्युअल के साथ–साथ एक मानकीकृत व्यापारिक मैन्युअल, कारपोरेट जोखिम प्रबंधन नीति आदि बनाई गई है तथा कार्यान्वयन हेतु इन्हें परिचालित किया गया है। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 14 शिकायतों (गत वर्ष की 11 शिकायतों में 03 नई शिकायतें जुड गई हैं) को प्रोसेस किया। 10 शिकायतों का निपटान हो गया है तथा शेष 04 शिकायतों पर कार्यवाही चल रही है। एमएमटीसी कर्मचारियों से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए प्राप्त वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न की छंटनी की गई है।

परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाग ने एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में दिनांक 27.10.2016 से 31.10.2016 तक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' का आयोजन किया। इस सप्ताह का मूल विषय ''अच्छे सुशासन को प्रोन्नत करना–सतर्कता का सकारात्मक योगदान'' था।

वर्तमान ईआरपी माड्यूल में कमियों को दूर करने के लिए ईआरपी सिस्टम को अपग्रेड करने, विदेशी मुद्रा विनिमय के निर्धारण की रिकार्डिंग के लिए वित्त प्रमुख केबिन में आवाज रिकार्डिंग सिस्टम स्थापित करने, स्विर्ण/चांदी की सुपुर्दगी किए जाने वाले परिसर में वीडियो कैमरा लगाने, केवाईसी मानदण्डों को मजबूत बनाने तथा लेखा परीक्षा का बहु–स्तरीय प्रणाली आरंभ करने के प्रति कर्मचारियों को संग्रहित करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर सतर्कता तथा गैर–सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं उनकी दक्षता बढ़ाना सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही नई पहल है।

जागरूकता प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में ''जागरूकता की प्रक्रिया'' आरंभ की है। निदेशकों तथा कार्मिकों द्वारा अपने वास्तविक मामलों की सूचना देने के लिए लेखा परीक्षा समिति की इस जागरूकता की प्रणाली को स्थापित किया गया है। दिनांक 14 अगस्त, 2014 के परिपत्र द्वारा इस योजना को अधिसूचित किया गया है। कार्मिकों/निदेशकों के किन्हीं मामलों पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जायेगा। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सत्यनिष्ठा समझौते को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सार्वजनिक सरकारी खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। आपकी कंपनी में भी इसे सार्वजनिक खरीद में बिडर्स में पारदर्शिता/इक्विटी तथा प्रतिस्पर्धा प्रोन्नत करने के लिए लागू किया गया है। जिससे की कंपनी द्वारा किए गए व्यापार में किसी भी प्रकार के भष्ट्राचार की संभावनाओं को रोका जा सके। श्री डीआरएस चौधरी, आईएएस (सेवानिवृत) को इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मोनीटर (आईईएम) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नियमों के पालन में आपकी कंपनी ने अपनी सामाजिक दायित्व की प्रतिबंद्धताओं का निर्वाह करते हुए वाणिज्य मंत्रालय के साथ हुए समझौते ज्ञापन में 45 लाख रु. का फंड रखने की सहमति दी है। यह राशि वर्ष 2015–16 में "स्वच्छ भारत अभियान" के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाएगी। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2015–16 द्वारा चलाई गई सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा सर्वोत्तम कारपोरेट सुशासन(गवर्नेंस) की प्रयायों को अपनाने तथा इनके प्रति समर्पण हेतु मजबूत आस्था रखती है। इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में दिए गए मानकों तथा सेबी के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जाता है। तथापि, सीपीएसईज के मामलों में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के कारण निगम के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति अभी नहीं की जा सकी है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हस्ताक्षरित सूचीबद्धकरण (लिस्टिंग) करार की धारा 49 में विनिर्दिष्ट कारपोरेट सुशासन से संबंधित अनुबंधों के अनुपालन के विषय में मैसर्स ब्लैक एंड कंपनी (सीपीसंख्याा 11714) से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ कारपोरेट सुशासन पर अलग रिपोर्ट संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अंग है।

आचार संहिता

लिस्टिंग रेगूलेशन के रेगूलेशन (15) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत बिजनेस आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है। बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन तथा कार्मिकों से प्राप्त प्रतिबद्धता के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आचांर सहिता के अनुपालन की घोषणा नीचे दी है।

सेबी (लिस्टिंग रेगूलेशन एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगूलेशन 2015 तथा करपोरेट गर्वेनेंस पर डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक घोषणा।

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है।

ह0/–
वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

बिजनेस दायित्व रिपोर्ट

सेबी के रेगूयूलेशन 2015 (लिस्टिंग ओबलिगेशनंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) के रेगूयूलेशन 34(2) के अनुसार आपकी कंपनी ने वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने के लिए व्यापार दायित्व रिपोर्ट तैयार की है। सेबी द्वारा पर्यावरण सामाजिक तथा गवर्नेंश संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा सुझाए गए फ्रेमवर्क तथा सिद्धांत कारपोरेट सामाजिक दायित्वों तथा के सतत विकास से संबंधित गतिविधियों के संबंध में है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2016 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित/स्वीकार नहीं की।

वार्षिक रिटर्न

कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित अनुच्छेद 92 के प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक रिपोर्ट का सारांश निर्धारित फार्म–एमजीटी–9 में वर्णित है तथा यह संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2015–16 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधतंत्र के उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने ''निल'' टिप्णियां की हैं। इस संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डमएजी) का दिनांक 08 जुलाई, 2016 का पत्र संलग्न है।

साचिविक लेखा परीक्षा

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम 2014 के उप नियम 9 के साथ पठित कम्पनीज अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स ब्लैरक एंड कंपनी पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। साचिविक लेखा परीक्षक के अवलोकन पर प्रबंधतंत्र के उत्तर के साथ साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फार्म एमआर–3 में) संलग्न है।

कंपनीज आधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 186 के तहत कवर ऋण तथा गारंटी का विवरण नोट संख्या 6.2, 7.5 तथा 19 में क्रमः दिया गया है। ये नोट वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।

संबंधित पार्टी लेन–देन

संबंधित पार्टी के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेन–देन सामान्य व्यापार की श्रेणी के थे तथा इनको अलग नहीं किया जा सकता। वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए लेखा परीक्षा समिति ने बहुप्रयोजन के लिए अनुमोदन किया। उक्त संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए डाक मतों (पोस्टल बैलट) द्वारा निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। एएस–18 के अधीन आवश्यक समुचित प्रकटनों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 25 में दर्शाया गया है। संलग्न प्रपत्र एओसी–2 में विवरणों के लेन–देन उपलब्ध करवाए गए हैं।

संबंधित पार्टी लेन–देन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति को निगम की निम्नलिखित वेबसाईट पर अपलोड किया गया हैः–
http://mmtclimited.com/files/.pdf/95_party_policy.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत जोखिम प्रबंधन नीति का निदेशक मंडल ने अनुमोदन किया। निगम द्वारा अपनाए गए जोखिम प्रबंधन को संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में उपलब्ध करवाया गया है। जोकि संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के माइका ग्रुप का वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी प्रकार का परिचालन कार्य नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम के नियम 5(2), समय–समय पर संशोधित, के अनुसरण में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष 2015–16 के दौरान 60 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक अथवा 5 लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक की राशि पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुई है।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है किः–

क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और सामग्री निर्गम से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किए गये हैं।

ख) निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को आन गोईंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है।

ड़) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को विनिर्धारित किया है तथा उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा इनका प्रभावी रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

च) सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित सिस्टम बनाया गया है जो पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, तथा सुधार) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, तथा सुधार) अधिनियम, 2013 के अनुरूप निगम में यौन उत्पीड़न के विरूद्ध नीति बनाई गई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाई गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अधीन हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान उपरोक्त अधीनियम के तहत कोई शिकायत नहीं मिली।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2015 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख / समाप्ति	नियुक्ति / समाप्ति
श्री रजनी रंजन रश्मि	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29.04.2015	समाप्ति
श्री अजय कुमार भल्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29.04.2015	नियुक्ति
श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	06.08.2015	समाप्ति
श्री जे. के. दादू	सरकार द्वारा नामित निदेशक	06.08.2015	नियुक्ति
श्री अश्वनी सोंधी	निदेशक (विपणन)	06.01.2016	नियुक्ति
श्री अरविन्द कालरा	स्वंतत्र निदेशक	14.02.2016	समाप्ति
श्री राणा सौम	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
श्री एन. बाल भास्कर	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
डॉ. सुभाष पाणि	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
श्री एस. आर. तयाल	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
श्री आर. आनंद	स्वंतत्र निदेशक	15.06.2016	नियुक्ति
श्री बाल कृष्ण के. शुक्ला	स्वंतत्र निदेशक	04.07.2016	नियुक्ति

निदेशक मंडल श्री रजनी रंजन रश्मि, श्री बी. पी. पाण्डेय, श्री अरविन्द कालरा, डॉ सुभाष पाणि, श्री एस. आर तयाल, श्री राणा सौम तथा श्री एन. बाल भास्कर द्वारा प्रदान की गई प्रशंसनीय सेवाओं और योगदान के लिए आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल श्री ए के भल्ला तथा श्री जे के दादू तथा श्री अश्वनी सौंधी का स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी इनके बहुमूल्य तथा विविध अनुभवों से लाभान्वित होगी।

निदेशकों की क्रमवार सेवानिवृत्ति से संबंधित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधान के अनुसार श्री आनंद त्रिवेदी, निदेशक(विपणन) तथा श्री ए.के भल्ला, सरकार द्वारा नामित निदेशक वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया है।

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्टेकहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, कस्टमस, पोर्ट, एनएमडीसी, ग्राहकों, आपूर्तिकारों और अन्य व्यवसायी भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए सर्वोत्तम समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रभावी एवं कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके द्वारा दिए गए सतत सहयोग की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता.
(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक:19.08.2016 **डीआईएन: 02988628**

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2015-16

वैश्विक व्यापार और घटनाक्रम पर एक नजर

वर्ष 2014–15 के दौरान वैश्विक गतिविधियां काफी नियत्रंण में रही जबकि विश्व की विकसित अर्थव्यस्थाओं में विक्रय की दर स्थिर रही, विकास शील तथा अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर में गिरावट देखी गई। डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार सगंठन) द्वारा वर्ष 2016 के लिए विश्व व्यापार में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि ही अनुमानित की गई है जोकि पिछले 20 वर्षों में (1995–2015) 5 प्रतिशत के औसत से कम है। डब्ल्यूटीओ द्वारा इन निम्न आंकलन के कारणों में जिसमें चीन, ब्राजील तथा दूसरी विकास शील अर्थव्यवस्थाओं में आयात मांग में गिरावट, इसकी मुख्य जींस के मूल्यों में गिरावट, विदेशी मुद्रा दर में भारी उतार चढाव, वित्तीय बाजार में अस्थिरता तथा संयुक्त राज्य की मुद्रानीति में अनिश्चितताएं प्रमुख हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत में विकास पर एक नजर

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन गई है तथा वर्ष 2014–15 में अधिकारिक रूप में यूएसडॉल 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है। वर्ष 2000 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 1.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 2.6 प्रतिशत हो गई (परचेंजिंग पावर पेरिटी टर्मस में 2004 में) 4 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 6.5 प्रतिशत हो गई।

भारत में आर्थिक विकास ने 2015–16 की अंतिम तिमाही में रफतार पकड़ी तथा एशियन डेवेलोपमेंट आाउटलुक की लाइन में 2016 के लिए 7.6 प्रतिशत की वृद्धि का आंकलन किया। इसमें भारतीय कारपोरेट सैक्टर को नए अवसरों की प्राप्ति अपेक्षित हैं।

अप्रैल – मार्च 2016 के लिए भारत का सकल निर्यात पिछली इसी अवधि की तुलना में 15.85 प्रतिशत डॉलर में तथा 9.89 प्रतिशत रुपयों में नकरात्मक वृद्धि दर्ज थी। इसी प्रकार अप्रैल से मार्च 2016 के लिए सकल आयात में भी पिछली इसी अवधि की तुलना में डॉलर में 15.28 प्रतिशत रुपए में 9.34 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी गई।

वर्तमान में विश्व की अर्थव्यस्था में बहुत कुछ घटित हो रहा है जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बहार निकल जाना भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से प्रभाव डाल सकता है। यूरोपीय यूनियन तथा यू के में मंदी के कारण मांग का कमजोर पड़ना जींस की कीमतों में

अस्थिरता, रुपये, यूरोप तथा पॉण्ड के अवमूल्य के कारण मुद्रा प्रभाव तथा हैज न किए गए विदेशी ऋण के कारण हुए एक्सपोजर का प्रभाव इत्यादि इसका परिणाम है। भारतीय निर्यातकर्ताओं की चिंता मुद्रा का चंचलता तथा विश्व स्टॉक बाजार की अस्थिरता है जोकि यूके के साथ उनके द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर सकती है। भारत द्वारा यूके को माल तथा सेवाओं की एक रेंज का निर्यात किया जाता है जिसमें मुख्यतः अपारेल, मोटर वहिकल, फार्माच्यू–सिकल तथा जेम्स एण्ड ज्वेलरी शामिल है।

वर्ष 2016–17 के लिए अवेक्षण

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है बशर्ते की देश में मानसून सामान्य रहता है तो इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण मांग में वृद्धि होगी।

एमएमटीसी 205–16 एक सिंहावलोकन

वित्तीय समीक्षा

उपरोक्त व्यापारिक परिवेश में आपकी कंपनी ने पिछले वित्त के 182,420 मिलियन रुपए की तुलना में वर्ष 2015–16 में 124,604 मिलियन रुपए का कारोबार किया। इस कारोबार 6726 मिलियन रुपए का निर्यात 102,958 मिलियन रुपए का आयात तथा 14,920 मिलियन रुपए का घरेलू व्यापार शामिल है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 में 2079.12 का व्यापारिक लाभ अर्जित किया। सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ वर्ष 2014–15 के 598.68 मिलियन रुपए की तुलना में 578.78 मिलियन रुपए रहा कंपनी ने पिछले वर्ष के 479.10 मिलियन रुपए की तुलना में इस वर्ष 54857 मिलियन रुपए का सकल लाभ दर्ज किया है जो कि गत वर्ष अर्जित लाभ से 15 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार प्रत्येक 1 रुपए की फेस वल्यू के शेयर ने वर्ष 2015–16 में 31.03.2016 को 0.55 रुपए अर्जित किए हैं। कंपनी के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन से 946.91 मिलियन रुपए के ब्याज का अर्जन किया गया है। एमएमटीसी निरंतर जीरो दीर्घावधि ऋण वाली कंपनी बनी हुई है।

निधियों के स्रोत तथा इनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2016 को कंपनी की निधियों के स्रोत में 13,779.16 मिलियन रूपये का शेयरहोल्डर्स फंड जिसमें 1000 मिलयन रूपये की इक्विटी शेयर पूंजी तथा नॉन करंट एवं करंट देयताएं क्रमशः 1976.25 मिलियन रूपये तथा 22247.45 मिलियन रूपये शामिल हैं। इन निधियों का उपयोग अन्य के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च 2016 को 8927.59 मिलियन रूपये नॉन करंट परिसंपत्तियों तथा 29075.50 मिलियन रूपये करंट परिसंपत्तियों में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर सुपरिभाषित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियों जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुव्यवस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रक्रिया है जो इसकी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप है। निगम का एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के साथ मिलकर काम करता है। बुलियन लेन देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, पूर्व वर्षों के बुलियन लेन देन हेतु विशेष लेखा परीक्षा आदि द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गईं। आंतरिक नियंत्रण को और सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल आरंभ की गईं। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों व्यापारिक प्रस्तावों पर जोखिम निर्धारण तथा विभिन्न व्यापार करने के लिए सिस्टेमेटिक एसओपी का ध्याान रखने के लिए सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण संहिता (मैन्युअल), कारपोरेट जोखिम प्रबंधन नीति तथा एमएमटीसी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों के लिए व्यापार व आंतरिक नियंत्रण संहिता (मैन्युअल) बनाये गये हैं।

वित्तीय रिपोर्टों पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की चिंताओं एवं टिप्पणियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति उनके साथ नियमित रूप से बैठकें करती है। प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षा समिति के आदेशों का गंभीरता से कार्यान्वयन किया जाता है।

सहायक कंपनी

अक्तूबर 1994 में निगमित एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कमोडिटी ट्रेडिंग करती है तथा इसने स्वयं को सिंगापुर की एक विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में स्थापित किया है तथापि, एमटीपीएल ने गत वर्ष के 248.02 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल व्यापार की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान 108.02 मिलियन रूपये अमरीकी डॉलर का कुल व्यापार किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान एमटीपीएल को कर पश्चात हुई हानि 0.28 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। एमटीपीएल की नेटवर्थ दिनांक 31.03.2015 को 15.64 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2016 को 15.36 मिलियन अमरीकी डॉलर थी।

सिंगापुर सरकार की संस्था इंटरनेशनल एंटरप्राईज द्वारा एमटीपीएल को वर्ष 2010 से 2013 तक प्रतिष्ठित अवार्ड "ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम (जीटीपी)" प्रदान किया गया।

वर्ष 2015–16 के लिए समूहवार बिजनेस समीक्षा

खनिज

आपकी कंपनी के खनिज समूह ने वर्ष 2015–16 के दौरान 4763 मिलियन रूपये के कुल व्यापार का योगदान किया है जिसमें 4425 मिलियन रूपये के निर्यात 172.00 मिलियन रूपये के आयात तथा 166 मिलियन रूपये का घरेलू व्यापार शामिल है। इस समूह द्वारा किए गए निर्यात में 3607 मिलियन रूपये के लौह अयस्क, 118 मिलियन रूपये के क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट तथा 172 मिलियन रूपये के मैगनीज अयस्क शामिल हैं। इस समूह में 48 मिलियन रुपए का घरेलू ऑयरन ओर तथा 78 मिलियन रुपए का लाइन स्टोन तथा 40 मिलियन रुपए के दूसरे घरेलू व्यापार भी शामिल है। इसके अलावा इस समूह के आयात में मैगनीज अयस्क का 172 मिलियन रुपए का आयात भी शामिल है।

28 बिलियन टन से अधिक आयरन ओर रिजर्व के साथ भारत विश्व में चौथा सबसे अधिक आयरन ओर निर्यात करने वाला देश है तथापि आयरन ओर की खनन पर लगी रोक के चलते तथा निर्यात के लिए इसका बेल्लारी होसपेट क्षेत्र से परिवहन पर लगी रोक, इस्टरन सेक्टर से निर्यात का नियमन, भारतीय मूल के आयरन ओर का एफओबी पर अप्रतिस्पर्धात्मक मूल्य होना तथा दूसरे आपूर्तिकर्त्ता जैसेकि आस्ट्रेलिया, ब्राजील में (निर्यात तथा निर्यात डयूटी के लिए रेल भाड़े में वृद्धि के कारण) आयरन ओर की मांग/मूल्य के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम रहने तथा चीन की अर्थव्यवस्था में सामान्य रुप से आई मंदी, आयरन ओर की घरेलू मांग में वृद्धि इत्यादि का वर्ष 2015–16 के दौरान आयरन ओर के निर्यात की मांग पर प्रभाव पड़ता रहा है। तथापि, एमएमटीसी जापान स्टील मिल के साथ पोस्को, साउथ कोरिया के साथ दीर्घकालिक करार करने में सक्षम रही है। इस सब के बावजूद तथा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी स्पर्धा होते हुए भी समीक्षा वर्ष के दौरान एमएमटीसी अपनी मुख्य निर्यात की भूमिका का बनाए रखने में सफल रही है।

घरेलू इस्पात उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के कारण भी निर्यात के लिये क्रोम अयस्क क्रोम कंसंट्रेट्स तथा मैग्नीज अयस्क की उपलब्धता में कमी आई है। क्रोम अयस्क तथा क्रोम कंसट्रेट्स का 30 प्रतिशत की एड वैलोरेम निर्यात ड्यूटी आरंभ करने के कारण वर्ष 2015–16 के दौरान इन मदों के निर्यात में और कमी आई है। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क के कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के कारण भी निर्यात में कमी आई है। लौग्रेड मैगनीज ओर की विदेशों में कोई मांग नहीं रही अतः वर्ष 2015–16 में इसका कुछ भी निर्यात नहीं हो पाया। इसके अलावा भारत में इस्पात के उत्पादन/खपत में हुई वृद्धि से घरेलू उद्योग की इस्पात की और अधिक मांग होने की संभावना है जिससे निर्यात के लिए भविश्य में उपलब्ध आयरन ओर की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। अपने खनिज पोर्ट फोलियों को सख्त बनाने के लिए एमएमटीसी ने एक रणनीति तैयार की है इसके अतिरिक्त फ्रोरो अलाए व्यापार में डाईवर्सिफिकेशन करना तथा व्यापार बढ़ाने के लिए मैगनीज ओर आयात को मजबूत करना शामिल है।

बहुमूल्य धातुएं रत्न व आभूषण

जेम्स एण्ड ज्वेलरी सैक्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व भूमिका है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत का योगदान देता है। यह एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला सैक्टर है तथा पूर्णतः निर्यातोन्मुख व अधिक श्रम खपत वाला है।

आपकी कंपनी बुलियन व्यापार में मार्किट लीडर की हैसियत रखती है जो कि पूरे भारत में फैले केन्द्रों से ओपरेट करने की क्षमता तथ विलक्षण उत्पाद व सेवाएं ऑफर करने की सहजता से प्राप्त हुई है जो ग्राहक के साथ सही रिष्ते बनाने के अलावा है। बुलियन की कीमतों में भारी अस्थिरता तथा भारतीय रुपए व यूएस डॉलर की विनिमय दर में भारी अस्थिरता के बावजूद हम अपनी इस स्थिति को बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। आपकी कंपनी के बहुमूल्य धातु ग्रुप द्वारा वर्ष 2015–16 में 70,504 मिलियन रुपए के कारोबार का योगदान रहा है जो कि कंपनी द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त किए गए कुल कारोबार का 56.58 प्रतिशत है। यह परफारमेंश गतिविधियों को डाइवर्सिफाई करके प्राप्त की गई है जिसने 63,424 मिलियन रुपए के सोने/चांदी का आयात तथा 7,081 मिलियन रुपए का सोना/चांदी/मेडालियन की घरेलू बिक्री शामिल है।

कंपनी संयुक्त उद्योग – एमएमटीसी पैम्प इण्डिया प्रा. लिमिटेड ने , जिसने 2012 में उत्पादन शुरू किया है 2,45,607 मिलियन रुपए का कारोबार किया। जिसमें वर्ष 2015–16 में कर के बाद 390 मिलियन रुपए का सकल लाभ अर्जित किया। एमएमटीसी पीएमपी भारत का पहला एलबीएमए है जिसे वर्ष 2015–16 के दौरान सोने/चांदी के रिफाइनर के रूप में मान्यता मिली है। एमएमटीसी ने एमपीआईपीएल द्वारा निर्मित गोल्डबार घरेलू बाजार में बेचकर 5,301 मिलियन रुपए का कारोबार किया है। एक और संयुक्त एमएमटीसी – गीतांजली लिमिटेड (एमजीएल) जो की प्रमुख भारतीय कंपनियों के साथ पार्टर्नशिप में मेडालियन तथा तैयार स्वर्ण आभूषण की प्रभावी मार्केटिंग के लिए स्थापित किया था, वर्ष 2015–16 में 283.24 मिलियन रु. की बिक्री तथा 21.79 रुपए की सकल जानी दर्ज की है।

आपकी कंपनी बहुमूल्य धातु ग्रुप ने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किए गए 5ग्राम, 10ग्राम सोने के सिक्के तथा 20 ग्राम सोने की बार, जो कि भारत बिंड, मुंबई तथा कोलकता में डाले गए, भारतीय स्वर्ण मुद्राएं (आईजीसी) की माकेर्टिंग की। वर्ष 2015–16 आईसीजी की कुल बिक्री 247 रुपए की कुल बिक्री प्रति दर्ज की। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करके आपकी कंपनी इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ उनकी ब्रांचों के माध्यम से इंडियन गोल्ड कॉयनस बेचने के लिए समझौता किया है। भारतीय डाक सेवा तथा दूसरे बैंको के साथ भी इंडियन गोल्ड कॉयन बेचने की कोशिश जारी है।

एमएमटीसी लिमिटेड का प्रमुख आयोजन फेस्टिवल ऑफ गोल्ड 2 वर्ष के अन्तराल के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। वर्ष 2015 में आयोजित फेस्टिवल ऑफ गोल्ड – दिपावली पर कुल 483.2 मिलियन रुपए का कारोबार हुआ।

वर्ष 2015–16 की मुख्य रणनितियों तथा निर्देशों में कई नए बुलियन केन्द्र खोलना, बेहतर सप्लाई आधार बनाने के लिए नए विदेशी सप्लायरों का नामांकन करना आदि शामिल किए गए हैं जिससे कि ओर अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले तथा सप्लाई के लिए प्र्याप्त मात्रा की उपलब्धता रहे। डीटीए में बिक्री बढ़ाने के लिए रिप्लेनिशमेंट स्कीम, स्लैब वाईज ट्रेड मार्जिन स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा निर्यात ऋण योजना के लिए आसान व्यवस्था भी लागू की जा रही है। अन्य ऋण नीतियों में पैन इंडिया आधार पर बड़े बुलियन ग्राहकों तक एमओयू के लिए संपर्क करना तथा एमपीआईपीएल के साथ विजाग, हैदराबाद, कोलकाता, डीआरओ क्षेत्र में गोल्ड ऋण बिक्री के तहत इंडियन गोल्ड कॉयन बेचने के लिए दूसरे बैंकों से संपर्क करना, नॉन– मैटरों शहरों में आईजीसी मेडालियन तथा आभूषण की बिक्री को प्रोन्नत करने के लिए प्रदर्शनी लगाना शामिल है। चांदी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप का ध्यान मुख्यतः आगरा, सालेन, अहमदाबाद व कोलकाता में प्रदर्शनी लगाना शामिल है। इसके अलावा जोन्ल बुलियन मीट के आयोजन करने का भी प्रस्ताव है। जिससे बुलियन ट्रेड के मामलों का हल ढूढ़ा जा सके तथा बुलियन केन्द्रों पर वर्तमान ग्राहकों के साथ उन्हें व्यापार स्थापित करते हुए भावी ग्राहकों की भी खोज की जा सके। सकारात्मक ग्राहक बनाने के लिए उचित फॉलोअप व्यवस्था विकसित की जा सके।

वर्ष 2016–17 के लिए हीरे के व्यापार में काफी संभावना नजर आ रही है जो कि रसीयन सप्लायर द्वारा स्पोर्ट सेल के लिए टेंडर आमंत्रित करने तथा एलटीए को सरकारी चैनल द्वारा फालो करने से संभव हो सकती है।

वर्ष 2015 में विश्व की सोने की मांग 4212 टन थी जिसमें चीन की हिस्सा 27 प्रतिशत था। कैलेंडर वर्ष 2015 में भारत की अनुमानित मांग 850 टन थी। टर्की, भारत, चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इनोवेटर्स स्वर्ण पदार्थ, सेवाएं, प्लेफार्म तथा दूसरे मूलभूत ढांचे विकसित कर रहे हैं जिससे कि मार्केट में विकास हो सके। इसमें भारत की गोल्ड मोनेटाईजेशन योजना, संगहई की अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड एक्सचेंज की लांचिंग तथा सीएमई द्वारा हांगकांग गोल्ड यूचर्स, सिंगापुर एक्सचेंज द्वारा किलोबार गोल्ड कान्ट्रेक्ट आरंभ किया जाना शामिल है। बढ़ते शहरीकरण तथा मध्यवर्ग विशेषकर भारत तथा चीन में, के साथ स्वर्ण बाजारों में सोने को सही आर्थिक उपभोग के लिए प्रयोग किया जाना है।

सोने के व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सोने के व्यापार से लाभ निरंतर गिरावट देखी गई है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के अलावा घरेलू रिफाईनर्स को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ग्राहकों के लिए सोने ओर हीरे के आभूषण और अधिक महंगे होंगे।

एमएमटीसी द्वारा ग्लोबल मोबिलाइड के तहत गोल्ड मोनिटाईजेशन स्कीम में भाग लेने से व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं। रिसर्च एण्ड मार्केट के अनुसार भी भारत की आभूषण मार्केट 2014–2019 तक की अवधि तक के दौरान 15.95 प्रतिशत के कम्पाउंड एन्युअल ग्रौथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ने की अपेक्षा है।

धातुएं तथा औद्योगिक कच्चा माल

वर्ष 2015–16 के दौरान एमएमटीसी के कुल व्यापार में धातु समूह का 5,583 मिलियन रूपये का योगदान रहा। इस समूह के योगदान में एनआईएनएल एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित 2301 मिलियन रूपये के पिग आयरन का निर्यात, 1406 मिलियन रूपये की अलौह धातुओं एवं 1406 मिलियन रूपये के औद्योगिक कच्चे माल का आयात तथा पिग आयरन, बिलेट्स तथा अन्य सहित 1871 मिलियन रूपये की घरेलू बिक्री शामिल है।

वार्षिक कारोबार पर एलएमई के नॉन फरसमेंटल तथा माईनर मैटल के वर्ष 2015–16 के दौरान मूल्य में आई गिरावट के कारण सीधा असर पड़ा है। 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मूल्य गिरावट के कारण अधिक मात्रा में कारोबार करने पर भी कारोबार का मूल्य कम रहा।

वर्ष 2015 के दौरान में चाईना की अपेक्षा से कम मांग के होते हुए तथा अतिआपूर्ति के कारण धातुओं के मुल्य में गिरावट का गई। 2015 के अंत तक अधिकतर धातुएं 2014 तथा 2013 के अपने अधिकतम मूल्यों से अब बड़ी छूट पर ट्रेड कर रही हैं। 2015 में निकल तथा टिन के मूल्य लगभग क्रमश 42 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। इसी अवधि में सीसे, तांबे, अल्युंमिनियम तथा एंटीमनी के मूल्यों में भी 25–35 प्रतिशत तक की कमी हुई है।

मांग में कमी तथा कच्चे माल एव उर्जा की लागत में वृद्धि के कारण इस्पात उद्योग के साथ–साथ एमएमटीसी का समग्र लाभ मार्जिन कम हो गया है। निम्नतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के परिणामस्वरूप निम्नतर निर्यात वसूली हुई जिनसे एमएमटीसी की लाभप्रदत्ता का मार्जिन और प्रभावित हुआ।

क्योंकि आपकी कंपनी का एनएफएम प्रभाग आयात करता है इसलिए घरेलू उद्योग का विकास हमारे उत्पादों की मांग को सीधे ही प्रभावित करता है। हमारे ग्राहक फैब्रिकेटेड धातुओं, मशीनरी तथा उपस्कर एवं आटोमोटिव क्षेत्र में हैं। अन्य एशियन बंदरगाहों के

प्रीमियम भारतीय बंदरगाहों के प्रीमियम स्तरों को प्रभावित करते हैं। विदेशी बंदरगाहों पर प्रीमियम दरों में वृद्धि तथा स्थानीय उत्पादकों द्वारा मात्रा में छूट एमएमटीसी के लिए अलाभकारी है।

अलोह धातुओं के उपभोक्ता फैबरिकेटिड मेटल्सर, मशीनरी तथा उपकरण तथा रक्षा तथा ओटोमैटिव सेक्टलर्स हैं। भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम से इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा जिससे अलौह धातुओं की मांग में बढ़ोतरी होगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में अलौह धातुओं के देशी उत्पादकों से कड़ी स्पर्धा मिलने की उम्मीद है क्योंकि वे मात्रा के आधार पर डिस्काउंट देते हैं तथा डिलीवरी भी समय पर देते हैं। अपने वर्तमान ग्राहकों को डाइनामिक प्राइसिंग आप्शंस देने से हमें देशी उत्पादकों से स्पर्धा करने में मदद मिलेगी। प्रतिस्पर्धा के अन्य जो स्रोत हैं उनमें शामिल हैं सकेंडरी मेटल के उत्पादक तथा माइनर मेटल रिफाइनिंग सेग्मेंट के नए व्यवसायी।

आपकी कंपनी नॉन–फरेसमेटल डिवीजन एनएफएम तथा माईनर मैटलस एमएमटीसी के व्यापक बिक्री नेटवर्क के माध्यम से विदेशी सप्लायरों के साथ बिक्री के अवसर खोज रहा है। एशिया के देशों से विभिन्न करारों के अंतर्गत नॉन–फरेसमेटल तथा मेटल एलोय की बिक्री की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

इस्पात उद्योग तथा एमएमटीसी ने मांग की कमी तथा कच्चे माल एवं ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी का सामना किया है जिससे हमारे लाभ का मार्जिन कम हो गया है। वर्ष 2015 के दौरान स्टील सैक्टर में आयी मंदी के कारण भारतीय पिग आयरन के निर्यात को भी बड़ा धक्का लगा हैं। भारत से पिग आयरन के निर्यात में 40 प्रतिशत की कमी देखी गई है। पिछले वर्ष की 7,40,000 मि.टन की तुलना में भारत ने वर्ष 2015 के दौरान 4,20,500 मि.टन का कुल पिग आयरन का निर्यात दर्ज किया है। कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण कारोबार भी कम रहा है। जिससे एमएमटीसी के प्रोफिट मार्जिन पर असर पड़ा है। आयात में भारी सर्चे तथा कम मूल्य पर आयात किया जा रहा है। जो कि भारत में आए लागत मूल्य से भी कम है। इसका कारण भी स्टील के घरेलू उद्योगों में मंदी देखी गई है। निर्माण संबंधी गतिविधियों में भी आई कमी से भी स्टील उत्पाद में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

आपकी कंपनी का स्टील ग्रुप प्रमुख स्टील युनिटस के साथ लघु/मध्यम श्रेणी की अन्य स्टील यूनिट्स के साथ लंबी अवधि की व्यवस्था कर बिलटस की बिक्री की संभावनाएं तलाश रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था छोटी तथा लंबी अवधि के कांट्रेक्ट अथवा एमओयू रूट के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा बंगलादेश, नेपाल तथा अफ्रीकाई देशों को बिलट्स का निर्यात करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एनआईएनएल प्लांट में उत्पादित होने वाली बिलट्स भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित लघु तथा मध्यम श्रेणी उद्यमों की विशिष्ट मांगों की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार के कदमों से एमएमटीसी के व्यवसाय में वृद्धि होगी।

दूसरी नीतियों में सेल डिपो/विशेष स्थानों पर गोदान बनाना शामिल है जिससे एमएमटीसी/एनआईएनएल को अच्छा मूल्य मिलने, एनआईएनएल के पिग आयरन तथा बिलेटस की बिक्री के लिए सीएण्डएफ एजेंट की नियुक्ति बिलेटस का टीएमटी रिबार में कनर्वट करना, स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का नामांकन, एचएमएस–1 तथा 2 का आयात तथा कांदला से स्क्रैब, कोलकाता, नव सेवा/जेएनवीटी तथा चेन्नई में एचएमएस–1 एण्ड 2 के लिए विदेशी आपूर्तिकर्त्ता तथा ईओआई इनवाइट करते हुए भारतीय बंदरगाहों से सेरेडिड स्क्रैब, वल्यू एडिशन/बोटम लाइन इंपयूमेंट, आयरन ओर से सीनटर/बिलेटस इत्यादि में सहयोग मिलेगा।

कृषि उत्पाद

भारत की एक बड़ी जनसंख्या के चलते तथा भारतीय कृषि का एक बड़ी सीमा तक वर्षा पर निर्भर होने के कारण कृषि व्यापार संगठन के लिए एक हमेशा चलने वाला करोबार है। घरेलू कृषि उत्पादन के अनुसार कृषि उत्पादों की आयात व निर्यात की संभावना जन्म लेती है।

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी के कृषि उत्पाद समूह ने 3565 मिलियन रूपए का कुल व्यापार किया। जिसमें 583 मिलियन रूपए के आयात तथा 2982 मिलियन रुपए का घरेलू व्यापार शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्य सरकार द्वारा खाद्य तेल बंद कर देने के कारण तथा दालें, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि की बैक–टू–बैक खरीद बंद होने से खाद्य तेल तथा हाईसीज सेल विथ हाईपोथीगेशन ऑफ कार्गो के कारण कंपनी के कृषि व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

चीन, यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों में आर्थिक मंदी के कारण कमोडिटी बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कृषि मदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अभी उबरना है तथा गेहूं, चावल, खाद्य तेल आदि जैसी प्रमुख मदों को भी अभी मंदी के रूझान से उबरना है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि दालों के निर्यात को छोड़कर वर्ष 2016–17 के लिए कृषि मदों के लिए अवसर उत्साह जनक नहीं है। तथापि मूल्य संवर्धन तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के बढ़ते घरेलू बाजार की बड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी द्वारा खाद्य तेल/दालों में मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास करने पर विचार किया जा रहा है। भारतीय मूल के चावल को इंडोनेशिया तथा इजिपट को सरकार से सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मूल्य सिरता योजना के अंतर्गत दालों के आयात के लिए एमएमटीसी सरकार की नोडल एजेंसी है।

उर्वरक तथा रसायन

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान उर्वरक एवं रसायन समूह ने 28,844 मिलियन रूपये का कुल कारोबार किया है। यूरिया के व्यापार में टॉप लाइन प्राप्त की जा चुकी है। यूरिया, एमओपी, गंधक, तकनीकी ग्रेड का यूरिया, आरएलएनजी उर्वरक और अमोनियम सल्फेट के व्यापार द्वारा कुल व्यापार किया गया तथा उत्पादवर्ग (पोर्टफोलियो) में नए उत्पाद आरएलएनजी को भी शामिल किया गया है। बाजार को समझने के लिए छोटे स्तर पर तैयार उर्वरकों का घरेलू वितरण शुरू किया गया है। वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से लगभग 25,305 मिलियन रूपये मूल्य के यूरिया का आयात किया गया। गंधक के आयात का मूल्य 164 मिलियन रूपए का था। औद्योगिक प्रयोग के लिए तकनीकी ग्रेड के यूरिया का आयात करके एमएमटीसी द्वारा लघु उद्योगों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा फैक्ट के लिए 804 मिलियन रुपए का री–गैसीफाईड लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान उर्वरक का घरेलू व्यापार 1,598 मिलियन रुपए रहा।

भारत द्वारा उर्वरक उद्योग एक कठिन दौर से गुजर रहा है। सरकार द्वारा उर्वरक के घरेलू उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। कई प्रकार के उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न उर्वरकों का उत्पदन अमोनिया,

रॉक–फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, गैस आदि जैसे अनेक कच्चे माल की लागत एवं उपलब्धता पर आधारित है।

भारत में उर्वरक का आयात काफी बड़े पैमाने पर होता है। सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उर्वरक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। देश में कई प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन अएमोनिया, रॉक–फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, गैस इत्यादि जैसे अनेक कच्चे माल की लागत एवं उपलब्धता पर आधारित है।

घरेलू रूप से एमओपी तथा उपलब्ध अनुदान की तुलना में विभिन्न उर्वरकों के आयात मूल्य बहुत अधिक रहने से बड़े अंतर को देखते हुए परिवीक्षाधीन वर्ष उर्वरक उद्योग के लिए कठिन समय रहा है। इस अंतर के परिणामस्वरूप यूरिया के अतिरिक्त, सभी उर्वरकों के मामले में मांग में काफी कमी आई।

भारतीय उर्वरक उद्योग सरकार की सब्सिडी समय–समय पर आयात के लिए जारी निर्देश, बिक्री पर निर्भर करता है। यूरिया अकेला ही आयात के लिए बचा हुआ केनालाइड तथा दूसरे सभी उत्पाद ओजीएल के अंतर्गत आते हैं। न्यूट्रिएंट बेसड सब्सिडी स्क्रीम के आरंभ होने के बाद सब्सिडी रूक गई है तथा एमआरपी लोटिंग बाजार की हालत पर निर्भर करती है। इसके पिछे यह उद्देश्य था कि किसानों को सस्ता उर्वरक उपलब्ध हो सके तथा उर्वरक के सभी पोषक तत्व मिट्टी को प्राप्त हो सके। जिससे कि मिट्टी और अधिक उपजाउ बन सके और सरकार पर सब्सिडी के भार को कम किया जा सके।

विश्व स्तर पर उर्वरक उद्योग सब्सिडी के आधार पर सशक्त रहता है। विश्व अर्थव्यवस्था निरंतर चुनौती का सामना करते हुए भी उससे उभरती हुई प्रतीत होती है।

वर्ष 2016–17 के लिए भारत की संभावनाएं मानसून तथा सरकारी नीति पर निर्भर करेंगी। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर चुनौतियों का सामना कर रही है फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिकवरी पथ पर है। भारत सहित विश्वभर के देशों में खाद्यों की महंगाई देखी जा रही है। इसलिए विशेषकर विकसित देशों का ध्यान कृषि में उत्पादकता बढ़ाने पर होगा। तथापि, यूरिया, डीएपी तथा एमओपी की आपूर्ति के लिए नए आपूर्तिकारों के शामिल होने से सभी प्रमुख उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति स्थिति सुविधाजनक रहने की आशा है।

वर्तमान उत्पाक वर्ग में व्यापार की मात्रा को बढ़ाने तथा ट्रेडिंग के लिए नए उर्वरक उत्पादों की गंभीरता से खोज करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई योजना में वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखकर तथा नए ग्राहकों को जोड़ना तथा उर्वरक के उत्पादन में नए उत्पादनों को शामिल करना तथा तैयार उर्वरक का आयात व घरेलू वितरण शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति ग्राहक आधार बढ़ाकर तथा नए आपूर्ति स्रोतों को खोजकर की जा सकती हैं इस दिशा में कुछ सफलता भी मिल चुकी है।

कोयला एवं हाईड्रोकार्बन

आपकी कम्पनी द्वारा किए गए कुल व्यापार में कोयला एवं हाईड्रोकार्बन प्रभाग ने 11,269 मिलियन रुपए का योगदान किया है जिसमें 5,727 मिलियन रुपए के स्टीम कोल तथा 4,399.80 मिलियन रुपए के कोकिंग कोल तथा क्रूड टार का घरेलू व्यापार शामिल है। इसमें 1,142 मिलियन रुपए का हार्डकोकिंग कोल, एलमकॉक, नट कोक आदि भी शामिल है। घरेलू कोयले के ऊचें उत्पादन तथा आयायतित कोल की कमजोर मांग के बावजूद आपकी कंपनी वर्ष 205–16 के दौरान लगभग 1 मिलियन टन आयात करने में सफल रही है। इससे आपकी कंपनी की सभी पीएसयूज में सर्वोत्तम स्थिति बनी हुई है।

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत में नॉन कूकिंग कोयले का आयात लगभग 177 मि.टन की ऊचाई पर रहा है। तथापि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नॉन कूकिंग कोयले के आयात में कमी देखी गई है। यह घरेलू सप्लाई में हुए विकास के कारण है। पॉवर यूटिलिटी जोकि नॉन कूकिंग कोल के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं ने इम्पोर्टेडिट नॉन कूकिंग कोल की मांग गंभीर रूप से कम कर दी है। जो कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा पिट हैड से पॉवर प्लांट तक ढुलाई में विकास के कारण हुई हैं। घरेलू उत्पाद तथा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि, के कारण थर्माकोल के आयात में स्थिरता बनी रह सकती है। तथापि समुद्री तट पर स्थापित पॉवर प्लांट अपने भौगोलिक सुविधा के चलते आयात को जारी रख सकते हैं।

आपकी कम्पनी का कोल एवं हाईड्रोकार्बन समूह को सीमेंट, सपंज आयरन, यूनिट्स तथा कैप्टिव पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए स्टीम कोल का आयात करने की संभावनाए नजर आती है। अनुमान है कि 15 से 18 मिलियन मि. टन आयायतित कोल की पूर्ति स्टॉक एण्ड सेल के अंतर्गत भारत में की जाती है तथा आपकी कंपनी के लिए स्टॉक एवं सेल में भागीदार बनने की अच्छी संभावना है।

घरेलू कोल के उत्पादन में हुई वृद्धि से पूरा परिवेक्ष ही बदल गया है जिसमें भारत न केवल कोल फार्यड प्लांट/उद्योग की

आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए न केवल आत्म निर्भर बन गया है अपितू सरप्लस स्टॉक भी उत्पन्न कर रहा है। इस बदले हुए परिवेश के कारण घरेलू कोयले को अब पड़ोसी देशों में निर्यात करने के अवसर भी हैं। जो कि दूसरे कोयला निर्यातकों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्रस्तुत करता है। इर्स्टन कोल फिल्ड से प्रोक्यूर करके बंगलादेश को निर्यात करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं।

माइका

जैसाकि गत वर्षों की रिपोर्टों में पहले सूचित किया जा चुका है, विश्व स्तर पर परिवर्तित बाजार आवश्यकता तथा माइका प्रोसेसिंग टेक्नोकलॉजी में हुए तकनीकी विकास के कारण माइका प्रभाग का कार्यकलाप वर्ष 2002–03 से बंद है। माइका प्रभाग के अभ्रक नगर, जिला कोडरमा, झारखंड में स्थित अप्रचलित प्लांट व मशीनरी को निपटाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

अन्य

कंपनी के कुल व्यापार में अन्य उत्पाकदों का योगदान 73.9 मिलियन रुपये का है जिसमें कर्नाटक में मार्च 2007 में स्थापित किए गए 15 मैगावाट के विंड पावर फार्म में उत्पादित ऊर्जा की बिक्री शामिल है। कंपनी ने इसी वर्ष के दौरान रैड सैन्डर्स के निर्यात को भी अन्तिम रूप दिया है।

उपरोक्त वर्णित उत्पादों के अतिरिक्त, विभिन्न उत्पादों में एमएसएमई क्षेत्र को साथ लेकर कुछ व्यापारिक टर्नओवर प्राप्त करने के लिए आपकी कम्पनी के सामान्यः व्यापार समूह द्वारा नए बाजारों तथा नए उत्पादों की खोज की जा रही है।

नई पहल

अपने व्यापार पोर्टफोलियों को बढ़ाने की दिशा में दो नए प्रभागों को बनाने का निर्णय किया गया है। यह इंजिनियरिंग उत्पााद तथा दवाएं, परिस्त रसायन एवं भेषजीय(फाइन कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स) प्रभाग होंगे। इन दो नए ट्रेडिंग क्षेत्रों द्वारा निर्यात तथा आयात दोनों में अवसर उपलब्ध करवाने की आशा है। अफ्रीकी महाद्वीप में उभरते विविध व्यापारिक अवसरों से लाभ उठाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय को अपग्रेड किया जा रहा है। इन पहलों से आने वाले वर्षों से कंपनी के कारोबार तथा लाभ अच्छे परिणाम आने अपेक्षित है। साऊथ अफ्रीका में इंजिनियरिंग गुडस के डस्पले कम सेल के लिए एक वेयरहाउस खोलने का प्रस्ताव है। जिसमें कि अफ्रीकी महाद्वीप में उपलब्ध व्यापार के असीम अवसरों को लाभ उठाया जा सके।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधतंत्र की चर्चा में वक्तव्य तथा विश्लेषण कंपनी के अनुमान, आशांए, लागू नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत 'फारवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट' हो सकती है। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। निगम के कार्यकलापों में अंतर लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियां तथा निगम के व्यापार क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी बाजारों में मूल्यों के हालात, सरकारी विनियमों/नितियों, कर कानूनों, अन्य सांविधिक तथा अन्य प्रासंगिक का कारकों में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट - 2015-16

1. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें चलाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम, सी.एस.आर. नीति एवं परियोजना या कार्यक्रम से संबंधित वेब–लिंक का एक संदर्भ शामिल हैं।

एमएमटीसी लि. ने निरंतर एक अच्छे कारपोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की पुष्टि से एक सतत तरीके से व्यापार संचालित कर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तौर तरीकों की दिशा में गहरी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

सी.एस.आर. गतिविधियों के बारे में किसी आधिकारिक अनुदेश के बिना भी एमएमटीसी लि. ने काफी समय पहले सितंबर, 2006 में सी.एस.आर. को एक नीतिगत पहल के रूप में अपनाया था। यह पहल प्रभावी तौर पर 2007–08 में प्रारंभ की गई और सी.एस.आर. गतिविधियां चलाने के लिए पिछले साल के धारण–योग्य लाभ (रिटेनेबल प्रोफिट) की एक प्रतिशत राशि आवंटित की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और सामुदायिक गतिविधियां चलाने के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के समय में राहत प्रदान करने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2010 में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ए.) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सी.पी.एस.ई.) द्वारा सी.एस.आर. को अपनाने के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे। एमएमटीसी लि. ने इन दिशा–निर्दशों को अपनाया और अपनी सी.एस.आर. नीति का तदनुसार पुनर्निर्धारण किया। इसके बाद, नवंबर, 2011 और अप्रैल, 2013 की डी.पी.ई. के दिशा–निर्देश आए, जिन्हें एमएमटीसी ने यथोचित तरीके से अपनाया। कंपनी की सी.एस.आर. पहलें संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के भी अनुरूप हैं।

एमएमटीसी लि. की सी.एस.आर. गतिविधियां एक अप्रैल, 2014 से कंपनी अधिनियम, धारा 135 के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। एमएमटीसी लि. की सी.एस.आर. नीति को इस अधिनियम की धारा 135 और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा यथा–अधिसूचित सी.एस.आर. नियमों के अनुसार नए रूप में ढाला गया है। नई सी.एस.आर. नीति को एमएमटीसी लि. की वेबसाइट पर डाला गया है।

2014–15 के दौरान निदेशक मंडल ने भारत स्वच्छता अभियान को लाभ पहुचानें की दृष्टि से सी.एस.आर गतिविधियां चलाने के लिए 45 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। आबंटित राशि को ओडिसा राज्य के 17 सरकारी स्कूलों में सफाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने में उपयोग किया गया। इसके अलावा घोसी मऊ के विद्यालय में 3 हैंडपैम्प तथा 5 हैंडपैम्प जैतवर्धी गांव (इलाहबाद) उत्तर प्रदेश में लगाए। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के उद्धार के लिए "क्लीन गंगा फंड" एक थोडी राशि का सहयोग किया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने म्युजिक थरेपी ट्रस्ट तथा अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट को अयोग्य व्यक्तियों को पुनः स्थापित करने की सेवाएं प्रदान की।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

- श्री एस.आर. तायल, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में
- श्री राणा सोम, स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में
- श्री वेद प्रकाश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में
- श्री राजीव जयदेव, निदेशक (कार्मिक) सदस्य के रूप में
- श्री एम.जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में

3. पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

सी.एस.आर. बजट का पता लगाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई।

पिछले तीन वर्षों–2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 का शुद्ध लाभ 144.6 मिलियन रु., (1270.08 मिलियन रु.) तथा 598.7 मिलियन रु. था।

4. निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (राशि का दो प्रतिशत, जैसाकि उपरोक्त मद–3 में है)

पिछले तीन वर्षों में कंपनी को कोई लाभ न होने के कारण औसत निवल लाभ रु(–)36.56 मिलियन रहा।

कंपनी अधिनियम के अनुरूप पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक रहा है, इसलिए आवंटन करना अनिवार्य नहीं था। फिर भी, कंपनी द्वारा 2006 से निरंतर सी.एस.आर. पहलें चलाने के तथ्य को ध्यान में रख कर निदेशक मंडल ने वर्ष 2015–16 के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों को चलाने के लिए 45 लाख रु. का आवंटन किया।

5. वित्त वर्ष के दौरान सी.एस.आर. पर व्यय

(क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली राशि :

45 लाख रुपए

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है :

शून्य

(ग) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का तरीका

विवरण संलग्न।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों में औसत शुद्ध लाभ की दो प्रतिशत राशि या उसके किसी हिस्से का व्यय करने में विफल रहती हैतो कंपनी अपनी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इस राशि का व्यय न करने का कारण बताएगी।

लागू नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सी.एस.आर के उद्देश्यों एवं नीति के अनुरूप हैं।

ह/.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह/.
सी.एस.आर समिति के अध्यक्ष

अनुलग्नक

वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का तरीके का विवरण नीचे दिया गया है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर की परियोजना या गतिविधि	सैक्टर जिसे परियोजना कवर करती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य तथा जिले का नाम बताएं जिसमें परियोजना चल रही है	परियोजना आउटले (बचत की राशि) या कार्यक्रम वार	परियोजना पर खर्च की गई राशि सब हैडस (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर सीधे तौर पर किया गया खर्च	रिपोर्टिं के समय तक संचयी खर्च की गई राशिः	सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा खर्च की गई राशि
1	ओडिसा के सरकारी उच्च विद्यालय में स फाई तथा पेयजल का प्रबंध, (स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत)	प्रीवेंटिंग हैल्थ केयर हाईजिन विकासित करने तथा सफाई व शुद्ध पेयजल की सुविधा : शिक्षा को प्रदोन्त करना	जोड़ा/ बडबिल/ कोइनजार (एनआईएन एल) जाजपुर जिला, ओडिशा	बजट 30 लाख रुपए	40.47 लाख रुपए	40.47 लाख रुपए	40.47 लाख रुपए एजेंसी : सिविल इंजिनियर कार्य अवार्ड के लिए प्रक्रिया चल रही है।
2	क्लीन गंगा फंड में सहयोग	पर्यावरण बचाने, इकोलोजिकल बैलेंस, पेड–पौधों की सुरक्षा, जल की गुणवत्ता की सुरक्षा इत्यादि सुनिश्चित करना	––	बजट 1 लाख रुपए	1 लाख रुपए	1 लाख रुपए	1 लाख रुपए एजेंसी : स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन
3	प्राथमिक/ सैकेण्डरी विद्यालयों में हैडपैम्प लगाना	प्रीवेंटिव हैल्थ केयर को प्रोन्नत करना तथा पेय जल उपलब्ध कराना	जैतवारडीह (इलाहबाद) तथा घोसी (मऊ) उत्तर प्रदेश	बजट 3 लाख रुपए	3.53 लाख रुपए	3.53 लाख रुपए	3.53 लाख रुपए एजेंसी : पारस इंडिया (एनजीओ)
4	समाजिक तथा आर्थिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों से	शिक्षा प्रोन्नत करना, मेधावी परंतु आर्थिक रूप से कमजोर	––	बजट 10 लाख रुपए	0	0	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आरंभ होगी।

	आने वाले सरकारी स्कूल/कॉलेज में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना लागू करना	छात्रों को सहायता करना					
5	अपंग लोगों को म्युजिक थरेपी दिलवाने के लिए म्युजिक थरेपी ट्रस्ट को इसकी आउटरिच प्रोग्राम के माध्यम से थरेपी दिलाना	विकलागों की शिक्षा तथा हैल्थ केयर को प्रोन्नत करना	दिल्ली	बजट 1 लाख रुपए (वर्ष 2012–13 का खर्च न किया गया बजट में से)	1 लाख रुपए	1 लाख रुपए	रुपए 1 लाख एजेंसी : दी म्युजिक थरेपी ट्रस्ट
6	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल को अपंग बच्चों के लिए स्कूल बैग खरीदने के लिए वित्तीय सहायता	अपंग बच्चों में शिक्षा को प्रोन्नत करना	दिल्ली	बजट 0.5 लाख रुपए (वर्ष 2012–13 का खर्च न किया गया बजट में से)	0.5 लाख रुपए	0.5 लाख रुपए	रुपए 0.5 लाख एजेंसी : अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट
		कुल		46.5 लाख रुपए (2015–16) से तथा 1.5 लाख रुपये (2012–13 में खर्च न किए गए)	46.5 लाख रुपए	46.5 लाख रुपए	46.5 लाख रुपए

कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों जिसमें निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा व्यापक समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

सेबी के लिस्टिंग रेगूलेशन तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों पर डीपीई द्वारा रिपोर्ट नीचे दी जा रही है जो कि वर्तमान कंपनी सचिव द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों को सुनिष्चित करते हुए जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक मडंल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, तीन पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा पांच गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई सेवानिवृत होते हैं और यदि पात्र हों तो पुनः नियुक्ति पा सकते हैं।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:–

क्र. स.	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर–कार्यकारी	धारित पद	31.03.2016 को निदेशक मंडलों में डायरेक्टरषिप की संख्या	बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य अध्यक्ष है*
1	श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष– 3 निदेशक– 1	––
2	श्री राजीव जयदेव	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक– 1	शून्य
3	श्री पी.के जैन	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक– 3	शून्य
4	श्री अश्वनी सौंधी (06.01.2016 से)	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक– 1	शून्य
5	श्री एम. जी. गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक– 4	सदस्य–1
6	श्री आनंद त्रिवेदी	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक– 5	शून्य
7	श्री अरविन्द कालरा (14.02.2016 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	लागू नहीं##	लागू नहीं##
8	श्री राणा सौम (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष– 1 निदेशक– 7	शून्य
9	श्री एन बाला भास्कर (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक– 3	शून्य
10	डॉ. सुभाष पाणि (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
11	श्री स्कंद रंजन तायल (09.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
12	श्री जे.के. दादू (06.08.2015 से)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	निदेशक– 5	अध्यक्ष–4
13	श्री अजय कुमार भल्ला (29.04.2015 से)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	निदेशक– 1	शून्य
14	श्री बी.पी. पाण्डेय (06.08.2015 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	लागू नहीं##	लागू नहीं##
15	श्री रजनी रंजन रश्मि (29.04.2016 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	लागू नहीं##	लागू नहीं##

*केवल लेखा परीक्षा समिति और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स की शिकायत समिति पर विचार किया गया है।

चूंकि उपरोक्त निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में नही रह गए थे अतः दिनांक 31.03.2016 को उनके प्रकटन उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख / समाप्ति	नियुक्ति / समाप्ति
श्री रजनी रंजन रश्मि	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29.04.2015	समाप्ति
श्री अजय कुमार भल्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29.04.2015	नियुक्ति
श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	06.08.2015	समाप्ति
श्री जे. के. दादू	सरकार द्वारा नामित निदेशक	06.08.2015	नियुक्ति
श्री अश्वनी सोंधी	निदेशक (विपणन)	06.01.2016	नियुक्ति
श्री अरविन्द कालरा	स्वंतत्र निदेशक	14.02.2016	समाप्ति
श्री राणा सौम	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
श्री एन. बाला भास्कर	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
डॉ. सुभाष पाणि	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
श्री एस. आर. तयाल	स्वंतत्र निदेशक	10.04.2016	समाप्ति
श्री आर. आनंद	स्वंतत्र निदेशक	15.06.2016	नियुक्ति
श्री बाल कृष्ण के. शुक्ला	स्वंतत्र निदेशक	04.07.2016	नियुक्ति

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश / वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि / सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के फंक्शनल सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परफार्मेंस रिलेटिड वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन–आफिशियल अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड / बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के हिसाब से रु.15,000 / – की राशि सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये / देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं :–

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (रु. / लाख)	वर्ष 2015–16 के दौरान कार्य–निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रावधान) (रु. / लाख)	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन सिवरेंस फीस	दिनांक 31.03.2016 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री वेद प्रकाश	32,86,073/-	61,001/-	-	1010
श्री राजीव जयदेव	33,68,201/-	59,592/-	-	500
श्री एम. जी. गुप्ता	32,40,720/-	57,290/-	-	5
श्री आनंद त्रिवेदी	31,14,172/-	56,864/-	-	NIL
श्री पी.के जैन	34,26,371/-	55,350/-	-	508
श्री अश्वनी सौंधी**	25,48,006/-	44,791/-	-	2008

*ऊपर दर्शायी गई पीआरपी के आंकड़े वर्ष 2014–15 से संबंधित है जोकि वर्ष 2015–16 में एडहोक के रूप में भुगतान किए गए है।

**श्री सौंधी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक का प्रकटन पूरे वर्ष के लिए है। जबकि उन्हें निदेशक (विपणन) का चार्ज दिनांक 06.01.2016 से लिया है।

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुई, जो दिनांक 21.05.2015, 07.07.2015, 13.08.2015, 08.09.2015, 11.09.2015, 13.11.2015, 20.01.2016 तथा 20.02.2016 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 29 सितम्बर, 2015 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	निदेशक का काम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 29.09.2015 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**फंक्शनल निदेशक**			
	श्री वेद प्रकाश	9	9	हां
	श्री राजीव जयदेव	9	8	हां
	श्री एम. जी. गुप्ता	9	9	हां
	श्री आनंद त्रिवेदी	9	9	हां
	श्री पी.के जैन	9	9	हां
	श्री अश्वनी सौंधी	2	2	एनआर
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**			
	श्री जे.के. दादू (06.08.2015 से)	7	5	नहीं
	श्री अजय कुमार भल्ला (29.04.2015 से)	9	8	नहीं
	श्री बी.पी. पाण्डेय (06.08.2015 तक)	2	1	एनआर
	श्री रजनी रंजन रश्मि (29.04.2016 तक)	0	0	एनआर
(ग)	**गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र निदेशक)**			
	श्री अरविन्द कालरा	9	9	हां
	श्री राणा सौम	9	4	नहीं
	श्री एन. बाल भास्कर	9	7	हां
	डॉ. सुभाष पाणि	9	9	नहीं
	श्री एस. आर. तयाल	9	9	नहीं

*एनआर : आवश्यक नहीं था।

स्वतन्त्र निदेशकों की पृथक बैठक

सेबी के (लिस्टिंग ऑबलिगेशनस एण्ड डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) अधिनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 की सूची IV तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर सरकारी (स्वतंत्र निदेशक) की भूमिका पर डीपीई द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शर्तों के अनुसार दिनांक 14.03.2016 को स्वतंत्र निदेशक की बैठकों का आयोजन किया गया। इस तिथि को नियुक्त रहे सभी स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक में भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्त वर्ष में होने वाली अपनी पहली बैठक में इस बात की घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 149(6), सेक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ओबलिगेशन तथा डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) 2015 तथा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने के मांनदण्डों को पूरा करते हैं।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
4. शेयर ट्रांसफर समिति
5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशकों की समिति
8. निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी
9. जोखिम प्रबंधन समिति

1. निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में दो गैर–सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक तथा एक अंशकालिक सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशन तथा डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) अधिनियम 2015 (लिस्टिंग ओबलिगेशन तथा डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2015–16 में समिति की दस बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	21.05.2015	श्री अरविंद कालरा श्री एस. आर. तयाल श्री बी. पी. पाण्डे	श्री अरविंद कालरा
2	13.08.2015	श्री अरविंद कालरा श्री जे. के. दादू श्री एस. आर. तयाल	श्री अरविंद कालरा
3	12.11.2015	श्री अरविंद कालरा श्री जे. के. दादू श्री एस. आर. तयाल	श्री अरविंद कालरा
4	12.02.2016	श्री अरविंद कालरा श्री एस. आर. तयाल	श्री अरविंद कालरा

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

2. निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा पहले गठित की गई निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का नाम बदलकर अब 'निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' कर दिया गया है। श्री राना सोम, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक, श्री अरिवंद कालरा, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक तथा श्री एसआर तायल, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल(स्वतंत्र) निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। ये सदस्य स्वयं ही समिति के चेयरमैन को चुनेंगे। इस समिति के कार्य एवं कर्तव्य तथा इसके अधिकारों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हस्ताक्षरित लिस्टिंग सूची II तथा डीपीई द्वारा

दिनांक 26 नवंबर 2008 में जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्टि किया गया है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों की पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक के मिनट्स निदेशक मंडल को सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

3. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति में वर्ष 2015–16 के दौरान श्री अरविंद कालरा, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल(स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष सीएमडी, एमएमटीसी तथा निदेशक(वित्त), एमएमटीसी इसके सदस्य थे। कंपनी सचिव इसके सचिव हैं। समिति शेयरधारकों/अन्य

प्राप्त शिकायतों की संख्या	सुलझा दी गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2016 की शेष शिकायत संख्या
11	10	1

4. शेयर ट्रांसफर समिति

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई शेयर ट्रांसफर समिति में एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य थे। कंपनी सचिव इसके सचिव हैं। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर, रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोध पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है।

5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया जिसमें श्री राना सोम, अंशकालीन नॉन ऑफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा श्री एन बाला भास्कर, अंशकालीन नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक तथा श्री एस आर तायल अंशकालीन नॉन आफिशिएल(स्वतंत्र) निदेशक इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है तथा एमएमटीसी कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम, 1975 समय–समय पर यथासंशोधित के तहत 'अपीलीय अथारिटी' के रूप में भी कार्य करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं। इन बैठकों के मिनट्स निदेशक मंडल को सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा स्वीकृति का अनुपालन करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह करने और परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/ एमएमटीसी की सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने एक ''सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एशोसिएट कंपनियों'' पर निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्तमान में इस समिति में डॉ. सुभाष पाणि अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष, श्री एन. बाला भास्कर अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

7. सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने एसडी तथा सीएसआर समितियों का विलय करते हुए इसका पुनर्गठन किया तथा इसका नाम 'सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशक समिति' कर दिया। यह समिति सीएसआर तथा सतत विकास की गतिविधियों का कंपनीज एक्ट 2013 तथा डीपीई के इस संबंध में दिशानिर्देशों समय–समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुमोदन तथा इनके कार्यान्वयन व निगरानी का काम करती है।

वर्तमान में इस समिति में श्री एस आर तायल, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं तथा श्री राना सोम अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के निदेशक, श्री वेद प्रकाश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव जयदेव, निदेशक(कार्मिक) तथा श्री एम जी गुप्ता, निदेशक(वित्त) इस समिति के सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान इस समिति की दो बैठक आयोजित की गईं जिनके कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए।

8. निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की कमेटी में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी फंक्शनल निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013/अन्य विधिक प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की अठत्तीस बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

9. निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

लिस्टिंग एग्रीमेंट के संशोधित क्लॉज के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में कंपनी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं जिसका गठन मार्च, 2015 में किया गया था। उक्त समिति लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा अन्य कानूनी प्रावधानों समय–समय पर यथासंशोधित के तहत निर्दिष्ट किए गए कार्य करेगी। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव रहेंगे।

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम सभा की बैठक, निगम के पंजीकृत कार्यालय से निकटवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं : –

बैठक का प्रकार	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
50वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2013 को 1130 बजे	–––
51वीं वार्षिक आम बैठक	18.09.2014 को 1130 बजे	एक
52वीं वार्षिक आम बैठक	29.09.2015 को 1130 बजे	एक

वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 22 जुलाई 2015 के नोटिस द्वारा एक पोस्टल बैलट शुरू किया गया तथा इसके परिणाम जिसमें दो विशेष संकल्प भी शामिल थे, को शेयरहोल्डर्स द्वारा पारित किया गया जिसकी घोषणा अध्यक्ष द्वारा दिनांक 09 सितंबर 2015 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित टाइम फ्रेम के अनुसार की जाएगी।

प्रकटीकरण

क) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

ख) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोर्ट्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट में प्रकट किये गये हैं।

ग) लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 33 के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने बोर्ड के समक्ष सत्यापित कर दिया है।

घ) कंपनी ने इम्पलाइज स्टाक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

ड) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

च) कंपनी के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तथा विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर और कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर अपलोड किया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक:

कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को 1030 बजे वेट लिफ्टिंग आडिटोरियम, स्पोर्ट्स अथार्टी आफ इंडिया, गेट नं. 19, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की जायेगी।

(ख) वर्ष 2016–17 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.09.2016 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

द्वितीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.12.2016 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.02.2017 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम(अंकेक्षित) तथा वर्ष 2016–17 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2017 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(ग) बुक क्लोजर की तिथियां

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक 17.09.2016 से 28.09.2016 (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा गया।

(घ) लाभांश भुगतान

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15
रेट	10 प्रतिशत	15प्रतिशत	25 प्रतिशत
दिनांक	26.10.2013	16.10.2014	12.10.2015

(ड.) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता

कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध करने के लिए दोनों स्टॉक एक्स्चेंज को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

(च) बाजार–मूल्य डाटा

वर्ष 2014–15 के दौरान मुंबई स्टाक एक्सचेंज पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

माह	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	माह	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		
अप्रैल 2015	56.45	46.85	अप्रैल 2015	56.35	47.05
मई 2015	54.00	46.50	मई 2015	54.00	46.35
जून 2015	57.90	41.50	जून 2015	57.80	41.45
जुलाई 2015	53.75	44.10	जुलाई 2015	53.70	44.30
अगस्त 2015	52.40	38.00	अगस्त 2015	52.40	38.05
सितंबर 2015	44.95	39.55	सितंबर 2015	43.85	39.10
अक्तूबर 2015	48.70	41.10	अक्तूबर 2015	48.80	41.45
नवंबर 2015	47.95	41.10	नवंबर 2015	47.95	41.15
दिसंबर 2015	52.25	41.90	दिसंबर 2015	50.20	41.80
जनवरी 2016	51.80	38.05	जनवरी 2016	51.90	37.85
फरवरी 2016	41.35	29.95	फरवरी 2016	40.40	29.85
मार्च 2016	40.30	31.00	मार्च 2016	40.35	30.30

(छ) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए)

कंपनी ने अपना आरटीए अर्थात मेसर्स एमसीएस लिमिटेड को बदल लिया है तथा कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया है।

(ज) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई 123 एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर

डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2016 को एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़ प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में से 89,92,68,762 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 10,07,28159 डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 3,079 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(झ) शेयर अंतरण पद्धति

कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर इनके प्रस्तुत किए जाने पर मानक अवधि के भीतर हो जाता है। डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2016 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा अन्य किसी दस्तावेजों को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

(ञ) दिनांक 31.03.2016 को शेयर होल्डिंग का वितरण

स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 35 के अनुसरण में दिनांक 31.3.2016 की शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :–

शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या कुल	शेयरों की संख्या का % में कुल शेयरहोल्डिंग
प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहोल्डिंग			
केंद्र सरकार	1	899268762	89.9268
पब्लिक शेयरहोल्डिंग			
म्युचुअल फंड्स/यूटीआई	2	131068	0.01
वित्तीय संस्थान/बैंक	12	3071254	0.31
विदेशी संस्थान निवेशक	2	21500	0
बीमा कंपनीज	6	57382994	5.7383
गैर–संस्थान			
कारपोरेट बाडी	1105	5618070	0.5613
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 2 लाख रूपए तक है	90780	33610024	3.36
ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	3	2200	0.0002
नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	777	894128	0.0885
कुल	92688	1000000000	100

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(ट) 31.03.2016 को 10 सबसे बड़े शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	899268762	89.9269
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	48119732	4.8120
3.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	5481180	0.5481
4.	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया	2000000	0.2000
5.	दि न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लि.	1141631	0.1142
6.	बैंक ऑफ इंडिया	997061	0.0997
7.	बैंक ऑफ बडौदा	600000	0.0600
8.	इलाहाबाद बैंक	553290	0.0553
9.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	450179	0.0450
10.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	376640	0.0377

(ठ) 31.03.2016 को आकार अनुसार शेयरहोल्डिंग का वितरण

श्रेणी (शेयर)	शेयरों की कुल संख्या	शेयरहोल्डिंग का %	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का %
1-500	9496745	.9497	79585	85.8633
501-1000	5615400	.5615	6893	7.4368
1001-2000	5046377	.5046	3306	3.5668
2001-3000	2704085	.2704	1050	1.1328
3001-4000	1864806	.1865	520	.5610
4001-5000	1867143	.1867	393	.4240
5001-10000	4036511	.4037	546	.5891
10001-50000	6598779	.6599	342	.3690
50001-100000	2375117	.2375	35	.0378
तथा इससे ऊपर	960395037	96.0395	18	.0194
कुल	**1000000000**	**100.0000**	**92688**	**100.0000**

(ड) 31.03.2016 को शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

क्र.सं	शहर	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरों का %
1.	अहमदाबाद	5584	6.025	2213386	0.221
2.	बंगलूरू	2916	3.146	1141453	0.114
3.	चेन्नई	3098	3.342	7152493	0.715
4.	दिल्ली	11685	12.607	904123916	90.412
5.	हैदराबाद	2281	2.461	1497276	0.150
6.	जयपुर	1596	1.722	652627	0.065
7.	कानपुर	581	0.627	245988	0.025
8.	कोचि	259	0.279	131093	0.013
9.	कोलकाता	4287	4.625	2922593	0.292
10.	मुंबई	13560	14.630	62722493	6.272
11.	दिल्ली को छोड़कर एनसीआर का क्षेत्र	2624	2.831	1240248	0.124
12.	अन्य	43831	47.289	15801643	1.580
13.	**पटना**	386	0.416	154791	0.015
	कुल	**92688**	**100.000**	**1000000000**	**100.000**

(ढ) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतें:–

शेयरधारक/अन्य निवेशक अपनी शिकायत श्री जी आनंदनारायणन, कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.gov.in पर भेज सकते हैं।

पत्राचार का पता :
बोर्ड सचिवालय, एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003.
फोन संख्या: 011 – 24361889/फैक्स संख्या/011–24360724, ई मेल : ganarayanan@mmtclimited.gov.in

ब्लैक एंड कंपनी
कंपनी सेक्रेटरीज

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में **एमएमटीसी सदस्य**

हमने 31 मार्च 2016 को एमएमटीसी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है। यह जांच निम्नलिखित में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की गई है।

- 1 अप्रैल 2015 से 30 नवम्बर 2015 की अवधि के लिए कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुआ लिस्टिंग एग्रीमेंट की क्लाज 49
- 1 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि में दौरान, लिस्टिंग एग्रीमेंट के रेग्युलेशन 17 से 27 तथा रेग्यूलेशन 42(2) की क्लाज 6 से (i) तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट के शेडयूल (5) का पैरा सी, डी तथा ई

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी समीक्षा कंपनी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रकियाएं तथा इसका अनुपालन है। यह न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही इन पर हमारा मत।

हमारे विचार से तथा हमें मिली सूचना, हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमें दिए गए रिप्रेजेंटेशन के अनुसार तथा निदेशकों व प्रबंधन द्वारा दिए गए रिप्रेजेंटेशन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त लिस्टिंग एग्रीमेंट/लिस्टिंग रेग्यूलेशन्स, उनमें उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को छोडकर, लागू शर्तों का अनुपालन करते हुए, कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

1. लिस्टिंग एग्रीमेंट की क्लाज 49 (ii) (ए) (1) में ऐसा प्रावधान होते हुए भी कंपनी ने किसी महिला निदेशक को नियुक्त नहीं किया है।
2. निदेशक मंडल की संरचना स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की शर्तों के अनुसार नहीं है। जैसा कि लिस्टिंग एग्रीमेंट की क्लाज 49 (ii) (ए) (1) में प्रावधान है, कंपनी को एक आदर्श बोर्ड गठित करने के लिए दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक है।

हम पुनः दोहराते हैं कि इस प्रकार का आश्वासन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता के लिए है और न ही ऐसी किसी दक्षता या कार्यसाधकता के लिए है जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा कंपनी का कामकाज किया जाता है।

कृते ब्लैक एण्ड कं

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः अगस्त 4, 2016

GLOBIZ™ towards corporate excellence

H.O.: 307 (3RD FLOOR), 79-SHYAM LAL ROAD
DARYA GANJ, NEW DELHI - 110002 (INDIA)
TEL. :+91-11-43623703
TELEFAX : +91-11-23241223
E-mail: info@globizassociates.com

B.O.: 3FCS - 08 (3RD FLOOR),
ANSAL PLAZA, VAISHALI,
DELHI NCR - 201010 (INDIA)
TEL.: +91-120-4217703
E-mail: globizassociates@gmail.com

B.O.: Office No. 1, F.F., 80/84,
DADISETH AGIYANI LANE, NEAR CHIRA BAZAR,
MUMBAI - 400002.
Tel. : 09322420337
E-mail : cs.ablakhotia@gmail.com

* KASHIPUR * KANPUR * GOA * CHENNAI * KOLKATA * LONDON
www.globizassociates.com

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट
वित्त वर्ष 2015-16

हमारे विषय में

यह कंपनी भारत में निगमित और स्थापित हुई है। यह मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम एक मिन्नी रत्न है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1 स्कोप काम्पेलेक्स–7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख शहरों एवं बंदरगाहों पर निगम के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर एवं दक्षिण अफ्रीका के जोहंसबर्ग में एक संपर्क कार्यालय भी है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोल व हाइड्रोकार्बन आदि का आयात कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप हैं। एमएमटीसी द्वारा इंजिनियरिंग उत्पाद तथा ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स उत्पादों का भी व्यापार किया जाता है।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों में फैले हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने दीर्घकालिक योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 'फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस' का दर्जा दिया गया है।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उदेद्श्य से एमएमटीसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूट को अपनाते हुए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एमएमटीसी पैम्प, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड, एसआईओटीएल, फ्री ट्रेड, वेयरहाउसिंग प्रा. लि. आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयर होल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कारपोरेट उद्देश्य

विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा नियोजित पूंजी से समुचित लाभ उठाना।

खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थाान को बनाए रखना।

व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।

मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगो को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।

सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।

वाणिज्यि विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।

उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार दायित्व रिपोर्ट – वित्त वर्ष 2015–16

वर्ष 2012 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) द्वारा आरंभ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) अनिवार्य कर दी गई है। यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष सौ कंपनियों की सूची में नहीं है फिर भी हम अपनी वार्षिक बीआरआर प्रकाशित कर रहे हैं।

खण्ड कः कंपनी के बारे में सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बेर (सीआईएन)
   एल 51909डीएल1963जी01004033

2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड

3. पंजीकृत पता
   कोर – 1, स्कोप काम्पलेक्स
   7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड
   नई दिल्लीं – 110003

4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com

5 ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com

6 रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
2015–16

7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है
(औद्योगिक कार्यकलाप कोड वार)
ट्रेडिंग

8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है या उपलब्धं कराती है। (तुलन पत्र के अनुसार)
(i) बहुमूल्य धातुएं
(ii) उर्वरक
(iii) हाईड्रोकार्बन

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं
(i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)
1. सिंगापुर में एक सहायक कंपनी
1 जोहंसबर्ग में संपर्क कार्यालय
(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या
भारत में 10 क्षेत्रीय कार्यालय

10. निगम द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका
खण्ड खः कंपनी का वित्तीय विवरण

खण्ड खः कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (आइएनआर)	1000 मिलियन
2.	कुल कारोबार(आईएनआर)	124604.7 मिलियन
3.	करोपरांत कुल लाभ 2015–16(आईएनआर)	548.5 मिलियन
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय (प्रतिशत)	कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का पिछले तीन वर्षो का औसत शुद्ध लाभ निगेटिव था अतः इसके लिए फंडस नहीं आबंटित किए गए थे। फिर भी इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी वर्ष 2006 से सीएसआर पर कार्य कर रही है इसलिए वर्ष 2015–16 के लिए निदेशक मंडल ने 45 लाख रूपये आबंटित किए हैं।
5.	उपर्युक्त 4 में से जिन कार्यकलापों पर खर्च किया गया उसकी सूची।	सीएसआर के लिए आबंटित किए गए फंड से ओडिशा के 17 सरकारी स्कूलों में साफ–सफाई तथा पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया कराई गई। इसके अतिरिक्त, घोसी(मउ) तथा जैतवारदिह गांव(इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हैंड पम्प लगाए गए। गंगा नदी के पुनरूद्दार के लिए भारत सरकार द्वारा गठित किए गए क्लीन गंगा फंड में कुछ राशि का अंशदान किया गया।

खण्ड गः अन्य विवरण

1 **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं**

जी हां, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)

क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।

कोई नहीं

2. **क्या कोई अन्यं व्यक्ति (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं यदि हां तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत तक, 60 प्रतिशत से अधिक)**

कोई नहीं

खण्ड घ : बी आर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डीआईएन संख्या **03368001**
- नाम **श्री राजीव जयदेव**
- पदनाम निदेशक(कार्मिक)

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	
2.	नाम	वी. के. पाण्डेय
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)
4.	टेलीफोन न.	011–24361256
5.	ई मेल आईडी	vkp@mmtclimited.com

2. सिद्धांतवार(एनपीजी अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हॉ/नहीं में उत्तर दें)

सिद्धांत 1 नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ–साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।

सिद्धांत 3 बिजनेस को सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 4 बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5 बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 6 बिजनेस को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा एवं बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सिद्धांत 7 जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होगा।

सिद्धांत 8 बिजनेस को वृद्धि एवं समान विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 9 बिजनेस को अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार रूप से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास..... के लिए नीति/नीतियां है?	**हां**	**नहीं**	**हां**	**हां**	**हां**	**नहीं**	**नहीं**	**हां**	**नहीं**
2.	क्या संबंधित सटेक होल्डरों से परामर्श करके नीति बनाई गई	**हां**		**हां**	**हां**	**हां**			**हां**	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्द)	**नहीं**		**नहीं**	**हां**	**हां**			**हां**	
4.	क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	**हां**		**हां**	**हां**	**हां**			**हां**	

क्र. सं.		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
5.	नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए क्या कंपनी में निदेशक मण्डल को विशिष्ट समिति/निदेशक/ कर्मचारी हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए क्या लिंक है?	www.mmtclimited.com		www.mmtclimited.com						
7.	क्या नीति आंतरिक व बाह्य सभी स्टेकहोल्डरों को विधिवत बताई गई है।	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन हाउस स्ट्रक्चर है।	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेकहोल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण व्यवस्था है।	हां		हां	हां	हां			हां	
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/मूल्यांकन करवाया है।	नहीं		नहीं		हां				

2ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी सिद्धान्त का उत्तर नहीं में है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर क्यों नहीं है (कालम 2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सकें।		✓					✓		
3.	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है।									
4.	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है।									
5.	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है।									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बी आर से संबंधित सुशासन (गवर्नेंस)

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेते हैं। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष की अवधि में।

एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ एजेंडा का विस्तार से उल्लेख करते हुए कागजात पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सकें।

कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन के निष्पादन की पुनरीक्षा करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श एवं पुनरीक्षा की।

- कारपोरेट योजना/एमओसी एण्ड आई के साथ मसौदा एमओयू
- एचआर से संबंधित मामले
- संयुक्त उद्यमों में निवेश
- बजट
- शेयर के मूल्य तथा एमएमटीसी का शेयरधारिता पेटर्न
- अधिशेष निधियों के उपयोग की स्थिति
- वित्तीय विवरणों/परिणामों को मंजूरी
- वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट/बीआरआर
- सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन
- आर्गेनाईजेशन नैदानिक अध्ययन का निर्धारण

क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है? यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है?

सेबी के आदेश (मैनडेट) के अनुसार मार्किट कैपिटल के आधार पर 100 शीर्ष कंपनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। वर्ष 2012–13 के लिए एमएमटीसी ने अपनी पहली बीआरआर तैयार की थी। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिशियल वेबसाइट www.mmtclimited.com पर देखा जा सकता है।

इस तथ्य पर विचार किए बिना कि यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष 100 की सूची में है अथवा नहीं है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एमएमटीसी निरंतर बीबारआर का निरंतर प्रकाशन कर रही है जो इसने वर्ष 2012–13 के दौरान आरंभ किया था।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कोम्पैक्ट नेटवर्क का सदस्य भी है तथा वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) जारी करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों के लिए उपलब्ध है।

खण्ड ङ – सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है?

जी हां। कंपनी का नैतिक आचार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित होता है। यद्यपि कर्मचारियों के आचार, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं फिर भी वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के आचार को संचालित करने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबधन के लिए व्यापारिक आचार एवं नीतियों की संहिता के रूप में अलग से दिशा निर्देश हैं। सत्यनिष्ठा, पैक्ट, व्हिसल ब्लोअर नीति तथा सिटीजन चार्टर को भी क्रियाशील बनाया गया है।

क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/सप्लायरों/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है।

जी हां, इंटिग्रेटी पैक्ट, सिटीजन चार्टर कवर, सप्लायरों, ठेकेदारों आदि पर भी लागू होता है जबकि आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) तथा व्हिसल ब्लोअर नीतियां केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है।

2. पिछले वित्त वर्ष में स्टेक होल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा कितने प्रतिशत निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया? यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।

116 स्टेकहोल्डर शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 60 प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया। मुख्यतः स्थानांतरण एवं पदोन्नति से संबंधित शिकायतें थी तथा

वास्तविक शिकायतकर्त्ताओं के निवेदन पर विचार करने के प्रयास किए गए। पेंशन तथा ग्रेच्युटी जैसी सेटलमैंट देय राशि से संबंधित मामले ईपीएफओ के पास लंबित हैं। सभी अन्य मामले विचाराधीन हैं तथा संतोषजनक रूप से इनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिद्धांत 2 – व्यापार ऐसा माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हों।

एमएमटीसी मुख्यतः ट्रेडिंग कारोबार में होने के साथ–साथ स्वर्ण एवं चांदी के विभिन्न मूल्यवर्गों के मडालियन का निर्माण भी करती है। एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ–साथ बीआईएम के अनुरूप मडालियन के निर्माण को भी सुनिश्चित करती है।

सिद्धांत 3 – व्यापार कर्मचारियों के कल्याण को उन्नत करने वाला हो।

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**

   दिनांक 31.3.2016 को कुल कर्मचारी संख्या 1340 (निदेशक मंडल स्तर के छः अधिकारियों सहित) है।

2. **कृपया अस्थाई/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   विभिन्न एजेंसियों/सोसाइटियों से कुल 230 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   कुल स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 283 है।

4. **कृपया विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या 27 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंधतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।**

   जी हां

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है।**

   100 प्रतिशत

7. **कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें तथा इस वित्त वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. **पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।**

- **स्थाई कर्मचारी** – 1334 में से 1243 अर्थात 93.18 प्रतिशत
- **स्थाई महिला कर्मचारी** – 1243 में से 240 अर्थात 19.31 प्रतिशत
- **विकलांग कर्मचारी** – 1243 में से 30 अर्थात 2.41 प्रतिशत

* कुल कर्मचारी संख्या में बोर्ड स्तर के अधिकारी शामिल नहीं हैं।

सिद्धांत 4 – व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है? हां/नहीं**

   जी हां, अपनी विद्यमानता के वर्षों में संगठन ने स्टेकहोल्डरों के विभिन्न ग्रुपों की पहचान की है तथा संपर्क बनाया है– इनमें कर्मचारी, शेयरधारक जैसे आंतरिक हैं तथा बाह्य ग्राहक, समुदाय आदि जैसे बाह्य स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?**

जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।**

जी हां, संपूर्ण विकास को प्रोन्नत करने के लिए एमएमटीसी द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी(विकलांग व्यक्ति) /भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। शिकायतों के पंजीकरण के लिए प्रभाग/क्षेत्रों में समस्या/शिकायत रजिस्टर भी बनाए गए हैं। एससी/एसटी कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों/शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए भी पी.डब्ल्यू.डी. कर्मचारियों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जो वे दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें। पहिया कुर्सी(व्हील चेयर) का प्रयोग करने वाले पी.डब्ल्यू.डी. कर्मचारियों के सहज आवागमन के लिए कारपोरेट कार्यालय के मुख्य गेट पर एक स्थाई ढाल रास्ता(रैम्प) बनाया गया है।

कार्यालय भवन में मंजिलों की उदघोषणा के लिए श्रव्य सूचक है। इनमें से कुछ में मंजिलों के लिए ब्रेल सिम्ब्ल बटन हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रयोग के लिए टूटियों तथा शौचालयों को उनके अनुकूल बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डर्स के अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर कार्यकलापों को नियोजित किया जाता है। स्थानीय सरकारी निकायो तथा क्षेत्रों में कार्यरत एनजीओज़ के सहयोग से ऐसे स्टेकहोल्डर्स के साथ संपर्क किया जाता है।

सिद्धांत 5. व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान तथा इन्हें प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?**

अभी तक निगम में मानव अधिकारों या कोई विशिष्ट नीति नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसके कर्मचारी मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त करें। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ''सहायता'' के नाम से तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें प्रबंधतंत्र द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निवारण किया गया?**

वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6. व्यापार में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि एमएमटीसी में निर्माण संबंधी कार्यकलाप नहीं हैं अतः यह सिद्धांत लागू नहीं होता।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?**

संगठन में पर्यावरण पर कोई लिखित नीति नहीं है। तथापि यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते हम पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. **जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्वि (ग्लोबल वार्मिंग) आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मामलो के समाधान के लिए क्या निगम की रणनीति/पहल है? यदि उत्तर हॉ है तो कृपया वैब पेज आदि के हाईपरलिंक बनाएं।**

यद्यपि विनिर्माण एमएमटीसी की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, फिर भी खान क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जनजाति क्षेत्रों में विकास तथा प्रचालन क्षेत्रों में तथा इसके आस पास पर्यावरण को बनाए रखने के लिए यह प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट के लिए प्रगति पर संचार(सीओपी) द्वारा अपनी विभिन्न पहलों के विषय में संस्थान नियमित रूप से सूचित करता है।

3. **क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुडा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। एमएमटीसी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ–साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. **क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें? इसके अतिरिक्त यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है?**

जी नहीं ।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा एफीशेंसी, रिन्यूऐबल ऊर्जा आदि पर कोई अन्य कदम उठाए है? हां/नहीं यदि हां तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी पूरे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करती है।

एमएमटीसी ने अपने झंडेवालान में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की छत पर 50 केडब्लयूपी का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है।

6. **क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?**

लागू नहीं।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है (अर्थात् संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए)**

लागू नहीं।

सिद्धांत 7. व्यापार यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें ।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो कृपया केवल उन्ही मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यापार का संबंध है**

ए. सीआईआई

बी. फिओ(एफआईईओ)

सी. फिक्की

डी. एसोचैम

2. **क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नही; यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः सुशासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, विस्तृत विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यापार सिद्धांत, अन्य)।**

संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित किसी भी मामले के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

सिद्धांत 8. व्यापार को विस्तृत वृद्धि तथा न्यायसंगत विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में कार्यक्रमों/पहल/प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है? यदि हां तो उसका विवरण दें।**

यद्यपि उत्पादों के विनिर्माण में संगठन लिप्त नहीं है तथा इसलिए जहां यह कार्य प्रचालित करता है इस वातावरण एवं समाज पर कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता फिर भी इसकी अपनी सीएसआर नीति है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के सीएसआर नियम तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर दिशा निर्देशों को भी

एमएमटीसी ने अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की एक संरक्षित प्रक्रिया उपलब्ध है। वर्ष 2015–16 के दौरान एमएमटीसी द्वारा आबंटित निधियों को स्वच्छ भारत अभियान की सुनिश्चितता एवं ओडिशा में स्कूली बच्चों के लिए समुचित सफाई एवं पेयजल सुवधिाओं के लिए प्रयोग किया गया है।

एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की एक संरक्षित प्रक्रिया उपलब्ध है। वर्ष 2012–13 के दौरान कोई लाभ न होने के कारण सीएसआर/एसडी परियोजनाओं के लिए कोई फंड निर्धारित नहीं किए गए। एमएमटीसी द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान आबंटित फंडस को पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत एवं स्लम्स में रह रहे लोगों के लिए सही सफाई व्यवस्था मुहैया कराने पर खर्च किया गया है।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/इन–हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

एमएमटीसी में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बोर्ड स्तर की समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ सहायक कंपनी सचिव सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों का सम्पूर्ण आकलन करता है। तत्पश्चात वार्षिक एमओयू तथा एमएमटीसी की सीएसआर नीति में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली सीएसआर परियोजनओं पर एक बेस लाईन सर्वेक्षण किया जाता है तथा तब रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों को टिप्पणियों के साथ सीएसआर समिति को अग्रेषित किया जाता है। प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर सीएसआर समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल को अग्रेषित किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्टस के कार्यान्वयन की स्थिति त्रैमासिक आधार पर सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट किया जाना है वहां के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय को स्वयं ही अथवा निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन के निदेश दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को अवगत कराए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चानत इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?**

एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों के ''सामाजिक प्रभाव'' का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसके प्रभावी मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास प्रोजेक्टस में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है ? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्टस का ब्यौरा।**

एमएमटीसी ने वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए 45 लाख रुपए आबंटित किए हैं।

सीएसआर के लिए आबंटित फंडस का उपयोग उड़ीसा में 17 सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता एवं पेयजल सुविधाओं के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त धोसी(मउ) तथा जैतबरडीह गांव(इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश में हैंड पम्पस भी लगाए गए। गंगा नदी के पुर्नजीवन हेतु भारत सरकार द्वारा बनाए गए स्वच्छ फंड में भी थोड़ा सा अंशदान किया गया।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।**

एमएमटीसी की सीएसआर पहल अधिकारहीनों विशेषकर महिलाओं, युवकों तथा बच्चों को उनके जीवन स्तर सुधारने वाली गतिविधियों में लगाने वाली समुदाय आधारित संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओ को पहले एक व्यावसायिक एजेंसी द्वारा की गई आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण से चिन्हित किया जाता है तथा स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने, इन कार्यान्वयन में उन्हें लगाने के साथ–साथ भविष्य की योजनाओं के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी हम सुनिश्चित करते हैं।

सिद्धांत 9. व्यापार में ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क तथा महत्व को जिम्मेवारी के साथ समझना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें/उपभोगताओं के मामले लम्बित हैं।**

रिपोर्ट की गई अवधि में उक्त प्रकृति की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

सांची ब्रांड नाम से एमएमटीसी सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी हैं।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा / अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

कोई नहीं

4. **क्या आपकी कम्पनी द्वारा कोई उपभोक्ता सर्वे / उपभोक्ता संतुष्टि रूझान किया जाता है?**

जी हां। फीडबैक तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से "कस्टमर मीट" आयोजित की जाती है।

फार्म नं. एमजीटी–9

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण :

1) कारपोरेट आईडेंटिफिकेशन नम्बर	एल51909डीएल1963जीओआई004033
2) रजिस्ट्रेशन दिनांक	26 सितंबर, 1963
3) कंपनी का नाम	एमएमटीसी लिमिटेड
4) कंपनी की श्रेणी उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क करने का विवरण	कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003, फोन– 01124362200 ई–मेल mmtc@mmtclimited.com
6) क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी हां, सूचीबद्ध है
7) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण यदि कोई हो	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड एफ–65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली– 110020, फोन– 011–41406149, फैक्स – 011–41709881 ईमेल : Helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर में प्रतिशतता
1	सोना	3831,3835	56.58
2	यूरिया	3012	23.14

III. होल्डिंग, सहायक कंपनी तथा एसोशिएट कंपनियों का विवरण

क्र.सं	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोशिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि., सिंगापुर	199407265एम	डब्यूओएफएस	100.00	2 (87)
2.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	यू27109ओआर1982 जीओआई001050	एसोशिएट	49.78	2 (6)
3.	फ्री ट्रेड वेयरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	यू63023डीएल2005 पीटीसी134299	एसोशिएट	26.00	2 (6)

क्र.सं	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोशिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
4.	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	यू27310एचआर2008पीटीसी042218	एसोशिएट	26.00	2 (6)
5.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	यू13100टीएन2006 पीएलसी061022	एसोशिएट	26.00	2 (6)
6.	एमएमटीसी गीतांजली लि.	यू74999एमएच2008पीएलसी187891	एसोशिएट	26.00	2 (6)
7.	टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड	यू13100डब्यूबीटी2010 पीएलसी156401	एसोशिएट	26.00	2 (6)
8.	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	यू67120डीएल2008पीएलसी182140	एसोशिएट	16.00	2 (6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयरधारिता

श्रेणी	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल, 2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2016 को)				वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन का प्रतिशत
(I)	(II)	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों की संख्या का प्रतिशत	डिमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों की संख्या का प्रतिषत	
(क)	**प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता**									
1	इंडियन									
(ए)	व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
(बी)	केन्द्र/राज्य सरकार	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	0.00
(सी)	निकाय कारपोरेशन	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(डी)	बैंकर्स/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
(ई)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	उप–जोड(क)(1)	89,92,68,762		89,92,68,762	89.93	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	0.00
2	**विदेश**									
(ए)	एनआरआई– व्यक्तिगत	0	0	0	-	0	0	0.00	-	0.00
(बी)	अन्य –व्यक्ति	0	0	0	-	0	0	0.00	-	0.00
(सी)	निकाय कारपोरेशन	0	0	0	0.00	0	0	0	-	0.00
(डी)	बैंकर्स/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00
(ई)	अन्य कोई (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00
	उप–जोड (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	-	0.00
	प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह (ए)=(ए) (1) + (ए) (2)	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	89,92,68,762	0	89,92,68,762	89.93	0.00
(बी)	**पब्लिक शेयरधारिता**									
1	**संस्थान**									
(ए)	म्युचुअल फंडस	1,84,928	0	1,84,928	0.0185	1,31,068	0	1,31,068	0.0131	-0.01

(बी)	बैंकर्स / एफआई	29,74,668	0	29,74,668	0.2975	30,71,254	0	30,71,254	0.3071	0.01
(सी)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार	0	0	0	0.0000	0	0	0	-	0.00
(डी)	वेंचर कैपिटल फंडस		0	0	0	0.0000	0	0	0	-0.00
(ई)	इनश्योरेंस कंपनियां	5,73,82,994	0	5,73,82,994	5.7383	5,73,82,994	0	5,73,82,994	5.7383	0.00
(एफ)	एफआईआई	15,26,258	0	15,26,258	0.1526	21,500	0	21,500	0.0022	-0.15
(जी)	फोरन वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.0000	0	0	0	-	0.00
(एच)	अन्य कोई (उल्लेख करें)	0	0	0	0.0000	0	0	0	-	0.00
	उप–जोड (बी)(1)	6,20,68,848	0	6,20,68,848	6.2069	6,06,06,816		6,06,06,816	6.0607	-0.15
2	**नॉन–इंस्टीट्यूशनस**									
(ए)	बोडीज कारपोरेट	83,23,391	0	83,23,391	0.8323	56,18,070	0	56,18,070	0.56	-0.27
	i) भारतीय									
	ii) ओवरसीज	0	0	0	-	0	0	0	-	0.00
(बी)	व्यक्ति विशेष							0	-	0.00
I	एक लाख रुपये तक की राशि के शेयर रखने वाले आवासी व्यक्ति	2,95,17,191	3,429	2,95,20,620	2.9521	0	0	0	-	-2.95
II	एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि के शेयर रखने वाले आवासी व्यक्ति	1,06,000	0	1,06,000	0.0106	3,36,06,945	3,079	3,36,10,024	3.36	3.35
(सी)	अन्य (उल्लेख करें)							0		
(सी-i)	ट्रस्ट	1,900	0	1,900	0.0002	2,200	0	2,200	0.00	0.00
(सी-ii)	नॉन–रेजिडेंट भारतीय	7,10,479	0	7,10,479	0.0710	8,94,128	0	8,94,128	0.09	0.02
(सी-iii)	क्लियरिंग सदस्य	0	0	0	0.0000	0	0	0	-	0.00
(सी-iv)	एचयूएफ	0	0	0	0.0000	0	0	0	-	0.00
	उप–जोड (बी)(2)	3,86,58,961	3,429	3,86,62,390	3.87	4,01,21,343	3,079	4,01,24,422	4.0124	0.15
(बी)	**कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी)= (1) + (बी) (2)**	10,07,27,809	3,429	10,07,31,238	10.0731	10,07,28,159	3,079	10,07,31,238	10.0731	0.00
									-	
(सी)	जीडीआर तथा एडीआर के कस्टोडियन के शेयर	0	0	0	0	0	0	0.00	-	0.00
									-	
	कुल योग (ए)+(बी)+(सी)	99,99,96,571	3,429	1,00,00,00,000	100	99,99,96,921	3,079	1,00,00,00,000	100.00	0.00

क्र.सं.	प्रोमोटर्स की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
	शेयरहोल्डर का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लेज्ड तथा इन्कम्बर्ड शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लेज्ड तथा इन्कम्बर्ड शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता प्रतिशतता में बदलाव
1.	भारत के राष्ट्रपति	899268762	89.9269	शून्य	899268762	89.9269	शून्य	0
	कुल	899268762	89.9269	शून्य	899268762	89.9269	शून्य	0

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव

क्रम सं..		शेयरधारिता		दिनांक	शेयर धारिता में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान(1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016) संचयी शेयरधारिता	
		वर्ष के आरंभ (01 अप्रैल 15 से वर्ष के अंत(31 मार्च 2016) में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
	वर्ष के आरंभ में	89,92,68,762	89.9269	1 अप्रैल 15 31 मार्च 16	वर्ष के दौरान कोइ परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में	89,92,68,762	89.9269				89,92,68,762	89.9269

(iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटर्स तथा जीडीआरस तथा एडीआरस होल्डर्स को छोडकर

क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग			दिनांक	शेयर होल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.15 से 31.03.16 तक)		वर्ग
		पैन	वर्ष के आरंभ (01.04.15) / वर्ष के अंत में (31.03.15)	शेयरों का प्रतिशत				शेयर्स	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	एएएसीएल0582एच	48119732	4.81	31.03.2015					बीमा कंपनी
			48119732	4.81	31.03.2016	शून्य	शून्य			
2	यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएसीयू5552सी	5481180	0.55	31.03.2015					जीआईसी तथा आईटीएस की सहायक कंपनी
			5481180	0.55	31.03.2016	शून्य	शून्य			
3	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	एएएसीजी0615एन	2000000	0.2	31.03.2015					जीआईसी तथा आईटीएस की सहायक कंपनी
			2000000	0.2	31.03.2016	शून्य	शून्य			
4	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड	एएएसीएन4165सी	1141631	0.11	31.03.2015					जीआईसी तथा आईटीएस की सहायक कंपनी
			1141631	0.11	31.03.2016	शून्य	शून्य			

5	बैंक ऑफ इण्डिया	एएएसीबी0472सी	997061	0.1	31.03.2015					राष्ट्रीयकृत बैंक
			997061	0.1	31.03.2016	NIL	NIL			
6	बैंक ऑफ बडौदा	एएएसीबी1534एफ	600000	0.06	31.03.2015					राष्ट्रीयकृत बैंक
			600000	0.06	31.03.2016	NIL	NIL			
7	इलाहाबाद बैंक	एएसीसीए8464एफ	553290	0.06	31.03.2015					राष्ट्रीयकृत बैंक
			553290	0.06	31.03.2016	NIL	NIL			
8	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एएएसीएन9967ई	450179	0.05	31.03.2015					जीआईसी तथा आईटीएस की सहायक कंपनी
			450179	0.05	31.03.2016	NIL	NIL			
9	पंजाब एंड सिंध बैंक	एएएसीपी12065ए	376640	0.04	31.03.2015					राष्ट्रीयकृत बैंक
			376640	0.04	31.03.2016	NIL	NIL			
10	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (बीएसई)	एएबीसीके5190के	175000	0.02	31.03.2015					अन्य निकाय कारपोरेट्स
					10.04.2015	150000	खरीद	325000	0.03	
					23.10.2015	150000	खरीद	475000	0.05	
					31.12.2015	-50000	बिक्री	425000	0.04	
					05.02.2016	-80000	बिक्री	345000	0.03	
					12.02.2016	-10000	बिक्री	335000	0.03	
					19.02.2016	55000	बिक्री	390000	0.04	
			335000	0.03	31.03.2016	-55000	बिक्री			
11	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड	एएबीसीके5190के	227413	0.02	31.03.2015					अन्य निकाय कारपोरेट्स
					30.04.2015	-3074	बिक्री	224339	0.02	
					10.04.2015	-156576	बिक्री	67763	0.01	
					17.04.2015	3847	बिक्री	71610	0.01	
					24.04.2015	5614	बिक्री	77224	0.01	
					01.05.2015	-708	बिक्री	76516	0.01	
					08.05.2015	-1807	बिक्री	74709	0.01	
					15.05.2015	-4716	बिक्री	69993	0.01	
					22.05.2015	-17919	बिक्री	52074	0.01	
					29.05.2015	35269	खरीद	87343	0.01	
					05.06.2015	-8190	बिक्री	79153	0.01	
					12.06.2015	-7656	बिक्री	71497	0.01	
					19.06.2015	-16266	बिक्री	55231	0.01	
					26.06.2015	-41258	बिक्री	13973	0	
					30.06.2015	51020	खरीद	64993	0.01	
					03.07.2015	-13072	बिक्री	51921	0.01	
					10.07.2015	-11139	बिक्री	40782	0	
					17.07.2015	21602	खरीद	62384	0.01	
					24.07.2015	-196	बिक्री	62188	0.01	

					31.07.2015	6085	खरीद	68273	0.01	
					07.08.2015	-10112	बिक्री	58161	0.01	
					14.08.2015	5141	खरीद	63302	0.01	
					21.08.2015	-7451	बिक्री	55851	0.01	
					28.08.2015	-10968	बिक्री	44883	0	
					04.09.2015	-1272	बिक्री	43611	0	
					11.09.2015	-9056	बिक्री	34555	0	
					18.09.2015	-3451	बिक्री	31104	0	
					25.09.2015	9487	खरीद	40591	0	
					30.09.2015	-1374	बिक्री	39217	0	
					02.10.2015	191	खरीद	39408	0	
					09.10.2015	-6257	बिक्री	33151	0	
					16.10.2015	145296	खरीद	178447	0.02	
					23.10.2015	-137974	बिक्री	40473	0	
					30.10.2015	-1853	बिक्री	38620	0	
					06.11.2015	1441	खरीद	40061	0	
					13.11.2015	8924	खरीद	48985	0	
					20.11.2015	-22272	बिक्री	26713	0	
					27.11.2015	-2215	बिक्री	24498	0	
					04.12.2015	-1041	बिक्री	23457	0	
					11.12.2015	5147	बिक्री	28604	0	
					18.12.2015	-8999	बिक्री	19605	0	
					25.12.2015	-15375	बिक्री	4230	0	
					31.12.2015	27802	खरीद	32032	0	
					08.01.2016	-30252	बिक्री	1780	0	
					15.01.2016	2519	खरीद	4299	0	
					22.01.2016	4499	खरीद	8798	0	
					29.01.2016	3868	खरीद	12666	0	
					05.02.2016	3820	खरीद	16486	0	
					12.02.2016	-4788	बिक्री	11698	0	
					19.02.2016	4060	खरीद	15758	0	
					26.02.2016	29906	खरीद	45664	0	
					04.03.2016	-19849	बिक्री	25815	0	
					11.03.2016	-1967	बिक्री	23848	0	
					18.03.2016	3208	खरीद	27056	0	
					25.03.2016	-5120	बिक्री	21936	0	
			84479	0.01	31.03.2016	62543	खरीद			
12	डीबी इंटरनेशनल(एशिया) विदेशी वित्तीय लिमिटेड	एएबीसीबी1383के	1405000	0.14	31.03.2015					विदेशी वित्तीय संस्थान
					17.07.2015	-854937	बिक्री	550063	0.06	
					24.07.2015	-550063	बिक्री	0		
			0	0	31.03.2016					

(अ) निदेशकों की शेयरहोल्डिंग

क्रम सं.	निदेशक का नाम	शेयरहोल्डिंग		दिनांक	शेयर होल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.15 से 31.03.16 तक)	
		वर्ष के आरंभ को शेयरों की संख्या (01.04.2015) / वर्ष के अंत में (31.03.2016)	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
1	श्री वेद प्रकाश	1010		1-Apr-15	0	वर्ष के दौरान शून्य मूवमेंट		
		1,010		31-Mar-16				
2	श्री एम.जी. गुप्ता	1,005		1-Apr-15	0	बिक्री		
				7-Apr-15	-1,000		5	0.00
		5		31-Mar-16				
3	श्री राजीव जयदेव,	1,500		1-Apr-15				
				20-Apr-15	-1000	बिक्री	500	0.00
		500		31-Mar-16				
4	श्री आनंद त्रिवेदी	1,000		1-Apr-15				
				25-May-15	-500	बिक्री	500	0.00
				11-Jun-15	-500	बिक्री	0	
		0		31-Mar-16				
5	श्री पी.के. जैन	3,508		1-Apr-15				
				25-Jun-15	-3000	बिक्री	508	0.00
		508		31-Mar-16				
6	श्री अश्वनी सोंधी	2,008		1-Apr-15	0	वर्ष के दौरान शून्य मूवमेंट		
		2008		31-Mar-16				

V. ऋणग्रस्तता

V. बकाया / अर्जित परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं ब्यांज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता (₹ मिलियन में)

	डिपोजिट छोडकर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	डिपोजिट	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1617.27	1249.22		2866.49
ii) देय परन्तु भुगतान न किया गया ब्याज				3.28
iii) अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज				4.92
कुल (i + ii + iii)				2874.69
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि	499.74			499.74
कमी		648.06		648.06
कुल परिवर्तन				-148.32
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	2117.01	601.16		2718.17
ii) देय परन्तु भुगतान न किया गया ब्याज				1.77
iii) अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज				2.79
कुल (i + ii + iii)				2722.73

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों का पारिश्रमिक

(क) प्रबंध निदेशक, फुल टाईम निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

(₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	डब्लयूटीडी का नाम						कुल राशि
1	**कुल वेतन**	श्री वेद प्रकाश	श्री एम जी गुप्ता	श्री राजीव जयदेव	श्री आनंद त्रिवेदी	श्री पी के जैन	श्री अश्वनी सौंधी	
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	30,40,243	30,53,609	29,03,861	25,24,211	32,68,202	22,41,836	1,70,31,962
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्यूजिट का मूल्य	3,06,831	2,44,401	5,23,932	6,46,825	2,13,519	3,50,961	22,86,469
	(ग) आयकर अधिनियम की 19.61 धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-	-
2	**स्टाक विकल्प**	-	-	-	-	-	-	-
3	**स्वैट इक्विटी**	-	-	-	-	-	-	-
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य	-	-	-	-	-	-	-
5	अन्य	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क)	33,47,074	32,98,010	34,27,793	31,71,036	34,81,721	25,92,797	1,93,18,431
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	लागू नहीं						

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ में)

क्र. स	श्रेणी	निदेशकों के नाम					कुल राशि
		श्री अरविन्द कालरा	**श्री सुभाष पाणि**	**श्री राणा सोम**	**श्री एसआर तायल**	**श्री एन.बाला भास्कर**	
	स्वतंत्र निदेशक						
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	1,95,000	1,65,000	1,20,000	2,55,000	1,50,000	8,85,000
	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (1)	1,95,000	1,65,000	1,20,000	2,55,000	1,50,000	8,85,000
	अन्य –गैर कार्यकारी निदेशक						
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (2)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (बी) = (1 + 2)	1,95,000	1,65,000	1,20,000	2,55,000	1,50,000	8,85,000
	कुल प्रबंधन पारिश्रमिक						
	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग	लागू नहीं					

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ में)

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रंबधन कार्मिक		कुल वेतन
		सीईओ (श्री वेद प्रकाश)	सीएफओ (श्री एम.जी. गुप्ता)	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	30,40,243	30,53,609	60,93,852
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्यूजिट का मूल्य	3,06,831	2,44,401	5,51,232
	(ग) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	0.00	0.00	0.00
2	स्टाक विकल्प	0.00	0.00	0.00
3	स्वैट इक्विटी	0.00	0.00	0.00
4	कमीशन – लाभ का प्रतिशत के रूप में – अन्य	0.00	0.00	0.00
5	अन्य	0.00	0.00	0.00
	अन्य, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एलटीए	0.00	0.00	0.00
	कुल	33,47,074	32,98,010	66,45,084

VII. जुर्माना/दण्ड/अपराध संग्रह

प्रकार	कंपनीज एक्ट की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	पैनल्टी/सजा/लगाई गई कम्पाउंडिंग फीस का विवरण	अथारिटी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
पेनल्टी	लागू नहीं				
सजा					
कम्पाउंडिंग					
ग. दूसरे अधिकारियों का डिफाल्ट					
पेनल्टी	लागू नहीं				
सजा					
कम्पाउंडिंग					

ब्लैक एंड कंपनी
कंपनी सेक्रेटरीज

सैक्रेटेरियल आडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
2013 की धारा 2014(1) तथा कंपनीज नियमावली, 2014(अपाइंटमेंट एंड रेमुनरेशन आफ मैनेजिरियल पर्सनल) के नियम संख्याः के अनुसरण में)

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
7, इंस्टिट्यूशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के मान्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सेक्रेट्रियल आडिट इस ढंग से की है कि कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने का सही आधार मिल सके तथा हम उसके बारे में अपना मत प्रकट कर सकें।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न, कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड, कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अथोराइज्ड प्रतिनिधियों द्वारा आडिट के दौरान उपलब्ध कराई गई अन्य सूचनाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने आडिट अवधि, जिसमें 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष कवर होता है, के दौरान नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। साथ ही कंपनी में वर्तमान में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जिसकी सीमा तथा विस्तार नीचे दिया जा रहा है।

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की बुक्स, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड की निम्नलिखित लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जांच की है जिसका विवरण अनुलग्नक 'ए' में दिया गया हैः

(i) दि कंपनीज एक्ट, 2013(दि एक्ट) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) दि सिक्युटरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

GLOBIZ™ towards corporate excellence

H.O.: 307 (3RD FLOOR), 79-SHYAM LAL ROAD
DARYA GANJ, NEW DELHI - 110002 (INDIA)
TEL. :+91-11-43623703
TELEFAX : +91-11-23241223
E-mail: info@globizassociates.com

B.O.: 3FCS - 08 (3RD FLOOR),
ANSAL PLAZA, VAISHALI,
DELHI NCR - 201010 (INDIA)
TEL.: +91-120-4217703
E-mail: globizassociates@gmail.com

B.O.: Office No. 1, F.F., 80/84,
DADISETH AGIYANI LANE, NEAR CHIRA BAZAR,
MUMBAI - 400002.
Tel. : 09322420337
E-mail : cs.ablakhotia@gmail.com

* KASHIPUR * KANPUR * GOA * CHENNAI * KOLKATA * LONDON
www.globizassociates.com

GLOBIZ
towards corporate excellence

(iii) दि डिपाजिटरीज एक्ट, 1956 तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम तथा नियम;

(iv) सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट, 1992 (सेबी एक्ट) के तहत बनाए गए निम्नलिखित विनयम तथा दिशा–निर्देश:

क) दि सिक्युलरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(सब्सटेंशिएल एक्विजिशन आफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेगुलेशंस, 1992;

ख) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(प्रोहिबिशन आफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 1992;

ग) दि सिक्युेरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(डिलिस्टिंग आफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशंस, 1992;

(v) हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों/सूचनाओं पर आधारित कंपनी के मामले में विशेषकर लागू अन्य कानून :

क) चैप्टर आफ फाइनेंस एक्ट, 1994(सर्विस टैक्स)

ख) कस्टम्स एक्ट, 1962

ग) इनकम टैक्स एक्ट, 1961 एंड इन्डायरेक्ट टैक्सिस लॉज

घ) इंडियन कांट्रेक्ट एक्ट, 1872

ड़) इंडियन स्टांप एक्ट, 1999

च) लिमिटेशन एक्ट, 1963

छ) निगोशिएबल इंस्टरूमेंट एक्ट, 1981

ज) रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908

झ) सेल आफ गुड्स एक्ट, 1930

त्र) सेक्सुअल हरासमेंट आफ विमेन एट वर्कप्लेस(प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडरेसल) एक्ट, 2013

त) ट्रांसफर आफ प्राप्टी एक्ट, 1882

थ) ट्रेडमार्क एक्ट, 1999

द) वीकली होलीडे एक्ट, 1942

ध) लेबर लाज(जैसा लागू हो)

न) आफिसिएल लैंग्वेज एक्ट)

हमने निम्नलिखित लागू क्लॉजेज के अनुपालन की भी जांच की है:

i. कंपनी द्वारा नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ–साथ सिक्यूरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन आवष्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट 'कंपनी ने दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई स्टाक एक्सचेंज में डिलिस्टिंग के लिए आवेदन किया है।

ii. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिशानिर्देश

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

iii. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा निरंतर विकास के लिए दिशानिर्देश

तथापि, निम्नलिखित अधिनियमों, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक अथवा करार(रों)/व्यवस्था(ओं) जिन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट करना होता है वे आडिट अवधि में कंपनी में लागू नहीं होते हैं।

i. फारेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 तथा के तहत फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टेमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स; (चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य/कार्रवाई नहीं हुई) के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम व विनियम।

ii. दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट, 1992('सेबी एक्ट') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

क) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(इश्यून आफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 1992;(चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य/कार्रवाई नहीं हुई)

ख) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(इम्पलाइज स्टाक आप्शन स्कीम एंड इम्पलाइज स्टाक परचेज स्कीम) दिशानिर्देश, 1999;(चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य/कार्रवाई नहीं हुई)

ग) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(इश्यू एंड लिस्टिंग आफ डेट सिक्यूरिटीज) रेगुलेशंस, 2008; (चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य/कार्रवाई नहीं हुई)

घ) दि सिक्युारिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (रजिस्ट्रार्स टु एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स), रेगुलेंशंस, 1993 कंपनीज एक्ट तथा ग्राहक के साथ डीलिंग; (आडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता) तथा

ड़) दि सिक्युनरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया(बायबैक आफ सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 1998; (आडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त वर्णित एक्ट, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के बिना कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

GLOBIZ™
towards corporate excellence

बोर्ड की बैठकों के आयोजन की सूचना सभी निदेशकों को पर्याप्त समय रहते हुए दी जाती है, एजेंडा तथा एजेंडा संबंधी विस्तृत नोट्स समय से पूर्व भेजे जाते हैं। बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक से पूर्व एजेंडा आइटमों से संबंधी अतिरिक्त सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम विद्यमान है।

बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तथा असहमति रखने वाले सदस्यों के विचार मिनट्स में रिकार्ड एवं दर्ज किए जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी हेतु कंपनी के आकार व परिचालन के अनुरूप पर्याप्त को सिस्टम तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि आडिट अवधि के दौरान निम्नलिखित घटनाओं के अतिरिक्त ऐसी कोई भी घटनाएं/कार्रवाईयां नहीं हुई जिनका उपर दिए गए कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानक इत्याादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यकलापों पर कोई विशेष दबाव/प्रभाव पड़ा हो।

कृते ब्लैक एण्ड कं

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

Archana

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2016

टिप्पणीः इस रिपोर्ट को सम तिथि के अनुलग्नक 'ए', अनुलग्नक 'बी' तथा अनुलग्नक 'सी' के साथ पढ़ा जाए जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है' तथा इसका एक अभिन्न अंग है।

GLOBIZ™ towards corporate excellence

'अनुलग्नक क'

हमारी सम–दिनांक रिपोर्ट की अनुलग्नक में साथ पढा जाए जिसमें उल्लेख है कि:–

जांच किए गए दस्तावेजों की सूची

1. एसोसिएशन का मेमोरेंडम तथा एसोसिएशन के अर्टिकल्स
2. विगत तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
3. पिछली आम सभा का वार्षिक रिटर्न
4. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए डिटेल्ड ट्रायल बैलेंश
5. वित्तीय वर्ष 2014–15 के तिमाही वित्तीय परिणाम
6. लिस्टिंग एग्रीमेंट में उल्लिखित कारपोरेट गवर्नेस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट
7. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों की प्रावधान में कारपोरेट गवर्नेस के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट
8. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
9. स्टॉक एक्स्चेंज में फाइल की गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रति के साथ शेयर होल्डरों / शेयर होल्डिंग पैटर्न की सूची
10. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान हुए प्रोजेक्ट स्थल/शाखा कार्यालय/फैक्ट्री/कार्य
11. निम्नलिखित की नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज
    - सांविधिक लेखा परीक्षक
    - आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा
    - कर लेखा परीक्षक
12. स्टैच्यूरी रजिस्टर तथा
    - कंपनी नियम 2014 की धारा 189 तथा नियम 16 (निदेशक मण्डल की बैठकें तथा शक्तियां) के तहत निदेशकों को दी गई शक्तियां
    - धारा 186 लागू होने की परिधि में आने वाले अंतर कारपोरेशन निवेश/ऋण/गारंटी/सैक्यूरिटीज का रजिस्टर
    - कंपनी नियम 2014 की धारा 170 तथा नियम 17 (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) के तहत निदेशकों, मुख्य प्रबंधन अधिकारी तथा उनकी शेयर होल्डिंग का रजिस्टर
    - कंपनी नियम 2014 की धारा 85 नियम 10 (प्रभारों का पंजीकरण) के तहत प्रभारों का रजिस्टर

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

GLOBIZ™
towards corporate excellence

☐ • कंपनी नियम 2014 की धारा 88 नियम 03 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के तहत सदस्य सूची का रजिस्टर

13. रजिस्टर 118 के तहत सामान्य बैठकों, बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका तथा उपस्थिति रजिस्टर
14. वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार को रशीद/फीस के भुगतान के चालान सहित भेजे गए सभी ई–फार्मों तथा रिटर्न की प्रति
15. बैठक की सूचना के संबंध में दिए गए नोटस का साक्ष्य
16. एजेण्डा पेपर
17. बोर्ड द्वारा पारित सरकुलर रेजुलेश्न की प्रति
18. रजिस्टर नम्बर बंद करने संबंधी अखबार में छपे नोटिस की कटिंग
19. वार्षिक आम सभा/विशेष आम सभा तथा स्पष्टिकरण विवरण वार्षिक आम बैठक/विशेष बैठक की सार्वजनिक सूचनाओं से संबंधित समाचार पत्र कटिंग
20. सामान्य आम सभा/विशेष सभा की सूचना का डिस्पैच रजिस्टर
21. आम सभा, बैलेट पेपर, स्क्यूर्टीनाइजनर रिपोर्ट की प्रोक्सी
22. अन्य शेयर धारक कंपनी/कंपनियों, जो कि शेयर धारक हैं तथा जिनसे कंपनी में उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बारे में संकल्प प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त संकल्प
23. धारा 184 के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में निदेशक मण्डल की पहली बैठक तथा वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व घोषित खुलासा यदि कुछ हो तो, के एमबीपी–1 फार्म की प्रति
24. लाभांश के भुगतान के संबंधित दस्तावेज
25. आडिट अवधि के दौरान हुए चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से संबंधित दस्तोवेज
26. ई–वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए एजेंसी के साथ करार
27. सदस्यों/डिपोजिटरों/डिबैंचर धारकों को वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस भेजने के लिए कूरियर या डाक एजेंसी के साथ हुआ करार
28. कंपनी के ओर से उनके द्वारा विभिन्न मामले हैंडल किए जोन के लिए आरटीए के साथ करार तथा आरटीए की रिपोर्ट
29. पोस्टल बैलेट, चुनाव तथा ई–बोटिंग पर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट
30. रोटेशन सारणी के अनुसार निदेशकों की सेवानिवृत्ति
31. उस स्टॉक एक्स्चेंज से प्राप्त पत्रों की भेजे गए पत्रों की प्रति जहां कम्पनी की सैक्यूरिटी लिस्ट की गई है
32. सेबी के (सबस्टैनशियल एक्यूजिशन ऑफ शेयर एण्ड टेक ओवर) अधिनियम 1997 के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त सभी प्रकटनों की प्रति

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

33. सेबी के (सबस्टैनशियल एक्यूजिशन ऑफ शेयर एण्ड टेक ओवर) अधिनियम 1997 के तहत सेबी को भेजे गए रिटर्न की प्रतियां

34. लिस्टिंग करार की धारा 35 के तहत स्टॉक एक्स्चेंज को भेजे गए शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रति

35. सेबी (प्रोहबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) अधिनियम 1992 के संबंध में कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग के अनुसार से संबंधित पत्राचार

36. कंपनी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादित कान्ट्रक्टों की, संशोधन/परिवर्तनों सहित, सूची

37. डिपोजिटरीज एक्ट्, 1996 के तहत अनुपालन रिपोर्ट तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम

38. सेबी अधिनियम, 1992, जैसा लागू है, निम्नलिखित विनियम तथा दिशा निर्देशों के तहत अनुपालन का रिकार्ड

    (क) भारतीय सैक्यूरिटीज तथा एक्स्चेंज बोर्ड (सबस्टैंशियल एक्यूजिशन ऑफ शयर्स एण्ड टेक ओवर्स) अधिनियम, 2011

    (ख) भारतीय सैक्यूरिटीज बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) 1992

39. सैपल चैक का आधार

    (क) सेवाकर

    (ख) वर्क कांट्रैक्ट टैक्स

    (ग) श्रम कानून

कृते ब्लैक एण्ड कं

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2016

GLOBIZ™
towards corporate excellence

'अनुलग्नक बी'

हमारी समदिनांक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसमें सेक्रेटेरियल ऑडिट के दौरान ध्यान में आयी बातों का उल्लेख है कि :

1. 31 मार्च, 2016 तक कंपनी द्वारा कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गयी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 तथा स्टाक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार की क्लॉज़ 47 (ए) (अब सेबी, एल ओ डी आर, 2015 की क्लॉज़ 6), दोनों का पालन न किया जाना है।

2. कंपनी में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 तथा स्टाक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार की क्लॉज़ 49 (अब सेबी, एल ओ डी आर, 2015 की क्लॉज़ 17), दोनों का पालन न किया जाना है।

3. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की कारपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुसार तथा कंपनी की लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुसार निदेशक मंडल को अधिक सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने चाहिए थे।

4. करार/द्विपक्षीय हस्ताक्षरित दस्तावेज के अभाव में निवेश की समयावधि सहित शर्तें/कंपनी द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन आई एन एल) के पक्ष में ली गयी/दी गई गारंटी का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अलावा बनाया गया रजिस्टर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

कृते ब्लैक एण्ड कं

BLAK & CO. GLOBIZ Company Secretaries

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2016

'अनुलग्नक सी'

हमारी समदिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड के रख–रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड पर अपना मत जाहिर करें।

2. हमने सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड के सही–सही होने के औचित्य में अपनायी गयी प्रक्रिया तथा परंपरा का अनुसरण किया है। सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड में सही–सही उल्लेख ही परिलक्षित हो, इसके लिए हमने टैस्ट के आधार पर जांच की है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया तथा परंपरा हमारे मत के औचित्य का आधार है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड तथा लेखा बहियों के सही–सही तथा उचित रूप में होने की जांच नहीं की है।

4. जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी है, हमने घटनाओं के लिए कंपनी के नियम, कानून तथा विनियम के अनुसरण के बारे में प्रबंधन के रिप्रेज़ेंटेशन को भी लिया है।

5. कारपोरेट तथा अन्य लागू नियम, कानून, विनियम, स्टैंडर्ड के प्रावधानों को सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच टेस्ट के आधार पर किए गए परीक्षण तक सीमित है।

6. सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहारिकता की पुष्टि में है और न ही यह इस बात की पुष्टि करती है कि प्रबंधन ने कंपनी का व्यवसाय तथा कार्यकलाप को सुचारु तथा प्रभावशाली ढंग से चलाया है।

कृते ब्लैक एण्ड कं

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 04.08.2016

वित्त वर्ष 2015–16 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधतंत्र का उत्तर

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
(i) निगम ने कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार की धारा 47(ए) (अब सेबी (एलओडीआर), 2015 की धारा 6), दोनों का उल्लंघन है।	(i) बोर्ड द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया सुझाए जाने पर 1.6.2016 से कंपनी सचिव की नियुक्ति की गयी है।
(ii) निगम ने महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार की धारा 49 (अब सेबी (एलओडीआर), 2015 की धारा 17), दोनों का उल्लंघन है।	(ii) तथा (iii) के लिए भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते एमएमटीसी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल में न्यूनतम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में वाणिज्य विभाग, एमओसी एंड आई के साथ निगम ने मामला उठाया है। वाणिज्य विभाग से जानकारी मिली है कि महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) तथा लिस्टिंग करार हेतु कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिशा–निर्देशों की अवश्यकतानुसार निगम को स्वतंत्र निदेषकों की आवश्यकता है ताकि यथानिर्दिष्ट उत्कृष्ट बोर्ड स्ट्रक्चर बन सके।	
(iv) करार/द्विपक्षीय हस्ताक्षरित दस्तावेजों के अभाव में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में किए गए निवेश/दी गई गारंटियों की शर्तों व अनुबंधों सहित अवधि सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके पश्चात् बनाए गए रजिस्टर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।	(iv) निदेशक मंडल व कैबिनेट के अनुमोदन से एमएमटीसी ने कारपोरेट गारंटी दी है और इसके लिए रजिस्टर बनाया गया है। जहां तक ऋण का संबंध है, हमने एनआईएनएल के साथ समय–समय पर पत्राचार किया है और एनआईएनएल ने एमएमटीसी द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजी की सीमा पर कारपोरेट गारंटी दी है। एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच चालू वर्ष में ऋण पर औपचारिक करार निष्पादित किया जाएगा।

फार्म नं. ए.ओ.सी. 2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण के खुलासे का फार्म, जिसमें उसके बाद के तीसरे नियम (तीसरे परंतुक के तहत) के अंतर्गत दो पार्टियों द्वारा अपने–अपने हित के लिए किए गए स्वतंत्र एवं असंबंधित लेन–देन (आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शंस) भी शामिल हैं

1. आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं किए गए करार या व्यवस्था या लेन–देन

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
(क) संबंध का स्वरूप	संयुक्त उपक्रम	संयुक्त उपक्रम	सहायक कंपनी	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
(ख) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का स्वरूप	बुलियन व मिंटेड उत्पादों की बिक्री, रिफाइनिंग एंड जॉब वर्क	गोल्ड/सिल्वर मेडालियन, प्लेन व जड़ित गोल्ड आभूषणों की बिक्री	मैसर्स आईपीआईसीओएल के जरिए एक मैनेजिंग प्रमोटर के रूप में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत तक इक्विटी की भागीदारी के बारे में एमएमटीसी तथा ओडीशा सरकार के बीच शेयरधारकों का करार। साथ ही, तैयार माल की बिक्री/खरीद पर एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच सहमति से 06–08–1999 को करार पर हस्ताक्षर किए गए जो 22–06–2012 व 11–02–2014 को यथासंशोधित।	एमटीपीएल सिंगापुर ने एमएमटीसी के साथ लॉट–वार/लदान–वार बिक्री/खरीद का करार किया, जिसमें एमटीपीएल विक्रेता और एमएमटीसी क्रेता है। इसी प्रकार, अन्य बोलीदाताओं के साथ एमटीपीएल वैश्विक निविदाओं में भी भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यूओएस होने के नाते उसे ईएमडी, परफॉर्मेंस बॉड गारंटी देने और केवाईसी नियमों से छूट है, जबकि अन्य बोलीदाताओं पर यह लागू है।
(ग) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	1)रिफाइंड 1 कि.ग्रा/100 ग्राम के बार के विपणन के लिए एमपीआईपीएल के साथ 20 मार्च 2013 को तीन वर्ष की वैधता का एमओयू किया गया।	व्यापार जारी है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
(घ) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की प्रमुख शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई हो	एमपीआईपीएल के साथ नवीनतम हस्ताक्षरित एमओयू की प्रमुख शर्ते हैं–– 1) एमएमटीसी समय–समय पर पूरे भारत में स्थित एमपीआईपीएल के विभिन्न स्थानों से बुलियन के स्टॉक्स (995 शुद्धता वाले किलोग्राम के स्वर्ण बार या 999 शुद्धता वाले 100 ग्राम के स्वर्ण बार और 0.999 फाइन शुद्धता वाले चांदी के बार) को प्रत्येक स्थान के लिए एमपीआईपीएल द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम पर खरीदने का इरादा इंगित कर सकती है। 2) एमएमटीसी के कारपोरेट आफिस के सीबीओ के विधिवत प्राधिकृत कार्मिक एमपीआईपीएल के मूल्य निर्धारण डेस्क के साथ सभी बुलियन का मूल्य निर्धारित करेंगे। न्यूनतम निर्धारण लॉट स्वर्ण बार के लिए 1 कि.ग्रा. और चांदी बार के लिए 100 कि.ग्रा. होगा। **मूल्यः 5,609.42 मिलियन रुपए**	एमएमटीसी सिल्वरवेयर, गोल्ड / सिल्वर मेडालियन की पूरी रेंज और 50 प्रतिषत सादे स्वर्ण आभूषणों की आपूर्ति एमजीपीएल को करेगा। यह आपूर्ति एमजीपीएल को उपयुक्त वित्तीय सिक्योरिटी देने पर की जाएगी। यदि प्रस्तावित सादे स्वर्ण आभूषण एमजीपीएल की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो एमजीपीएल एमएमटीसी को खरीदी गई पूरी मात्रा के 2 प्रतिशत मूल्य की क्षतिपूर्ति करेगी। एमजीपीएल कुल प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) की 26 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक की उपरोक्त आपूर्ति की वस्तुओं को खरीदेगी। 2) जीजीएल, एमजीपीएल द्वारा चाही गयी 50 प्रतिशत सादे स्वर्ण आभूषणों और 100 प्रतिशत हीरों की आपूर्ति करेगी। **मूल्यः 9.21 मिलियन रुपए**	मैसर्स आईपीआईसीओएल के जरिए एमएमटीसी और ओडीशा सरकार के शेयरधारकों के बीच हुए समझौते में कहा गया है कि एमएमटीसी पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर संयंत्र को कच्चे सामग्रियों और उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति, घरेलू बिक्री करेगी और एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एमएमटीसी द्वारा जेवी कंपनी के उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था का काम किया जाएगा। एमएमटीसी और एनआईएनएल के बीच 06–08–1999 को सहमति के जरिए तैयार माल की बिक्री / खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो 22–6–2012 तथा 11–2–2014 को यथासंशोधित हैं। **मूल्य : 9,196.23 मिलियन रुपए**	एमएमटीसी और एलटीपीएल के बीच 24.7.2015 को 36.11 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की तूर दाल सप्लाई करने का करार किया गया। एक अन्य करार 10.11.2015 को 9.11 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य के आस्ट्रेलियन चिक पीज़ सप्लाई करने का किया गया। **मूल्य : 6,711.49 मिलियन रुपए**

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
(च) इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने का औचित्य	1) मार्जिन और टॉपलाइन में सुधार लाना। 2) घरेलू बाजार में बुलियन बार के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत (एलबीएमए एक्रेडिटिड रिफाइनरी, जिससे हमारी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो) विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं, जब सरकारी नीतियों के कारण आयात से बाजार में आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है। (जैसे–80:20 स्कीम) 3) विशेषकर हमारे झंडेवालान मिंट मशीनरी में खराबी के मद्देनजर उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्रदान कर रिटेल बूम का लाभ उठाने के लिए स्वर्ण व चांदी के मेडालियन को रिफाइन करने और ढालने के लिए	1) शुद्धि आउटलेट्स के माध्यम से एमएमटीसी के उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी की संभावना। एमएमटीसी के ग्राहकों को आभूषणों की अधिक वैरायटी देने के लिए फेस्टिवल ऑफ गोल्ड में संयुक्त भागीदारी करना 2) एमएमटीसी की आभूषण प्रदर्शनी में शुद्धि द्वारा डिजाइन किए गए एमएमटीसी के उत्पादों की बिक्री हेतु अधिक आउटलेट्स तैयार करना।	जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।	एमएमटीसी के टेंडर में न्यूनतम बोलीदाता (एल–1) होने के नाते।
(छ) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति की तारीख	9 दिसंबर 2014 11 फरवरी 2015 13 अगस्त 2015	9 दिसंबर 2014 11 फरवरी 2015 13 अगस्त 2015	11 फरवरी 2015	13 अगस्त 2015 (कृषि उत्पाद के संबंध में)
(ज) अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई हो	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**	**कोई नहीं**

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैंप इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
(झ) सामान्य बैठक में पारित संकल्प की तारीख, जैसा कि धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत आवश्यक है।	इस बारे में शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र के जरिए विशेष संकल्प पारित किए गए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 27.4.2015 को इसके परिणामों की घोषणा की गई।			
2. आर्म्स लेंथ आधार पर ठेकों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण : ———शून्य———				

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

ऊर्जा संरक्षणः ऊर्जा तथा ईंधन की खपत

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के अंतर्गत कंपनी नियम (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रस्तुतीकरण) 1988 के अनुसरण में दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटन की तालिका :

क्रम संख्या			चालू वर्ष (2015-16)	पिछला वर्ष (2014-15)
1.	बिजली	खरीद (किलोवाट आवर) (वार्षिक न्यूनतम गारंटी पर) कुल लागत(लाख रुपये में) औसत दर (रुपये / किलोवाट आवर)	3,09,012 16.69 5.40	3,09,012 16.69 5.40
2.	कोयला	मात्रा (मी टन) कुल लागत(लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति मी टन)	- - -	- - -
3.	डीजल तेल	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	- - -	- - -
4.	एलडीओ	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	- - -	- - -

संख्या/No. PDCA-I / ND / CHQ / 29-1 / 2016-17 / MMTC / 389

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनांक / Dated 28.7.2016

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड,
सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स
लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

विषयः 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करता हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की आमसभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

नीलेश कुमार साह

(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक

संलग्नः शून्य टिप्पणियाँ

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002
दूरभाष / Tele: 011-23378473, फैक्स / Fax : 011-23378432, 011-23370871
e-mail: mabnewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 146(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनीज़ अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त विधिक ऑडिटर इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो स्वतंत्र लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह कार्य पूरा किया जिसका उल्लेख अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 27 मई, 2016 में किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत सप्लीमेंटरी आडिट किया है। यह स्वतंत्र सप्लीमेंटरी आडिट है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के वर्किंग पेपर की गणना नहीं है, तथा यह प्रारंभिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के कार्मिकों तथा चुनिंदा लेखा रिकार्ड की जांच तक सीमित है।

मेरे आडिट के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिसका यहां अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों की सप्लीमेंट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

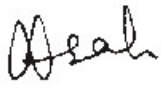

(नीलेश कुमार शाह)
प्रमुख वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 146(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनीज़ अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त विधिक ऑडिटर इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जो स्वतंत्र लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह कार्य पूरा किया जिसका उल्लेख अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 27 मई, 2016 में किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ए) के तहत सप्लीमेंटरी आडिट किया है। हमने एमएमटीसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का समेकित लेखा परीक्षा किया है। अधिनियम की धारा 139(5) व 143(6)(बी) छः संयुक्त उद्यमों (सूची संलग्न) पर उनकी निजी संस्था के कारण लागू नहीं है। और न ही यह, विदेश में स्थित सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर लागू है जो अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा समेकित लेखा परीक्षा के लिए वहां के कानूनों द्वारा संचालित है। तदानुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इन कंपनियों के लिए कोई सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया है और न ही कोई समेकित लेखा परीक्षा कराया है। यह स्वंतत्र समेकित लेखा परीक्षा है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षा के वर्किंग पेपर्स की गणना नहीं है तथा यह प्रारंभिक तौर पर सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी के कार्मिकों तथा चुनिंदा लेखा रिकार्ड की जांच तक सीमित है।

मेरे आडिट के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिसका यहां अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों की सप्लीमेंट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

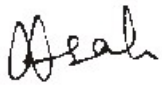

(नीलेश कुमार शाह)
प्रमुख वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

निजी क्षेत्र के एमएमटीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों की सूची

फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एसआईसीएएल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड
इंडिया कोमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड

एक नजर में दशक

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
हमारी देनदारियां										
शेयर पूंजी	**1000**	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500
रिजर्व	**12779**	12592	12419	12408	13214	12797	12371	10734	9800	8321
	13779	13592	13419	13408	14214	13797	12871	11234	10300	8821
उधारियां	**2718**	2866	4129	14783	34299	60835	51648	43052	31984	11298
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	**187**	196	99	191	45	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक प्रावधान	**1790**	1771	1825	1702	1374	-	-	-	-	-
	18474	18425	19472	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थिर परिसंपत्तियां	**2092**	2060	2120	2107	2052	2107	2099	2075	2067	2045
घटाएं: मूल्यह्रास	**1517**	1482	1302	1186	1079	993	874	757	654	519
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	**575**	578	818	921	973	1114	1225	1318	1413	1526
निवेश	**4598**	4457	4457	4697	4673	2831	2729	2316	2550	2550
विविध खर्च (बट्टे खाते में न डाले गए)	**-**	-	-	-	-	-	-	58	22	15
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	**1432**	1332	768	1130	1095	-	-	-	-	-
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**31**	8	15	17	23	-	-	-	-	-
कार्यशील पूंजी	**9545**	9771	11153	21865	42453	70352	60339	50291	38042	15667
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2293**	2279	2261	1454	715	335	226	303	257	361
	18474	18425	19472	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119
हमारी आय										
बिक्री	**124604**	182415	250745	284156	659291	688545	451242	368207	264234	233016
निर्यात	**6726**	23007	41270	29795	20454	36934	32227	45759	39114	34131
आयात	**102958**	145302	187135	209544	610417	633008	399691	306951	204499	186074
घरेलू	**14920**	14106	22340	44817	28420	18603	19324	15497	20621	12811
अर्जित ब्याज	**1246**	998	1378	2796	6458	4750	5742	7824	2106	1202
अन्य आय	**708**	680	2795	2210	4770	2369	2294	2498	1314	902
	126558	184093	254918	289162	670519	695664	459278	378529	267654	235120
हमारे खर्चे										
बिक्री लागत	**123737**	180764	249239	282985	660483	687260	449463	366966	260732	230964
स्थापना खर्चे	**2015**	1918	1895	2029	1843	1838	1684	1653	1184	883
प्रशासनिक खर्चे	**527**	507	471	482	521	554	461	385	375	327
वित्त लागत (प्रदत्त ब्याज सहित)	**299**	170	670	2195	5764	3719	4126	6659	1350	711
मूल्यह्रास और ऋण मुक्ति	**46**	178	124	120	120	125	133	126	127	80
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे	**-**	-	-	-	-	-	58	18	13	33
बट्टे खाते में डाले गए/वापिस लिए गए ऋण/दावे/परिसंपत्तियां	**1**	300	11	1	3	1	3	143	231	98
संदिग्ध ऋणों के लिए तथा निवेश स्थाई परिसंपत्तियों में ह्रास हेतु प्रावधान	**3**	12	13	63	133	229	19	406	373	95
असाधारण मदें	**-**	-	2104	2444	1002	-	-	-	-	-
अपवादिक मदें*	**(655)**	(372)	231	127	(1)	-	-	-	-	-
	125973	183477	254758	290446	669868	693726	455947	376356	264385	233191

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
हमारी बचत										
वर्ष का लाभ	**585**	616	160	(1,284)	651	1938	3331	2173	3269	1929
कराधान के लिए प्रावधान	**30**	120	(42)	(572)	53	701	1168	772	1241	625
कर पश्चात् लाभ (पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**555**	496	202	(712)	598	1237	2163	1401	2028	1304
पूर्वावधि समायोजन	**6**	16	16	(6)	(109)	21	-	(1)	23	36
विनियोग हेतु उपलब्ध लाभ	**549**	480	186	(706)	707	1216	2163	1402	2005	1268
लाभांश	**300**	250	150	100	250	250	450	400	450	250
लाभांश पर कर	**61**	51	25	-	41	41	75	68	76	39
सतत विकास	**-**	-	-	2	-	-	-	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**-**	-	-	4	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन	**188**	179	11	(812)	416	925	1638	934	1479	979
सकल लाभ	**1297**	2079	3456	2997	2766	3300	3176	3209	4298	2497
कर पूर्व लाभ	**579**	600	144	(1,278)	760	1917	3331	2174	3246	1893
कर पश्चात् लाभ	**549**	480	186	(706)	707	1216	2163	1402	2005	1268
नेटवर्थ	**13779**	13592	13418	13407	14213	13797	12871	11176	10278	8806
नियोजित पूंजी	**7402**	7483	7842	8003	9127	8645	9725	8557	7471	5895
कार्यशील पूंजी	**9545**	9771	11153	21865	42453	70352	60339	50291	38042	15667
अनुपात										
बिक्री के अनुपात में ओवरहैडस %	**2.04**	1.33	0.94	0.88	0.36	0.35	0.48	0.55	0.59	0.52
बिक्री के अनुपात में स्टॉक %	**3.22**	1.75	1.23	3.13	1.40	0.94	4.73	1.57	2.09	0.76
बिक्री के अनुपात में व्यापार लाभ %	**1.04**	1.14	1.38	1.05	0.42	0.48	0.70	0.87	1.63	1.07
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	**0.46**	0.33	0.06	(0.45)	0.12	0.28	0.74	0.59	1.23	0.81
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात् लाभ %	**0.44**	0.26	0.07	(0.25)	0.11	0.18	0.48	0.38	0.76	0.54
बिक्री के अनुपात में देनदार %	**6.64**	16.64	6.92	7.83	4.20	3.69	3.44	5.18	5.47	4.80
बिक्री के अनुपात में कार्यशील पूंजी %	**7.66**	5.36	4.45	7.69	6.44	10.22	13.37	13.66	14.40	6.72
कार्यशील पूंजी के अनुपात में बिक्री (गुणा)	**13.05**	18.67	22.48	13.00	15.53	9.79	7.48	7.32	6.95	14.87
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ का %	**7.90**	8.23	2.04	(16.04)	7.13	22.42	34.25	25.39	43.76	32.72
नियोजित पूंजी से कर पश्चात् लाभ %	**7.42**	6.41	2.37	(8.82)	7.75	14.07	22.24	16.38	26.84	21.51
नेटवर्थ की तुलना में वर्ष के लिए लाभ %	**4.25**	4.53	1.19	(9.58)	4.58	14.05	25.88	19.44	31.81	21.91
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात् लाभ %	3.98	3.53	1.39	(5.27)	4.97	8.81	16.81	12.54	19.51	14.40
कार्मिकों की संख्या	**1334**	1439	1530	1605	1673	1767	1838	1882	1953	1997
प्रति कार्मिक बिक्री	**93.41**	126.77	163.89	177.04	394.08	389.67	245.51	195.65	135.30	116.68

* वर्ष 2016 तथा 2015 के लिए अपवादिक मदों से बट्टे खाते में डाली गई इन्वेंट्रीज में निवल वसूली योग्य मूल्य शामिल नहीं हैं।

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15	2013-14
स्रोत			
आंतरिक अर्जन			
कर पश्चात् लाभ	**549**	479	186
आस्थगित कर समायोजन	**(14)**	(17)	(807)
मूल्यह्रास	**1518**	1482	1303
प्रावधान	**6926**	7223	8262
इक्विटी	**1000**	1000	1000
रिर्जव	**12230**	12113	12233
बाहरी अर्जन			
बैकिंग	**2718**	2866	4129
चालू देयताएं	**18429**	40020	26308
अन्य देयताएं	**2716**	2623	2185
कुल स्रोत	**46072**	67789	54799
उपयोग			
स्थिर परिसंपत्तियों	**2092**	2060	2120
निवेश	**4646**	4746	5306
व्यापार ऋण	**12268**	34318	21675
वस्तु सूची	**4015**	3194	3084
ऋण व अग्रिम	**19987**	19571	16433
नकद व बैंक शेष	**785**	1638	4727
आस्थगित कर	**2279**	2262	1454
कुल उपयोग	**46072**	67789	54799

वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15		2013-14	
निधियों के स्रोत						
आंतरिक अर्जन						
कर पश्चात् लाभ	**549**		479		186	
मूल्यह्रास	**46**	**595**	178	657	124	310
आस्थगित कर समायोजन		**2279**		2262		1454
उधार						
ऋण निधि		**(148)**		(1,263)		(10,653)
कुल स्रोत		**2,726**		1,656		(8,889)
निधियों के अनुप्रयोग						
स्थिर परिसंपत्तियां		**44**		(55)		26
निवेश		**141**		(560)		169
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**2293**		2,279		2261
अंतिम लाभांश		**300**		250		150
लाभांश कर		**61**		51		25
इन्वेंट्री		**821**		110		(5,805)
विविध देनदार		**(22,052)**		13,003		(4,903)
ऋण व अग्रिम		**426**		3,296		(304)
रोकड़ व बैंक शेष		**(853)**		(3,089)		(9,874)
देयताएं		**21675**		(13,878)		9481
प्रावधान		**(130)**		249		(115)
निधियों का कुल अनुप्रयोग		**2,726**		1,656		(8,889)

मूल्यवर्धन विवरण

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15		2013-14	
		%		%		%
वर्धित मूल्य						
बिक्री तथा अन्य व्यापारिक अर्जन	**124983**		182843		252752	
जोड़ें : अन्य आय	**938**		958		967	
	125920		183801		253719	
घटाएं : प्रयुक्त सामग्री व सेवाओं की लागत	**115706**		170702		229115	
कुल मूल्यवंर्धन	**10214**		**13099**		**24604**	
मूल्य वितरण						
प्रचालन खर्चे	**7,966**	**77.99**	9,924	75.77	20,185	82.04
नियोजन लागत	**2,015**	**19.73**	1,918	14.64	1,895	7.70
प्रशासनिक लागत	**552**	**5.41**	1,280	9.77	609	2.48
प्रावधान	**3**	**0.03**	12	0.09	254	1.03
मूल्यह्रास	**46**	**0.45**	178	1.36	124	0.50
ब्याज (निवल)	**(947)**	**(9.27)**	(812)	(6.20)	(711)	(2.89)
असाधारण मदें	**-**	**-**	-	-	2,104	8.55
आय कर	**30**	**0.30**	120	0.91	(42)	(0.17)
लाभांश						
प्रस्तावित लाभांश	**300**	**2.94**	250	1.91	150	0.61
लाभांश पर कर	**61**	**0.60**	51	0.39	25	0.10
रिजर्व एवं अधिशेष से अंतरित	**-**	**-**	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन	**188**	**1.84**	178	1.36	11	0.04
कुल मूल्य वितरण	**10,214**	**100.00**	**13,099**	**100.00**	**24,604**	**100.00**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	**1,334**		**1,439**		**1,530**	
प्रति कर्मचारी मूल्यसंवर्धन ('000 रु.)	**7657**		9103		16081	
नेटवर्थ	**13,779**		13,591		13,418	
नेटवर्थ के प्रति रुपए में मूल्यसंवर्धन	**0.74**		0.96		1.83	

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
निर्यात										
लौह अयस्क	**3607**	14013	16703	9885	3049	19390	19244	27536	26554	19012
मैगनीज अयस्क / ऑक्साइड		67	144	225	343	575	1019	1064	441	409
क्रोम अयस्क / कंसन्ट्रेट	**818**	341	3526	3781	6160	8076	6269	8274	6904	7964
पिग आयरन	**2301**	6291	10992	2893	9404	8136	4891	5988	5090	5446
स्लैग			18							1
उर्वरक			2348	1533	1489	737	805			257
कृषि उत्पाद		2294	7539	11478		20		2411	61	753
रॉ–वूल					9					
हीरे / रत्न / आभूषण								434		289
मर्चेंटिंग ट्रेड								50	64	
कुल निर्यात	**6726**	**23007**	**41270**	**29795**	**20454**	**36934**	**32228**	**45757**	**39114**	**34131**
आयात										
धातुएं / आईआरएम										
कॉपर / कॉपर कैथोड्स				101	1334	1240	1549	4688	3678	2691
जिंक	**1008**	561	616	837	1379	1205	1494	896	1287	1617
लैड	**1**	31	19	47	36	117	90	304	246	750
टिन	**183**	195	390	423	671	1013	522	1047	703	651
निकल	**178**	725	754	567	1393	3304	1042	501	922	1216
अल्यूमिनियम							11		16	172
एंटीमनी मेटल	**36**	50	67	58		26	8	5	24	10
स्टील / स्टील स्क्रैप / एचआर कॉयल					478	1080	1585	1065	1350	1331
अन्य				108	583	282	334	282	148	41
अनुयोग	**1406**	**1561**	**1846**	**2142**	**5875**	**8267**	**6635**	**8788**	**8374**	**8479**

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
उर्वरक										
सल्फर	**164**	231	230	233	219	142	220	1566	1488	140
यूरिया	**26109**	77973	35969	11704	48927	14534	14084	30259	37907	14223
डीएपी					1445		574			6346
एमओपी		1757	1276	5599	5279	3937	9302	7916	1647	1621
अन्य	**973**						4	7		
अनुयोग	**27246**	**79961**	**37475**	**17537**	**55870**	**18613**	**24184**	**39748**	**41042**	**22330**
डायमंड / गोल्ड / एम्राल्ड	**63424**	43343	84116	131374	504607	501935	316029	212891	122071	135041
कृषि उत्पाद	**583**	704	12139	13777	11843	14922	14638	16695	16160	3581
हाइड्रोकार्बन	**10127**	19476	51508	44688	32196	89229	38203	27364	16481	16296
अन्य	**172**	257	51	27	27	43	1	1466	371	347
कुल आयात	**102958**	**145302**	**187135**	**209545**	**610417**	**633008**	**399690**	**306952**	**204499**	**186074**
घरेलू										
कॉपर/जिंक/ब्रास/अल्यूमिनियम	**5**					18	1195		1633	2142
पिग आयरन/स्लैग/स्टील	**1871**	1761	2335	9805	8273	4180	6352	2791	2738	2806
उर्वरक	**1598**	858	49	78	87	45	40	68	56	45
कृषि उत्पाद	**2981**		5018	16041	8459	1294	1245	1042	1621	1610
रत्न व आभूषण/चांदी	**7080**	8121	7614	5379	6821	4918	5274	4118	7921	2369
हाइड्रोकार्बन	**1142**	1762	4456	11659	3475	5870	1753	4023	5255	3318
अन्य	**243**	1611	2868	1855	1305	2278	3465	3455	1397	521
कुल घरेलू कारोबार	**14920**	**14112**	**22340**	**44817**	**28420**	**18603**	**19324**	**15497**	**20621**	**12811**
कुल कारोबार	**124604**	**182420**	**250745**	**284156**	**659291**	**688545**	**451242**	**368207**	**264234**	**233016**

देशवार निर्यात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014
अफ्रीका			
साउथ अफ्रीका	-	1858	-
इथोपिया	-	-	2647
	-	**1858**	**2647**
एशिया			
बांग्लादेश	-	818	2223
चीन	**1414**	744	3085
जापान	**2183**	11361	14252
कोरिया	**1424**	2979	5886
मलेशिया	-	-	3623
नेपाल	-	-	2366
पाकिस्तान	-	67	-
इंडोनेशिया	-	1476	1002
फिलिपीन्स	-	-	426
ताईवान	**731**	-	2264
थाईलैण्ड	**974**	3694	3122
वियतनाम	-	-	314
	6726	21139	38563
पश्चिम यूरोप			
स्पेन	-	10	60
	-	10	60
कुल निर्यात	**6726**	**23007**	**41270**

देशवार आयात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014
अफ्रीका			
दक्षिण अफ्रीका	**1,467**	6,744	9,967
	1,467	**6,744**	**9,967**
एशिया			
चीन	**18,590**	72,366	23,855
इंडोनेशिया	**2,060**	10,279	36,385
कोरिया	**812**	670	
मलेशिया	**106**	119	2,394
म्यांमार	**539**	-	-
हांगकांग	-	-	437
रूस	**913**	676	533
सिंगापुर	**1,189**	733	152
	24,209	**84,843**	**63,756**
पूर्वी यूरोप			
कजाकिस्तान	**13**	-	192
बेलारूस	-	517	-
	13	**517**	**192**
मध्य पूर्व			
दुबई	-	-	367
ईरान	**6,740**	3,919	11,332
ओमान	-	-	-
इजराइल	-	-	-
कुवैत	-	-	124
सऊदी अरब	-	-	-
यूएई	**2,100**	1,633	4,064
	8,840	**5,782**	**15,887**

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2016	2015	2014
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	**465**	-	-
यूएसए	**2,778**	-	1,256
	3,243	**-**	**1,256**
ओशिनिया			
आस्ट्रेलिया	**19,440**	12,328	8,616
	19,440	**12,328**	**8,616**
पश्चिम यूरोप			
लक्समबर्ग	-	85	-
स्वीडन	**10**	32	16
स्विटजरलैंड	**12,245**	10,926	16,154
नार्वे	**50**	44	395
यूके	**24,473**	14,769	44,824
	36,778	**25,856**	**61,389**
कुल आयात	**93,990**	**1,36,070**	**1,61,063**

राजकोष में अंशदान

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15	2013-14
केन्द्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**-**	9	-
आयात शुल्क	**5,415**	3,917	8,558
उत्पाद शुल्क	**2**	6	1
सेवा कर	**48**	36	18
सीएसटी	**108**	337	885
आय कर (लाभांश पर कर सहित)	**612**	579	188
लाभांश	**225**	135	90
कुल	**6,410**	**5,019**	**9,740**
रेलवे तथा बंदरगाहों को			
रेल भाड़ा	**160**	4,299	4,782
रेलवे/बंदरगाहों को प्लाट किराया	**4**	5	7
बंदरगाह प्रभार	**44**	53	53
कुल	**208**	**4,357**	**4,842**
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**710**	560	2,566
अन्य कर/शुल्क	**22**	12	105
व्यावसायिक कर	**1**	2	1
कुल	**733**	**574**	**2,672**
कुल योग	**7,351**	**9,950**	**17,254**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड(कंपनी) के संलग्न एकल(स्टेंडअलोन) वित्तीय विवरणों जिसमें हमने 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र तथा लाभ व हानि विवरण, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचनाओं का हमने लेखा परीक्षा किया है ।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

कंपनी के (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के सही एवं वास्तविक रूप को दर्शाने वाले इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए निगम का निदेशक मण्डल उत्तरदायी होगा। धोखों अथवा चूक के कारण अशुद्ध वर्णन से मुक्त सही एवं वास्तविक वित्तीय विवरणों को बनाने तथा प्रस्तुतीकरण के प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता तथा सम्पूर्णता की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाईन तथा कार्यान्वयन एवं रखरखाव के साथ–साथ उचित एवं बिक्री निर्णय एवं अनुमान बनाना, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं कार्यान्वयन, धोखे तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं बचाव के लिए निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप पर्याप्त लेखा नीतियों का रख–रखाव भी इस दायित्व में शमिल है ।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा मामलों का हमने संज्ञान लिया है।

हमने कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाए तथा इसका निष्पादन करें कि वित्तीय विवरणों में कोई अशुद्ध वर्णन नहीं है ।

आडिट की मुख्य भूमिका वित्तीय विवरणों में राशि तथा प्रकटन के बारे में आडिट साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना है। धोखे अथवा गलती से वित्तीय विवरणों के जोखिम के मूल्यांकन के साथ–साथ चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय निर्णयों पर विचार करते हैं जो कंपनी के वित्तीय विवरण बनाने के लिए प्रासंगिक हैं तथा जो उन परिस्थितियों में उचित आडिट प्रणालियां डिजाईन करने के लिए सही व वास्तविक रूप प्रस्तुत करती है। प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए एकाउंटिंग अनुमानों की तर्कसंगता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकंलन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल है ।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं जो एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करते हैं। राय हमारी राय, सूचना तथा हमें उपलब्ध करवाए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएं इस रूप में देती है जो आवश्यक हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वी.त लेखा सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2016 को कंपनी के मामलों, इसके लाभ तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रावह का सही तथा वास्तविक रूप दर्शाती है ।

मामले पर बल

क)आई.सी.ई एक्स के शेयर वैल्यू पर 241.10 मिलियन रुपए की नयूनता के परिणामस्वरूप इसकी भरपाई के लिए आई.सी.ई एक्स के इन्वेस्टमेंट की लाभ पर बिक्री व इसके शेयरों के राइट इश्यू के अंशदान पर हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 6.2(3) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

ख) 609.90 मिलियन रुपए की रखी गई राशि पर 389.90 मिलियन रुपए के मान्य ब्याज पर हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 16(ii)(बी) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह राशि 2014–15 के दौरान "गेहूँ खाता–एफसीआई" में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रखी गयी थी।

ग) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को निधि आधारित और गैर–निधि आधारित सहायता देने के संबंध में हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 19(प) (सी) तथा नोट सं. 21 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

घ) जी आर फार्म – 1 के समय में विस्तार न करने/वेवर/बट्टे खाते में डालने के मामलों में देयताओं, यदि कोई हो, का प्रावधान न किए जाने के संबंध में हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 22 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

ङ) विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण एवं अग्रिमों/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं के अंतर्गत शेष जिनकी कई मामलों में पुष्टि नहीं की गई है तथा उक्त पुष्टि प्राप्त होने पर किए जाने वाले आवश्यक पुनर्मिलान/समायोजन, यदि कोई हो, का निर्धारण न किए जाने के संबंध में हम एकल वित्तीय विवरण के नोट 38 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

अन्य मामले

निगम के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल दस शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है । इनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को 26710.90 मिलियन आईएनआर की कुल परिसंपतियां तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 89060.21 आईएनआर के कुल राजस्व दर्शाए गए हैं जिन्हें एकल वित्तीय विवरणों में लिया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हैं जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई गई है। इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियां एवं प्रकटन के प्रति हमारी राय उक्त शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित हैं ।

इस मामलें में हमारी राय में परिवर्तन नहीं किया गया है ।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताएं

1 अधिनियम की धारा 143 की उपधारा(11) के अनुरूप भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) में यथाआवश्यक है, निगम के कारपोरेट कार्यालय तथा शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4, जहां तक लागू है, में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक '1' में हम एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

2 अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं :–

क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे ।

ख) बहियों तथा उचित रिटर्नस की हमारी जांच से स्पष्ट होता है कि निगम द्वारा विधिक रूप से आवश्यक उचित खाता बहियां बनाई गई हैं जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है वहां से हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक बहियां तथा उचित रिटर्न प्राप्त कर ली गई हैं।

ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत निगम के शाखा कार्यालयों के खाते की लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट के बनाने में हमने इनका समुचित संव्यवहार किया है ।

घ) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शाखा कार्यालयों, जहां हमने दौरा नहीं किया है, से प्राप्त खाता बहियों तथा रिटर्नस के अनुसार हैं ।

ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनीज(खाते) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

च) 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए दिनांक 31 मर्च, 2016 को कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं था ।

छ) कंपनी के (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य 4 मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – नोट 19 का संदर्भ देखें।

ii) गौण (डेरीवेटिव) करारों सहित दीर्घावधि करारों पर अनुमान्य हानियों के लिए लागू विधानों या लेखा मानकों के अंतर्गत कंपनी ने प्रावधान कर लिए हैं ।

iii) निगम द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में अंतरित करने के लिए 31 मार्च, 2016 तक कोई राशि नहीं थी ।

3 कंपनी के वित्तीय विवरण पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण के प्रभावी संचालन के संबंध में 'अनुलग्नक–3' पर हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।

4 कंपनीज अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत 22.1.2016 को जारी उप–आदेशों द्वारा भारत के सी एण्ड एजी द्वारा यथा आवश्यक है, संलग्न अनुलग्नक 3 में हम वर्ष 2015–16 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृते ओ.पी. तुल्सयान एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 500028एन)

राकेश अग्रवाल
भागीदार
सदस्या सं. 081808

दिनांक : 27.05.2016
स्थांन : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –1

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :–

i कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड बनाया है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों की मात्रा तथा उनकी स्थिति सहित पूरे विवरण दिए गए हैं।

ii हमें दी गई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंधतंत्र द्वारा उचित अतंराल पर उक्त परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

iii अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है सिवाय नीचे दिए गए मामलों के :

क्षेत्र / कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	टिप्पणियां
कारपोरेट कार्यालय	दिल्ली में भूमि	13,16,521	राज्य व्यापार निगम के साथ संयुक्त नाम से पट्टा / करार (लीज एग्रीमेंट)
कारपोरेट कार्यालय	दिल्ली में कार्यालय भवन	3,26,37,459	स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं
कारपोरेट कार्यालय	लीज़ होल्ड भूमि	1,10,71,815	स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं
भुवनेश्वर	आवासीय भवन, सड़कें पुलियां तथा बिजली की इंस्टालेशन	1,16,32,036	वर्ष 2011 में लीज डीड समाप्त हो गई है।

2. इन्वैंट्रीज के संबंध में :–

i. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है मैनेजमेंट ने वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का भौतिक सत्यापन किया है।

ii. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान कोई भारी अंतर नहीं पाया गया।

iii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मैनेजमेंट द्वारा इन्वेंट्रीज के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप करने की आवश्यकता है।

3. धारा 189 के अंतर्गत सम्मिलित पार्टियों को दिए गए ऋण

निगम ने अपनी एक एसोसिएट कंपनी, मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित ऋण दिया है।

i हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जिन शर्तों व अनुबंधों पर ऋण दिया गया है वे निगम के हित में नुकसानदेह नहीं है।

ii हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण देने के लिए कंपनी के साथ कोई करार नहीं किया गया था। अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iii चूंकि कंपनी एवं ऋण लेने वाले के बीच कोई करार नहीं था इसलिए हम बकाया राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। तथापि 31 मार्च 2016 को कुल 9,282.90 मिलियन रुपए की कुल ऋण राशि में से दिनांक 31 मार्च 2016 को 1,300.00 मिलियन रुपए बकाया थे।

4. ऋणों, गारंटियों तथा सिक्युरिटिज के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्डस के अनुसार निगम ने धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. जमा राशि (डिपाजिट्स) स्वीकार करना

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक

प्रावधानों के अंतर्गत निगम ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. लागत रिकार्ड का रखरखाव

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7. अविवादित तथा विवादित सांविधिक देय राशियां

i हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड्स के अनुसार निगम द्वारा समुचित प्राधिकरणों को आय कर अधिनियम, देय व्यावसायिक कर, मूल्यवर्धित कर तथा सेवा कर सहित अविवादित सांविधिक देय नियमित रूप से जमा किए जा रहे हैं।

ii दिनांक 31 मार्च, 2016 को देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, भविष्य निधि देय, प्रोफेशनल टैक्स, वैट, सेवाकर तथा अन्य सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी।

iii किसी विवाद के कारण यदि आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा सेस के देयों का भुगतान नहीं किया गया है।

8. बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकार/डिबेंचर्स से ऋण

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार निगम ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार अथवा डिबेंचर धारकों को देय ऋणों अथवा उधार के पुनः भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

9. सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) (ऋण दस्तावेज/आवधिक ऋण सहित) से प्राप्तियां

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार निगम ने आरंभिक/अगले सार्वजनिक निर्गम (ऋण दस्तावेजों सहित) से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। साथ ही, वर्तमान अथवा पूर्व वर्षों में भी निगम ने कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है।

10. कंपनी से अथवा कंपनी द्वारा धोखा

हमें उपलब्ध करा ई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रणालियों के अनुरूप हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार कंपनी से अथवा कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों द्वारा किसी भी धोखे का कोई भी उदाहरण न तो संज्ञान में आया है और न ही वर्ष के दौरान सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रबंधतंत्र द्वारा ऐसे भी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 197/अनुसूची अ के साथ पठित) की परिसीमा के अंतर्गत निगम द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है/प्रावधान किया गया है।

12. निधि कंपनियां

चूंकि परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए निधि नियम 2014 के अंतर्गत वर्णित मापदण्ड निगम पर लागू नहीं है।

13. संबंधित पार्टी लेन–देन

हमारे सत्यापन के दौरान दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में निगम द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन–देन वर्ष के दौरान, निगम के लिए लागू सीमा के अंतर्गत अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में थे जिनके प्रासंगिक विवरण की वित्तीय विवरणों में समुचित रूप से घोषणा की गई है।

14. अधिमान्य निर्गम (प्रिफ्रेंशियल इश्यू)

वर्ष के दौरान निगम ने इक्विटी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर्स का कोई भी अधिमान्य आबंटन अथवा प्राईवेट प्लेसमैंट नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकताएं लागू नहीं हैं।

15. निदेशकों आदि के साथ गैर–रोकड़ लेन–देन

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के

अनुसार चूंकि निगम ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ लेन–देन नहीं किया है। अतः लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के 45–आईए के प्रावधान

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत निगम का पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एनः 500028एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
सदस्य संख्या 081808

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2016

विवादित सांविधिक देय जो जमा नहीं किए गए हैं

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के क्लॉज 7 (iii) का अनुलग्नक ''ए''

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथारिटी
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1986–87	3,08,644	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989–90	14,96,06,778	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1990–91	23,30,46,478	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1991–92	28,98,738	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2001–02	45,03,961	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2008–09	26,04,882	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2008–09	1,42,13,373	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2007–08	23,99,218	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2010–11	45,82,018	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2010–11	1,22,470	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2009–10	19,58,379	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2011–12	48,25,144	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2008–09	51,81,978	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2007–08	71,97,308	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
कस्टम अधिनियम 1962	सीमा षुल्क	2012–13	34,54,07,691	कस्टम आयुक्त

बंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथारिटी
सेवा कर सेवा कर	उल्लेख नहीं		10,26,502	

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रुपए में)	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1998–99	8,63,114	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2000–01	4,43,416	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1999–00	11,52,785	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2001–02	1,78,566	सहायक आयुक्त(वाणिज्यिक कर)
टीएनजीएसटी अधिनियम	वैट तथा दण्ड	2008–09	3,55,08,765	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्तायुक्त

विवादित सांविधिक देय जो जमा नहीं किए गए हैं

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	विवाद का फोरम
केन्द्रीय बिक्री कर	सीएसटी/एलएसटी/ब्याज दण्ड	2002–03	37,45,290	आयुक्त, डी वैट
एलएसटी	एलएसटी	1984–85	11,65,303	डीसी अपील
एलएसटी/सीएसटी	एलएसटी/सीएसटी	1986–87	6,57,32,207	अपर आयुक्त
एलएसटी/सीएसटी	एलएसटी/सीएसटी	1987–88	4,31,86,549	अपर आयुक्त
एलएसटी/सीएसटी	एलएसटी/सीएसटी	1988–89	4,02,96,672	अपर आयुक्त
एलएसटी/	एलएसटी	1989–90	61,87,340	अपर आयुक्त
एलएसटी	एलएसटी	1990–91	22,23,198	अपर आयुक्त
यूपी एलएसटी/सीएसटी	एलएसटी/सीएसटी	1990–91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1991–92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1992–93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1994–95	1,95,000	बिक्री कर अधिकारी, मुरादाबाद
यू पी एलएसटी	एलएसटी	1993–94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यू पी वैट	वैट	1987–88	16,35,160	कानपुर, संयुक्त आयुक्त
यू पी वैट	वैट	1993–94	9,21,383	कमिश्नर यूपी वैट
यू पी वैट	वैट	1996–97	12,23,616	कमिश्नर यू पी वैट
यू पी वैट	ब्याज दण्ड	2007–08	2,49,828	कमिश्नर यू पी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	1992–93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
एम पी वैट	एलएसटी	1999–00	1,50,004	बिक्री कर अधिकारी, इंदौर
एम पी वैट	एलएसटी	1998–99	47,30,692	निर्धारण अधिकारी इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा ब्याज	1999–2000	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2006–07	2,00,00,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2007–08	1,50,50,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2008–09	61,80,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2009–10	61,80,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी/ब्याज	2010–11	18,20,878	उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी/ब्याज	2011–12	19,13,53,780	उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद

विवादित सांविधिक देय जो जमा नहीं किए गए हैं

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	विवाद का फोरम
सीएसटी	सीएसटी	1989–90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1993–94	6,30,615	एसीएलटीयू
सीएसटी	सीएसटी	1993-94	4,41,446	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1994–95	2,04,481	एसीएलटीयू
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1995–96	38,03,875	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1995-96	5,97,266	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1991–92	24,02,576	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1992–93	13,96,269	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1993–94	17,62,687	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1996–97	28,80,309	एसटीएटी विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1996–97	21,34,306	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1997–98	58,43,100	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1998–99	55,65,147	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1999–00	39,04,454	एसटीएटी
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	2000–01	2,52,926	एसटीएटी विजाग
		2008–09	7,84,474	एसटीएटी
सीएसटी, वैट	सीएसटी, वैट	2004–05 सीएसटी 2006–07 वैट	6,76,058	एसी(एलटीयू) एसटीएटी
वैट	वैट	2007–08	71,000	एसी, आडिट
वैट	वैट	2010–11	3,38,97,216	सीटीओ, विजाग

कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	विवाद का फोरम
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	2005–06	11,31,000	अपीलीय बोर्ड
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	2006–07	77,61,000	अपीलीय बोर्ड
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	2012–13	78,62,000	अपीलीय बोर्ड
बिक्री कर कानून	पश्चिम बंगाल वैट	2012–13	4,000	अपीलीय बोर्ड

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	विवाद का फोरम
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003–04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999–2000	26,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2010–11	3,26,47,269	राजस्थान कर बोर्ड,
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	केन्द्रीय बिक्री कर 1956	2010–11	59,92,494	राजस्थान कर बोर्ड
बिक्री कर	टर्न ओवर कर	2003–04	5,32,992	उच्च न्यायालय
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	मूल्य संवर्धन कर	2012–13	68,16,652	राजस्थान कर बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	केन्द्रीय बिक्री कर 1956	2012–13	11,63,461	राजस्थान कर बोर्ड

विवादित सांविधिक देय जो जमा नहीं किए गए हैं

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(रूपये में)	विवाद का फोरम
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1968–69	18,56,325	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1985–86	25,05,806	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1986–87	2,70,83,841	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1989–90	4,79,000	एसटीएटी,
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1991–92	19,34,139	एसी, एलटीयू
सीएसटी	सीएसटी	1994–95	8,41,695	एसी, एलटीयू
सीएसटी	सीएसटी	1995–96	48,62,340	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1996–97	33,58,889	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1997–98	25,27,960	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	सीएसटी	2007–08	1,04,614	एडीसी
सेवा कर	सेवा कर	2003–06	12,65,26,554	सीईएसटीएटी हैदराबाद

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि	राशि (₹ में)	विवाद का फोरम
बिक्री कर	ब्याज दंड	1978–79	26,50,388	उड.ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	बिक्री कर	1978–79	34,00,919	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	बिक्री कर	1978–79	1,70,046	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	ब्याज दंड	1979–80	6,53,452	उड़ीसा उच्च न्यायालय
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	केन्द्रीय बिक्री कर 1956	1982–83	34,83,020	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	ब्याज दंड	1978–79	3,57,42,030	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	डीईपीबी	2006–09	14,98,22,308	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
बिक्री कर	डीईपीबी	2010–12	5,08,43,080	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
मूल्य संवर्धन कर	मूल्य संवर्धन कर	2013–14	14,28,18,841	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	केन्द्रीय बिक्री कर 1956	2013–14	58,07,05,822	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
उत्पाद कर	उत्पाद कर	2013–14	52,63,10,091	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003–05	4,31,95,232	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003–07	16,89,46,005	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007–08	3,86,83,266	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2008–10	8,30,10,407	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010–11	4,29,51,068	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011–12	4,16,55,475	आयुक्त, सीमा,उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर

विवादित सांविधिक देय जो जमा नहीं किए गए हैं

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ में)	अवधि	विवाद का फोरम
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009–12	33,92,04,060	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009–11	77,56,072	आयुक्त, सीमा उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012–13	37,60,319	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012–13	3,51,01,874	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2013–14	4,91,261	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	2012–13	1,49,02,87,737	सहायक आयुक्त, सीईएंडसी बालासोर डिवीजन, बालासोर

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि(₹ में)	प्राधिकरण
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2010–11	6,30,93,790	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1996–97	3,57,24,124	एओ
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2012–13	3,54,64,842	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2009–10	2,31,80,210	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1993–94	5,61,821	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1996–97	11,46,01,858	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1997–98	1,02,93,042	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1999–00	2,60,66,476	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2000–01	1,84,63,021	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2001–02	1,17,65,008	आईटीए / उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2002–03	73,04,915	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2003–04	11,16,907	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2004–05	4,19,85,746	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2005–06	7,81,432	ए ओ
आय कर अधिनियम	आय कर अधिनियम	2006–07	42,08,767	ए ओ
आय कर अधिनियम	आय कर अधिनियम	2007–08	73,50,191	ए ओ
आय कर अधिनियम	आय कर अधिनियम	2008–09	22,10,119	ए ओ
आय कर अधिनियम	आय कर अधिनियम	2009–10	1,19,38,236	आईटीएटी
आय कर अधिनियम	आय कर अधिनियम	2010–11	9,08,20,808	सीआईटी(ए)
आय कर अधिनियम	आय कर अधिनियम	2011–12	10,60,88,129	सीआईटी(ए)

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 2

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ–साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड(''कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमने लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबधतंत्र का दायित्वः

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के मार्गदर्शक नोट(गाईडेंस नोट) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं बनाए रखने के लिए निगम का प्रबंध–तंत्र उत्तरदायी है। निगम की नीतियों का समर्थन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखेबाजी तथा गलतियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखा रिकार्डस की परिशुद्धता तथा संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर बनाने के साथ–साथ निगम के व्यापार के अनुशासित एवं कुशल आचार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन एवं बनाए रखने एवं डिजाईन भी इन दायित्वों में शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति अपनी राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं लेखा परीक्षा के मानकों के लिए आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शक नोट, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माना गया है तथा जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा तक ही सीमित है, के अनुरूप हमने लेखा परीक्षा की है। जिन मानकों एवं मार्गदर्शक नोट का हम नीतिपरक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया है तथा बनाकर रखा गया है तथा वास्तविकता में इन्हें प्रभावी रूप से प्रचालित किया जा रहा है, इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं तथा इसका निष्पादन करते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ–साथ इनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के विषय में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी प्रकार की विद्यमान भौतिक कमी का निर्धारण करना, डिजाईन तथा निर्धारण किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल हैं। धोखे अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरणों के जोखिम के निर्धारण सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय चयनित प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध करवाने हेतु डिजाईन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित वह नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :–

1) रिकार्डस के रख–रखाव से संबंधित हैं जिसमें निगम के लेन–देन तथा परिसंपत्तियों के समुचित विवरणों को सही एवं उचित रूप से दर्शाया गया है।

2) समुचित आश्वासन उपलब्ध करवाते हैं कि लेन–देन को सामान्यतः स्वीकृत सिद्धातों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथावश्यक रूप से रिकार्ड किए गए हैं तथा निगम की प्राप्तियों एवं व्यय को कंपनी के प्रबंधतंत्र तथा निदेशकों के द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही तैयार किए गए हों।

3) निगम की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा स्थिति, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम एवं समय पर पहचान के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध करवाते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रणों के विरूद्ध अनुचित प्रबंधन, चूक अथवा धोखों से भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं तथा इनकी पहचान नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भविष्य अवधि में मूल्यांकन के अनुमानों में परिवर्तन अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में कमी हो जाने से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

रायः

जैसा कि प्रबंधतंत्र के साथ किए गए विचार–विमर्श एवं सहमति के अनुसार कुछ ऐसे क्षेत्र जहां सुधार किए जाने की आवश्यकता है, के अतिरिक्त, हमारी राय में निगम में सभी भौतिक रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जारी मार्गदर्शक नोट में वर्णित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जारी मार्गदर्शक नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2016 को उक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित किए जा रहे हैं।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी के लिए
चार्टड एकाउंटेंट्स
एफ आर एनः 500028एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
सदस्य संख्या 081808

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2016

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सी एंड एजी द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

एमएमटीसी के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के पैरा 4 में यथा संदर्भित

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1.	विनिवेश के लिए यदि कंपनी का चयन किया गया है तो प्रणाली तथा निवेश प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति सहित परिसंपत्तियों (मूर्त परिसंपत्तियों तथा भूमि शामिल करके) तथा देयताओं (कमिटेड एवं सामान्य रिजर्व सहित) के मूल्यांकन के संबंध में संपूर्ण स्थिति की जांच की जाए।	हमें दी गई सूचना के अनुसार विनिवेश के लिए कंपनी का चयन नहीं किया गया है।
2.	कृपया सूचित करें कि अधित्याग/ऋण को बट्टे खाते में डालने/लोन/ब्याज के क्या कोई मामले हैं। यदि हां तो इसके कारण तथा राशि क्या थी।	हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचना तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार पार्टियों से वसूली न होने के कारण वित्त वर्ष के दौरान 9,67,972.00(पुराने डेबिट शेष) को बट्टे खाते में डाला गया है।
3.	थर्ड पार्टियों के पास रखी इन्वेंट्रीज तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार के रूप में परिसंपत्तियों का क्या उचित रिकार्ड बनाया गया है।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तृतीय पक्ष के पास रखी गई इन्वेंट्रीज का उचित रिकार्ड बनाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त नहीं की गई है।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंटस
एफआरएनः 500028 एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
एमआरएन : 081808

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2016

अनुलग्नक–3

वित्त वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी निदेशों पर संशोधित रिपोर्ट

एमएमटीसी के एकल वित्तीय विवरणों पर दिनांक 27.05.2016 को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 4 में यथा संदर्भित

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड एवं लीज होल्ड के लिए क्रमशः स्पष्ट टाईटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड एवं लीज होल्ड भूमि के उस क्षेत्र को बताएं जिसके लिए टाईटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचना तथा कारपोरेट कार्यालय एवं डीआरओ के संबंध में हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार तथा 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अन्य लेखा परीक्षकों से प्राप्त सीएआरओ रिपोर्ट के साथ पठित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड भूमि जिसके सत्यापन हेतु लिए टाईटल/लीज डीज स्पष्ट(क्लियर) उपलब्ध नहीं है, उनका विवरण नीचे दिया गया है।
2.	कृपया सूचित करें कि अधित्याग/ऋण को बट्टे खाते में डालने/लोन/ब्याज के क्या कोई मामले हैं। यदि हां तो इसके कारण तथा राशि क्या थी।	हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं सूचना तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार पार्टियों से वसूली न होने के कारण वित्त वर्ष के दौरान 9,67,972.00 (पुराने डेबिट शेष) को बट्टे खाते में डाला गया है।
3.	थर्ड पार्टियों के पास रखी इन्वेंट्रीज तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार के रूप में परिसंपत्तियों का क्या उचित रिकॉर्ड बनाया गया है।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तृतीय पक्ष के पास रखी गई इन्वेंट्रीज का उचित रिकार्ड बनाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त नहीं की गई है।

फ्री होल्ड/लीज होल्ड भूमि जहां सत्यापन हेतु टाईटल/लीज डीड स्पष्ट (क्लियर) नहीं है/उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्र /कार्यालय	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	क्षेत्रफल	टिप्पणियां
कारपोरेट कार्यालय	नई दिल्ली में आवासीय कालोनी के लिए भूमि	13,16,521	32.33 एकड़	एमएमटीसी तथा राज्य व्यापार निगम के संयुक्त नाम से लीज एग्रीमेंट है।
कारपोरेट कार्यालय	स्कोप काम्पलेक्स, नई दिल्ली स्थित लीज होल्ड भूमि	1,10,71,815	उपलब्ध नहीं	स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
भुवनेश्वर कार्यालय	आवासीय भवन, सड़के, पुलियां तथा बिजली के इंस्टालेशन	1,16,32,036	2 एकड़	पारादीप स्थित लीज होल्ड भूमि पर बनाए गए आवासीय भवन, सड़कों, पुलियों तथा बिजली की इंस्टालेशन की लीज़ दिनांक 21.11.2011 को समाप्त हो चुकी है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसका नवीकरण करना स्वीकार किया है। तथापि सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतिक्षित है।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंटस
एफआरएनः 500028 एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
एमआरएन : 081808

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 जुलाई 2016

**सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर दिनांक 27.05.2016 को प्रस्तुत की गई हमारी रिपोर्ट जिसमें (क) भूमि की टाईटल डीड तथा (ख) सरकार/अन्य से प्राप्त अनुदान पर टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की गई थीं।*

वर्ष 2015–16 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आडिटर्स रिपोर्ट में आडिटर्स की टिप्पणियों पर प्रबंधतंत्र के उत्तर

	आडिटर की टिप्पणी	मैनेजमेंट का उत्तर
	मामले पर बल	
ए.	हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या:6.2(3) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें आईसीइएक्स में किए गए निवेश को लाभ पर बेचने तथा आईसीईएक्स के शेयरों के राइट इश्यु सब्सक्रिप्शन के बाद आईसीइएक्स के 241.10 मिलियन रूपए के शेयर मूल्य में डिमिन्युशन के लिए राइट बैक का प्रावधान किया गया है।	वर्ष के दौरान कंपनी में रूचि अभिव्यक्ति के माध्यम से आईसीइएक्स् में अपनी 10 प्रतिशत इक्विटी को 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर 25 करोड़ रूपए के राइट इश्यु जारी किए जिन्हें इसके शेयरहोल्डर्स जैसे आर नेक्सट, आईबीएफएसएल तथा 10 अन्य व्यक्तिगत निवेशकों ने खरीद लिया था। इसके बाद इसकी नेटवर्थ में सकारात्मक सुधार हुआ तथा आशा है कि एक्सचेंज में फिर से परिचालन कार्य शुरू हो जाने के बाद इसकी ईपीएस भी पाजीटिव हो जाएगी। आईसीईएक्स ने सेबी को अपनी रिवाइवल प्लॉन सौंप दी है। इसके अलावा, दिसंबर 2015 में आईसीइएक्स ने अपने शेयरों का सेबी के रजिस्टर्ड श्रेणी–। के मर्चेंट बैंकर से वैल्युएशन कराया था जिन्होंने विभिन्न तरीकों के तहत आईसीइएक्स के 5/– रूपए के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य रूपये 10.3074 प्रति शेयर आंका था। तदनुसार मैनेजमैंट ने आईसीईएक्स में किए गए निवेश के मूल्य में डिमिन्युशन के लिए राइट बैक के प्रावधान पर विचार करना उपयुक्त समझा था।
बी.	हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं.16(ii)(बी) की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिसमें 609.90 मिलियन रूपए की रिटेंड राशि से 389.90 मिलियन रूपए की ब्याज आय माना गया है। इस राशि को ''व्हीट अकाउंट एफसीआई'' प्रोसीड्स से वर्ष 2014–15 के दौरान रिटेन किया गया था।	कंपनी को एफसीआई से इस राशि को रिकवर करना था जो वर्ष 1989 तथा इसके बाद की अवधि से बकाया थी। उच्चतर स्तर के अधिकारियों के समक्ष मामला लाने तथा निरंतर मामले को उठाए जाने के बावजूद एफसीआई ने एमएमटीसी के देय को सेटल नहीं किया। एमएमटीसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि यह मई 2014 में निर्यात किए गए गेहूं से प्राप्त हुई राशि से अपनी देय राशि की ब्याज सहित वसूली करे। तदनुसार 389.90 मिलियन रूपए की ब्याज राशि को वर्ष के दौरान आय माना गया है।
सी	हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या: 19(i) सी तथा टिप्पणी संख्या: 21 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिनमें नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में फंड आधारित तथा नानफंड आधारित कंपनी का एक्सपोजर दिया गया है।	टिप्पणी संख्या:19(i) सी के संबंध में कंपनी ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की ओर से वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में कारपोरेट गारंटी जारी कर रखी है ताकि एनआईएनएल को दिए गए लोन की मूल राशि तथा ब्याज की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जहां तक टिप्पणी संख्या: 9 का प्रश्न है, प्रबंधतंत्र को विश्व स्तर पर इस्पात उद्योग के रिवाइवल की आशा है। इसको यह भी उम्मीाद है कि एनआईएनएल को अलॉट हुई आयरन ओर की माइन के खनन के अधिकारों की क्लीयरेंस मिल जायेगी। जिसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में एनआईएनएल के वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार होने की आशा है।
डी	जी आर–1 फार्म में टाइम एकटेंशन/वेवर/राइट ऑफ के समय को न बढ़ाने के मामले से संबंधित, यदि कोई है तो,	यह वर्ष 1991–92 से लंबित जीआर से संबंधित है। कंपनी द्वारा जब कभी भी मांग होती है तो लायबिलिटी, यदि है तो, बनाकर

<table>
<tr><th colspan="2">आडिटर की टिप्पणी</th><th>मैनेजमेंट का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>हम आपका ध्यान स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की ओर आकर्षित करना चाहेंगे।</td><td>सेटल कर दी जाती है।</td></tr>
<tr><td>ई</td><td>हम संडरी डेटर्स/कलेम के अंतर्गत शेष के बारे में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या:38 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। रिकवरेब्ल्स/लोन्स तथा एडवांसेस/संडरी क्रेडिटर्स/अन्य लायबिलिटीज जिनकी कई मामलों में पुष्टि नहीं हो पायी है तथा परिणामस्वरूप जिसका समायोजन/एडजस्ट मेंट ऐसी पुष्टि होने पर आवश्यक है, यदि कोई है तो, एक्सेसबल नहीं है।</td><td>एमएमटीसी की खाता बहियों मे शेष की पुष्टि करने के लिए पार्टियों को पत्र लिखे गए हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इंडिकेटिड शेष को पुष्टि किया हुआ मान लिया जाएगा। तथापि पार्टी सामान्यतया ऐसी पुष्टि की सूचना नहीं देती है। क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसी कोई पुष्टि प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की गई है।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">स्वतंत्र आडिटर्स की रिपोर्ट का अनुलग्नक –1</td></tr>
<tr><td>1(iii)</td><td>नीचे दिये गए मामलों को छोडकर, अचल संपत्ति की टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है :
<table>
<tr><th>क्षेत्रीय कार्यालय</th><th>असेट का प्रकार</th><th>सकल मूल्य (रु)</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>कारपोरेट कार्यालय</td><td>दिल्ली में भूमि</td><td>13,16,521</td><td>लीज एग्रीमेंट एसटीसी के साथ जाइंट नाम में है</td></tr>
<tr><td>कारपोरेट कार्यालय</td><td>दिल्ली कार्यालय में भवन</td><td>3,26,37,459</td><td>ओनरशिप के कागजात उपलब्ध नहीं।</td></tr>
<tr><td>कारपोरेट कार्यालय</td><td>लीजहोल्ड</td><td>1,10,71,815</td><td>ओनरशिप के कागजात उपलब्ध नहीं।</td></tr>
<tr><td>भुवनेश्वर</td><td>आवासीय भवन, सड़कें, पुलिया तथा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेसन</td><td>1,16,32,036</td><td>वर्ष 2011 में लीज डीड समाप्त हो गई है।</td></tr>
</table></td><td>दिल्ली में भूमि की लीज डीड(एमएमटीसी आवास कालोनी) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एसटीसी) के साथ जाइंट नाम में है।

भूमि, कार्य एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय काम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए स्कोप को आबंटित की गई थी। अभी तक स्कोप तथा सरकार के बीच कोई कंवर्सजन डीड नहीं हुई है।

स्कोप को आबंटित भूमि पर भवन का निर्माण एनबीसीसी द्वारा किया गया है जिसमें आठ कोर हैं तथा बीस से अधिक सीपीएसयजू के कार्यालय हैं। एमएमटीसी को 75741 वर्ग फुट एरिया आबंटित हुआ था। अलॉटमेंट लेटर कंपनी के पास है। स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित किसी भी निवासी के पास स्कोप द्वारा दिये गए अलॉटमेंट लेटर के अलावा कोई लीज एग्रीमेंट नही है।

जहां तक क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर की लीज डीड समाप्त हो जाने का संबंध है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने इस लीज का 15 वर्षों के लिए नवीकरण कर दिया है। तथापि इसके लिए सरकार के अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।</td></tr>
<tr><td>2(iii)</td><td>हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार मैनेजमेंट द्वारा अपनाए जा रहे इनवेंटरीज के फिजिकल वेरिफिकेशन के तरीके को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा व्यापार के प्रकार को देखते हुए और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है।</td><td>सलाह को नोट कर लिया गया है। हमने इन्वेंटरीज के फिजिकल वेरिफिकेशन का एक मजबूत सिस्टम विकसित किया है।

आज की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी ने एनआईएनएल को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए 800 करोड़ रूपए तथा लोन की अदायगी के लिए 130 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि दी है तथा</td></tr>
</table>

	आडिटर की टिप्पणी	मैनेजमेंट का उत्तर
3	कंपनी ने अपनी एसोसिएट कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित लोन दिया है। (ii)हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार लोन देने के बाबत कंपनी के बीच कोई करार नहीं हुआ है, अतः इस पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं। (iii) चूंकि कंपनी तथा उधारकर्ता के बीच कोई करार नहीं है अतः हम ओवरड्यू राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं तथापि दिनांक 31 मार्च, 2016 को 9282.90 मिलियन रूपए की कुल राशि में से 1,300.00 मिलियन रूपए की राशि दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया देय थी।	इसके लिए एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 07.07.2015 को आयोजित अपनी 416वीं बैठक में अनुमोदन प्रदान किया है तथा इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अनुपालन में शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। तदोपरांत एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 27.05.2016 को आयोजित अपनी 425वीं बैठक में दिनांक 31.03.2017 तक के लिए 800 करोड़ रूपए का वर्किंग कैपिटल फाइनांस बढ़ाने तथा दिनांक 30.09.2016 तक 130 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि का अनुमोदन किया है। तदनुसार एमएमटीसी में 930 करोड़ रूपए (800 करोड़ रूपए. 130 करोड़ रूपए) की एनआईएनएल से कारपोरेट गारंटी प्राप्त की है। एनआईएनएल को दी गई वर्किंग कैपिटल सहायता को सुरक्षित किया जा सके। अतः एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के निदेशक मंडलों ने इस व्यवस्था का अनुमोदन किया है। एमएमटीसी द्वारा निर्धारित की गई ब्याज दर स्लैब के बारे में भी एमएमटीसी की बैंकिंग डिवीजन कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर औपचारिक सूचना भेजी गई है। तथापि चालू वर्ष में एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के बीच एक औपचारिक लोन एग्रीमेंट किया जायेगा।

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

वित्तीय विवरण

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ मिलियन में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	3				
शेयर पूंजी	3.1	**1,000.00**		1,000.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	**12,779.46**	**13,779.46**	12,591.95	13,591.95
गैर चालू देयताएं	4				
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.1	**186.68**		196.02	
दीर्घावधि प्रावधान	4.2	**1,789.57**	**1,976.25**	1,771.23	1,967.25
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**2,718.17**		2,866.49	
देय व्यापार	5.2	**9,214.64**		31,643.82	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**9,214.61**		8,450.78	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**1,100.03**	**22,247.45**	988.70	43,949.79
योग			**38,003.16**		**59,508.99**
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	6				
अचल परिसंपत्तियां	6.1				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**563.10**		576.76	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**3.92**		1.47	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**7.50**		0.05	
गैर चालू निवेश	6.2	**4,597.54**		4,456.57	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6.3	**2,292.97**		2,278.97	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**1,431.56**		1,332.13	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**30.99**	**8,927.58**	8.32	8,654.27
चालू परिसंपत्तियां	7				
वर्तमान निवेश	7.1	-	-		
इन्वेंट्रीज	7.2	**4,015.09**		3,194.04	
प्राप्य व्यापार	7.3	**8,277.45**		30,350.75	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**784.54**		1,637.74	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**12,456.31**		12,487.37	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**3,542.19**	**29,075.58**	3,184.82	50,854.72
योगः			**38,003.16**		**59,508.99**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**125,034.27**	182,842.82		
अन्य आय	9	**1,524.26**	**126,558.53**	1,249.91	184,092.73
कुल राजस्व			**126,558.53**		**184,092.73**
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**602.40**		1,222.05	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**115,976.63**		169,760.55	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**(822.20)**		(284.22)	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**2,014.72**		1,918.27	
वित लागत	14	**298.99**		170.21	
मूल्यह्रास तथा ऋणमुक्ति व्यय	4	**6.29**		178.17	
अन्य व्यय	15	**8,516.59**	**126,633.42**	10,759.57	**183,724.60**
कुल व्यय			**126,633.42**		**183,724.60**
विशिष्ट व असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ			**(74.89)**		**368.13**
विशिष्ट मदें (आय)/खर्च)	16		**(653.67)**		(230.55)
असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ			**578.78**		**598.68**
असाधारण मदें (आय)/खर्च)	17		-		-
कर पूर्व लाभ			**578.78**		**598.68**
कर व्यय					
– चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**61.00**		154.00	
पूर्व वर्षो में		**(2.80)**		(17.01)	
एमएटी		**(14.00)**		-	
– आस्थगित कर		**(14.00)**	**30.20**	(17.41)	119.58
अवधि के लिए लाभ			**548.58**		**479.10**
1 रुपए के अंकित मूल्य पर प्रत्येक इक्विटी शेयर से आय		असाधारण मदों से पूर्व (निवल कर)	असाधारण मदों के बाद (निवल कर)	असाधारण मदों से पूर्व (निवल कर)	असाधारण मदों के बाद (निवल कर)
बेसिक (₹ में)		**0.55**	**0.55**	**0.48**	**0.48**
डाइल्यूटिड (₹ में)		**0.55**	**0.55**	**0.48**	**0.48**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधारण मदों से पूर्व लाभ के लिए समायोजनः		**578.78**		598.68
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**1.14**		141.14	
मूल्यह्रासव ऋणमुक्ति व्यय	**46.29**		178.17	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**(156.07)**		38.46	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.83)**		(0.32)	
निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(100.00)**		-	
ब्याज आय	**(1,246.35)**		(982.06)	
लाभांश आय	**(124.45)**		(71.74)	
वित लागत	**299.72**		170.20	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दाव	**0.97**		299.96	
बट्टे खाते में डाली गई पूंजी डब्ल्यूआईपी	**-**		65.79	
संदिग्ध ऋणों/कर्जों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2.80**		12.36	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(247.04)**		(698.30)	
रिटन बैक देयताएं	**(79.97)**		(87.37)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**0.47**	**(1,603.33)**	0.67	(933.05)
		(1,024.55)		(334.37)
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इन्वेंट्रीज	**(822.20)**		(251.55)	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**22,064.82**		(12,620.86)	
ऋण व अग्रिम	**(153.01)**		(6,538.89)	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**(380.04)**		2,890.27	
देय व्यापार	**(22,182.48)**		17,115.18	
अन्य देयताएं	**754.49**		(3,191.41)	
प्रावधान	**165.54**	**(552.87)**	246.03	(2,351.23)
		(1,577.42)		(2,685.61)
प्रदत्त कर		**(56.06)**		(399.34)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(1,633.48)**		(3,084.95)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(44.71)**		(9.56)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**3.00**		0.40	
निवेश की खरीद				
निवेश की बिक्री	**200.13**			
प्राप्त किया गया ब्याज	**1,246.35**		982.06	
प्राप्त किया गया लाभांश	**124.45**	**1,529.22**	71.74	1,044.64
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,529.22**		1,044.64
ग. वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(148.32)**		(1,262.96)	
वित लागत	**(299.72)**		(170.20)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	**(300.89)**	**(748.93)**	(175.49)	(1,608.65)
वित्तीतय कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(748.93)**		(1,608.65)
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**(853.20)**		(3,648.96)
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरम्भिक शेष		**1,637.74**		5,286.70
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		**784.54**		1,637.74

टिप्पणी

1. **जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।**
2. **शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन एवं जमा कारपोरेट कार्यालय में किया गया।**
3. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष एवं जमा तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।**

	की समाप्ति पर	
ए. रोकड व रोकड समतुल्य	**2015-16**	**2014-15**
(क) उपलब्ध चेक व ड्राफट	**-**	0.99
(ख) उपलब्ध रोकड़	**0.31**	0.02
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष		
– चालू खाते में	**9.68**	44.35
– कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**328.24**	1,005.19
– 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**97.79**	221.80
– 3 माह से कम अवधि तक की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश	**-**	-
बी. अन्य बैंकों में अन्य शेष		
– मार्जिन राशि/लियन के तहत	**-**	-
– 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**348.38**	365.26
– 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	**0.14**	0.13
योग	**784.54**	1,637.74

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा नीतियां

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है तथा इन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के अंतर्गत 10 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर में स्थित है।

कंपनी मुख्यतः खनिजों का निर्यात तथा बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन आयात करती है। साथ ही यह कृषि बहुमूल्य धातुओं, कोल/कोक आदि का घरेलू व्यापार करती है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों तक फैली हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा कंपनीज ट्रांजिशनल (लेखा मानक) नियम 2006, कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के लेखा मानकों के ट्रांजिशनल प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अधिसूचित आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप आन गोईंग कंसर्न के रूप में बनाया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

ए. विक्रेताओं/क्रेताओं के साथ किए गए संविदा/करार के निष्पादन होने अथवा सरकार से आबंटन पत्र प्राप्त होने पर क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक रूप से निष्पादन हुआ है तो आंशिक रूप से किए गए निष्पादन को ही क्रय/विक्रय के रूप में लेखों में लिया जाता है।

बी. कुछ मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत (कैनेलाइज्ड) है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र के अंतर्गत 'सरकारी खाते मे' आयात किया गया है एवं क्रय/विक्रय को कंपनी के नाम से बुक किया गया है।

सी. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, जमा स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित है।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय सोने/चांदी को डिपॉजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ताओं के साथ हुए मूल्य निर्धारण के अनुसार हिसाब में लिया गया है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास डिपोजिट के तहत गोल्ड/सिल्वर के रूप में उपलब्ध स्टॉक को वर्तमान स्टॉक के रूप में हिसाब में लिया जाता है जिसे अनबिल्ड खरीद टाइटिल दिया जाता है और उसे वर्तमान देयताएं मानते हुए अनबिल्ड खरीद के लिए देय राशि दर्शाया जाता है। ऐसा करते समय वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन के मूल्यों को आधार माना जाता है। तथापि डिपाजिट में शेष पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी को पूर्व प्रदत्त व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विविध क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है। तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

डी. दस्तावेजों के टाइटल के ट्रांसफर द्वारा आयात के दौरान बिक्री अर्थात माल के भारत की कस्टम सीमा लांघने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के टाईटल के दस्तावेजों के ट्रांसफर पर हाई सीज़ बिक्री को लेखों में लिया जाता है।

ई. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसे कमोडिटी एक्सचेंज जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, के माध्यम से किए गए व्यापार को क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है।

एफ. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1 प्रतिशत की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

जी. निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

(ए) आईसीएआई द्वारा जारी एएस – 9 के प्रावधानों के अनुरूप कुछ मदों की वसूली क्योंकि अनिश्चित है अतः वास्तविक वसूली पर लेखों में शामिल की जाने वाली निम्नलिखित मदों के अतिरिक्त अक्रूअल आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है:–

i. टारगेट प्लस स्कीम के तहत टैक्स क्रेडिट, ड्यूटी क्रेडिट अथोराइजेशन, योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि।

ii. निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

iii. प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

iv. आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

बी. बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा दावों को लेखों में लिया जाता है।

सी. लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में ₹10,000/– के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में ₹5000/– की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियॉं

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास तथा मूल्य में किसी प्रकार की कमी को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां तथा जो न तो अचल परिसंपत्तियां और न भूमि कंपनी की है, के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

(ग) ऐसी आफिस लैंड/लैट्स/कल्वेर्टस, सीवरेज तथा ड्रेनेज की लागत, जिनके फाइनल प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा ऐसी परिसंपत्तियां जो निर्माणाधीन हैं। जिनकी लीज डीड निष्पादित की जानी है, को अस्थाई आधार पर लेखों में लिया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन काल पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए प्रावधानों के समान है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निपटान करने की तारीख तक किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों तथा लीजहोल्ड परिसंपित्तयों की ऋणमुक्ति भी मूल्यह्रास में शामिल है। सभी परिसंपत्तियों के शेष मूल्यो को 1 रूपया लिया गया है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल निम्नलिखित है:–

	परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन काल	अनुसूची II में दिया गया उपयोगी जीवन काल
ए.	**सामान्य परिसंपत्तिया**		
	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10	10
	कार्यालय उपस्कर	5	5
	वाहन		
	स्कूटर	10	10
	कार	8	8
	कम्प्यूटर्स		
	सर्वर व नेटवर्क	6	6
	एंड यूजर्स डिवाइसेस	3	3
	पट्टे की भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार	
	वेगन रैक्स	करार/वेगन निवेश योजना के अनुसार	
	पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक इंस्टालेशंस	10	10
	जल आपूर्ति, सीवेज तथा ड्रेनेज	5	5
	सड़कें		
	कारपेटिड सड़कें – आरसीसी	10	10
	कारपेटिड सड़कें – आरसीसी के अलावा अन्य	5	5
	नॉन कारपेटिड सड़कें	3	3
	कल्वर्ट्स	30	30
	बिल्डिंग्स		
	आरसीसी	60	60
	आरसीसी के अलावा अन्य	30	30
	आवासीय फ्लैट्स (बने हुए)		
	आरसीसी	60	60
	आरसीसी के अलावा अन्य	30	30
	अस्थायी ढांचे एवं लकडी के पार्टिशन	3	3
	वेयरहाउस/गोदाम	30	30
बी.	**निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां**		
	फैक्ट्री बिल्डिंग्स	30	30
	पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रोनिक इंस्टालेशंस	10	10
	जल आपूर्ति, सीवेज तथा ड्रेनेज	5	5
	प्लांट एवं मशीनरी		
	सिंगल शिफ्ट	15	15
	डबल शिफ्ट	10	10
	ट्रिप्पल शिफ्ट	7.5	7.5
	प्लांट एवं मशीनरी – अनवरत (विंड मिल)	22	22
सी.	**भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां तथा न ही अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।**	5	-
डी.	**अमूर्त परिसंपत्तियां**		
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	5	परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से अधिक (एएस 26 के अनुसार)
ई.	**कैलकुलेटर्स, दीवारघड़ी, रसोईघर के बर्तन तथा अन्य उपभोज्य वस्तुओं जैसे छोटे मूल्य की कुछ मदों जिनका उपयोगी जीवन काल सीमित होता है, को उनके खरीद वर्ष में ही सीधे राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार मोबाईल हैंडसेट्स को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।**		
एफ.	**अनुसूची–2 के प्रभावी होने की तिथि से, अनुसूची–2 के अनुसार परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास किया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति का शेष उपयोगी जीवन काल शून्य होता है तो अवशेष मूल्य को रखने के पश्चात रिटेंड अर्जन के आरंभिक शेष में कैरिंग राशि की पहचान की जाती है।**		

2.7 निवेश

ए. मूल्य में से स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

बी. निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

(i) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों (लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। लेन देन की तिथि की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए गैर मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(iii) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(iv) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है:–

ए. वर्तमान लेन देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबंद्ध में, अनुबंध की अवधि के उपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। अंतिम दर अथवा निपटान की तिथि की दर, यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तथा (ii) फारवर्ड अनुबंध के आरंभ होने की तिथि के पश्चात अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दरों के बीच विनिमय दर के अंतर के कारण हुई हानि/लाभ को वर्ष के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

ट. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

i. बहुमूल्य धातुएं

ii. धातुएं

iii. खनिज

iv. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

v. कृषि उत्पाद

vi. उर्वरक

vii. सामान्य व्यापार/अन्य

निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए एएस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान की जाती है।

गौण खंडः– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

1. भारत से बाहर

2. भारत के अंदर (भारत के आंतरिक ग्राहकों को हाईसीज बिक्री सहित)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स द्वारा जारी एएस 15 (संशोधित) के अनुसार वर्ष के अंत में एक्चुरियल वैल्युएशन का प्रोजेक्टिड यूनिट के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभों का प्रावधान परिभाषित अंशदान के आधार पर किया जाता है।

(iii) भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेशिया व नोटिस वेतन का भुगतान व्यय उसी वर्ष के राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का भौतिक सत्यापन

(i) स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। भौतिक रूप से सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ii) कुछ मामलों में जहां स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है।

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित किया जाता है। मूल्यांकन की विधि निम्नाननुसार है:–

क) निर्यात

i. निर्यात स्टॉक को लागत मूल्य का निर्धारण उस स्थान तक जहा स्टॉक पड़ा है पर हुए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुंचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii. खनिज अयस्कों के मामले में अयस्कों के वसूली योग्य मूल्य निर्यात अनुबंध के अनुसार एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क को भूमिगत स्टॉक इन्वेंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

i. आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय वेटिड औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहां शेष स्टॉक की वेटिड औसत लागत की गणना जहां माल रखा गया है वहां तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

ii. पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चांदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाए जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं

(ग) घरेलू

i. सोने/चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल के स्थानीय कर, औसत वेटिड लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/फेब्रीकेशन प्रभार, वेस्टेज तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

ii. तराशे और पॉलिश किये पत्थर तथा ज्वेलरी (तैयार/अर्धतैयार) के संबंध में जहां स्टॉक विशेष रूप से पहचान योग्य है, उस स्थान तक जहां माल रखा है वहां तक के समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है। वेस्टेज तथा अन्य प्रत्यक्ष निर्माण खर्च लागत में शामिल हैं।

iii. पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन 31 मार्च को निम्नतर लागत पर अथवा प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

iv. ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉक : फेब्रीकेटरों के पास रखे स्टाक को समायोजन तक कंपनी का स्टाक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार गत वर्ष अवधि से संबंधित व्यय/आय को "पूर्व अवधि समायोजन खाते" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यवसाय के सामान्य लेन–देन में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर होने वाले ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अपेक्षित प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को तर्कसंगत समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की कैरिंग लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को रिवर्स कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

(I) प्रावधान

(ए) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों से अधिक बकाया राशियों के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट आफ किए जाते हैं।

(बी) अन्यः

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

(ए) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(बी) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटलो होने की उम्मीद हो तथा

(सी) इस बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है ।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियाः

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। आकस्मिक देयताओं पर ब्याज, यदि कोई हो तो, को सामान्यतः लेखों की टिप्पणियों में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/इंस्टालेशन पूरा हो जाने पर उसे संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्त्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्त्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को घटाकर) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है। पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही जब परिचालन पट्टे को निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्त्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के खर्च में दर्शाया जाता है।

2.20 वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में दिए गए हैं तथा जब तक अन्यथा न कहा गया हो सभी मूल्यों को नजदीकी मिलियन में लिया गया है।

दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3 शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का रिकंसिलिएशन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. अधिकृत				
प्रत्येक 1/– रुपए समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
ख. इश्यूड्, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त				
आरंभिक शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
वृद्धि				
घटाएं: कटौती				
अंतिम शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	**1,000,000,000**	**1,000.00**

'वर्ष 2010–11 के दौरान, निगम के 50,00,000 शेयरों जोकि प्रत्येक ₹10/– मूल्य का था को ₹1/– प्रत्येक के मूल्य पर 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्य अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें प्रत्येक ₹1/– के मूल्य का सामान्य शेयर शामिल है। निगम के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानूनों के अनुसार निगम के सामान्य शेयर धारकों को निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

प्रोमोटर्स के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रोमोटर्स अर्थात भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2016 को 899,268,762 शेयर (गत वर्ष 899,268,762 शेयर) की थी जो 89.93 प्रतिशत (गत वर्ष 89.93 प्रतिशत) है।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
रिजर्व				
रिजर्व पूंजी – आरंभिक शेष	**0.69**		0.69	
जोड़ें : सामान्य रिज़र्व में अंतरित	**0.69**		-	
अंतिम शेष		**-**		0.69
सामान्य रिजर्व – आरंभिक शेष	**6,065.53**		5,965.53	
जोड़ें : रिजर्व पूंजी से अंतरित *	**0.69**		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**100.00**		100.00	
	6,166.22		6,065.53	
घटायें : कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**6,166.22**		6,065.53
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व – आरंभिक शेष	**0.13**		0.13	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
	0.13		0.13	
घटाएं : कटौती	**0.07**		-	
अंतिम शेष		**0.06**		0.13
रिसर्च एवं डवलेप्मेंट रिजर्व – आरंभिक शेष	**3.54**		3.54	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
	3.54		3.54	
घटाएं : कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**3.54**		3.54
योग (ए)		**6,169.82**		**6,069.89**
अधिशेष				
अधिशेष – आरंभिक शेष	**6,522.06**		6,448.82	
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित करने के पश्चात निवल लाभ	**548.58**		479.10	
जोड़ें : कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**0.07**		-	
जोडें : मूल्यह्रास का आरंभिक समायोजन	**-**		(4.97)	
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**7,070.71**		6,922.95	
विनियोग :				
अंतिम लाभांश	**300.00**		250.00	
लाभांश कर	**61.07**		50.89	
सामान्य रिजर्व	**100.00**		100.00	
योग (बी)		**6,609.64**		**6,522.06**
कुल योग (ए) + (बी)		**12,779.46**		**12,591.95**

(ए) वर्ष 2015–16 के दौरान ₹1/– मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.30 रुपए (गत वर्ष ₹0.25) की दर पर अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव है जिसकी कुल राशि ₹300 मिलियन (गत वर्ष ₹250 मिलियन) है।

(बी) वर्ष 1991 से पूर्व पूर्ववर्ती मिटको के लिए बनाए गए निवेश भत्ते रिजर्व से संबंधित है, जिसका एमएमटीसी में विलय हो गया है।

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
व्यापार देय				
– एमएसएमईज के अतिरिक्त अन्य	**106.87**		119.87	
– एमएसएमईज	**-**	**106.87**	-	119.87
अन्य				
– अन्य	**79.81**	**79.81**	76.15	76.15
कुल		**186.68**		**196.02**

4.2 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान				
i. छुट्टी नकदीकरण		**182.61**		247.92
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (ए+बी)		**1,280.33**		1,226.26
ओपन समूह (ए)	**807.52**		723.48	
क्लोज्ड समूह (बी)	**472.81**		502.78	
iii. अर्धवेतन अवकाश		**193.97**		198.44
iv. सेवा अवार्ड		**61.85**		47.70
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी		**1.62**		1.86
vi. अभ्रक कार्मिकों को विशेष लाभ		**22.72**		-
vii. कर्मचारी परिवार लाभ योजना		**46.47**		49.05
योग		**1,789.57**		**1,771.23**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण				
(i) सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**2,117.01**		1,617.27	
(ii) असुरक्षित	**601.16**	**2,718.17**	1,249.22	2,866.49
योग		**2,718.17**		**2,866.49**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।

बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य हैं।

कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. विविध लेनदार				
i. एमएसएमईज के अतिरिक्त अन्य	9,214.64		31,643.82	
ii. एमएसएमईज़	-	9,214.64	-	31,643.82
ख. देय बिल	**-**		**-**	
योग		**9,214.64**		**31,643.82**

ग्राहकों से प्राप्यों की वसूली न होने के कारण स्टीम कोल की खरीद के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को देय ₹ शून्य मिलियन (540.77 मिलियन रूपये) विविध लेनदारों में शामिल हैं।

संबंधित पार्टियों को देय ₹364.97 मिलियन (गत वर्ष ₹2725.82 मिलियन) शामिल है।

5.3 अन्य, चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
ए. अर्जित ब्याज परंतु उधार राशियों पर देय नहीं		**2.79**		4.92
बी. अर्जित ब्याज तथा उधार राशियों पर देय		**1.77**		3.28
सी. अन्य देय				
– फारवर्ड कवर बैंक को देय राशि	**1,921.51**		2,576.90	
घटायें: प्राप्य विदेशी मुद्रा	**1,856.00**		2,522.61	
	65.51		54.29	
– विविध लेनदार – अन्य	**206.95**		70.05	
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**517.40**		270.59	
– भुगतान न किए गए लाभांश	**0.59**		0.31	
– देय डिस्पैच	**14.51**		10.50	
– देय डेमरेज	**11.63**		4.41	
– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**1,055.66**		1,022.61	
– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**571.33**		349.63	
– कर तथा कर्मचारियों को देय लंबित राशि	**2,050.87**		1,987.66	
– वेतन व भत्ते	**5.51**		7.84	
– प्रशासनिक व्यय	**107.95**		93.77	
– कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**3.41**		6.14	
– बकाया खरीद के लिए देय राशि	**3,518.05**		3,150.90	
– अन्य (i)	**1,080.68**	**9,210.05**	1,413.88	8,442.58
योग		**9,214.61**		**8,450.78**

(i) पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण परियोजना को बंद करने के प्रमोटरों के निर्णय के परिणामस्वरूप संयुक्त उदयम कंपनी द्वारा एमएमटीसी के हिस्से के प्रति ₹54.65 मिलियन (गत वर्ष ₹54.65 मिलियन) का व्यय शामिल है।

5.4 अल्प अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
ए. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
i. बोनस/निष्पादन से जुड़ा वेतन		**101.52**		51.05
ii. अर्जित अवकाश		**32.65**		29.31
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (ए). (बी)		**97.60**		78.31
ओपन ग्रुप (ए)	**17.48**		12.55	
क्लोजिंग ग्रुप (बी)	**80.12**		65.76	
iv. अर्धवेतन अवकाश		**35.74**		28.93
v. ग्रेच्युटी		**1.84**		2.17
vi. माइका कर्मचारियों को विशेष लाभ		**1.23**		-
vii. सेवा अवार्ड		**14.15**		8.34
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी		**0.39**		0.33
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना		**10.16**		9.43
ख. अन्य				
i. कराधान	**61.00**		157.50	
ii. प्रस्तावित लाभांश	**300.00**		250.00	
iii. लाभांश वितरण कर	**61.07**		50.89	
iv. गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.47**		0.67	
v. विधिक निर्णयों के लिए प्रावधान	**382.21**	**804.75**	321.77	780.83
योग		**1,100.03**		**988.70**

6 गैर–चालू परिसंपत्तियां
6.1 स्थिर परिसंपत्तियां
6.1.1 मूर्त (टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास / हानि						निवल कैरिंग लागत	
	1-4-2015	वृद्धि	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2016	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	हानि / (हानि का रिवर्सल)	अनुयोग	कटोतियां / समायोजन	31.03.2016 को शेष	31-03-2016	31-03-2015
फ्रीहोल्ड भूमि													
–कार्यालय भवन	3.66	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	3.66	3.66
–स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	1.33	1.33
लीज होल्ड भूमि													
–कार्यालय भवन	39.60	-	-	-	39.60	12.63	0.50	-	13.13	-	13.13	26.46	26.97
–स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67	-	-	-	2.67	1.14	0.03	-	1.17	-	1.17	1.50	1.53
भवन													
–कार्यालय भवन	127.60	-	-	0.06	127.54	60.73	1.48	-	62.22	0.06	62.16	65.38	66.87
–स्टॉफ क्वार्टर्स	65.91	-	-	-	65.91	53.60	0.42	-	54.02	-	54.02	11.89	12.31
–जलापूर्ति मल,													
सीवरेज व ड्रेनेज	9.48	0.04	-	-	9.52	9.48	0.00	-	9.49	-	9.49	0.04	0.00
–विद्युत इंस्टॉलेशंस	18.42	8.91	-	-	27.33	16.72	0.35	-	17.07	-	17.07	10.27	1.70
–सड़कें व पुलियां	3.58	-	-	-	3.58	3.35	0.03	-	3.38	-	3.38	0.20	0.23
–ऑडियो / फायर /													
एयरकंडिशिनिंग	12.55	0.16	(0.02)	0.34	12.34	12.00	0.10	-	12.10	0.32	11.78	0.56	0.55
संयंत्र तथा उपस्कर	794.98	0.39	-	2.36	793.01	363.74	32.36	-	396.10	1.96	394.14	398.88	431.24
फर्नीचर तथा													
फिक्स्चर्स													
–पार्टिशंस	24.75	4.41	(11.96)	0.17	17.02	24.10	0.04	-	24.13	11.73	12.41	4.61	0.65
–अन्य	49.18	2.97	11.94	0.43	63.66	46.56	0.60	-	47.16	(11.21)	58.37	5.29	2.61
वाहन	21.03	1.94	-	4.17	18.80	20.16	0.32	-	20.48	4.17	16.32	2.49	0.86
कार्यालय उपस्कर	59.55	7.41	0.04	2.24	64.76	53.31	2.95	-	56.26	2.25	54.01	10.75	6.24
अन्य:													
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	-	553.64	553.64	0.00	-	553.64	-	553.64	0.00	0.00
बनीहट्टी पर रेलवे													
लूप लाइन	26.17	-	-	-	26.17	26.17	-	-	26.17	-	26.17	0.00	0.00
गोदाम	34.11	-	-	-	34.11	21.54	1.14	-	22.68	-	22.68	11.43	12.57
कम्प्यूटर /													
डाटा प्रोसेसर्स	181.62	7.89	-	2.84	186.67	174.19	5.34	-	179.53	1.22	178.31	8.36	7.44
कुल योग	**2,029.83**	**34.11**	**0.00**	**12.61**	**2,051.33**	**1,453.06**	**45.66**	**-**	**1,498.73**	**10.50**	**1,488.25**	**563.10**	**576.76**
विगत वर्ष	**2,025.34**	**9.01**	**-**	**4.51**	**2,029.83**	**1,274.85**	**75.79**	**106.87**	**1,457.50**	**4.43**	**1,453.06**	**576.76**	

ए. दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्ट्रेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ₹1.32 मिलियन (गतवर्ष ₹1.32 मिलियन) ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

बी. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के आवासीय फ्लैटों में ₹0.002 मिलियन (गत वर्ष ₹0.002 मिलियन) के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका औरिजनल मूल्य 31.03.2016 को 4.89 ₹मिलियन (गत वर्ष ₹4.89 मिलियन) का अंतरण लंबित है।

सी. जो भूमि निगम के स्वातमित्वै में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत ₹6.24 मिलियन है (गत वर्ष ₹6.24 मिलियन) और मूल्यह्रास ₹3.62 मिलियन (गत वर्ष ₹3.57 मिलियन) के मूल्यह्रास का प्रावधान है।

डी. जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत ₹0.66 मिलियन है (गत वर्ष ₹0.66 मिलियन)।

ई. पारादीप में लीजहोल्ड भूमि पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों के बिजली उपकरण व्यिवस्थापओं की लागत ₹11.63 मिलियन (गत वर्ष ₹11.63 मिलियन) जो 20.11.2011 को समाप्तक हो चुकी है तथा संचित मूल्यह्रास ₹6.59 मिलियन (गत वर्ष ₹6.44 मिलियन) है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण का अनुमोदन कर दिया है तथापि सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतिक्षित है।

एफ. निगम ने परिसंपत्तियों की हानि (रेलवे वैगन रैक्सि) का निर्धारण किया है तथा वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि / क्षति के लिए शून्य मिलियन ₹ का प्रावधान किया है। (गत वर्ष ₹106.87 मिलियन)

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लाक						परिशोधन						निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2015	परिवर्धन	व्यारपार के संयोजन द्वारा परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2016	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए परिशोधन	हानि (हानि का रिवर्सल)	उप योग	कटौतियां	दनांक 31.3.2016 को शेष	31-03-2016	31-03-2015
कंप्यूटर साटवेयर	2.55	3.09	-	-	-	5.64	1.08	0.63	-	1.71	-	1.71	3.92	1.47
योग	**2.55**	**3.09**	**-**	**-**	**-**	**5.64**	**1.08**	**0.63**	**-**	**1.71**	**-**	**1.71**	**3.92**	**1.47**
गत वर्ष	**2.41**	**0.14**	**-**	**-**	**-**	**2.55**	**0.60**	**0.48**	**-**	**1.08**	**-**	**1.08**	**1.47**	

6.1.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ मिलियन में)

	परिसंपत्तियां					मूल्यहरास / हानि						निवल कैरंग मूल्य	
	1-4-2015	परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2016	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यहरास	हानि / (हानि का रिवर्सल)	उप योग	कटौतियां3	1.03.2016 को शेष	31-03-2016	31-03-2015
(ए) माइका प्रभाग													
भवन													
- निर्माणाधीन भवन	6.71	-	-	-	6.71	6.71	-	-	6.71	-	6.71	(0.00)	-
- इलेक्ट्रीकल इंस्टालेसंस	6.70	-	-	-	6.70	6.70	-	-	6.70	-	6.70	-	-
- सड़के व पुलिया	0.47	-	-	-	0.47	0.47	-	-	0.47	-	0.47	(0.00)	-
फर्नीचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्लांट व उपकरण	13.80	-	-	-	13.80	13.80	-	-	13.80	-	13.80	-	-
(ए) अन्य													
भवन													
- निर्माणाधीन भवन	-	7.50	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	7.50	-
फर्नीचर	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
कुल	**27.73**	**7.50**	**0.05**	**-**	**35.18**	**27.68**	**-**	**-**	**27.68**	**-**	**27.68**	**7.50**	**0.05**
गत वर्ष	**93.12**	**0.41**	**-**	**65.79**	**27.73**	**27.68**	**-**	**-**	**27.68**	**-**	**27.68**	**0.05**	

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
I. व्यापार निवेश				
ए. निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स		**36.31**		36.31
बी. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अनेको ट्रेड हेतु)				
ए) सहायक कंपनियां				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 की दर से 1,461,502 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 की दर से 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**31.45**		31.45
बी) एसोशिएट्स				
i. नीलाचल इस्पात निगम लि. प्रत्येक ₹10 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष ₹10 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**3,796.85**		3,796.85	
ii. देवोना थर्मल पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्ये के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	-	**3,796.85**	0.13	3,796.98
सी) संयुक्त उद्यम				
i. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि. प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**0.03**		0.03
ii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि. प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**174.46**		174.46
iii. सीकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि. (2) प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**338.00**		338.00
iv. एमएमटीसी गीतांजली प्रा. लि. प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**29.87**		29.87
v. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. (3) प्रत्येक ₹5/– मूल्य् के 32,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹5/– मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त् इक्विटी शेयर)	**160.00**		260.00	
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	**160.00**	241.10	18.90
vi. टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 57200 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 57,200 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**0.57**		0.57
डी) अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटेक लिमिटेड प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाएं: निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**	**0.00**	47.50	0.00
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड प्रत्येक ₹1/– मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹1/– मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		-		30.00
iii. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (4) ₹1/– मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 77922 इक्विटी शेयर (गत वर्ष शून्य)		**30.00**		-
योग		**4,597.54**		**4,456.57**

(1) जिन परिसंपत्तियों को व्यापार निवेश के रूप में दर्शाया गया है उनका मूल्य ₹36.31 मिलियन है तथा यह संपत्ति का कैरिंग मूल्य है। (गत वर्ष ₹36.31 मिलियन)। इस संपत्ति को वर्ष के दौरान किराए पर दिया गया था, अतः इसे आईसीएआईओ द्वारा जारी एएस–13 के पैरा 3.4 के अनुसार निवेश संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है तथा इस पर मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

(2) कंपनी ने एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) में एमएमटीसी के संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में ₹338 मिलियन (गत वर्ष ₹338 मिलियन) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को अधिकृत नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववत्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु इस सुविधा में सुधार तथा बदलाव का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। शिपिंग मंत्रालय ने एसआईओटीएल को मना करने का प्रथम अधिकार देते हुए पुनः बोली करने का निर्णय किया है। प्रतिपूर्ति राशि का आकलन छूट करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जिसे सफल बोलीदाता (एसआईओटीएल के अतिरिक्त) के समक्ष बोली दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा जिसे यदि एसआईओटीएल प्रस्ताव को मैच करने से मना करती है तो इसका भुगतान करना होगा। तदनुसार प्रबंध – तंत्र द्वारा निवेश में किसी स्थायी ह्रास पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में आरंभिक तौर पर 52 मिलियन इक्विटी शेयर में निवेश की गई ₹260.00 मिलियन (एक्सचेंज में कंपनी की 26 प्रतिशत होल्डिंग) के प्रति वर्ष 2013–14 में ₹241.10 मिलियन का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी की मैनेजमेंट ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि के लिए रिर्टन बैंक का प्रावधान किया है।

I. कंपनी ने दिसंबर/जनवरी 2016 के दौरान 20 मिलियन इक्विटी शेयरों को अपने निवेश लागत के 100 प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया था।

II. एक्सचेंज ने फरवरी/मार्च 2016 में 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर राइट इश्यू जारी किया जो पूर्ण रूप से सब्सक्राइब हो गया था। (एमएमटीसी ने राइट इश्यु में भाग नहीं लिया)

III. एक्सचेंज ने रिवाईवल प्लान तैयार कर ली है तथा इसे एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद रगुलेटर (सेबी) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

IV. राइट इश्यु के बाद एक्सचेंज के नेटवर्थ में सकारात्मक सुधार हुआ है।

(4) यूनाईटिड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) में किए गए ₹30.00 मिलियन के निवेश के संबंध में दिनांक 1.4.2014 की नियुक्त तिथि से बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ यूएसई के विलय के लिए चालू वर्ष के दौरान यूएसई ने सेबी, सीसीआई तथा शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.04.15 को विलय की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। परिणामस्वरूप, यूएसई के 3,00,00,000 शेयरों के बदले निगम को बीएसई के 77,922 शेयर प्राप्त हो गए हैं। (अर्थात यूएसई में धारित प्रत्येक 385 शेयरों के लिए बीएसई का 1 शेयर)

(5) सभी नॉन करेंट निवेशों को मूल्य में स्थायी डिमिन्यूशन, यदि कोई है, के लिए लागत घटाकर प्रावधान किया जाता है। कंपनी का कोई भी कोटिड निवेश नहीं है। अनकोटिड निवेश 4608.73 मिलियन रुपए हैं (गत वर्ष 4708.86 मिलियन रुपए)। निवेश के मूल्यों में कुल डिमिन्यूशन के लिए 47.50 मिलियन रुपए का सकल प्रावधान किया है (गत वर्ष 288.60 मिलियन रुपए)।

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2015 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	वर्ष 2015–16 के दौरान क्रेडिट / (प्रभार)	दिनांक 31.03.2016 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)
मूल्यह्रास	(113.40)	2 .74	(110.66)
संदिग्ध् ऋणों के लिए प्रावधान	2,267.59	(2.60)	2,264.99
डीडब्ल्यूए जोखिम	0.23	(0.07)	0.16
वीआरएस व्यय	11.07	(6.04)	5.03
मुकदमेबाजी के निपटारों के लिए प्रावधान	111.36	20.91	132.27
सीएसआर के लिए प्रावधान	2.12	(0.94)	1.18
कुल	**2,278.97**	**14.00**	**2,292.97**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. कैपिटल अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	-		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**0.23**		0.50	
III. संदिग्ध	-		-	
अनुयोग	**0.23**		0.50	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**0.23**	-	0.50
ख. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**92.06**		106.31	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**59.18**		19.37	
III. संदिग्ध	**18.36**		18.76	
अनुयोग	**169.60**		144.44	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**18.36**	**151.24**	18.76	125.68
ग. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्यय सुरक्षित	-		-	
II. वसूली योग्यय असुरक्षित (i)	**291.13**		237.20	
अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	-		38.65	
III. संदिग्ध	-		-	
अनुयोग	**291.13**		275.85	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**291.13**	-	275.85
घ. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
पीएसयूज़/अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**120.14**		88.40	
अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**0.07**		0.03	
कर्मचारियों को ऋण	**153.62**		171.96	
II. वसूली योग्य, असुरक्षित				
पी.एस.यूज़/अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	-		0.32	
अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	-		0.00	
कर्मचारियों को ऋण	**83.46**		88.22	
अन्य	**161.06**		189.65	
III. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस, प्राप्त रिफंड तथा वैट सहित वसूली योग्य असुरक्षित)	**470.61**		391.52	
IV. संदिग्ध (ii)	**2,484.36**		2,491.43	
अनुयोग	**3,473.32**		3,421.53	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2,484.36**	**988.96**	2,491.43	930.09
योग		**1,431.56**		**1,332.13**

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म या प्राईवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर हैं अथवा निदेशक हैं अथवा सदस्य हैं, से ₹0.26 मिलियन (गत वर्ष ₹0.05 मिलियन) की राशि प्राप्य है।

(i) भारत में मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना विकास निधि के रूप में निगम द्वारा संयुक्त उपक्रम कंपनियों को अग्रिम के रूप मे दिए गए ₹291.10 मिलियन (गत वर्ष ₹237.09 मिलियन) मैसर्स फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. के ₹48.68 मिलियन (गत वर्ष ₹33.32 मिलियन) हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. के ₹218.65 मिलियन (गत वर्ष ₹180.00 मिलियन) तथा इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला परियोजना विकास प्रा. लि. के ₹23.77 मिलियन (गत वर्ष ₹23.77 मिलियन) शामिल हैं। इन पर ₹38.65 मिलियन का अर्जित ब्याज है जिसे दिनांक 31.03.2015 को ''अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं परंतु देय नहीं'' के रूप में दर्शाया गया है तथा इसको दिनांक 31.03.2015 को ''अन्य कंपनियों को अग्रिम –एफटीडब्ल्यूपीएल'' में शामिल किया गया है।

(ii) क) एनएसईएल के भुगतान दायित्वों के चूक के कारण विभिन्न कर्जदारों तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) के वसूली योग्य ₹2097.92 मिलियन (गत वर्ष ₹2097.92 मिलियन) शामिल हैं जिनके लिए वर्ष 2013–14 में पहले ही पूरा प्रावधान किया गया है। एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध निगम ने बाम्बे उच्च न्यायालय में विभिन्न केस दर्ज किए हैं तथा मामले की सुनवाई प्रगति पर है। फरवरी 2016 में भी एनएसईएल की मूल कंपनी फाइनेंशियल टेकनालॉजिस (एमटीआईएल) में इस वित्तीय आदेश के विरूद्ध एफटीआईएल ने सरकार के विरूद्ध मामला फाइल किया है। एमएमटीसी भी विलय का समर्थन करने वाले विभिन्न मामले में एक हस्तक्षेप करने वाली पार्टी है। सीबीआई ने भी मामला रजिस्टर किया है तथा जाचं प्रगति पर है।

ख) क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ₹51.00 मिलियन (गत वर्ष ₹51.00 मिलियन) के ऋण शेष का मिलान नहीं किया जा सका जिसके प्रति लेखों में पहले ही पूरा प्रावधान किया जा चुका है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य (परिसम्पत्तियों की हाइपोथिकेशन / टाईटल डीड्स तथा बैंक गारंटियों से मारगेज सुरक्षित)	**16.85**		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**14.14**		10.51	
iii. संदिग्ध माने गए	**3,753.92**		3,751.73	
अनुयोग	**3,784.91**		3,762.24	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य राशियां के लिए प्रावधान	**3,753.92**	**30.99**	3,753.92	8.32
कुल		**30.99**		**8.32**

7. चालू परिसम्पत्तियाँ

7.1 वर्तमान निवेश शून्य मिलिययन ₹ (गत वर्ष शून्य मिलियन ₹ में)

7.2 इन्वैंट्रीज

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. कच्चा माल	**205.89**		233.91	
ख. तैयार माल	**812.03**		358.50	
ग. स्टॉक–इन–ट्रेड	**2,997.17**		2,601.63	
(₹627.73 मिलियन (गत वर्ष ₹544.19 मिलियन) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल हैं।)				
घ. पैकिंग सामान	**-**	**4,015.09**	-	3,194.04
योग		**4,015.09**		**3,194.04**

जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

गुडस इन ट्राजिट सहित इन्वैंनट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2016 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया।

बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण ₹1.14 मिलियन (गत वर्ष ₹173.80 मिलियन) की हानि हुई जिसमें से शून्य मिलियन रूपय गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए बैक गत वर्ष ₹32.66 मिलियन आपूर्तिकर्त्ताओं / हैंडलिंग एजेंटों के हैं। तदनुसार उनके खाते में यह राशि डेबिट की गई है।

7.2 स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1) 21020 प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआरएस) तथा 21020 सत्यापित कार्बन यूनिट्स (वीसीयूज) जिनका मूल्यांकन ए एस –2 के अनुसार ₹0.8 मिलियन (गत वर्ष ₹0.78 मिलियन) किया गया है। अर्थात लागत अथवा सकल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।
2) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरएस की शून्य संख्या
3) मूल्यह्रास उत्सर्जन कमी उपकरणों की ओ एण्ड एम लागत के लिए ₹28.96 मिलियन राशि व्यय की गई।

7.3 ट्रेड प्राप्य (रिसिवेबल्स)

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**2,481.60**		529.92	
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	**2,401.10**		3,121.85	
iii. संदिग्ध	**205.57**		205.60	
	5,088.27		3,857.37	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**205.57**	**4,882.70**	205.60	3,651.77
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य (रिसिवेबल्स)				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**1,422.29**		3,553.63	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**1,972.46**		23,145.35	
iii. संदिग्ध	**-**		-	
	3,394.75		26,698.98	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**3,394.75**	-	26,698.98
योग		**8,277.45**		**30,350.75**

संबंधित पार्टियों से प्राप्ति योग्य ₹1417.04 मिलियन (गत वर्ष ₹1478.45 मिलियन) शामिल हैं।

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
– उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्ट्स		-		0.99
– उपलब्ध रोकड़		**0.31**		0.02
– बैंकों के पास शेष				
क) चालू खाते में	**9.68**		44.35	
ख) कैश क्रेडिट खाते में	**328.24**		1,005.19	
ग) तीन माह की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	**97.79**	**435.71**	221.80	1,271.34
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
– मार्जिन राशि के रूप में/लियन के अर्न्तगत	-		-	
– तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल परिपक्वता के सावधि जमा में	**348.38**		365.26	
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल परिपक्वता में	**0.14**	**348.52**	0.13	365.39
योग		**784.54**		**1,637.74**

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास ₹5.06 मिलियन (विगत वर्ष ₹4.78 मिलियन) शेष हैं।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में ₹0.59 मिलियन (विगत वर्ष ₹0.31 मिलियन) शामिल हैं।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटैंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	-		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**7,866.45**		7,191.48	
iii. संदिग्ध	-		-	
	7,866.45		7,191.48	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**7,866.45**	-	7,191.48
ख. अन्य				
i. रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
वसूली योग्य, सुरक्षित	**64.19**		79.36	
वसूली योग्य असुरक्षित*	**4,215.25**		4,992.82	
संदिग्ध	**50.03**		50.03	
	4,329.47		5,122.21	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**50.03**	**4,279.44**	50.03	5,072.18
ii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
वसूली योग्य–सुरक्षित	**0.01**		0.00	
वसूली योग्य–असुरक्षित*	**213.13**		41.79	
संदिग्ध	**4.77**		4.77	
	217.91		46.56	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.77**	**213.14**	4.77	41.79
iv. आयकर (इसमें अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा देय रिफंड तथा वैट शामिल हैं)				
वसूली योग्य–असुरक्षित		**97.28**		181.92
योग		**12,456.31**		**12,487.37**

(i) निदेशकों द्वारा देय ₹0.10 मिलियन (विगत वर्ष ₹0.10 मिलियन)

(ii) अगस्त 2012 से आगे की अवधि के लिए राज्य सरकारों के लिए खाद्य तेलों के आयात के प्रति प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्य ₹2913.75 मिलियन (गत वर्ष ₹3732.90 मिलियन) की सब्सिडी शामिल हैं। नियमित बजट तथा अनुपूरक मांग में निधियों का आबंटन न किए जाने के कारण यह राशि लम्बित है।

(iii) संबंधित पार्टियों से वसूली योग्य ₹7873.43 मिलियन (गत वर्ष ₹7195.57 मिलियन) शामिल हैं।

सूचीकरण (लिस्टिंग) करार की धारा 32 में आवश्यक ऋणों की पकृति में ऋणों व अग्रिमों के संबंध में विवरण

क) अग्रिमों की पकृति में एसोसिएट्स को दिए गए (ब्याज मुक्त) ऋण व अग्रिम (₹ मिलियन में)

ऋणग्राही (लोनी)	दिनांक 31.03.2016 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	₹शून्य मिलियन	₹0.5 मिलियन
	(गत वर्ष ₹0.07 मिलियन)	(गत वर्ष ₹1.28 मिलियन)

ख) ऋणग्राहियों (लोनीज) के द्वारा किए गए निवेश के विवरण: ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ रुपए)

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
आस्थगित प्रीमियम (क)	**24.14**		33.92	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	**3,518.05**		3,150.90	
	3,542.19		3,184.82	
घटाएं: संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	**-**	**3,542.19**	-	3,184.82
योग		**3,542.19**		**3,184.82**

(क) आयात से संबंधित है जिसकी पहचान बाद के लेखा वर्ष के लाभ व हानि खाते में की जाएगी।

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. उत्पादों की बिक्री		**124,344.04**		182,374.40
ख. सेवाओं की बिक्री		**262.41**		46.20
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
– अर्जित डिस्पैच	**0.73**		1.32	
– दावे	**185.90**		231.21	
– आर्थिक सहायता	**206.81**		-	
– अन्य व्यापारिक आय	**36.13**	**429.57**	195.25	427.78
		125,036.02		182,848.38
घटाएं				
घ. उत्पादों की बिक्री पर आरोपणीय आबकारी शुल्क	**1.75**	**1.75**	5.56	5.56
योग		**125,034.27**		**182,842.82**

बैक–टू–बैक आधार पर पावर यूटिलीटीज़ को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में संबंधित ऊर्जा संयंत्रो से मात्रा/गुणवत्ता की पुष्टि होने तक कुछ मामलों में अंतिम आधार पर बिक्री बुक की जाती है तथा इसका फाइनल रिकंसिलिएशन सीएचए/बैकअप आपूर्तिकार्ताओं के साथ किया जाता है। करार की शर्तों के अनुसार किसी प्रकार का अंतर, यदि कोई होगा तो वह आपूर्तिकर्ता/सीएचए के खाते में होने के कारण लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. अन्य आय

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. ब्याज				
– फिक्स डिपोजिट पर ब्याज	**32.03**		311.46	
– ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	**324.39**		40.15	
– अन्य (i)	**889.48**	**1,245.90**	646.25	997.86
ख. लाभांश				
– संयुक्त उपक्रम कम्पनी से लाभांश	**122.12**		52.34	
– अन्य	**2.33**	**124.45**	19.40	71.74
ग. अन्य गैर–प्रचालन आय (उक्त आय पर सीधे आरोप्य सकल व्यय)				
– स्टाफ क्वार्टर किराया	**5.15**		5.85	
– विविध प्राप्तियाँ (ii)	**68.17**		87.09	
– रिटन बैक देयताएं	**79.97**		87.37	
– विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	**0.62**	**153.91**	-	180.31
योग		**1,524.26**		**1,249.91**

(i) समय–समय पर एक असोसिएट कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को दी गई लघु अवधि लोन सुविधा पर ₹767.09 मिलियन (गत वर्ष ₹543.32 मिलियन) का ब्याज शामिल है।

(ii) नोट 6.2 'गैर चालू निवेश' के अंतर्गत दर्शाई गई बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स में निवेश संपत्ति से प्राप्त ₹15.02 मिलियन (गत वर्ष ₹24.18 मि. ₹) की किराया आय शामिल है।

10. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
कच्चा माल	**602.40**	1,222.05
उपभोगिय (कंज्यूम्एबल्स)	**-**	-
योग	**602.40**	**1,222.05**

11. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2015-16		2014-15	
क. क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	**66,107.11**		45,761.22	
धातुएं	**5,122.22**		8,999.58	
उर्वरक	**28,783.28**		79,829.77	
खनिज	**4,437.85**		15,914.18	
कृषि उत्पाद	**4,215.88**		2,674.07	
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**7,270.62**		15,835.33	
सामान्य व्यापार	**40.88**	**115,977.84**	839.03	169,853.18
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं	**(1.21)**		(6.65)	
अलौह धातुएं *	**-**	**(1.21)**	(85.98)	(92.63)
योग		**115,976.63**		**169,760.55**

* कॉपर के स्टॉक से संबंधित वसूली योग्य दावों के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है।

12. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	**10.60**		886.98	
अंतिम शेष	**938.54**		649.91	
तैयार माल की इन्वेंट्री में परिवर्तन		**(927.94)**		237.07
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	**3,183.43**		2,196.64	
अंतिम शेष	**3,077.69**		2,717.93	
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन		**105.74**		(521.29)
स्कल (वृद्धि/कमी)		**(822.20)**		**(284.22)**

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
वेतन तथा मजदूरी				
वेतन तथा भत्ते	**1,342.11**		1,282.59	
छुट्टी नकदीकरण	**114.70**		141.99	
बोनस	**0.89**		0.15	
परफॉरमेंस से जुडा वेतन	**55.40**		26.80	
चिकित्सा व्यय	**223.57**		222.08	
ग्रुप बीमा	**0.49**		0.73	
डीएलआईएस में अंशदान	**4.16**	**1,741.32**	3.23	1,677.57
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान				
भविष्य निधि	**102.44**		97.08	
ग्रेच्युटी निधि	**1.65**		13.97	
परिवार पेंशन योजना	**19.97**		17.99	
अधिवर्षिता लाभ	**83.38**	**207.44**	78.84	207.88
स्टाफ कल्याण व्यय		**65.96**		32.82
कुल		**2,014.72**		**1,918.27**

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
I. ब्याज व्यय	**291.87**	143.75
II. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	**7.12**	26.46
योग	**298.99**	**170.21**

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**1,798.77**		4,991.72	
डेमरेज	**8.51**		0.16	
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**663.55**		1,059.17	
एलसी नेगोशियेशन एवं अन्य प्रभार	**4.95**		10.57	
विनिमय में अंतर	**(166.73)**		41.20	
सीमा शुल्क	**5,629.38**		3,783.78	
बीमा	**2.81**		7.63	
गोदाम बीमा	**9.14**		6.92	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**10.90**		14.18	
पैकिंग सामग्री	**4.13**		8.18	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.47**	**7,965.88**	0.67	9,924.18
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स एवं स्पेअयर पार्ट्स की खपत	**-**		0.30	
ऊर्जा एवं इंधन	**1.97**		1.67	
किराया	**27.31**		26.17	
दरें एवं कर	**14.71**		17.25	
बीमा	**1.08**		1.09	
भवनों की मरम्मत	**76.44**		47.31	
मशीनों की मरम्मत	**0.45**		0.78	
मरम्मत एवं नवीकरण	**32.01**		18.31	
बिजली एव जल प्रभार	**37.07**		25.78	
विज्ञापन एवं प्रचार	**21.00**		16.56	
छपाई एवं स्टेशनरी	**6.31**		7.14	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**1.68**		2.99	
टेलीफोन	**16.14**		15.05	
टेलीकम्यूनिकेशन	**7.42**		6.90	
यात्रा	**35.67**		38.04	
वाहन	**19.24**		18.86	
मनोरंजन	**7.67**		6.74	
विधिक	**49.24**		48.48	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**6.36**		5.83	
बैंक प्रभार	**8.11**		3.97	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.50**		0.43	
ट्रेड/बिक्री प्रोमोशन	**5.33**		5.48	
कम्प्यूटर	**0.25**		0.18	
अंशदान	**3.85**		3.39	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**4.27**		7.54	
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**20.62**		22.03	
सीएसआर व्यय (ii)	**4.57**		4.68	
विनिमय में अंतर	**11.28**		(2.74)	
सेवा कर	**12.29**		8.54	
पूर्वावधि मदें (iii)	**6.39**		15.99	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**34.52**		6.86	
बट्टे खाते में डाले गए/निकाले गए (विदड्रान)				
अशोध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियां	**0.97**		299.96	
डोनेशन	**0.00**		-	
गोमिया कोल ब्लॉक पर व्यय	**-**		78.35	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2.80**		12.36	
विविध व्यय	**73.19**	**550.71**	63.11	835.38
कुल		**8,516.59**		**10,759.57**

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
लेखा परीक्षकों के रूप में	**3.21**	2.75
कराधान मामलों/कर लेखा परीक्षा के लिए	**1.41**	1.37
अन्य सेवाओं के लिए	**1.69**	1.66
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.05**	0.05
योग	**6.36**	**5.83**

(ii) सीएसआर व्ययः–

• उड़ीसा के जोडा/बड़बिल/क्योंझर/जाजपुर जिलों में पेय जल सुविधा स्थापित करने, शौचालय बनाने पर ₹4.05 मिलियन।

• उत्तर प्रदेश में घोंसी/जेटवारडिह में हैंड पंप लगाने पर ₹0.35 मिलियन।

• स्वच्छ गंगा अभियान के लिए ₹0.10 मिलियन।

कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर स्वैच्छिक आधार पर खर्च किया है जबकि कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी को सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना अपेक्षित नहीं था, क्योंकि कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ नहीं हुआ था। क.

क. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(₹ मिलियन में)

	रोकड़ में	रोकड़ में अभी भुगतान किया जाना है	योग
(क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ख) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन	3.29	1.21	4.50
(ग) विगत वर्ष के सीएचआर रिजर्व के प्रति	0.07	-	0.07

(iii) पूर्वावधि मदें

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
व्यय		
बिक्री की लागत	**(51.11)**	3.43
वेतन एवं मजदूरी	**0.30**	-
प्रशासनिक व्यय	**1.43**	1.63
ब्याज	**0.73**	(0.02)
अन्य	**8.09**	3.06
अनुयोग	**(40.56)**	8.10
आय		
बिक्री	**(51.75)**	0.29
ब्याज	**0.45**	(15.79)
अन्य प्राप्तियां	**4.35**	7.61
अनुयोग	**(46.95)**	(7.89)
कुल (सकल)	**6.39**	**15.99**

16. असामान्य मदें

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वेंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**1.14**	141.14
स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.83)**	(0.32)
चोरी के कारण हानि	**-**	3.54
दीर्घावधि निवेश का निपटान (i)	**(100.00)**	-
मुकदमों का निपटारा (ii)	**(306.94)**	323.39
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है (iii)	**(247.04)**	(698.30)
कुल	**(653.67)**	**(230.55)**

(i) आईसीईएक्स के पांच ₹ के अंकित मूल्य वाले, 2 करोड़ (10%) शेयरों को ₹5 के अधिमूल्य पर बेचने से हुआ लाभ दर्शाता है।

(ii) यूरिया के आयात से संबंधित निष्पादन बैंक गारंटी को रोके जाने के विरूद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा फाइल किए गए दावे के प्रति कंपनी के विरूद्ध मध्यस्थता निर्णय के संबंध में ₹33.45 मिलियन (गत वर्ष ₹321.77 मि.) की देयता शामिल है। निगम द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को में इस निर्णय को चुनौती दी गई जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध निगम ने अब माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन फाईल की है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। तथापि, दिनांक 31.03.2016 तक दावे (₹230.17 मि.), ब्याज (₹134.89 मि.) तथा अन्य लागत आदि (₹17.15 मि.) के प्रति ₹352.21 मि. की कुल देयता का प्रावधान किया गया है।

(ख) गेहूं खाता एफसीआई की निर्यात आय के प्रति निगम द्वारा रोकी गई ₹609.90 मि. की राशि में से एफसीआई से वसूली योग्य बकाया देय पर ओवरड्यू ब्याज

के विरूद्ध उपयोग की गई ₹389.90 मिलियन की राशि का क्रेडिट शामिल है, वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान एफसीआई से अन्य वसूली योग्य राशि के लिए ₹220 मि. का पहले ही उपयोग कर लिया गया है। जहां राशि को रोके जाने को उक्त कार्यवाही का एफसीआई द्वारा विरोध किया जा रहा है वहीं निगम ने यह निर्णय किया है कि वसूली योग्य एवं ब्याज आय राशि के प्रति रोकी गई राशि का उपयोग कर लिया जाये।

(iii) • ग्राहक से बकाया राशि की वसूली हो जाने पर अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹221.35 मिलियन) के प्रावधानों को हटाया जाना शामिल है। वर्ष 2014–15 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तथा नोट 15(बी) में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के रूप में दर्शाए गए ऋणों के संबंध में किए गए शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹284.53 मिलियन) के प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, भी इसमें शामिल हैं।

• ''सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना'' को परिभाषित अंशदान योजना में परिवर्तित किये जाने के परिणामस्वरूप हटाए गए शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹145.85 मिलियन) के अधिक प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।

• शत प्रतिशत अधिमूल्य पर आईसीईएक्स की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी (स्टेक) की बिक्री के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आईसीईएक्स में किए गए निवेश में स्थायी ह्रास के लिए किए गए ₹241.10 मि. (गत वर्ष शून्य मि. ₹) के प्रावधान को हटाना भी इसमें शामिल है।

17. असाधारण मदें

18. लाभ व हानि विवरण से संबंधित अतिरिक्त सूचनाः

i. आयात का मूल्य

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
आयातों का सीआईएफ मूल्य		
गुड्स इन ट्रेड	**90,812.98**	136,045.70
कच्चा माल	**602.40**	1,222.05
योग	**91,415.38**	**137,267.75**

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ मिलियन में)

व्यय	2015-16	2014-15
जानकारी (नो हाऊ)	**0.13**	-
ब्याज	**0.54**	2.60
विदेशी कार्यालय	**16.00**	5.49
विदेशी दौरे	**5.67**	4.12
डिस्पैच/डैमरेज	**18.00**	88.37
लदान पोर्ट निगरानी प्रभार	**8.63**	11.72
वाचमैन प्रभार	**0.20**	0.04
समुद्री भाड़ा	**356.19**	675.43
गंतव्ययी भार तथा विश्लेषण जोखिम	**-**	4.09
अन्य मामले	**15.76**	25.59
योग	**421.12**	**817.45**

iii. विदेशी मुद्रा में आय

(₹ मिलियन में)

आय	2015-16	2014-15
निर्यात किए गए माल का एफओबी मूल्य	**6,761.88**	22,937.86
डिस्पैच/डैमरेज	**63.04**	32.70
अन्य	**-**	26.29
योग	**6,824.92**	**22,996.85**

iv. कच्चा माल, पुर्जों एवं घटकों का उपयोग

(₹ मिलियन में)

अर्जन	2015-16		2014-15	
	कच्चा माल	पुर्जों एवं घटकों का उपभोग	कच्चा माल	पुर्जों एवं घटकों का उपभोग
आयातित				
i. मूल्य	**602.40**	**-**	1,222.05	-
ii. कुल के प्रतिशत के रूप में	**100.00**	**-**	100.00	-
घरेलू				
i. मूल्य	**-**	**-**	-	-
ii. कुल के प्रतिशत के रूप में	**-**	**-**	-	-
कुल मूल्य	**602.40**	**-**	**1,222.05**	**-**

19. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नहीं)

i) आकस्मिक देयताएं

ए) करार के निष्पादन के प्रति निगम की ओर से बैंक द्वारा ग्राहक के पक्ष में ₹1120.67 मि. (गतवर्ष ₹2039.36 मि.) की गारंटियां तथा शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹404.00 मि.) की कारपोरेट गारंटियां जारी की गईं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं के ₹1255.78 मिलियन (गत वर्ष ₹3764.60 मिलियन) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गईं हैं।

बी) एनआईएनएल को दिए गए ऋण के संबंध में मूलधन तथा ब्याज की राशि प्राप्त करने के लिए एक एसोसिएट कंपनी, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर निगम द्वारा वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में ₹14605.60 मिलियन (गत वर्ष ₹14693.70 मिलियन) की कारपोरेट गारंटी दी गई। एक बैंक द्वारा एनआईएनएल को दिए गए ₹1800.00 मिलियन के ऋण के संबंध में निगम द्वारा कम्फर्ट लेटर भी जारी किया गया। जिसके प्रति निगम द्वारा ₹900.00 मि. की कारपोरेट गारंटी दी गई है। निगम के बैंक खाते से प्रत्येक माह ₹25.00 मि. डेबिट करने ऋण की अवधि अर्थात एनआईएनएल द्वारा अक्तूबर 2014 में लिए गए ऋण से 4 वर्ष के दौरान उसी बैंक में बनाए गए एनआईएनएल के चालू खाते में क्रेडिट करने के लिए निगम द्वारा बैंक को प्राधिकृत करने के साथ साथ स्थायी आदेश भी जारी किए गए हैं। दिनांक 3.03.2016 को उक्त स्थायी अनुदेश के प्रति ₹750.00 मिलियन की बचनबद्धता थी।

सी) वर्ष 2008–09 में एनआईएनएल (एसोसिएट कंपनी) को आगे बिक्री करने के लिए कोकिंग कोल के आयात हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ निगम ने एक क्रय करार किया था। करार का निष्पादन न किए जाने के कारण आपूर्तिकर्ता ने मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित किया। ₹5216.80 मिलियन (दिनांक 31.03.2016 को ₹66.27 की दर से 78.72 मिलियन अमरीकी डालर) तथा दिनांक 31.03.2016 तक इस राषि पर ₹3304.55 मिलियन के ब्याज/लागत के लिए एमएमटीसी के विरूद्ध निर्णय दिया गया। निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी गई परन्तु माननीय न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। इस निर्णय के विरूद्ध निगम ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई की अगली तिथि 18.07.2016 है।

चूंकि वरिष्ठ वकीलों की विधिक राय के अनुसार आपूर्तिकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए निगम का मामला मजबूत है इसलिए विधिक कार्यवाही का परिणाम आने तक प्रबंधतंत्र ने दिनांक 31.03.2016 को अपनी लेखा बहियों में लगभग ₹8520.99 मिलियन की मांग राशि के लिए प्रावधान करने का निर्णय लिया है। निगम द्वारा प्राप्त की गई विधिक राय के अनुसार यदि इस दावे के प्रति कोई देयता होगी तो इसका वहन केवल एनआईएनएल द्वारा ही किया जायेगा। संदर्भित विवाद के कारण होने वाली किसी देयता को वहन करने की विधिक स्थित के विषय में निगम ने एनआईएनएल को किए अपने पत्राचार में पुनः दोहराया है।

डी) कंपनी के विरूद्ध ₹4614.32 मिलियन (पिछले वर्ष ₹3439.48 मिलियन) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

ई) निगम द्वारा साख पत्र खोले गए तथा ₹1869.19 मि. (गत वर्ष ₹238.77 मि.) बकाया शेष हैं।

एफ) ₹2342.94 मिलियन (पिछले वर्ष ₹2248.73 मिलियन) के विवादित बिक्रीकर मांग जिसके लिए ₹181.17 मिलियन (पिछले वर्ष ₹183.53 मिलियन) जमा कराये गये और ₹0.67 मिलियन (पिछले वर्ष ₹0.67 मिलियन) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

जी) ₹613.02 मिलियन (गत वर्ष ₹701.79 मिलियन) की विवादित मांग के प्रति ₹455.56 मिलियन (गत वर्ष ₹373.70 मिलियन) जमा किए गए।

एच) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में ₹942.72 मिलियन (पिछले वर्ष ₹849.45 मिलियन) की सेवा कर मांग।

आई) विभाग द्वारा ₹7.59 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन ₹) की टीडीएस मांग।

जे) वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान विलंबित भुगतान के लिए एक ग्राहक को बैक–टू–बैक आधार पर कोयले की आपूर्ति के संबंध में बढ़े हुए रेलवे भाड़े अस्वीकृत बैंक सेम्पलिंग, अस्वीकृत रेक तथा ब्याज के प्रति स्टीम कोल एक बैक–टू–बैक आपूर्तिकर्ता ने ₹504.30 मिलियन (गत वर्ष ₹504.30 मिलियन) का दावा किया है जिस पर ग्राहक द्वारा विवाद किया गया है।

के) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2016 को असमाप्त बांडो की राशि ₹6842.98 मिलियन (गत वर्ष ₹9372.80 मिलियन) है। जिनमें से कंपनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में ₹58.28 मिलियन (गत वर्ष ₹47.41 मिलियन) के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा अपील फाइल की गई है।

एल) स्थायी मार्जिन आधार पर बैक–टू–बैक शर्तों से एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पावर युटिलिटीज को निगम से आपूर्तित स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी/ब्याज/दण्ड आदि के लिए कस्टम विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से ₹1902.44 मिलियन (गत वर्ष ₹351.21 मिलियन) की मांग की है! इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों कोलकाता एवं मुंबई ने अपनी खाता बहियों में क्रमशः ₹174.82 मिलियन (गत वर्ष ₹174.82 मिलियन) तथा ₹215.61 मिलियन (गत वर्ष ₹251.61 मिलियन की फर्म देयता दिखाई है। कस्टम ड्यूटी के प्रति किसी भी देयता का वहन बैक अप आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

एम) ₹193.17 मिलियन (गत वर्ष ₹193.17 मिलियन) की आबकारी शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) के विरूद्ध कंपनी ने पहले ही सीईएसटीएटी में अपील फाईल की हुई है।

एन) विधिक राय के सुझाव के आधार पर निगम ने दावे का विरोध किया है।

ओ) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

पी) कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करने के कारण तथा आकस्मिक देयता के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो यह अनिश्चेय है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

II वचनबद्धताएंः

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि ₹7.41 मिलियन (पिछले वर्ष शून्य मिलियन ₹) की राशि का प्रावधान नही किया गया।

सामान्य प्रकटनः–

20. कंपनी द्वारा बिना बिल के खरीदे गये निम्नमलिखित माल को अपने पास जमा रखा गया है और जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी संख्या 7.6) तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी संख्या 5.3) में दिखाया गया है।

(₹ मिलियन में)

मदें	31-03-2016		31-03-2015	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण	521.00	1,368.71	1,064.00	2,630.66
स्वर्णाभूषण	-	-	-	10.23
चांदी	63,661.03	2,149.34	14,792.11	510.01

21. क) निगम द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मी.टन इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में 49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति ₹3796.85 मिलियन गत वर्ष ₹3796.85 मिलियन) का निवेश भी किया है। (नोट 6.2)

ख) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर निगम द्वारा इसे ₹8000 मिलियन की लघु अवधि क्रेडिट सुविधा दिए जाने के साथ–साथ इसको ऋणों के पुन भुगतान के लिए एक मुश्त ₹1300 मिलियन दिए जा रहे हैं। इसके प्रति व्यापारिक प्राप्यों के अंतर्गत ₹1417.03 मिलियन (गत वर्ष ₹1478.45 मिलियन) (नोट 7.3) तथा लघु अवधि ऋणों व अग्रिमों के अंतर्गत (नोट 7.5) ₹7866.44 मिलियन (गत वर्ष ₹7191.48 मिलियन) शेष हैं जिनका सकल योग ₹9283.48 मिलियन (गत वर्ष ₹8669.93 मिलियन) है।

ग) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों/अन्य के पक्ष में निगम ने ₹14605.60 मिलियन (गत वर्ष ₹14693.70 मिलियन) की कारपोरेट गारंटी भी दी है तथा बैंक को स्थायी अनुदेश जारी किए हैं कि वह ऋण की अवधि अर्थात अक्तूबर 2014 से चार वर्षो के दौरान प्रति माह ₹25 मिलियन एनआईएनएल के खाते में क्रेडिट कर दे जिसके प्रति दिनांक 31.03.2016 को ₹750 मिलियन की शेष बाध्यता है (नोट 19(1)(ख)

घ) एनआईएनएल को हानि हो रही है (वित्त वर्ष 2015–16 के लिए बिक्री के 30.67 प्रतिशत की सकल हानि) तथा दिनांक 31.03.2016 को एमएमटीसी को देय राशि को छोड़ कर उनके वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹11315.62 मिलियन की सकल परिसंपत्तियां हैं। वैश्विक इस्पात में अपेक्षित पुनरुत्थान तथा एनआईएनएल को आबंटित लौह अयस्क खदान के खनन अधिकार की अपेक्षित स्वीकृति पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र द्वारा निवेश को खरा (गुड) माना है।

22. 1993–94 से पूर्वावधि से संबंधित जीआर–I फार्मों के संबंध में देय तिथि के पश्चात् बकाया राशि निगम ने प्राधिकृत डीलरों को समय विस्तार/छोड़ने के लिए (वेवर)/बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन पर निर्णय होने तक देयता, यदि कोई हो तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने ₹19.31 मिलियन (गत वर्ष ₹19.01 मिलियन) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत ₹0.30 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन ₹) की राशि जमा करवाई गई है तथा ₹10.30 मिलियन (पिछले वर्ष ₹10.30 मिलियन) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हैं।

23. हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है।

24. लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अधीन कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये जाते है :–

i अवकाश नगदीकरण – सेवा से अलग होने के समय पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नगदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवाया जा सकता है।

ii सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)– 'परिभाषित अंशदान योजना' के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर तथा ओपीडी में चिकित्सा के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है।

iii ग्रेच्युटी – सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर समस्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

(iv) दीर्घ सेवा लाभ – कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं:–

(क) अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने पर कार्मिकों को दीर्घ सेवा के लिए प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु ₹3500/– की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर कार्मिक के आश्रितों को एक मुश्त ₹50,000/– राशि की सहानुभूति ग्रेच्युटी देय होती है।

(ग) जिस कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है उस कार्मिक के आश्रितों को अधिवार्षिता की सैद्धांतिक तिथि तक कर्मचारी लाभ परिवार योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। मृत्यु के समय 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अंतिम देय मूल वेतन व मंहगाई भत्ते के 40% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा ₹12000/– होती है, इसी प्रकार 20 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले के लिए अंतिम देय मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 50% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा ₹12000/– होती है।

(घ) सेवानिवृत्ति पर माईका प्रभाग के कर्मचारियों को ₹500000/– (अधिकारी वर्ग), ₹400000/– (स्टाफ वर्ग) तथा ₹3,00000/– (कामगार वर्ग) का विशेष लाभ दिया जाता है।

(v) भविष्य निधि : वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त/भुगतान किए जाने वाले भविष्य निधि के अंशदान की लाभ व हानि विवरण में पहचान की जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट की शर्तों में इस प्रकार का भी प्रावधान है कि अगर ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर के साथ–साथ सांविधिक दर की तुलना में से किसी प्रकार की कमी आ रही हो तो नियोक्ता उसका वहन करके पूरा करेगा। फंड्स की परिसंपत्तियों तथा निवेश पर लाभ को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में किन्ही अन्य दायित्वों का निगम द्वारा पूर्वानुमान नहीं किया जाता।

(vi) पेंशन योजना – वर्ष के दौरान कंपनी ने परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए लाभ व हानि विवरण में ₹83.38 मिलियन (गत वर्ष ₹78.84 मिलियन) दर्शाए हैं।

(vii) लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं:–

(क) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	दिनांक 01.04.2015 को अनुमानित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	782.69	277.00	227.11	116.69
(ii)	ब्याज लागत	62.62	22.16	18.17	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	6.33	8.89	8.67	
(iv)	प्रदत्त लाभ	91.46	149.74	17.40	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	(13.72)	56.95	(6.84)	41.90
(vi)	31.03.2016 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv+v)	746.46	215.26	229.71	158.59

(ख) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गए व्ययः–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	सेवा लागत	6.33	8.89	8.67	-
(ii)	ब्याज लागत	62.62	22.16	18.17	-
(iii)	योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	62.83	-	-	-
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	(13.72)	56.95	(6.84)	41.90
(v)	लाभ/हानि खातों में दर्शाए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	(7.61)	88.00	20.00	41.90

(ग) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्यो में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1.4.2015 को योजनागत परिसपंत्तियों का उचित मूल्य	785.68
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	62.83
नियोक्ता द्वारा अंशदान	1.28
प्रदत्त लाभ	91.46
बीमांककीय लाभ/(हानि)	-
31.3.2016 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	758.33

वर्तमान एवं विगत अवधि के लिए ग्रेच्युटी राशि निम्नलिखित हैः–					
	2015 -16	2014 -15	2013 -14	2012 -13	2011 -12
परिभाषित लाभ दायित्व	746.47	782.71	764.72	756.55	704.92
योजनागत परिसंपत्तियां	758.33	785.68	779.54	759.88	709.04
अधिशेष (घाटा)	11.86	2.97	14.82	3.34	4.13
अगले वित्त वर्ष के लिए अपेक्षित अंशदान	3.91	-	-	-	-
योजनागत देयताओं पर एक्सपीरियंस समायोजन–(लाभ/हानि)	(13.72)	19.66	(3.14)	24.10	26.29
योजनागत परिसंपत्तियों पर एक्सपीरयेंस समायोजन लाभ/हानि	-	-	-	-	-

(घ) बीमांककीय अनुमान

(₹ मिलियन में)

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2016 को
(i)	छूट दर (प्रतिवर्ष)	8.00%
(ii)	भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00%
(iii)	सेवानिवृत्ति आय	60 Years
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	आई ए एल एम (2006–08)
(v)	निकासी दरें	आयु अनुसार 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत

(ड़) ग्रेच्युटी के मामले में, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए निगम ने एलआईसी से पालिसी ली हुई है तथा एलआईसी द्वारा किए गए बीमांककीय मूल्यांकन के आधार पर व्ययों को दर्शाया जाता है।

viii सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

क. परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार दिनांक 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी के 1.50 प्रतिशत की दर से तथा सेवारत कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन महंगाई भत्ते के 4.50 प्रतिशत की दर से वर्ष 2015–16 की देयता की गणना की गई है।

ख. निधि के प्रबंधन के लिए न्यास बनाए जाने तक दिनांक 31.03.15 को देयताओं के साथ–साथ वर्तमान वर्ष के अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2016 को निगम की देयता के रूप में दर्शाया गया है तथा निपटान से एक वर्ष पहले होने के कारण देयताओं के वर्तमान मूल्य में वर्ष के दौरान 8.50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अंशदान जोड़ा गया है।

ग. वर्ष के दौरान ₹139.78 मिलियन (गत वर्ष ₹149.49 मिलियन) के कुल व्यय को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

24 (क) लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों में खनिजों, बहुमूल्य–धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादो, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्य– की पहचान की है। सेकेंडरी सैगमेंटों की पहचान भारत की भीतरी व बाहरी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्न–'क' में इसका विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है।

25. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथानिर्धारित एवं प्रमाणित)

(क) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

i.	श्री वेद प्रकाश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – प्रबंध निदेशक
ii.	श्री राजीव जयदेव	निदेशक
iii.	श्री एम. जी. गुप्ता	निदेशक – (मुख्य वित्तीय अधिकारी)
iv.	श्री आनंद त्रिवेदी	निदेशक
v.	श्री पी. के. जैन	निदेशक
vi.	श्री अश्विनी सोंधी	निदेशक (दिनांक 06.01.2016 से)

ख) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल), सिंगापुर

ग) एसोसिएट्स
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

घ) संयुक्त उद्यम

- फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
- हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
- एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड
- इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
- सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
- टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
- ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.

ख. वर्ष 2014–15 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी		एसोशिएट्स		संयुक्त उद्यम		प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
माल की खरीद	5504.53	11295.95	4399.43	8401.64	5618.63	6119.32			15522.59	25816.91
माल की बिक्री	1206.96	2848.69	4796.80	6433.07		1468.94			6003.76	10750.70
प्राप्त लाभांश					122.12	52.34			122.12	52.34
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त						19.75			-	19.75
कारपोरेट गारंटियां			14605.60	14693.70					14,605.60	14693.70
अन्य भुगतान डेमरेज/डिस्पैच	0.08	0.05	33.82		0.14				34.04	0.05
पारिश्रमिक							20.84	22.24	20.84	22.24
प्राप्य	6.83	3.94	9283.48*	8669.93*			0.35	0.15	9290.66	8674.02
देय	361.74	2719.91	3.12	3.12	0.10	2.79			364.96	2725.82

* इसमें 'अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम' नोट नं. 7.5 के अंतर्गत ₹7866.44मिलियन (गत वर्ष ₹7191.48 मिलियन) तथा 'ट्रेड प्राप्य' नोट नं. 7.3 के अंतर्गत ₹1417.04 मिलियन (गत वर्ष ₹1478.45 मिलियन) दिखाए गए हैं।

26. प्रति शेयर अर्जन

(₹ मिलियन में)

विवरण	2015-16		2014-15	
	असा–धारण मदों से पूर्व	असा–धारण मदों के बाद	असा–धारण मदों से पूर्व	असा–धारण मदों के बाद
कर पश्चात लाभ (मिलियन ₹ में)	548.58	548.58	479.10	479.10
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन)	1000	1000	1000	1000
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹1/– प्रति शेयर) (गत वर्ष अंकित मूल्य ₹1/– प्रति शेयर)	0.55	0.55	0.48	0.48

27. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट'/लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में निगम के स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व पूंजीगत वचनबद्धताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसंपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत वचन–बद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	26	भारत	168.13	164.81	0.66	0.62	0.07	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	26	भारत	1571.83	953.94	64019.12	63819.99	2920.99	39.19
3	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	भारत	1696.96	1359.10	-	-	49.88	7.88
4	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि.	26	भारत	67.08	48.23	73.74	76.28	2.25	-
5	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16	भारत	61.21	55.12	1.14	13.07	-	-
6	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	भारत	0.03	0.09	-	0.08	-	-
7	ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.'	18	भारत	-	-	-	-	-	-

* कंपनी ने दिनांक 31.03.2016 तक संयुक्त उपक्रम कम्पनी की इक्विटी में निवेश नहीं किया है।

28. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों की हानि जैसाकि मानक लेखा (एएस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसपंत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य में

हानि के लिए वर्ष के दौरान शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹106.87 मिलियन) की राशि का प्रावधान किया है।

29. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2016 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.67	0.67	0.47	0.47
बोनस/पीआरपी	51.05	5.82	56.29	101.52
कराधान के लिए प्रावधान	157.50	157.50	61.00	61.00
प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00	300.00	300.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	50.89	50.89	61.07	61.07
मुकदमों के निपटान के लिए प्रावधान	321.77	-	60.44	382.21

30. मिंट बिक्री लेन देन के विषय में निगम ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध ₹314.02 मिलियन (गत वर्ष ₹314.02 मिलियन) जिसमें ₹29.49 मिलियन (गत वर्ष ₹29.49 मिलियन) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, की वसूली के लिए दावा किया है जिसका निर्णय कंपनी के पक्ष में किया गया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध ₹1671.97 मि. (गत वर्ष ₹1671.97 मि.) की हानि के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

31. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निर्देशों पर निगम ने दालों का आयात किया था। आरंभ में सरकार ने पहुंच लागत (लैंडिड कास्ट) के 15 प्रतिशत तक की हानि तथा सीआईएफ मूल्य के 1.2 प्रतिशत की दर से व्यापारिक मार्जिन की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी थी। सीपीएसयू के प्रतिवेदन पर सितम्बर 2015 को आयोजित की गई बैठक में सीसीईए ने वर्ष 2007–2011 के दौरान आयात की गई दालों की पहुंच लागत (लैंडिड कास्ट) पर 20 प्रतिशत तक की हानि तथा योजना की वैधता (31.03.2011) के अंदर परन्तु 30.09.2011 से पहले बेची गई आयातित दालों पर भी 20 प्रतिशत हानि की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया। उपभोक्ता मामलों के विभाग को एमएमटीसी ने ₹399.75 मिलियन की कुल राशि का दावा किया जिसके प्रति अभी ₹192.90 मिलियन का दावा शेष है तथा ₹206.85 मिलियन के शेष दावे की वसूली वर्तमान वर्ष के दौरान कर ली गई है। जनवरी 2016 में प्रतिपूर्ति दावे के प्रति ₹104.76 मिलियन की राशि की प्राप्ति हो गई थी।

32. आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध ₹18.89 मिलियन (पिछले वर्ष ₹18.89 मिलियन) का एक दावा लंबित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य भुगतानों के रूप में ₹3.61 मिलियन (पिछले वर्ष ₹3.61 मिलियन) को ध्यान में रखते हुए लेखा में ₹15.28 मिलियन (पिछले वर्ष ₹15.28 मिलियन) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम को इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लंबित है। एसोसिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर किया है। एसोसिएट ने भी विवाद निपटारा समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा है।

33. वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल (तांबा) की आपूर्ति किए बिना ₹36.08 मिलियन (गत वर्ष ₹34.03 मिलियन) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चौनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तथापि भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से बैंक को रोके रखने के लिए निगम ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की उस अन्य खेप के मास्टर बिल ऑफ लेडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ₹85.98 मिलियन (गत वर्ष ₹85.98 मिलियन) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार कर सकता है। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है। (एमयूएम)

34. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से ₹37.52 मिलियन (गत वर्ष ₹37.52 मिलियन) मूल्य के कॉपर की दो शिपमेंट्स के जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया गया। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है।

35. वर्ष के दौरान निगम ने निम्नलिखित लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है

i सामान्य सूचना 1 में निगम के प्रमुख कार्यकलापों को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय पैराग्राफ के अंत में 'कृषि उत्पाद, बहुमूल्य धातुएं, कोल/कोल आदि के घरेलू व्यापार' शब्दों को शामिल किया गया है।

ii निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए कर्मचारी लाभों से संबंधित लेखा नीति 2.10 (i) के अंत में वर्ष के अंत में किए गए बीमाकंक मूल्यांकन में प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट प्रणाली अपनाई गई है! बीमाकंक लाभ/हानियों को लाभ व हानि के विवरणों में प्रभारित किया जाता है, शब्दों को शामिल किया गया है।

iii स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित लेखा नीति 2.5 के बिन्दु (ग) में इन शब्दों को शामिल किया गया है – 'जहां अंतिम बिल अभी प्राप्त किए जाने हैं अथवा परिसंपत्ति निर्माणाधीन है/लीज डीड अभी निष्पादित की जानी है, वहां कार्यालय भूमि/भवन/फलैटस/पुलियां, सिवरेज तथा जल निकासी की लागत को अंनतिम रूप से लेखों में लिया जाता है'' लेखा नीति के एक भाग के रूप में इसे टिप्पणी संख्या 6.1.1 की टिप्पणी के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों का निगम पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

36. निगम के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार ऐसे कोई भी सूक्ष्म (माइक्रो) छोटे व मध्यम उद्यम नहीं हैं जिनके विरूद्ध कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2016 को बकाया शेष देय हों।

37. कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006 का अनुपालन किया गया है। कंपनी की बड़ी संख्या में लेनदेन व विविध कार्यकलाप हैं जिनका उक्त नियमों के अंतर्गत कड़ाई से पालन करने से परिचालन कठिनाइयां आई हो। किसी प्रकार के उल्लघंन को कंपनी की लेखा, नितियों में वर्णित किया गया है।

38. शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखे गए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि वे शेष की पुष्टि करें अथवा निर्धारित तारीख तक अपनी टिप्पणी भेजें अन्यथा पत्र में दिए गए शेष को कंफर्म्डक माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो गए हैं। किसी भी पार्टी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नही हुई है।

39. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक अपने निजी प्रयोग के लिए ₹2000 प्रति माह का भुगतान करके 1000 किमी. प्रति माह तक स्टाफ कार का उपयोग कर सकते हैं।

40. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया रिग्रुप/रि–कास्ट किया गया है।

41. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

लेखों की टिप्पणियों संख्या 24(क) का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2015–16 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण

(प्राथमिक प्रकटन)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15
बाहरी बिक्री						
– भारत में	**70503.79**	51457.71	**3279.98**	3321.93	**340.07**	1798.93
– भारत के बाहर			**2301.03**	6291.16	**4424.69**	14411.00
योग (क)	**70503.79**	51457.71	**5581.01**	9613.09	**4764.76**	16209.93
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत में						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व (क+ख)	**70503.79**	51457.71	**5581.01**	9613.09	**4764.76**	16209.93
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**56.58%**	28.21%	**4.48%**	5.27%	**3.82%**	8.89%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**23.17**	584.76	**146.85**	77.89	**-92.35**	-50.72
– भारत के बाहर			**55.41**	175.62	**113.72**	283.69
कुल खण्डीय परिणाम	**23.17**	584.76	**202.25**	253.51	**21.37**	232.97
गैर–आवंटित आय के सकल						
गैर–आवंटित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/आय						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**5095.89**	2539.25	**1385.36**	8019.27	**1162.65**	2107.37
गैर–आवंटित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**4095.35**	1230.28	**766.04**	930.21	**1017.19**	1784.11
गैर–आवंटित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**0.39**	0.32				
गैर–आवंटित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**2.80**	2.80				131.96
गैर–आवंटित मूल्यह्रास						
कुल मूल्यह्रास						
मूल्यह्रास के अलावा गैर–रोकड़ व्यय						

(₹ मिलियन में)

व्यापार खंड									
कोल व हाइड्रोकार्बन कृषि उत्पाद		कृषि उत्पादों		उर्वरक		सामान्य व्यापार/अन्य		कुल	
31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15
11230.09	21238.22	**3565.12**	703.48	**28843.96**	79967.17	**115.96**	931.54	**117878.98**	159418.97
			2293.92					**6725.72**	22996.07
11230.09	21238.22	**3565.12**	2997.40	**28843.96**	79967.17	**115.96**	931.54	**124604.70**	182415.04
11230.09	21238.22	**3565.12**	2997.40	**28843.96**	79967.17	**115.96**	931.54	**124604.70**	182415.04
9.01%	11.64%	**2.86%**	1.64%	**23.15%**	43.84%	**0.09%**	0.51%	**100.00%**	100.00%
118.30	163.67	**945.09**	200.73	**-8.35**	-210.90	**54.78**	87.31	**1187.49**	852.74
			29.65					**169.12**	488.96
118.30	163.67	**945.09**	230.38	**-8.35**	-210.90	**54.78**	87.31	**1356.61**	1341.70
								1731.86	1597.13
								(375.25)	(255.43)
								291.87	143.75
								1245.90	997.86
								30.20	119.58
								548.58	479.10
								548.58	479.10
9551.42	9917.65	**4551.43**	6501.79	**3315.73**	21143.06	**705.28**	4488.12	**25767.78**	54716.51
								12235.38	4792.48
								38003.16	59508.99
7202.98	10607.72	**1374.01**	520.64	**1090.51**	21767.96	**262.72**	430.74	**15808.80**	37271.66
								8414.90	8645.38
								24223.70	45917.04
								0.39	0.32
								44.31	9.24
								44.70	9.56
						28.90	28.90	**31.71**	163.66
								14.58	14.51
								46.29	178.17
								3.51	706.43

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क' जारी.....
वर्ष 2015–16 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण
(सकेंडरी प्रकटन)

(₹ मिलियन में)

विवरण	भौगोलिक खंड					
	भारत के बाहर		भारत के भीतर		कुल	
	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**6,725.72**	22,996.07	**117,878.98**	159,418.97	**124,604.70**	182,415.04
अंतर खण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**6,725.72**	22,996.07	**117,878.98**	159,418.97	**124,604.70**	182,415.04
खण्ड परिणाम	**169.12**	488.96	**1,187.49**	852.74	**1,356.61**	1,341.70
खण्ड परिसंपत्तियां	**760.66**	1,689.22	**25,007.12**	53,027.29	**25,767.78**	54,716.51
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**0.39**	0.32	**0.39**	0.32

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते के विवरणों की रचना करने वाली सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के भाग II के पैरा 5 के अनुरूप कुल व्यापार/क्रय के सकल मूल्य के 10 प्रतिशत अथवा अधिक का माल मूल्य मिलियन रुपए में

1. प्रयुक्त कच्चा माल

(₹ मुल्य मिलियन में)

	2015-16	2014-15
स्वर्ण मडालियन	602.40	1222.05

2. व्यापार किया गया (ट्रेडिड) माल

(₹ मुल्य मिलियन में)

	क्रय		विक्रय	
	2015-16 ₹	2014-15 ₹	2015-16 ₹	2014-15 ₹
स्वर्ण	34687	34136	37807	37319
यूरिया	28282	77878	25305	77976

3. उपलब्ध करवाई गई सेवाएं

(₹ मुल्य मिलियन में)

	2015-16 ₹	2014-15 ₹
पार्सल हैंडलिंग प्रभार	34.52	31.83
अन्य	262.41	14.37

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

(सिंगापुर में निगमित. पंजीकरण संख्याः 199407265 एम)

वित्तीय विवरण

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
निदेशकों की रिपोर्ट
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकगण के मतानुसार

(क) पृष्ठ 4 से 22 में दिए गए वित्तीय विवरण कंपनी की 31 मार्च 2016 को सही व वास्तविक वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं तथा वित्तीय विवरणों में कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी की इक्विटी तथा कैश फ्लो में हुए परिवर्तन को दर्शाते हैं; तथा

(ख) स्टेटमेंट की तारीख को इस बात की पुष्टि के पर्याप्त आधार हैं कि कंपनी अपने ऋणों का, जब कभी वे देय होते हैं, भुगतान करने में सक्षम हैं।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं

वेद प्रकाश

राजीव जयदेव

मदन गोपाल गुप्ता

आनंद त्रिवेदी

प्रवीन कुमार जैन

अश्वनी सौंधी

राजेन्द्र प्रसाद

दीपक कुमार दुआ

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य किसी कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया जाना हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा वर्ष के अंत में कंपनी किसी भी ऐसी व्यवस्था की पार्टी नहीं थी जिसका उद्देश्य कंपनी में कार्यरत निदेशकों में से किसी भी निदेशक को कंपनी या संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में हिस्सेदारी लेने के लिए सक्षम बनाना हो।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत कंपनी के जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एलएलपी, ने पुनः नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

निदेशकों की ओर से

राजेन्द्र कुमार
निदेशक

दीपक कुमार दुआ
निदेशक

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों, जो पृष्ठ संख्या 4 से 22 में दिए गए हैं, की लेखापरीक्षा की है जिनमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष का तुलन–पत्र, कम्प्रीहेंसिव आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त रूप एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

सिंगापुर कम्पनी अधिनियम (दि एक्ट) तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रबधतंत्र उत्तरदायी है। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं इस प्रकार की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली तैयार करना व बनाए रखना जो उचित आश्वासन प्रदान कर सके, जिसमें परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा विस्थापन क्षति से सुरक्षित रखा गया है और लेनदेन को उचित रूप से अधिकृत किया गया है और उन्हें आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है ताकि लाभ व हानि खाते व तुलनपत्र और संपत्तियों के प्रति उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए सत्य व सही स्थिति प्रकट हो सके।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा के लिए सिंगापुर मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाने के साथ–साथ इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि समुचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणाली शामिल है। चयनित प्रणाली लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखेबाजी अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन समाहित रहता है। इस प्रकार के जोखिमों का आकलन करते समय उचित लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। परन्तु इसका उद्देश्य लागू आंतरिक नियंत्रण के प्रभावीकरण पर अपनी राय देना नहीं होता है। प्रयुक्त लेखा नीतियों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार हैं।

मत

हमारी राय में कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों, इक्विटी में परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाह की इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं।

अन्य विधिक तथा रेगुलेटरी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारे मतानुसार लेखों तथा रिकार्ड रखने से संबंधित अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए, कंपनी द्वारा लेखों एवं रिकार्ड को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, उचित प्रकार से रखा है।

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एलएलपी

पब्लिक एकाउंटेंट्स एण्ड सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स

सिंगापुर

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
कम्प्रीहेंसिव आय विवरण
31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
रिवेन्यु	3	**108,278,496**	248,019,455
अन्य आय – नेट	4	**490,015**	918,931
शुद्ध मुद्रा विनिमय लाभ		**4,112**	12,108
व्यय			
– पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		**(105,622,789)**	(247,002,626)
– भाड़ा लागत		**(2,244,766)**	-
– कर्मचारी मुआवजा	5	**(682,590)**	(850,343)
– मूल्य ह्रास	12	**(7,421)**	(40,825)
– किराया व्यय – ओपरेटिंग लीज		**(113,602)**	(130,779)
– बैंक चार्ज		**(49,867)**	(97,189)
– वित्तीय व्यय	6	**(64,280)**	(285,966)
– अन्य व्यय	7	**(300,748)**	(403,296)
कुल व्यय		**(109,086,063)**	(248,811,024)
आयकर से पूर्व लाभ/(हानि)		**(313,440)**	139,470
आयकर (व्यय)/क्रेडिट	8	**34,830**	(9,618)
कर पश्चात लाभ/(हानि) तथा कुल कंप्रीहेंसिव आय		**(278,610)**	**129,852**

संलग्न नोट भी इस वित्तीय स्टेटमेंट का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च, 2015 को

	टिप्पणी	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	9	**15,549,790**	15,601,440
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	10	**5,783,598**	44,654,265
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	**42,966**	100,708
इन्वेंट्रीज		**5,933**	5,478
		21,382,287	60,361,891
नॉन–करेंट परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	12	**8,573**	15,740
		8,573	15,740
कुल परिसंपत्तियां		**21,390,860**	60,377,631
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देयताएं	13	**5,868,723**	37,622,328
ऋण	14	**155,375**	7,074,653
चालू आयकर देयताएं	8	**1,857**	37,135
कुल देयताएं		**6,025,955**	44,734,116
निवल परिसंपत्तियां		**15,364,905**	15,643,515
इक्विटी			
शेयर पूंजी	16	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड लाभ		**14,364,905**	14,643,515
कुल शेयरधारकों की इक्विटी		**15,364,905**	15,643,515

संलग्न नोट भी इस वित्तीय स्टेटमेंट का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	शेयर पूंजी यूएस डालर	रिटेंड लाभ यूएस डालर	योग यूएस डालर
वर्ष 2016			
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	1,000,000	14,643,515	15,643,515
कुल कम्प्रीहेंसिव आय	-	(278,610)	(278,610)
वित्त वर्ष के अंत में	**1,000,000**	**14,364,905**	**15,364,905**
वर्ष 2015			
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	1,000,000	14,513,663	15,513,663
कुल कम्प्रीहेंसिव आय	-	129,852	129,852
वित्त वर्ष के अंत में	**1,000,000**	**14,643,515**	**15,643,515**

संलग्न नोट भी इस वित्तीय स्टेटमेंट का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
रोकड़ प्रवाह विवरण
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**(278,610)**	129,852
के लिए समायोजनः			
आय कर (क्रेडिट)/व्यय		**(34,830)**	9,618
मूल्यह्रास		**7,421**	40,825
ब्याज आय		**(246,235)**	(274,284)
ब्याज व्यय		**64,280**	285,966
		(487,974)	191,977
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः			
इन्वेंट्रीज		**(455)**	-
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य		**38,863,116**	(27,962,715)
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**57,742**	47,934
व्यापारिक एवं अन्य देय		**(31,753,605)**	29,062,507
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त नकद		**6,678,824**	1,339,703
प्रदत्त आयकर		**(448)**	(14,457)
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त शुद्ध रोकड़ निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		**6,678,376**	1,325,246
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		**(254)**	(54,208)
प्राप्त ब्याज		**253,786**	286,958
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त शुद्ध रोकड़ वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		**253,532**	232,750
प्रदत्त ब्याज		**(64,280)**	(285,966)
उधार से आमद		**155,375**	7,074,653
उधार से की अदायगी		**(7,074,653)**	(8,097,055)
वित्तीय कार्यकलापों (में प्रयोग) शुद्ध रोकड़		**(6,983,558)**	(1,308,368)
रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष में शुद्ध (ह्रास)/वृद्धि		**(51,650)**	249,628
वित्त वर्ष के आरंभ में रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष		**15,601,440**	15,351,812
वित्त वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	9	**15,549,790**	15,601,440

संलग्न नोट भी इस वित्तीय स्टेटमेंट का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः – 3 रैफल्स प्लेस, #08–10 भारत बिल्डिंग, सिंगापुर – 048617

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल गोल्ड एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (''एफआरएस'') के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंध–तंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2015 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस (''आईएनटी एफआरएस'') की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी दिनांक से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटीएफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इन नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही इसने वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला हैं।

2.2 राजस्व पहचान

सामान्यतः निगम के कार्यकलापों में माल की बिक्री से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य प्रतिफल का उचित मूल्य राजस्व में शामिल है। राजस्व को माल व सेवा कर, छूट व डिस्कांउट को घटाकर दर्शाया जाता है।

राजस्व की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई हैः

क) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान शिपमैंट शर्तों के अनुरूप उत्पादों की डिलीवरी करने के बाद की जाती है।

ख) फ्रेट–इन्कम

फ्रेट इन्कम की गणना प्रायः संबंधित करार की शर्तों के ऊपर की जाती है। पूरी फ्रेट इन्कम तथा फ्रेट कीमत की पहचान प्राप्त हुई फ्रेट सेवाओं के अनुसार की जाती है (पूरा होने का प्रतिशत)। पूरा होने के प्रतिशत की गणना डिस्चार्ज से डिस्चार्ज विधि द्वारा की जाती है। इस विधि के अनुसार फ्रेट इन्कम तथा रिलेटिड लागत की आय विवरणों में पहचान चार्टर पार्टी के अनुसार पोत की प्रस्थान तिथि से कार्गो की डिलिवरी (डिस्पैच) के हिसाब से की जाती है। लेखा वर्ष के अन्त में जारी पोतों की वे यात्राएं जो कि अगली लेखा अवधि में पूरी होगी के लिए फ्रेट इन्कम तथा फ्रेट संबंधी लागत की गणना रिपोर्टिंग तिथि को पूरी होने वाली यात्रा की अनुमानित अवधि के प्रतिशत के अनुसार की जाएगी।

ग) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

घ) डैमरेज आय

यदि डैमरेज का दावा बने रहने की संभावना है तो दी डैमरोज आय की पहचान की जाएगी।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर (''विदेशी मुद्रा'') के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए यूएस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ या हानि में दर्शाया जाता है।

2.4 बैंक शेष
व्यापार तथा अन्य प्राप्य
जमा (क्रमशः)

बैंक शेष तथा व्यापार व अन्य प्राप्यों और जमा की पहचान आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उस समय डिरिकॉग्नाइन्ड किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से कैश फ्लो प्राप्त करने के अधिकार की वैद्यता समाप्त हो गई हो या स्थानान्तरित हो गई हो तथा कम्पनी द्वारा तदोपरान्त स्वामित्व के सभी जोखिम व एवार्ड स्थानान्तरित कर दिए गए हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री पर कैरिंग अमाउण्ट तथा सेल प्रोसीड के बीच होने वाले अन्तर की पहचान लाभ अथवा हानी के रूप में की जाती है। परिसंपत्ति से संबंधी अन्य कम्प्रीहेन्सिव आय में इससे पूर्व पहचान की गई राशि को पुनः लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

वे व्यापारिक प्राप्य जो बैंको तथा दूसरी वित्तीय संस्थानों में कंपनी रिकोर्स के साथ उत्पन्न होते हैं, तब तक डि–रिक्ग्नाइज नहीं किए जाएंगे तब तक कि रिकोर्स की अवधि समाप्त नहीं हो जाती तथा प्राप्यों के जोखिम तथा अवार्ड पूरी तरह से स्थानान्तरित नहीं हो जाते। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त कोरेस्पोंडिंग कैश को ऋण के रूप में दर्ज किया जाता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोशित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी रोकड़ प्रवाह के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

2.5 आयकर

वर्तमान आय की गणना आयकर विभाग को अपेक्षित भुगतान तथा आयकर विभाग से अपेक्षित वसूली के हिसाब से की जाती है। जिसके लिए तुलन–पत्र की तारीख को लागू करो की दर तथा नियम का प्रयोग किया जाता है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इंवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा माल शामिल होता है, को न्यूनतम लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनीय बिक्री खर्चों को घटाया जाता है।

2.7 संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की पहचान लागत के आधार पर की जाती है तथा इसके बाद संचित मूल्यह्रास व संचित हानि को घटाकर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जा सकती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर की जाती है ताकि उनके उपयोग के संभावित 3 वर्षों के अंदर मूल्यह्रास किया जा सके।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि में पहचान की जाती है।

संपत्ति, प्लांट व उपकरण के आइटम की बिक्री करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि के अंतर की राशि को लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.8 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब कभी ऐसा कोई संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

जब तक कि परिसंपत्ति कैश फ्लो उत्पन्न न करें जो कि दूसरी परिसंपत्तियों से मुख्य रूप से स्वतन्त्र है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के उद्देश्य से वसूल की जाने वाली (अधिक फेयर वैल्यू बिक्री में कम लागत तथा वैल्यू इन यूज) राशि का निर्धारण प्रति परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है ऐसी हालत में प्राप्य राशि उस सीजीयू के लिए निर्धारित की जाती है जिससे वह संबंधित है।

यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को घटाकर इसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि के दौरान अंतर को लाभ अथवा हानि में हानि के रूप में पहचाना जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जबकि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से पसिंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो । परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षों में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (संचित मूल्यह्रास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई हानि के रिवर्सल की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

2.9 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापारिक एवं अन्य देयताएं कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रदत्त माल तथा सेवाओं की देयता दर्शाती है जिनका भुगतान शेष रह जाता है। यदि यह भुगतान एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि में देय होता है तो उसे चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है (अथवा सामान्य चलने वाले व्यापार चक्र में ज्यादा अवधि के लिए भी)। अन्यथा इन्हे गैर चालू देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.10 आपरेटिंग लीज़ भुगतान

आपरेटिंग लीज़ भुगतान ऐसी लीज जहां पूर्णतः सभी जोखिम तथा रिकार्ड जो कि लीज के स्वामित्व के कारण उत्पन्न होते हैं लीजर द्वार रख किए जाते हैं उन्हें आपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ओपरेटिंग लीज के अन्तर्गत (लेसर से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) किए गए भुगतान को स्टेट लाइन के आधार पर लीज़ की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.11 कर्मचारी मुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं सेवा उपरान्त लाभ योजनाएं है जिनके अन्तर्गत कम्पनी अलग–अलग एन्टिटिज में जैसेकि केन्द्रीय भविष्य निधि में निर्धारित आवश्यक राशि का कोन्ट्रक्चुअल अथवा स्वैच्छिक आधार पर भुगतान करती है। एक बार अंशदान का भुगतान कर देने पर कम्पनी की किसी भी प्रकार के और भुगतान के लिए प्रतिबध नहीं रहती।

परिभाशित अंशदान योजना में कम्पनी के योगदान को देय समय पर कर्मचारी अनुकम्पा खर्च के रूप में लिया जाता है।

(ख) कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन–पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.12 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में कंपनी के पास उपलब्ध रोकड़ वित्तीय संस्थानों के पास सावधि जमा तथा बैंक ओवरड्राट शामिल हैं। तुलन पत्र में बैंक ओवरड्राट को उधार के तहत चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

2.13 उधार लागतः

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.14 वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं का उचित मूल्य अनुमानः

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनके कैरिंग राशि के लगभग होता है।

2.15 उधार

जब तक कि बैंलेश–शीट की तारीख से 12 महीनो की अवधि के लिए कंपनी के पास बिना शर्त सैटल्मेंट टालने का अधिकार न हो, उधार को चालू परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्यथा स्थिति में उन्हें गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य (लेन–देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके रिडेमशन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

3. रिवन्यु

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
माल की बिक्री	**105,826,186**	248,019,455
भाड़े से आय	**2,452,310**	-
	108,278,496	248,019,455

4. अन्य आय–निवल

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
ब्याज आय		
– अल्पावधि बैंक जमा	**246,235**	274,284
– ग्राहक	**45,548**	211,953
	291,783	486,237
विविध आय	**10,268**	173,195
डैमरेज, डिस्पैच व शोर्टेज	**187,964**	259,499
	490,015	918,931

5 .कार्मिक मुआवजा

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
वेतन तथा भत्ते	**431,118**	574,081
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	**43,738**	56,293
अन्य लाभ	**207,734**	219,969
	682,590	850,343

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए दिया गया किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 94,514 (2015 यूएस डॉलर 90,310) है।

6. वित्त व्यय

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
ब्याज व्यय		
– ट्रस्ट प्राप्तियां तथा बीजक वित्त	**27,196**	67,127
– डिस्काउंटिड बिल	**37,084**	218,839
	64,280	285,966

7. अन्य व्यय

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
डेमरेज, डिस्पैच एवं शार्टेज़िज	**174,257**	244,779
अन्य आय	**126,491**	158,517
	300,748	403,296

8. आयकर

(क) आयकर व्यय

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:		
वर्तमान आयकर	**-**	9,618
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान चालू आयकर	**(34,830)**	-
	(34,830)	9,618

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
आयकर पूर्व (हानि)/लाभ	**(313,440)**	139,470
कर की गणना 17 प्रतिशत की कर दर से की गई है।	**(53,285)**	23,710
सिंगापुर स्टैच्यूटी स्टैण्ड आय में छूट	**-**	(14,398)
कम कर दर की शर्तों में आने वाली आय	**-**	-
कर के लिए गणना में न लिए जाने वाले व्यय	**1,262**	6,940
आय जिस पर कर नहीं लगता	**(551)**	(6,634)
कर हानि जिसे लम्बित कर परिसंपत्ति के रूप में नहीं पहचाना गया है।	**52,574**	-
पूर्व वित्त वर्ष में कर का ओवर प्रोविजन	**(34,830)**	-
	(34,830)	9,618

(ख) वर्तमान आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
वित्तीय वर्ष का आरंभ	**37,135**	41,974
भुगतान किया गया कर	**(448)**	(14,457)
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाने वाला कर	**-**	9,618
पूर्व वित्त वर्ष में ओवर प्रोविजन	**(34,830)**	-
वित्त वर्ष का अंत	**1,857**	37,135

9. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
रोकड़ और बैंक शेष	**228,383**	192,303
बैंकों में सावधि जमा	**15,321,407**	15,409,137
	15,549,790	15,601,440

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वर्गीकृत किये जाते हैं:

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**15,536,393**	15,575,425
सिंगापुर डालर	**13,397**	26,015
	15,549,790	15,601,440

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 1.25% से 1.70% (2015: 1.40% से 1.75%) वार्षिक है जिनकी मैच्युर्टी तारीखें 9 महीने से 12 महीने की (2015: 9 महीने से 12 महीने) की रेंज में है।

10. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य		
– थर्ड पार्टी	**205,058**	986,555
– होल्डिंग कारपोरेशन	**5,458,521**	43,515,132
प्राप्य ब्याज	**115,686**	123,237
अन्य प्राप्य	**4,333**	29,341
	5,783,598	44,654,265

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है:

11. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
जमा	**42,966**	91,977
पूर्व भुगतान	**-**	8,731
	42,966	100,708

जमाओं का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

12. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2016					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	121,394	40,537	48,036	23,725	233,692
परिवर्धन	-	-	-	254	254
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	40,537	48,036	23,979	233,946
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	109,069	40,537	46,102	22,244	217,952
मूल्यह्रास प्रभार	4,929	-	1,709	783	7,421
वित्त वर्ष के अंत में	113,998	40,537	47,811	23,027	225,373
निवल बुक वैल्यू वित्त वर्ष के अंत में	**7,396**	**-**	**225**	**952**	**8,573**

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2015					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	121,394	40,537	48,036	23,725	233,692
परिवर्धन	-	-	-	254	254
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	40,537	48,036	23,979	233,946
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	109,069	40,537	46,102	22,244	217,952
मूल्यह्रास प्रभार	4,929	-	1,709	783	7,421
वित्त वर्ष के अंत में	113,998	40,537	47,811	23,027	225,373
निवल बुक वैल्यू वित्त वर्ष के अंत में	**7,396**	**-**	**225**	**952**	**8,573**

13. व्यापार एवं अन्य देय

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
व्यापारिक देय		
– थर्ड पार्टी	**5,668,469**	37,528,178
– होल्डिंग कारपोरेशन	**40,758**	26,301
अक्रूड प्रचालन व्यय	**58,972**	67,849
ग्राहकों से अग्रिम	**100,524**	
	5,868,723	37,622,328

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है:–

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**5,809,592**	37,543,640
सिंगापुर डालर	**59,131**	78,688
	5,868,723	37,622,328

14. उधार

	2016 यू एस डालर	2015 यू एस डालर
अल्पावधि ऋण	**155,375**	7,074,653

उधार की औसत परिपक्वता तुलन पत्र की तिथि से 13 दिन (2015 : 16 दिन) है।

तुलन–पत्र की तिथि को उधार की ब्याज दर 01.06% (2015 : 0.85: %) है।

15. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

16. शेयर पूंजी

कंपनी की शेयर पूंजी में पूर्णप्रदत्त, 1,461,502 (2015 :

1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000 (2015 : अमेरिकी डालर 1,000,000) है।

17. आकस्मिक देयताएं

अप्रैल 2015 में कंपनी ने एक बिक्री सौदे के लिए टेंडर में एक थर्ड पार्टी ग्राहक के साथ बोली लगाई थी। जैसी ग्राहक की आवश्यकता थी, कंपनी ने टेंडर के लिए बैंक से यूएस डालर 1,134,000 राशि का गारंटी पत्र जारी किया था तथापि ग्राहक ने कंपनी द्वारा लगाई गई बोली की शर्तों को अलग शर्तों के साथ लेटर आफ इन्टेंट प्रस्तुत कर दिया तथा कंपनी द्वारा बदली हुई शर्तों को स्वीकार न करने पर गारंटी की कैश कराने की परिणाम स्वरूप कंपनी ने ग्राहक के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तथा न्यायालय ने गारंटी के इन्वोकेशन पर रोक के आदेश दे दिए। दिनांक 31 मार्च, 2016 को रोक के आदेश प्रभावी है। प्रबंधतन्त्र का विचार है कि ग्राहक के लिए गारंटी की कैश करना संभव नहीं है। क्यूंकि ग्राहक द्वारा दिया गया लेटर ऑफ इन्टैंट कंपनी द्वारा आफर की गई बिड की शर्तों के अनुसार नहीं था इस लिए उसे गारंटी को कैश करने का कोई अधिकार नहीं है। रिपोर्ट की इस तारीख की भी मुकदमा चल रहा है।

18. वचनबद्धताएं

(क) क्रय व विक्रय वचनबद्धताएं

तुलनपत्र की तिथि को माल के क्रय तथा विक्रय संबंधी संविदाओं के अधीन जिन बकाया वचनबद्धताओं को वित्तीय विवरणों में पहचान नहीं की गई है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
क्रय वचनबद्धता	**241,737**	9,065,253
विक्रय वचनबद्धता	**245,334**	9,074,230

(ख) आपरेटिंग लीज वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त् न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भावी का न्यूएनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्न लिखित रूप से होगा:–

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
एक वर्ष तक	**165,805**	196,909
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**-**	161,570
	165,805	358,479

19. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्न लिखित संबंधित पार्टियों से लेन–देन किए गए :–

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	**80,547,098**	183,232,469
होल्डिंग कारपोरेशन से फ्रेट आय	**2,452,310**	-
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	**19,080,500**	47,256,240

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार है:–

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
वेतन एवं अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**367,614**	382,467
कर्मचारी नियुक्ति के बाद लाभ – परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	**8,139**	9,351
	375,753	391,818

दर्शाई गई उपरोक्त राशि वित्तीय आय वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई राशि है।

20. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पानदन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाता है। निदेश मंडल और होल्डिंग निगम संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशा–निर्देश देते हैं।

(क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि मुख्य व्यापारिक लेन–देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से आयात व निर्यात के वित्ति पोषण के अंतर्गत लघुकालीन ऋणों के संबंध में होता है। कंपनी बाजार ब्याज दरों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती है ताकि अनुकूल ब्याज अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। तुलनपत्र की तिथि को कंपनी को ब्याज दर जोखिम न्यूनतम है।

(iii) मूल्य जोखिम कंपनी का वस्तुत मूल्य जोखिम नगण्य है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु वित्तीय दस्तावेज नहीं है।

(ख) उधार जोखिम

बैंक जमा राशियां न ही पहलो से देय है और न ही उनमें कमी आई है बल्कि मुख्यतः ऐसी जमा राशियां है जो बैंकों के पास है जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स उच्चतर होती है क्योंकि इसका निर्धारण इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

कंपनी का उधार जोखिम पर होल्डिंग कारपोरेशन से बकाया राशि को छोड़कर जिसका कंपनी के साथ वसूली का निरंतर अच्छा रिकार्ड रहा है और इसके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण बल नहीं रहता है। कंपनी की नीतियां इस प्रकार की हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि माल की बिक्री उन ग्राहकों को ही की जाये जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों तथा उनका उपयुक्तत क्रेडिट इतिहास हो। तुलनपत्र की तारीख को ऐसी कोई संपत्तियां नहीं है जो पूर्व से देय हों अथवा उनमें कोई क्षति हुई हो।

(ग) द्रव्यता जोखिम

कंपनी नकदी तथा उपलब्ध फंडिंग के द्वारा द्रव्यता जोखिम का प्रबंध करती हैं जिसके लिए पर्याप्त/धन राशि क्रेडिट सुविधा के लिए रखी जाती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यारपार तथा अन्य देय एवं उधार और उनकी संविदात्मयक परिपक्वीतांए एक वर्ष से कम हैं।

(घ) पूंजीगत जोखिम

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी कैश एवं ऋण दस्तावेज जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

जैसाकि तुलनपत्र में दर्शाया गया है कंपनी शेयरहोल्डार की कुल इक्विटी के आधार पर पूंजी को मानीटर करती है।

कंपनी को किसी प्रकार की बाहरी पूंजी की आवश्यंकता नहीं है।

(ड़) श्रेणीवार फाइनेंशीयल इन्स्टूयूमेंट

अमोरटाइज्ड कोस्ट की दर पर ऋणों का कुल केरिंग राशि, प्राप्य तथा वित्तीय देयताएं निम्न प्रकार से है

	2016 अमेरिकी डालर	2015 अमेरिकी डालर
ऋण व प्राप्य	**21,376,354**	60,347,682
अमोराइज्ड दर पर वित्तीय देयताएं	**5,923,574**	44,696,981

21. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्याऐं

दिनांक 1 अप्रैल 2016 से आरंभ कंपनी की लेखा अवधि के लिए कंपनी ने अनिवार्य नए लेखा मानकों, संशोधनों व व्याख्याओं को प्रकाशित किया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार इन लेखा मानकों, संशोधनों को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणाम विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

22. वित्तीय विवरणों का अथोराइजेशन

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

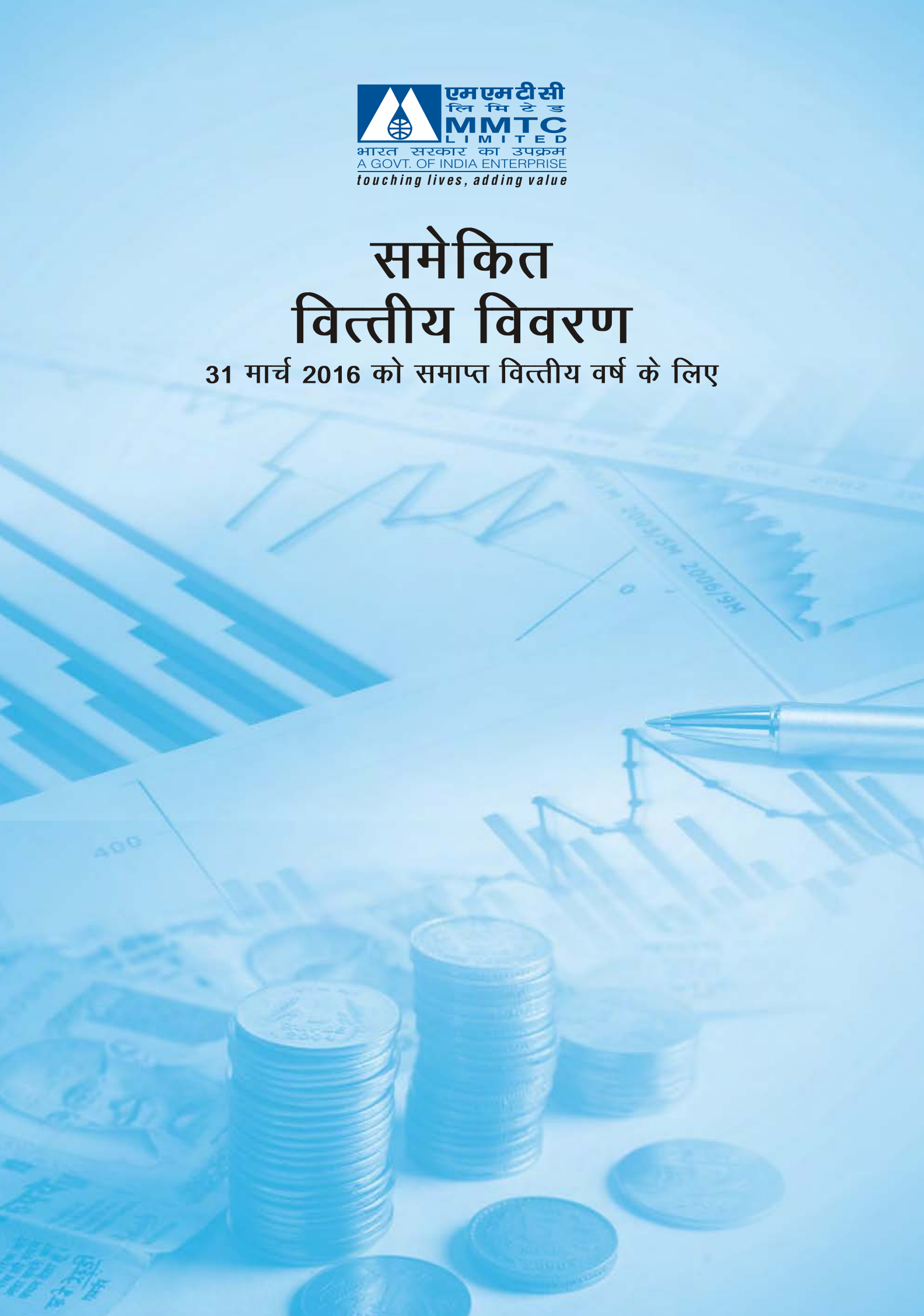

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (जिसे आगे ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) तथा इसकी सहायक कंपनियां (होल्डिंग कंपनी' एवं इसकी सहायक कंपनियों को जिन दोनों को मिलाकर ग्रुप कहा जाएगा) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इस लेखा में ग्रुप में इसकी सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज की लेखापरीक्षा शामिल है। इस लेखापरीक्षा में 31 मार्च 2016 की समेकित बैलेंस शीट, लाभ/हानि का समेकित विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

कंपनीज (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित ग्रुप जिसमें इसकी सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियां भी शामिल हैं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह के सही एवं वास्तविक रूप को दर्शाने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (जिसे ''अधिनियम'' कहा जाएगा) की धारा 133 में वर्णित मामलों के लिए निगम का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा। धोखों अथवा चूक के कारण अशुद्ध वर्णन से मुक्ति सही एवं वास्तविक वित्तीय विवरणों को बनाने तथा प्रस्तुतीकरण के प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता तथा सम्पूतर्णता की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाईन तथा कार्यान्वयन एवं रखरखाव के साथ–साथ उचित बिक्री निर्णय एवं अनुमान बनाना, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं कार्यान्वयन, धोखे तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं बचाव के लिए तथा ग्रुप की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा नीतियों का रख–रखाव भी इस दायित्व में शामिल है जोकि होल्डिंग कंपनी के उपरोक्त निदेशक मंडल जिसमें इसकी सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किया है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा मामलों को ध्यान में रखा है जो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आडिट रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा इसका निष्पादन करें कि समेकित वित्तीय विवरणो में कोई अशुद्ध वर्णन नहीं है।

आडिट की मुख्य भूमिका समेकित वित्तीय विवरणों में राशि तथा प्रकटन के बारे में आडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकियाओं का पालन करना है। धोखे अथवा गलती से समेकित वित्तीय विवरणों के जोखिम के मूल्यांकन के साथ–साथ चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखापरीक्षक उन आंतरिक वित्तीय निर्णयों पर विचार करते हैं जो कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण बनाने के लिए प्रासंगिक हैं तथा जो उन परिस्थितियों में उचित आडिट प्रणालियां डिजाईन करने के लिए सही व वास्तविक रूप प्रस्तुत करते हैं। प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए एकाउंटिंग अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ तथा उप पैराग्राफ (ए) में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करते हैं।

मत

उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अकाउंटिग नीति के अनुसरण में एक सही व वास्तविक मत प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएं इस रूप में देते हैं जो आवश्यक हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2016 को ग्रुप तथा इसके एसोसिएट्स व संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटीज के मामलों में इनकी हानि तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित रोकड़ प्रवाह का सही तथा वास्तविक रूप दर्शाते हैं।

मामले पर बल

क. आईसीईएक्स के शेयरों में निवेश को लाभ पर बेचने तथा इसके राईट इश्यू में अंशदान करने के पश्चात, ₹241.10 मिलियन के आईसीईएक्स के शेयरों के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधानों को राईट बैक करने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 30 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ख. ₹609.90 मिलियन की राशि को रोक कर रखने से ₹389.90 मिलियन की प्राप्त ब्याज आय की पहचान के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 16(ii)(बी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस राशि को वर्ष 2014–15 के दौरान ''व्हीट अकाउंट–एफसीआई'' की निर्यात प्रोसिड्स में से रखा गया था।

ग. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में निगम का निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर के संबंध में एकल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 18(i)(सी) तथा नोट संख्या 26 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

घ. जीआर–1 फार्मो के समय विस्तार न करने/वेयर/बट्टे खाते में डालने के मामलों में देयताओं यदि कोई हो तो का प्रावधान न किए जाने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 27 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ड. विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण व अग्रिमों/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं के अंतर्गत शेष राशि जिसकी कई मामलों में पुष्टि नहीं की गई है तथा उक्त पुष्टि प्राप्त होने पर किए जाने वाले आवश्यक कंसिलिएशन/समायोजन यदि कोई हो तो का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 33 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य मामले

हमने एक सहायक कंपनी तथा छः संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटीज के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। इनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2016 को ₹4990.57 मिलियन की कुल परिसंपतियां तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹71216.29 मिलियन के कुल राजस्व में तथा इसी तिथि को ₹1,483.25 मिलियन की राशि का कैश–फ्लो दर्शाए गए हैं जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में ग्रुप को 31 मार्च, 2016 के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हुई ₹1665.28 मिलियन की हानि भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में उल्लेख है, एक एसोसिएट के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं हमने आडिट नहीं की है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं दूसरे आडिटर ने की है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमे प्रस्तुत की है तथा इन समेकित वित्तीय विवरणों पर जहां तक इन सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज व एसोसिएटस का संबंध है, राशि तथा डिस्कलोजर के बारे में तथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों में हमारी रिपोर्ट तथा हमारा मत, जहां तक इसका संबंध उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज तथा एशोसिएटस से है, मात्र दूसरे आडिटरों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताएं

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा(11) के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (''आदेश'') में यथा आवश्यक है, भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के बारे में लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी के आधार पर आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4, जहां तक लागू है, में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक 'क' में हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में आवश्यक है, हम सूचित करते हैं कि:–

ए) हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगी तथा प्राप्त की है जो कि हमारे ज्ञान एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से उपर्युक्त समेकित लेखा वित्तीय विवरण के लिए आवश्यक थीं।

बी) हमारे विचार से एवं जहां तक हमारी जांच द्वारा पाया गया है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने हेतु वैधानिक आवश्यकतानुसार उचित लेखा बहियां बनाई गई हैं।

सी) इस रिपोर्ट में दिए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण इस संबंध में बनाई गई खाता बहियों के अनुसार हैं जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

डी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनीज (खाते) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) 31 मार्च 2016 को होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर होल्डिंग कंपनी के निदेशक मण्ड्ल तथा सहायक कंपनी, एसोसिएट्स कंपनी तथा भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रण की कंपनी पर सांविधिक आडिटरों की रिपोर्ट द्वारा यह रिकार्ड में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए दिनांक 31 मार्च 2016 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों में अयोग्य नहीं था।

एफ) कम्पनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i समेकित वित्तीय विवरण में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 18 में ग्रुप तथा इसके एसोसिएट तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज के लम्बित मुकदमों के ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को प्रकट करते हैं।

डेरिवेटिव संविदा सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किन्हीं वास्तविक प्रत्याशा योग्य (फोरसिएबल) हानियों, यदि कोई हो तो के प्रति निगम ने लागू कानूनों अथवा लेखा मानकों के अंतर्गत यथाआवश्यक समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किए हैं।

भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में ट्रांसफर की जाने वाली कोई राशि को ट्रांसफर करने में कोई देरी नहीं हुई।

3. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा उक्त नियंत्रणों की वर्तमान प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में ''अनुलग्नक–2'' में हमारी अलग रिर्पोट का संदर्भ देखें।

कृत्ते ओ पी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 500028 एन)

राकेश अग्रवाल
भागीदार
एम संख्या 081808

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : मई 27, 2016

अनुलग्नक–क

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकता" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में

i. कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड बनाया है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों की मात्रा तथा उनकी स्थिति सहित पूरे विवरण दिए गए हैं।

ii. हमें दी गई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में, प्रबंध तंत्र द्वारा उचित अंतराल पर उक्त परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

iii. अचल परिसंपत्ति की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर है सिवाय नीचे दिए गए मामलों के :

कंपनी	परिसंपत्ति का विवरण	सकल मूल्य	टिप्पणियां
एमएमटीसी लि.	दिल्ली में भूमि	13,16,521	राज्य व्यापार निगम के साथ संयुक्त नाम से पट्टा/करार (लीज एग्रीमेंट)
एमएमटीसी लि.	दिल्ली में कार्यालय भवन	3,26,37,459	स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
एमएमटीसी लि.	लीज़होल्ड भूमि	1,10,71,815	स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं!
एमएमटीसी लि.	आवासीय भवन, सड़कें पुलियां तथा बिजली की इंस्टालेशन)	1,16,32,036	वर्ष 2011 में लीज डीड समाप्त हो गई है।

2. इन्वैंट्रीज के संबंध में :–

i. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है मैनेजमेंट ने वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का भौतिक सत्यापन किया है।

ii. हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान कोई भारी अंतर नहीं पाया गया।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक सत्यापन के दौरान कोई भारी अंतर नहीं पाया गया।

iii. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मैनेजमेंट द्वारा इन्वेंट्रीज के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक पकृति के अनुरूप करने की आवश्यकता है।

3. धारा 189 के अंतर्गत सम्मिलित पार्टियों को दिए गए ऋण निगम ने अपनी एक एसोसिएट कंपनी, मैसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित ऋण दिया है।

i. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जिन शर्तों व अनुबंधों पर ऋण दिया गया है वे निगम के हित में नुकसानदेह नहीं है।

ii. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण देने के लिए कंपनी के साथ कोई करार नहीं किया गया था। अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iii. चूंकि कंपनी एवं ऋण लेने वाले के बीच कोई करार नहीं था इसलिए हम बकाया राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। तथापि 31 मार्च 2016 को कुल ₹9,282.90 मिलियन की कुल ऋण राशि में से दिनांक 31 मार्च 2016 को ₹1,300.00 मिलियन बकाया थे।

4. ऋणों, गारंटियों तथा सिक्युरिटिज के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्डस के अनुसार निगम ने धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. जमा राशि (डिपाजिट्स) स्वीकार करना

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निगम ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

6. लागत रिकार्ड का रखरखाव

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7. अविवादित तथा विवादित सांविधिक देय राशियां

i. हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड्स के अनुसार निगम द्वारा समुचित प्राधिकरणों को आय कर अधिनियम देय व्यावसायिक कर, मूल्यवर्धित कर तथा सेवा कर सहित अविवादित सांविधिक देय नियमित रूप से जमा किए जा रहे हैं।

ii. दिनांक 31 मार्च, 2016 को देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, भविष्य निधि देय, प्रोफेशनल टैक्स, वैट, सेवाकर तथा अन्य सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी।

iii. किसी विवाद के कारण यदि आयकर अथवा बिक्री कर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा सेस के देयों का भुगतान नहीं किया गया है।

8. बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकार / डिबेंचर्स से ऋण

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार निगम ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार अथवा डिबेंचर धारकों को देय ऋणों अथवा उधार की अदायगी में सिवाय निम्नलिखित के जिसके बारे में अन्य आडिटर्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के, कोई चूक नहीं की है :

(₹ राशि में)

क्र. संख्या	बैंक का नाम	ब्याज	मूलधन	कुल
1	स्टेट बैंक आफ इंडिया	4,76,75,715	2,44,01,000	7,20,76,715
2	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	-	4,68,750	4,68,750
3	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2,25,49,781	32,00,000	2,57,49,781
4	इंडियन बैंक	-	12,50,000	12,50,000
5	इलाहाबाद बैंक	5,16,14,214	33,49,000	5,49,63,214
6	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1,44,80,758	16,50,000	1,61,30,758
7	देना बैंक	2,01,95,556	30,66,667	2,32,62,223
8	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	44,18,871	4,90,570	49,09,441
9	स्टेट बैंक आफ मैसूर	6,32,000	3,69,624	1,001,624
	कुल	**16,15,66,895**	**3,82,45,611**	**19,98,12,506**

9. सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) (ऋण दस्तावेज / आवधिक ऋण सहित) से प्राप्तियां

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार निगम ने आरंभिक / अगले सार्वजनिक निर्गम (ऋण दस्तावेजों सहित) से कोई राशि प्राप्त नहीं की है। साथ ही, कंपनी (एमएमटीसी लि.) वर्तमान अथवा पूर्व वर्षों में भी निगम ने कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है।

10. कंपनी से अथवा कंपनी द्वारा धोखा

हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रणालियों के अनुरूप हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार कंपनी से अथवा कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों द्वारा किसी भी धोखे का कोई भी उदाहरण न तो संज्ञान में आया है और न ही वर्ष के दौरान सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रबंधतंत्र द्वारा ऐसे भी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित रिकार्ड के अनुसार परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 197, अनुसूची (v) के साथ पठित) की परिसीमा के अंतर्गत निगम द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है / प्रावधान किया गया है।

12. निधि कंपनियां

चूंकि परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए निधि नियम 2014 के अंतर्गत वर्णित मापदण्ड निगम पर लागू नहीं है।

13. संबंधित पार्टी लेन–देन

हमारे सत्यापन के दौरान दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में निगम द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन–देन वर्ष के दौरान, निगम के लिए लागू सीमा के अंतर्गत अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में थे जिनके प्रासंगिक विवरण की वित्तीय विवरणों में समुचित रूप से घोषणा की गई है।

14. अधिमान्य निर्गम (प्रिफ्रेंशियल इश्यू)

वर्ष के दौरान निगम ने इक्विटी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर्स का कोई भी अधिमान्य आबंटन अथवा प्राईवेट प्लेसमैंट नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकताएं लागू नहीं हैं।

15. निदेशकों आदि के साथ गैर–रोकड़ लेन–देन

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार चूंकि निगम ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत निदेशकों अथवा निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ लेन–देन नहीं किया है। अतः लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के 45–आईए के प्रावधान

हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा सत्यापित किए गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत निगम का पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर एनः 500028एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
सदस्य संख्या 081808

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.05.2016

एमएमटीसी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 के क्लॉज 7 (iii) का अनुलग्नक ''ए''

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथारिटी
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1986-87	3,08,644	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1989-90	14,96,06,778	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1990-91	23,30,46,478	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1991-92	28,98,738	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बाम्बे बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2001-02	45,03,961	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2008-09	26,04,882	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2008-09	1,42,13,373	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2007-08	23,99,218	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2010-11	45,82,018	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2010-11	1,22,470	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
महाराष्ट्र वैट कर	बिक्री कर	2009-10	19,58,379	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2011-12	48,25,144	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2008-09	51,81,978	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	बिक्री कर	2007-08	71,97,308	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
कस्टम अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	2012-13	34,54,07,691	कस्टम आयुक्त

बंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (₹ में)	प्राधिकरण
सेवा कर	सेवा कर	उल्लेख नहीं	10,26,502	

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (₹ में)	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1998-99	8,63,114	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2000-01	4,43,416	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1999-00	11,52,785	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2001-02	1,78,566	सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर)
टीएनजीएसटी अधिनियम	वैट तथा दण्ड	2008-09	3,55,08,765	वाणिज्यिक कर अपील क संयुक्तायुक्त

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	विवाद का फोरम
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	सीएसटी / एलएसटी / ब्याज दण्ड	2002-03	37,45,290	आयुक्त, डी वैट
एलएसटी	एलएसटी	1984-85	11,65,303	डीसी अपील
एलएसटी / सीएसटी	एलएसटी / सीएसटी	1986-87	6,57,32,207	अपर आयुक्त
एलएसटी / सीएसटी	एलएसटी / सीएसटी	1987-88	4,31,86,549	अपर आयुक्त
एलएसटी / सीएसटी	एलएसटी / सीएसटी	1988-89	4,02,96,672	अपर आयुक्त
एलएसटी	एलएसटी	1989-90	61,87,340	अपर आयुक्त
एलएसटी	एलएसटी	1990-91	22,23,198	अपर आयुक्त
यूपी एलएसटी / सीएसटी	एलएसटी / सीएसटी	1990-91	6,17,588	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1991-92	4,70,578	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1992-93	2,64,037	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1994-95	1,95,000	बिक्री कर अधिकारी, मुरादाबाद
यूपी एलएसटी	एलएसटी	1993-94	1,85,100	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यू पी वैट	वैट	1987-88	16,35,160	कानपुर, संयुक्त आयुक्त
यू पी वैट	वैट	1993-94	9,21,383	कमिश्नर यूपी वैट
यू पी वैट	वैट	1996-97	12,23,616	कमिश्नर यूपी वैट
यू पी वैट	ब्याज दण्ड	2007-08	2,49,828	कमिश्नर यूपी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	1992-93	4,24,587	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ
एम पी वैट	एलएसटी	1999-00	1,50,004	बिक्री कर अधिकारी, इंदौर
एम पी वैट	एलएसटी	1998-99	47,30,692	निर्धारण अधिकारी इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा ब्याज	1999-2000	2,72,67,919	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2006-07	2,00,00,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2007-08	1,50,50,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2008-09	61,80,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	2009-10	61,80,000	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी / ब्याज	2010-11	18,20,878	उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी / ब्याज	2011-12	19,13,53,780	उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (₹ में)	विवाद का फोरम
सीएसटी	सीएसटी	1989-90	1,49,770	एसटीएटी
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1993-94	6,30,615	एसटीएटी विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1993-94	4,41,446	एसटीएटी विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1994-95	2,04,481	एसी एलटीयू
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1995-96	38,03,875	एसटीएटी विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1995-96	5,97,266	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1991-92	24,02,576	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1992-93	13,96,269	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1993-94	17,62,687	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1996-97	28,80,309	एसटीएटी विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1996-97	21,34,306	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1997-98	58,43,100	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1998-99	55,65,147	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1999-00	39,04,454	एसटीएटी विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	2000-01	2,52,926	एसटीएटी विजाग
		2008-09	7,84,474	एसटीएटी
सीएसटी, वैट	सीएसटी, वैट	2004-05 सीएसटी, 2006-07 वैट	6,76,058	एसी एलटीयू, एसटीएटी
वैट	वैट	2007-08	71,000	एसी, आडिट
वैट	वैट	2010-11	3,38,97,216	सीटीओ, विजाग

कोलकता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (₹ में)	विवाद का फोरम
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	2005-2006	11,31,000	अपीलीय बोर्ड
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	2006-07	77,61,000	अपीलीय बोर्ड
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	2012-13	78,62,000	अपीलीय बोर्ड
बिक्री कर कानून	पश्चिम बंगाल वैट	2012-13	4,000	अपीलीय बोर्ड

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (₹ में)	विवाद का फोरम
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2003-04	1,49,46,540	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	1999-2000	26,07,605	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
राजस्थान बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2010-11	3,26,47,269	राजस्थान कर बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	केन्द्रीय बिक्री कर 1956	2010-11	59,92,494	राजस्थान कर बोर्ड
बिक्री कर	टर्न ओवर कर	2003-04	5,32,992	उच्च न्यायालय
राजस्थान मूल्य संवर्धन कर	मूल्य संवर्धन कर	2012-13	68,16,652	राजस्थान कर बोर्ड
केन्द्रीय बिक्री कर 1956	केन्द्रीय बिक्री कर 1956	2012-13	11,63,461	राजस्थान कर बोर्ड

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि (₹ में)	विवाद का फोरम
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1968-69	18,56,325	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1985-86	25,05,806	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1986-87	2,70,83,841	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1989-90	4,79,000	एसटीएटी
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1991-92	19,34,139	एसी, एलटीयू
सीएसटी	सीएसटी	1994-95	8,41,695	एसी, एलटीयू
सीएसटी	सीएसटी	1995-96	48,62,340	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	सीएसटी	1996-97	33,58,889	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	एपीजीएसटी	1997-98	25,27,960	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	सीएसटी	2007-08	1,04,614	एडीसी
सेवा कर	सेवा कर	2003-06	12,65,26,554	सीईएसटीएटी हैदराबाद

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि	राशि (₹ में)	विवाद का फोरम
बिक्री कर	ब्याज दंड	1978-79	26,50,388	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	बिक्री कर	1978-79	34,00,919	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	बिक्री कर	1978-79	1,70,046	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	ब्याज दंड	1979-80	6,53,452	उड़ीसा उच्च न्यायालय
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	1982-83	34,83,020	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	ब्याज दंड	1978-79	3,57,42,030	उड़ीसा उच्च न्यायालय
बिक्री कर	डीईपीबी	2006-09	14,98,22,308	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
बिक्री कर	डीईपीबी	2010-12	5,08,43,080	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
मूल्य संवर्धन कर	मूल्य संवर्धन कर	2013-14	14,28,18,841	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	केन्द्रीय बिक्री कर, 1956	2013-14	58,07,05,822	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
उत्पाद कर	उत्पाद कर	2013-14	52,63,10,091	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-05	4,31,95,232	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2003-07	16,89,46,005	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2007-08	3,86,83,266	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2008-10	8,30,10,407	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010-11	4,29,51,068	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011-12	4,16,55,475	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथारिटी
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2010-11	4,29,51,068	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2011-12	4,16,55,475	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-12	33,92,04,060	आयुक्त, सीमा उत्पाद व सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2009-11	77,56,072	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	37,60,319	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर, भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2012-13	3,51,01,874	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2013-14	4,91,261	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	2012-13	1,49,02,87,737	सहायक आयुक्त, सीईएंडसी बालासोर डिवीजन, बालासोर

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथारिटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2010-11	6,30,93,790	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1996-97	3,57,24,124	एओ
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2012-13	3,54,64,842	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2009-10	2,31,80,210	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1993-94	5,61,821	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1996-97	11,46,01,858	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1997-98	1,02,93,042	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	1999-00	2,60,66,476	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2000-01	1,84,63,021	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2001-02	1,17,65,008	आईटीए / उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2002-03	73,04,915	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2003-04	11,16,907	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2004-05	4,19,85,746	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2005-06	7,81,432	एओ
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2006-07	42,08,767	एओ
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2007-08	73,50,191	एओ
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2008-09	22,10,119	एओ
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2009-10	1,19,38,236	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2010-11	9,08,20,808	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आयकर अधिनियम	2011-12	10,60,88,129	सीआईटी(ए)

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वर्ष	राशि	अथारिटी
ओएसटी, सीएसटी, वैट तथा एंट्री टैक्स	बिक्री कर	1998-99 to 2005-06	2139.11	ओडिशा सेल टैक्स ट्रिब्यूनल
सीएसटी	बिक्री कर	2003-04	21.42	असिस्टेंट कमीशनर, सेल टैक्स (अपील)
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	एक्साइज ड्यूटी	2005-06	1.20	सीईएसटीएटी
कस्टम्स ड्यूटी	कस्टम्स ड्यूटी	2000-01	112.37	कमीशनर आफ सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल एक्साइज
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	एक्साइज ड्यूटी	2005-06 to 2015-16	24,968.36	कमीशनर आफ सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स
इनकम टैक्स	टीडीएस	2006-07 to 2013-14	258.93	डिप्टी कमीशनर आफ इनकम टैक्स (टीडीएस)
	कुल		**27,501.39**	

एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 2

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ–साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमने लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबधतंत्र का दायित्वः

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के मार्गदर्शक नोट (गाईडेंस नोट) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं बनाए रखने के लिए होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों जो भारत में निगमित हैं, का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। निगम की नीतियों का समर्थन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखेबाजी तथा गलतियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखा रिकार्डस की परिशुद्धता तथा संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर बनाने के साथ–साथ निगम के व्यापार के अनुशासित एवं कुशल आचार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन एवं बनाए रखने एवं डिजाईन भी इन दायित्वों में शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति अपनी राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं लेखा परीक्षा के मानकों के लिए आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शक नोट, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट माना गया है तथा जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा तक ही सीमित है, के अनुरूप हमने लेखा परीक्षा की है। जिन मानकों एवं मार्गदर्शक नोट का हम नीतिपरक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया है तथा बनाकर रखा गया है तथा वास्तविकता में इन्हें प्रभावी रूप से प्रचालित किया जा रहा है, इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं तथा इसका निष्पादन करते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ–साथ इनकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के विषय में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी प्रकार की विद्यमान भौतिक कमी का निर्धारण करना, डिजाईन तथा निर्धारण किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल हैं। धोखे अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरणों के जोखिम के निर्धारण सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय चयनित प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुरूप बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध करवाने हेतु डिजाईन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित वह नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः–

1) रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जिसमें कंपनी के लेन–देन तथा परिसंपत्तियों के समुचित विवरणों को सही एवं उचित रूप से दर्शाया गया है।

2) समुचित आश्वासन उपलब्ध करवाते हैं कि लेन–देन को सामान्यतः स्वीकृत सिद्धातों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथावश्यक रूप से रिकार्ड किए गए हैं तथा निगम की प्राप्तियों एवं व्यय को कंपनी के प्रबंधतंत्रा तथा निदेशकों के द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही तैयार किए गए हों।

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा स्थिति, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम एवं समय पर पहचान के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध करवाते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण मिली भगत की संभावना अथवा नियंत्रणों के विरूद्ध अनुचित प्रबंधन, चूक अथवा धोखों से भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं तथा इनकी पहचान नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भविष्य अवधि में मूल्यांकन के अनुमानों में परिवर्तन अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में कमी हो जाने से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

रायः

जैसा कि प्रबंधतंत्र के साथ किए गए विचार–विमर्श एवं सहमति के अनुसार कुछ ऐसे क्षेत्र जहां सुधार किए जाने की आवश्यकता है, के अतिरिक्त, हमारी राय में निगम में सभी भौतिक रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं तथा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जारी मार्गदर्शक नोट में वर्णित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जारी मार्गदर्शक नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2016 को उक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित किए जा रहे हैं।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्ता तथा परिचालन प्रभाविकता के बारे हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, एक असोसिएट कंपनी तथा छह संयुक्त रूप से नियंत्रित ऐसी कंपनियों से संबंधित हैं जो भारत में निगमित हैं, भारत में निगमित इस प्रकार की कंपनियों के बारे में दी गई रिपोर्टों पर आधारित हैं।

ओ.पी. तुलसियान एंड कंपनी
के लिए
चार्टर्ड एकाउटेंटस
एफआरएनः 500028 एन

राकेश अग्रवाल
साझीदार
एमआरएन : 081808

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2016

वर्ष 2015–16 के लिए स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधतंत्र का उत्तर

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	मामले पर बल	
ए	आई सी ई एक्स के शेयर वैल्यू पर ₹241.10 मिलियन की न्यूनता के परिणामस्वरूप इसकी भरपाई के लिए आई सी ई एक्स के इन्वेस्टमेंट की लाभ पर बिक्री व इसके शेयरों के राइट इश्यू के अंशदान पर हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 30 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।	स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।
बी	₹609.90 मिलियन की रखी गई राशि पर ₹389.90 मिलियन के मान्य ब्याज पर हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 16 (ii)(बी) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह राशि 2014–15 के दौरान ''गेहूँ खाता–एफ सी आई'' में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रखी गयी थी।	स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।
सी	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को निधि आधारित और गैर–निधि आधारित सहायता देने के संबंध में हम एकल वित्तीय विवरण के नोट सं. 18 (i)(सी) तथा नोट सं. 26 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।	स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।
डी	जी आर फार्म–1 के समय में विस्तार न करने/वेवर/बट्टे खाते में डालने के मामलों में देयताओं, यदि कोई हो, का प्रावधान न किए जाने के संबंध में हम एकल वित्तीय विवरण के नोट स. 27 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।	स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।
ई	विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण एवं अग्रिमों/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं के अंतर्गत शेष जिनकी कई मामलों में पुष्टि नहीं की गई है तथा उक्त पुष्टि प्राप्त होने पर किए जाने वाले आवश्यक पुनर्मिलान/समायोजन, यदि कोई हो, का निर्धारण न किए जाने के संबंध में हम एकल वित्तीय विवरण के नोट 38 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।	स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।

<table>
<tr><th colspan="2">आडिटर की टिप्पणी</th><th>मैनेजमेंट का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">स्वतंत्र आडिटर्स की रिपोर्ट का अनुलग्नक –1</td></tr>
<tr><td>1(iii)</td><td>अचल संपत्ति की टाइटल डीड निम्नलिखित मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम है
<table>
<tr><th>क्षेत्रीय / कार्यालय</th><th>जायदाद का स्वरूप</th><th>सकल मूल्य ₹</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>कारपोरेट आफिस</td><td>दिल्ली में भूमि</td><td>13,16,521</td><td>लीज़ एग्रीमेंट स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ संयुक्त नाम में है।</td></tr>
<tr><td>कारपोरेट आफिस</td><td>दिल्ली में आफिस बिल्डिंग</td><td>3,26,37,459</td><td>मालिकाना दस्तावेज उपलब्ध नहीं</td></tr>
<tr><td>कारपोरेट आफिस</td><td>लीज़होल्ड भूमि</td><td>1,10,71,815</td><td>मालिकाना दस्तावेज उपलब्ध नहीं</td></tr>
<tr><td>भुवनेश्वर</td><td>रिहायशी बिल्डिंग, रोड, कलवर्ट्स व इलेक्ट्रिकल</td><td>1,16,32,036</td><td>लीज़ डीड 2011 में समाप्त</td></tr>
</table></td><td>स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।</td></tr>
<tr><td>2(iii)</td><td>हमारे मत में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एमएमटीसी के आकार और इसके बिज़नेस की प्रकृति के लिहाज से इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधतंत्र द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया को मजबूत किए जाने की जरूरत है।</td><td>स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।</td></tr>
<tr><td>3(i)</td><td>कंपनी ने अपनी एसोशिएट्स कंपनी निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को असुरक्षित लोन दिया है।</td><td>स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गयी टिप्पणियों के उत्तर का संदर्भ लें।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के साथ लोन देने संबंधी कोई करार नहीं किया गया है। अतः हम इस संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ है।</td><td></td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>चूंकि कंपनी तथा उधारकर्ता के बीच कोई करार नहीं हुआ है। अतः हम ओवरड्यू राशि के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ है। तथापि दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार लोन की कुल राशि ₹9,282.90 मिलियन थी। जिसमें से 31 मार्च 2016 को ₹1300 मिलियन की राशि देय थी जिसका की अभी तक भुगतान नहीं किया गया।</td><td></td></tr>
</table>

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(₹ मिलियन में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	**3**				
शेयर पूंजी	3.1	**1000.00**		1000.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	**11133.18**	**12133.18**	12643.09	13643.09
माइनरिटी हित			**-**		-
शेयर आवेदन राशि जिसका आबंटन लंबित है	3.3		**40.00**		-
गैर चालू देयताएं	4				
दीर्घावधि उधार	4.1	**135.65**		501.72	
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.2	**261.26**		270.61	
दीर्घावधि प्रावधान	4.3	**1792.77**	**2189.68**	1774.17	2546.50
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**4530.19**		3862.85	
देय व्यापार	5.2	**9388.27**		33017.74	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**9480.09**		8764.05	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**1132.29**	**24530.84**	1167.40	46812.04
योग			**38893.70**		63001.63
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	**6**				
अचल परिसंपत्तियां	6.1				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**1164.67**		1169.47	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**8.60**		50.55	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**1725.57**		1534.60	
गैर चालू निवेश	6.2	**941.95**		2625.72	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6.3	**2243.89**		2233.31	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**1401.89**		1298.60	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**33.93**	**7520.50**	12.49	8924.74
चालू परिसंपत्तियां	7				
वर्तमान निवेश	7.1	**2.60**		128.81	
इन्वेंट्रीज	7.2	**4430.56**		3338.22	
प्राप्य व्यापार	7.3	**8320.61**		30436.35	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**1888.88**		4181.49	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**13186.46**		12788.23	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**3544.09**	**31373.20**	3203.79	54076.89
योग			**38893.70**		63001.63
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**2**				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**187895.93**		239316.42	
अन्य आय	9	**1706.41**	**189602.34**	1449.06	240765.48
कुल राजस्व			**189602.34**		240765.48
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**602.40**		1222.05	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**178217.93**		225268.38	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**(1,086.00)**		(340.99)	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**2136.87**		2020.96	
वित लागत	14	**503.04**		391.01	
मूल्यह्रास तथा ऋणमुक्ति व्यय		**106.13**		237.29	
अन्य व्यय	15	**9034.80**	**189515.17**	11147.84	239946.54
कुल व्यय			**189515.17**		239946.54
विशिष्ट, असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ			**87.17**		818.94
विशिष्ट मदें (आय)/खर्च)	16		**(649.70)**		(230.56)
असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ			**736.87**		1049.49
असाधारण मदें (आय)/खर्च)	17		**-**		-
कर पूर्व लाभ			**736.87**		1,049.49
कर व्यय					
चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**61.00**		154.59	
पूर्व वर्षो में		**(5.08)**		(17.01)	
एमएटी		**(14.00)**		-	
आस्थगित कर		**(14.83)**		(17.41)	
संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी		**45.76**	**72.85**	152.03	2 72.20
एसोसिएटस की माईनर हिस्सेदारी से पूर्व लाभ			**664.02**		7 77.29
एसोसिएटस शेयर हित का लाभ/(हानि)					
एसोसिएटस शेयर में निवल लाभ/(हानि)		**(1,665.28)**		(1,158.23)	
घटाएः गुडविल अमोर्टाइज्ड (एसोसिएटस)		**43.83**	**(1,709.11)**	43.83	(1,202.07)
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)			**(1,045.09)**		(424.78)
लाभ/(हानि):					
कंपनी के स्वामी			**(1,045.09)**		(424.78)
माइनरटी हित			**-**		-
			(1,045.09)		(424.78)
1 रुपए के अंकित मूल्य पर प्रत्येक इक्विटी शेयर से आय					
बेसिक (₹ में)			**(1.05)**		(0.42)
डाइल्यूटिड (₹ में)			**(1.05)**		(0.42)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**2**				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधारण मदों से पूर्व लाभ		736.87		1,049.49
के लिए समायोजन : मुकदमेबाजी				
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	1.14		141.14	
मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति व्यय	106.13		237.29	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	(155.72)		37.72	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(0.83)		(0.32)	
निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(100.00)		-	
ब्याज आय	(1,265.46)		(1,011.81)	
लाभांश आय	(124.45)		(71.74)	
वित लागत	503.04		391.01	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	0.97		299.96	
बट्टे खाते में डाली गई पूंजी डब्ल्यूआईपी	-		65.79	
संदिग्ध ऋणों/कर्जों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.80		12.36	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(247.04)		(698.29)	
रिटन बैक देयताएं	(79.97)		(87.38)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	0.47	(1,358.93)	0.67	(683.59)
		(622.06)		365.90
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इन्वेंट्रीज	(1,093.48)		(310.99)	
व्यापार प्राप्ति योग्य	22,111.98		(12,622.04)	
ऋण व अग्रिम	(515.53)		(6,534.24)	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	(460.44)		2,887.50	
देय व्यापार	(23,462.47)		18,010.70	
अन्य देयताएं	794.28		(3,269.36)	
प्रावधान	197.10	(2,428.57)	246.85	(1,591.59)
		(3,050.62)		(1,225.69)
प्रदत्त कर		(160.74)		(551.24)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		(3,211.36)		(1,776.93)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(307.62)		(234.70)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	200.13		-	
निवेश की बिक्री	12.78		0.67	
प्राप्त किया गया ब्याज	1,265.46		1,011.81	
प्राप्त किया गया लाभांश	124.45	1,295.20	71.74	849.52
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		1,295.20		849.52
ग. वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	301.27		(1,214.58)	
वित लागत	(503.04)		(391.01)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	(300.89)	(502.66)	(175.49)	(1,781.08)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह		(502.66)		(1,781.08)
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		(2,418.82)		(2,708.49)
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरम्भिक शेष		4,310.30		7,018.79
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		1,891.48		4,310.30

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः रिग्रुप किया गया है।
2. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष एवं जमा तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

	की समाप्ति पर		
	2015-16		**2014-15**
ए. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य			
(क) उपलब्ध चेक व ड्राफ्ट	-		0.99
(ख) उपलब्ध रोकड़	0.32		0.08
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष			
– चालू खाते में	24.83		56.32
– कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	328.24		1,005.19
– 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	97.79		221.80
– 3 माह से कम अवधि तक की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश	2.60		128.81
बी. अन्य बैंकों में अन्य शेष			
– मार्जिन राशि/लियन के तहत	-		-
– 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	1,364.88		1,330.49
– 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले टर्म डिपाजिट्स	0.14		0.13
सी. सुयंक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	72.68		1,566.49
योग	1,891.48		4,310.30

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा नीतियां

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है तथा इन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के अंतर्गत 10 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर में स्थित है।

कंपनी मुख्यतः खनिजों का निर्यात तथा बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करती है। साथ ही यह कृषि बहुमूल्य धातुओं, कोल/कोक आदि का घरेलू व्यापार करती है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों तक फैली हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा कंपनीज ट्रांजिशनल (लेखा मानक) नियम 2006, कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के लेखा मानकों के ट्रांजिशनल प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अधिसूचित आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप आन गोईंग कंसर्न के रूप में बनाया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

ए. विक्रेताओं/क्रेताओं के साथ किए गए संविदा/करार के निष्पादन होने अथवा सरकार से आबंटन पत्र प्राप्त होने पर क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक रूप से निष्पादन हुआ है तो आंशिक रूप से किए गए निष्पादन को ही क्रय/विक्रय के रूप में लेखों में लिया जाता है।

बी. कुछ मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत (कैनेलाइज्ड) है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र के अंतर्गत 'सरकारी खाते मे' आयात किया गया है एवं क्रय/विक्रय को कंपनी के नाम से बुक किया गया है।

सी. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, जमा स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित है।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय सोने/चांदी को डिपॉजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ताओं के साथ हुए मूल्य निर्धारण के अनुसार हिसाब में लिया गया है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास डिपोजिट के तहत गोल्ड/सिल्वर के रूप में उपलब्ध स्टॉक को वर्तमान स्टॉक के रूप में हिसाब में लिया जाता है जिसे अनबिल्ड खरीद टाइटल दिया जाता है और उसे वर्तमान देयताएं मानते हुए अनबिल्ड खरीद के लिए देय राशि दर्शाया जाता है। ऐसा करते समय वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन के मूल्यों को आधार माना जाता है। तथापि डिपाजिट में शेष पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी को पूर्व प्रदत्त व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विविध क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है। तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

डी. दस्तावेजों के टाइटल के ट्रांसफर द्वारा आयात के दौरान बिक्री अर्थात माल के भारत की कस्टम सीमा लांघने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के टाईटल के दस्तावेजों के ट्रांसफर पर हाई सीज़ बिक्री को लेखों में लिया जाता है।

ई. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसे कमोडिटी एक्सचेंज जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, के माध्यम से किए गए व्यापार को क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है।

एफ. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1 प्रतिशत की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

जी. निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

(ए) आईसीएआई द्वारा जारी एएस – 9 के प्रावधानों के अनुरूप कुछ मदों की वसूली क्योंकि अनिश्चित है अतः वास्तविक वसूली पर लेखों में शामिल की जाने वाली निम्नलिखित मदों के अतिरिक्त अक्रूअल आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है:–

i. टारगेट प्लस स्कीम के तहत टैक्स क्रेडिट, ड्यूटी क्रेडिट अथोराइजेशन, योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि।

ii. निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

iii. प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

iv. आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

बी. बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा दावों को लेखों में लिया जाता है।

सी. लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में ₹10,000/– के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्ड तथा स्थानीय निकायों में ₹5000/– की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियाँ

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास तथा मूल्य में किसी प्रकार की कमी को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां तथा जो न तो अचल परिसंपत्तियां और न भूमि कंपनी की है, के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

(ग) ऐसी आफिस लैंड/लैट्स/कल्वेर्टस, सीवरेज तथा ड्रेनेज की लागत, जिनके फाइनल बिल प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा ऐसी परिसंपत्तियां जो निर्माणाधीन हैं। जिनकी लीज डीड निष्पादित की जानी है, को अस्थाई आधार पर लेखों में लिया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन काल पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए प्रावधानों के समान है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहरास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निपटान करने की तारीख तक किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों तथा लीजहोल्ड परिसंपित्तयों की ऋणमुक्ति भी मूल्यह्रास में शामिल है। सभी परिसंपत्तियों के शेष मूल्यो को 1 रूपए माना जाता है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल निम्नलिखित है :–

	परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन काल	अनुसूची II में दिया गया उपयोगी जीवन काल
ए.	**सामान्य परिसंपत्तिया**		
	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10	10
	कार्यालय उपस्कर	5	5
	वाहन		
	स्कूटर	10	10
	कार	8	8
	कम्प्यूटर्स		
	सर्वर व नेटवर्क	6	6
	एंड यूजर्स डिवाइसेस	3	3
	पट्टे की भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार	
	वेगन रैक्स	करार/वेगन निवेश योजना के अनुसार	
	पंखों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक इंस्टालेशंस	10	10
	जल आपूर्ति, सीवेज तथा ड्रेनेज	5	5
	सड़कें		
	कारपेटिड सड़कें – आरसीसी	10	10
	कारपेटिड सड़कें – आरसीसी के अलावा अन्य	5	5
	नॉन कारपेटिड सड़कें	3	3
	कल्वर्ट्स	30	30
	बिल्डिंग्स		
	आरसीसी	60	60
	आरसीसी के अलावा अन्य	30	30
	आवासीय लैट (बने हुए)		
	आरसीसी	60	60
	आरसीसी के अलावा अन्य	30	30
	अस्थायी ढांचे एवं लकडी के पार्टिशन	3	3
	वेयरहाउस/गोदाम	30	30
बी.	**निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां**		
	फैक्ट्री बिल्डिंग्स	30	30
	पंखों को छोड़कर इलैक्ट्रोनिक इंस्टालेशंस	10	10
	जल आपूर्ति, सीवेज तथा ड्रेनेज	5	5
	प्लांट एवं मशीनरी		
	सिंगल शिफ्ट	15	15
	डबल शिफ्ट	10	10
	ट्रिप्पल शिफ्ट	7.5	7.5
	प्लांट एवं मशीनरी – अनवरत (विंड मिल)	22	22
सी.	भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां तथा न ही अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।	5	-
डी.	**अमूर्त परिसंपत्तियां**		
	कम्प्यूटर साटवेयर	5	परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से अधिक (एएस 26 के अनुसार)
ई.	**कैलकुलेटर्स, दीवारघड़ी, रसोईघर के बर्तन तथा अन्य उपभोज्य वस्तुओं जैसे छोटे मूल्य की कुछ मदों जिनका उपयोगी जीवन काल सीमित होता है, को उनके खरीद वर्ष में ही सीधे राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार मोबाईल हैंडसेट्स को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।**		
एफ.	**अनुसूची– 2 के प्रभावी होने की तिथि से, अनुसूची –2 के अनुसार परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास किया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति का शेष उपयोगी जीवन काल शून्य होता है तो अवशेष मूल्य को रखने के पश्चात रिटेंड अर्जन के आरंभिक शेष में कैरिंग राशि की पहचान की जाती है।**		
जी.	**गुडविल पांच वर्ष की अवधि में ऋणमुक्त हो जाती है।**		

2.7 निवेश

ए. मूल्य में से स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

बी. निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

(i) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों (लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। लेन देन की तिथि की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए गैर मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(iii) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(iv) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है:–

ए. वर्तमान लेन देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबंद्ध में, अनुबंध की अवधि के उपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। अंतिम दर अथवा निपटान की तिथि की दर, यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तथा (ii) फारवर्ड अनुबंध के आरंभ होने की तिथि के पश्चात अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दरों के बीच विनिमय दर के अंतर के कारण हुई हानि/लाभ को वर्ष के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

ट. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्ड: प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

i. बहुमूल्य धातुएं

ii. धातुएं

iii. खनिज

iv. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

v. कृषि उत्पाद

vi. उर्वरक

vii. सामान्य व्यापार/अन्य

निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए एएस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान की जाती है।

गौण खंड:– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

1. भारत से बाहर

2. भारत के अंदर (भारत के आंतरिक ग्राहकों को हाईसीज बिक्री सहित)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स द्वारा जारी एएस–15 (संशोधित) के अनुसार वर्ष के अंत में एक्चुरियल वैल्युएशन का प्रोजेक्टिड यूनिट के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभों का प्रावधान परिभाषित अंशदान के आधार पर किया जाता है।

(iii) भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक्स–ग्रेषिया व नोटिस वेतन का भुगतान व्यय उसी वर्ष के राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का भौतिक सत्यापन

(i) स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। भौतिक रूप से सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ii) कुछ मामलों में जहां स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है।

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वेंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित किया जाता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार हैः–

क) निर्यात

i. निर्यात स्टॉक को लागत मूल्य का निर्धारण उस स्थान तक जहा स्टॉक पड़ा है पर हुए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुंचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii. खनिज अयस्कों के मामले में अयस्कों के वसूली योग्य मूल्य निर्यात अनुबंध के अनुसार एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क को भूमिगत स्टॉक इन्वेंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

i. आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय वेटिड औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहां शेष स्टॉक की वेटिड औसत लागत की गणना जहां माल रखा गया है वहां तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

ii. पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीदा गया सोना/चांदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाए जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

i. सोने/चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल के स्थानीय कर, औसत वेटिड लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/फेब्रीकेशन प्रभार, वेस्टेज तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

ii. तराशे और पॉलिश किये पत्थर तथा ज्वेलरी (तैयार/अर्धतैयार) के संबंध में जहां स्टॉक विशेष रूप से पहचान योग्य है, उस स्थान तक जहां माल रखा है वहां तक के समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है। वेस्टेज तथा अन्य प्रत्यक्ष निर्माण खर्च लागत में शामिल हैं।

iii. पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन 31 मार्च को निम्नतर लागत पर अथवा प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

iv. ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉक : फेब्रीकेटरों के पास रखे स्टाक को समायोजन तक कंपनी का स्टाक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार गत वर्ष अवधि से संबंधित व्यय/आय को "पूर्व अवधि समायोजन खाते" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यवसाय के सामान्य लेन–देन में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर होने वाले ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अपेक्षित प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को तर्कसंगत समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की कैरिंग लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को रिवर्स कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

(I) प्रावधान

(ए) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों से अधिक बकाया राशियों के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट आफ किए जाते हैं।

(बी) अन्यः

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

(ए) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो।

(बी) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटलो होने की उम्मीद हो तथा

(सी) इस बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। आकस्मिक देयताओं पर ब्याज, यदि कोई हो तो, को सामान्यतः लेखों की टिप्पणियों में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/इंस्टालेशन पूरा हो जाने पर उसे संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्त्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्त्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को घटाकर) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है। पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही जब परिचालन पट्टे को निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्त्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के खर्च में दर्शाया जाता है।

2.20 वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में दिए गए हैं तथा जब तक अन्यथा न कहा गया हो सभी मूल्यों को नजदीकी मिलियन में लिया गया है।

2.21 समेकन के सिद्धान्त

समेकित वित्तीय विवरण एमएमटीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी और कंपनी के हित में संयुक्त उपक्रमो से संबंद्ध संयुक्त रूप से नियंत्रण करने वाले घटकों के रूप में हैं।

(ए) प्रमुख कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीवय विवरण पंक्ति आधार पर जुड़े होते हैं जिनको परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्ययों की बुक वैल्यू को आंतरिक समूह शेषों और आंतरिक लेन देनों को पूरी तरह से हटाकर शामिल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय मानक (एएस) 21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ अथवा हानि खाता तैयार किया जाता है।

(बी) नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के निगमन के लिए वित्तीय विवरणों की व्याख्या हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

i. नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी की मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयतओं को चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है।

ii. नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी के आय व व्यय मदों की व्याख्या औसत विनिमय दर पर की जाती है।

iii. परिणाम स्वरूप सभी विनिमय शेषों का परिवर्तित विदेशी मुद्रा को रिजर्व में तब तक रखा जाता है जब निवल निवेश का निपटान नहीं हो जाता।

(सी) जहां कंपनी के पास सीधे या सहायक कंपनी के माध्यम से 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी होती है वहां इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (लेखा मानकों) 23 ''एकाउंटिंग फार इन्वेस्टमेंट इन एसोशिएट इन कन्सोलिडेटिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट'' में निर्धारित लेखों के 'इक्विटी मैथड' का उपयोग करने के लिए शामिल किया जाता है।

(डी) कंपनी अपने तथा एसोशिएट के बीच हिस्सेदारी की सीमा तक गैर वसूली लाभ व हानि को घटाने के बाद एसोशिएट की निवल परिसंपत्ति में परिवर्तन को लेखों में शामिल किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर एसोशिएट के लाभ व हानि खाते में शामिल करने योग्य परिवर्तन की सीमा तक लाभ व हानि खाते के माध्यम से और इसके शेष के लिए रिजर्व के माध्यम से शामिल किया जाता है।

(ई) एसोशिएट में हिस्सेदारी की खरीद के समय निवल परिसंपत्तियों के शेष और इसमें निवेश की लागत में अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जैसा भी मामला हो, के रूप में पहचान की जाती है।

(एफ) समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रम कंपनियों के हिस्से को शामिल किया जाता है जो लेखों के अनुपातिक समेकन विधि और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्व को कंपनी की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय की हिस्सेदारी को समेकित वित्तीय विवरणों में पृथक पंक्ति की मद माना जाता है।

(जी) जहां तक संभव होता है समान परिस्थितियों में लेन देन व अन्य व्यवहार के लिए एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग किया जाता है और ठीक उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण है।

दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का रिकंसिलिएशन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. अधिकृत				
प्रत्येक ₹1/– समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,00,00,00,000**	**1000.00**	1,00,00,00,000	1,000.00
ख. इश्यूड्, सब्सक्राइब्ड एवं पूर्णतः प्रदत्त				
01 अप्रैल, 2015 को आरंभिक शेष	**1,00,00,00,000**	**1000.00**	1,00,00,00,000	1,000.00
वृद्धि	**-**	**-**	-	-
कटौती	**-**	**-**	-	-
31 मार्च 2016 को अंतिम शेष	**1,00,00,00,000**	**1000.00**	1,00,00,00,000	1000.00
संयुक्त उद्यमों में हित हिस्सेदारी		**-**		-
कुल		**1000.00**		**1000.00**

वर्ष 2010–11 के दौरान, निगम के 50,00,000 शेयरों जोकि प्रत्येक ₹10/– मूल्य का था को ₹1/– प्रत्येक के मूल्य पर 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्य अधिशेष रिजर्व से ₹500 मिलियन का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें प्रत्येक ₹1/– के मूल्य का सामान्य शेयर शामिल है। निगम के आर्टिकल्स आफ असोसिएशन तथा लागू कानूनों के अनुसार निगम के सामान्य शेयर धारकों को निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

प्रोमोटर्स के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रोमोटर्स अर्थात भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2016 को 899,268,762 शेयर (गत वर्ष 899,268,762 शेयर) की थी जो 89.93 प्रतिशत (गत वर्ष 89.93 प्रतिशत) है।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
रिजर्व				
रिजर्व पूंजी – आरंभिक शेष	**0.69**		**0.69**	
जोड़ें : सामान्य रिज़र्व में अंतरित	**-**		-	
जोडें : संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	**-**		-	
	0.69		0.69	
घटायें : सामान्य रिजर्व में अंतरित	**0.69**		-	
अंतिम शेष		**0.00**		**0.69**
सामान्य रिजर्व – आरंभिक शेष	**6,993.84**		6,850.47	
जोडें : पूंजीगत रिजर्व में अतंरित	**0.69**		143.37	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**100.00**		-	
जोडें : संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	**-**		-	
	7,094.53		6,993.84	
घटायें : कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**7,094.53**		**6,993.84**
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व – आरंभिक शेष	**37.74**		34.77	
जोड़े : वृद्धि	**4.68**		2.97	
	42.42		37.74	
घटाएं : कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**42.42**		**37.74**
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व –आरंभिक शेष	**0.13**		0.13	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
	0.13		0.13	
घटाएं : कटौती	**0.07**		-	
अंतिम शेष		**0.06**		**0.13**
रिसर्च एवं डवलेप्मेंट रिजर्व – आरंभिक शेष	**3.54**		3.54	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
	3.54		3.54	
घटाएं : कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**3.54**		**3.54**
योग (ए)		**7,140.54**		**7,035.94**
अधिशेष				
अधिशेष – आरंभिक शेष		**5,607.15**		**6,612.24**
पूर्व अवधि के लिए अधिशेष का समायोजन		**(87.42)**		(27.25)
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित करने के पश्चात निवल लाभ		**(1,180.74)**		(714.43)
जोडें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**135.65**		289.65
जोड़ें : कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व		**0.07**		-
मूल्यह्रास का आरंभिक समायोजन		**-**		(5.16)
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि		**4,474.71**		**6,155.05**
विनियोग				
अंतिम लाभांश		**300.00**		250.00
लाभांश कर		**61.07**		50.89
सामान्य रिजर्व से अंतरित राशि		**100.00**		100.00
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**21.00**		147.00
योग (बी)		**3,992.64**		**5,607.15**
कुल योग (ए) + (बी)		**11133.18**		**12643.09**

* पूर्ववर्ती मिटको का एमएमटीसी में विलय हो जाने के बाद वर्ष 1991 से पहले सृजित किए गए निवेश भत्ते रिजर्व से संबंधित है।

3.3 शेयर आवेदन राशि जिसका आबंटन लंबित है।

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016	31-03-2015
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	**40.00**	-
कुल	**40.00**	**0.00**

31 मार्च, 2016 को इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (एक जेवी कंपनी) को ₹5/– प्रीमियम प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी के 1,25,00,000 इक्विटी शेयरों के लिए ₹250 मिलियन की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है। एमएमटीसी की आईसीईएक्स की इक्विटी शेयरहोल्डिंग में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, तदनुसार आनुपातिक राशि को समेकन के रूप में माना जाता है। शेयर आवेदन राशि शेयर ऑफर के आमंत्रण के अनुपालन में प्राप्त हुई थी तथा इस आमंत्रण के अनुसरण में कंपनी को 8 अप्रैल, 2016 तक आबंटन की औपचारिकताओं को पूरा करना है। जेवी कंपनी के पास इन शेयरों के आबंटन को कवर करने के लिए पर्याप्त अथोराइज्ड पूंजी है। शेयरों का आबंटन होने तक, राशि को नामित बैंक अकाउंट में रखा जाता है जिसको जेवी कंपनी उपयोग नहीं कर सकती है।

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि उधार

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी				
– सुरक्षित	**135.65**		501.72	
– असुरक्षित	**-**	**135.65**	-	501.72
योग		**135.65**		**501.72**

4.2 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
व्यापार देय				
– एमएसएमईज के अतिरिक्त अन्य	**106.87**		119.87	
– एमएसएमईज	**-**	**106.87**	-	119.87
अन्य				
– अन्य	**79.81**	**79.81**	76.15	76.15
		186.68		196.02
संयुक्त उद्यमों में हित हिस्सेदारी		**74.58**		74.59
कुल		**261.26**		**270.61**

4.3 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

		31-03-2016		31-03-2015	
क. कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान					
i. छुट्टी नकदीकरण			**182.62**		247.92
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	- ओपन समूह	**807.52**		723.48	
	- क्लोज्ड समूह	**472.81**	**1280.33**	502.79	1226.27
iii. अर्धवेतन अवकाश			**193.97**		198.44
iv. सेवा अवार्ड			**61.85**		47.70
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी			**1.62**		1.86
vi. माइका कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ			**22.72**		-
vii. कर्मचारी परिवार लाभ योजना			**46.47**		49.05
			1789.58		1771.24
संयुक्त उद्यमों हित की हिस्सेदारी			**3.19**		2.93
योग			**1792.77**		**1774.17**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. मांग पर रिपेबल लोन				
बैंकों से				
सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**2117.01**		2060.42	
असुरक्षित	**611.46**	**2728.47**	1249.23	3309.65
		2728.47		3309.65
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**1801.72**		553.20
योग		**4530.19**		**3862.85**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है। बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर अदायगी योग्य हैं।

कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. विविध लेनदार				
i. एमएसएमईज के अतिरिक्त अन्य	**9180.98**		31268.34	
ii. एमएसएमईज़	**-**	**9180.98**	-	31268.34
ख. देय बिल		**-**		-
		9180.98		31268.34
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**207.29**		1749.40
योग		**9388.27**		**33017.74**

5.3 अन्य, चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
ए. अर्जित ब्याज परंतु उधार राशियों पर देय नहीं	**2.79**		4.92	
बी. अर्जित ब्याज तथा उधार राशियों पर देय	**1.77**		3.28	
सी. अन्य देय (पकृति का उल्लेख करें)				
– फारवर्ड कवर बैंक को देय राशि	**1,921.51**		2,576.90	
– घटायें: प्राप्य विदेशी मुद्रा	**1,856.00**		2522.61	
	65.51		54.29	
– विविध लेनदार–अन्य	**244.97**		70.05	
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**517.68**		270.85	
– भुगतान न किए गए लाभांश	**0.59**		0.31	
– देय डिस्पैच	**18.12**		13.91	
– देय डेमरेज	**11.63**		4.41	
– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**1055.68**		1022.61	
– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**578.00**		349.95	
– कर तथा कर्मचारियों को देय लंबित राशि	**2053.01**		1988.14	
– वेतन व भत्ते	**5.51**		7.84	
– प्रशासनिक व्यय	**110.00**		95.90	
– कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	**3.41**		6.14	
– बकाया खरीद के लिए देय राशि	**3518.05**		3150.89	
– अन्य	**1081.16**		1414.40	
		9263.32		8449.69
		9267.88		8457.89
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**212.21**		306.16
योग		**9480.09**		**8764.05**

5.4 अल्प अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
ए. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
i. बोनस/निष्पादन से जुड़ा वेतन	**102.71**		53.64	
ii. अर्जित अवकाश	**32.65**		29.31	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – ओपन ग्रुप	**17.48**		12.55	
– क्लोजिंग ग्रुप	**80.12**		65.76	
iv. अर्धवेतन अवकाश	**35.74**		28.93	
v. ग्रेच्युटी	**1.84**		2.17	
vi. सुपरअनुएशन लाभ	**1.23**		-	
vii. सेवा अवार्ड	**14.15**		8.34	
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**0.39**		0.33	
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**10.16**		9.43	
x. अन्य	**-**	**296.47**	-	210.46
ख. अन्य				
i. कराधान	**61.12**		160.74	
ii. प्रस्तावित लाभांश	**300.00**		250.00	
iii. लाभांश वितरण कर	**61.07**		50.89	
iv. गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.47**		0.67	
vi. विधिक निर्णयों के लिए प्रावधान	**382.21**		321.77	
		804.87		784.07
		1101.34		994.53
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**30.95**		172.87
योग		**1132.29**		**1167.40**

6 गैर–चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थिर परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त (टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास/हानि						निवल कैरिंग लागत	
	1-4-2015	वृद्धि	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2016	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	हानि/(हानि का रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां/समायोजन	31-03-2016 को शेष	31-03-2016	31-03-2015
फ्रीहोल्ड भूमि													
–कार्यालय भवन	3.66	-	-	-	**3.66**	-	-	-	-	-	**-**	**3.66**	3.66
–स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33	-	-	-	**1.33**	-	-	-	-	-	**-**	**1.33**	1.33
लीज होल्ड भूमि													
–कार्यालय भवन	39.60	-	-	-	**39.60**	12.63	0.50	-	13.13	0.06	**13.07**	**26.52**	26.97
–स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67	-	-	-	**2.67**	1.14	0.03	-	1.17	-	**1.17**	**1.50**	1.53
भवन													
–कार्यालय भवन	127.61	-	-	0.06	**127.55**	60.73	1.48	-	62.22	-	**62.22**	**65.33**	66.88
–स्टॉफ क्वार्टर्स/ आवासीय फ्लैट्स	65.90	-	-	-	**65.90**	53.60	0.42	-	54.02	-	**54.02**	**11.89**	11.57
–जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज	9.48	0.04	-	-	**9.52**	9.48	(0.01)	-	9.49	-	**9.49**	**0.04**	0.00
–विद्युत इंस्टॉलेशंस	18.43	8.91	-	-	**27.34**	16.72	0.35	-	17.07	-	**17.07**	**10.27**	1.73
–सड़कें व पुलियां	3.58	-	-	-	**3.58**	3.35	0.03	-	3.38	-	**3.38**	**0.20**	0.23
–ऑडियो/फायर/ एयरकंडिशिनिंग	12.54	0.16	(0.02)	0.34	**12.34**	12.01	0.10	-	12.11	0.32	**11.79**	**0.55**	0.53
		-	-	-									
संयंत्र तथा उपस्कर	794.99	0.39	-	2.36	**793.01**	363.74	32.36	-	396.10	1.96	**394.14**	**398.87**	431.25
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स													
		-	-	-									
–पार्टिशंस	33.33	4.41	(11.45)	0.17	**26.12**	25.69	1.36	-	27.05	11.73	**15.32**	**10.78**	7.78
–अन्य	50.68	2.97	12.03	0.43	**65.25**	47.52	0.87	-	48.39	(11.21)	**59.60**	**5.65**	3.72
वहन	21.02	1.94	-	4.17	**18.79**	20.16	0.32	-	20.48	4.17	**16.32**	**2.49**	0.86
कार्यालय उपस्कर	60.97	7.43	0.13	2.24	**66.28**	54.49	3.19	-	57.68	2.25	**55.43**	**10.85**	6.48
अन्य:													
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	-	**553.64**	553.64	0.00	-	553.64	-	**553.64**	**0.00**	0.00
बनीहट्टी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	-	**26.17**	26.17	-	-	26.17	-	**26.17**	**0.00**	0.00
		-	-	-									
गोदाम	34.11	-	-	-	**34.11**	21.54	1.14	-	22.69	-	**22.69**	**11.42**	12.56
		-	-	-									
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	184.15	7.89	0.15	2.84	**189.36**	176.54	5.61	-	182.15	1.22	**180.94**	**8.44**	7.70
		-	-	-									
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	733.39	65.99	-	0.17	**799.21**	147.81	56.61	-	204.43	0.10	**204.33**	**594.88**	584.69
योग	**2777.25**	**100.14**	**0.84**	**12.78**	**2865.44**	**1606.96**	**104.36**	**-**	**1711.35**	**10.60**	**1700.76**	**1164.67**	**1169.47**
विगत वर्ष	**2724.58**	**47.27**	**0.46**	**5.43**	**2766.87**	**1361.50**	**133.80**	**106.87**	**1602.17**	**4.77**	**1597.41**	**1169.47**	

ए. दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ₹1.32 मिलियन (गतवर्ष ₹1.32 मिलियन) ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

बी. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के आवासीय लैटों में ₹0.002 मिलियन (गत वर्ष ₹0.002 मिलियन) के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल लैटों में जिनका औरिजनल मूल्य 31.03.2016 को ₹4.89 मिलियन (गत वर्ष ₹4.89 मिलियन) का अंतरण लंबित है।

सी. जो भूमि निगम के स्वातमित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत ₹6.24 मिलियन है (गत वर्ष ₹6.24 मिलियन) और मूल्यह्रास ₹3.62 मिलियन (गत वर्ष ₹3.57 मिलियन) के मूल्यह्रास का प्रावधान है।

डी. जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत ₹0.66 मिलियन है (गत वर्ष ₹0.66 मिलियन)।

ई. पारादीप में लीजहोल्ड भूमि पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों के बिजली उपकरण इंस्टालेशन की लागत ₹11.63 मिलियन (गत वर्ष ₹11.63 मिलियन) जो 20.11.2011 को समाप्त हो चुकी है तथा संचित मूल्यह्रास ₹6.59 मिलियन (गत वर्ष ₹6.44 मिलियन) है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण का अनुमोदन कर दिया है तथापि सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतिक्षित है।

एफ. निगम ने परिसंपत्तियों की हानि (रेलवे वैगन रैक्सि) का निर्धारण किया है तथा वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि/क्षति के लिए शून्य मिलियन ₹ का प्रावधान किया है। (गत वर्ष ₹106.87 मिलियन)।

जी. फर्नीचर व फिक्चर के लिए सकल ब्लाक के अतंर्गत अन्य समायोजन कालम – पार्टीशन ₹0.50 मिलियन, फर्नीचर व फिक्चर – अन्य ₹0.09 मिलियन, आफिस उपकरण ₹0.08 मिलियन, कंप्यूटर व डाटा प्रोसेसर्स ₹0.15 मिलियन जो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर विदेश सहायक कंपनी के विदेश विनिमय दर के अंतर से संबंधित है।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लाक					परिशोधन						निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2015	परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2016	01.04.2016 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए परिशोधन	हानि/(हानि का रिवर्सल	उप योग	कटौतियां	दिनांक 31.03.2016 को शेष	31-03-2016	31-03-2015
कंप्यूटर साफ्टवेयर	2.84	3.09	0.02		5.93	1.36	0.65		2.01	-	**2.01**	**3.92**	1.47
समेकन पर गुडविल (संयुक्त उद्यम)	8.77	-	(4.68)	-	4.09	8.48	0.10		8.58	4.68	**3.90**	**0.19**	0.30
समेकन पर गुडविल (असोसिएट्स)	219.16	-			219.16	175.33	43.83		219.16	-	**219.16**	**-**	43.82
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	15.91	0.72		-	16.64	10.96	1.19		12.15	-	**12.15**	**4.49**	4.96
योग	**246.68**	**3.81**	**(4.66)**	**-**	**245.82**	**196.13**	**45.77**	**-**	**241.90**	**4.68**	**237.22**	**8.60**	**50.55**
गत वर्ष	**231.86**	**5.26**	**0.01**	**-**	**237.13**	**140.74**	**45.84**	**-**	**186.58**	**-**	**186.58**	**50.55**	

6.1.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ मिलियन में)

परिसंपत्तियां	परिसंपत्तियां					मूल्यह्रास/हानि						निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2015	परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2016	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए परिशोधन	हानि/(हानि का रिवर्सल	उप योग	कटौतियां	दिनांक 31.03.2016 को शेष	31-03-2016	31-03-2015
ए) माइका प्रभाग													
भवन													
- निर्माणाधीन भवन	6.71	-	-	-	**6.71**	6.71	-	-	6.71	-	**6.71**	**-**	-
- इलेक्ट्रीकल इंस्टालेसंस	6.70	-	-	-	**6.70**	6.70	-	-	6.70	-	**6.70**	**-**	-
- सड़के व पुलिया	0.47	-	-	-	**0.47**	0.47	-	-	0.47	-	**0.47**	**-**	-
फर्नीचर	0.05	-	(0.05)	-	**0.00**	-	-	-	-	-	**-**	**-**	0.05
प्लांट व उपकरण	13.80	-	-	-	**13.80**	13.80	-	-	13.80	-	**13.80**	**-**	-
बी) अन्य													
भवन													
निर्माणाधीन भवन	-	7.50	-	-	**7.50**	-	-	-	-	-	**-**	**7.50**	-
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	1534.55	196.18	(12.65)	-	**1718.07**	-	-	-	-	-	**-**	**1718.07**	1534.55
कुल	**1562.28**	**203.68**	**(12.70)**	**0.00**	**1753.25**	**27.68**	**0.00**	**0.00**	**27.68**	**0.00**	**27.68**	**1725.57**	**1534.60**
गत वर्ष	**1446.30**	**182.16**	**0.00**	**65.79**	**1562.67**	**27.69**	**0.00**	**0.39**	**28.07**	**0.00**	**28.07**	**1534.60**	

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
I. व्यापार				
ए. निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स		**36.31**		36.31
बी. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश				
ए) एसोसिएट्स				
i. नीलाचल इस्पात निगम लि.				
प्रत्येक ₹10 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष ₹10 मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**3796.85**		3796.85	
जोड़ें : आज की तारीख तक एसोसिएट्स से आय	**(2,701.77)**		(1,036.49)	
घटाए : गुडविल	**219.16**	**875.92**	219.16	2541.20
ii. देवोना थर्मल पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.				
शून्य (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	-		0.13	
घटाएं : गुडविल	-	-	0.13	-
बी) अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटेक लिमिटेड				
प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाएं : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**	-	47.50	-
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
प्रत्येक ₹1/– मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर शून्य (गत वर्ष प्रत्येक ₹1/– मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	-		30.00	
iii. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
₹1/– मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 77922 इक्विटी शेयर (गत वर्ष शून्य)		**30.00**		-
II. अन्य निवेश – संयुक्त उद्यम				
i. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.				
प्रत्येक ₹5/– मूल्य के 32,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक ₹5/– मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	-		260.00	
घटाएं : निवेश मूल्य में डिमिन्यूशन के लिए प्रावधान	-	-	241.10	18.90
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**(0.28)**		(0.69)
योग		**941.95**		**2625.72**

*इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (जेवी कंपनी) के वर्ष 2015–15 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए थे अतः उन्हें वर्ष 2014–15 के दौरान समेकन में नहीं लिया गया तथा इन्हें निवेश के रूप में दर्शाया गया था। तथापि इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के वर्ष 2015–16 के आडिटिड वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(i) जिन परिसंपत्तियों को व्यापार निवेश के रूप में दर्शाया गया है उनका मूल्य ₹36.31 मिलियन है तथा यह संपत्ति का कैरिंग मूल्य है। (गत वर्ष ₹36.31 मिलियन)। इस संपत्ति को वर्ष के दौरान किराए पर दिया गया था, अतः इसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस–13 के पैरा 3.4 के अनुसार निवेश संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है तथा इस पर मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

(ii) सभी नॉन करेंट निवेशों को लागत पर अथवा इसके मूल्य में स्थायी डिमिन्युशन, यदि कोई है तो, को घटाकर दर्शाया जाता है। कंपनी का कोई भी कोटेड निवेश नहीं है। अन–कोटेड निवेश का समग्र मूल्य ₹3874.35 मिलियन है (गत वर्ष 3874.48 मिलियन)। निवेश के मूल्य में डिमिन्युशन के लिए ₹47.50 मिलियन की समग्र राशि का प्रावधान किया गया है (गत वर्ष ₹47.50 मिलियन)।

(iii) यूनाईटिड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) में किए गए ₹30.00 मिलियन के निवेश के संबंध में दिनांक 1.4.2014 की नियुक्त तिथि से बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ यूएसई के विलय के लिए चालू वर्ष के दौरान यूएसई ने सेबी, सीसीआई तथा शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.04.15 को विलय की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। परिणामस्वरूप, यूएसई के 3,00,00,000 शेयरों के बदले निगम को बीएसई के 77,922 शेयर प्राप्त हो गए हैं। (अर्थात यूएसई में धारित प्रत्येक 385 शेयरों के लिए बीएसई का 1 शेयर)

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2015 को को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	वर्ष 2015–16 के दौरान क्रेडिट / (प्रभार)	दिनांक 31.03.2016 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)
मूल्यह्रास	(113.40)	2.74	**(110.66)**
संदिग्ध् ऋणों के लिए प्रावधान	2267.59	(2.60)	**2,264.99**
डीडब्ल्यूए जोखिम	0.23	(0.07)	**0.16**
वीआरएस व्यय	11.07	(6.04)	**5.03**
मुकदमेबाजी के निपटारों के लिए प्रावधान	111.36	20.91	**132.27**
सीएसआर के लिए प्रावधान	2.12	(0.94)	**1.18**
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	(45.66)	(3.43)	**(49.08)**
कुल	**2233.31**	**10.57**	**2243.89**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. कैपिटल अग्रिम				
I. सुरक्षित वसूली योग्य	-		-	
II. असुरक्षित वसूली योग्य	**0.23**		0.50	
III. संदिग्ध	-		-	
	0.23		0.50	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**0.23**	-	-
ख. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**92.06**		106.31	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**59.18**		19.37	
III. संदिग्ध	**18.36**		18.76	
	169.60		144.44	
घटाए : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**18.36**	**151.24**	18.76	125.68
ग. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	-		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**215.44**		0.11	
III. संदिग्ध	-		-	
	215.44		0.11	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**215.44**	-	0.11
घ. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
- पीएसयूज़/अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**120.14**		88.40	
- अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**0.07**		0.03	
- कर्मचारियों को ऋण	**153.62**		171.96	
II. वसूली योग्य असुरक्षित				
- पी.एस.यूज़/अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	-		175.77	
- अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	-		28.60	
- कर्मचारियों को ऋण	**83.46**		88.22	
- अन्य	**161.06**		189.66	
III. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस, प्राप्त रिफंड तथा वैट सहित वसूली योग्य असुरक्षित)				
- वसूली योग्य असुरक्षित	**470.61**		391.52	
IV. संदिग्ध (i)	**2484.36**		2491.43	
	3473.32		3625.58	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2484.36**	**988.96**	2491.43	1134.15
		1355.87		1260.44
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**46.02**		38.16
योग		**1401.89**		**1298.60**

(i) एनएसईएल के भुगतान दायित्वों के चूक के कारण विभिन्न कर्जदारों तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) के वसूली योग्य ₹2097.92 मिलियन (गत वर्ष 2097.92 मिलियन) शामिल हैं जिनके लिए वर्ष 2013–14 में पहले ही पूरा प्रावधान किया गया है। एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध निगम ने बाम्बे उच्च न्यायालय में विभिन्न केस दर्ज किए हैं तथा मामले की सुनवाई प्रगति पर है। फरवरी 2016 में भी एनएसईएल की मूल कंपनी फाइनेंशियल टेकनालॉजिस (एमटीआईएल) में इस वित्तीय आदेश के विरूद्ध एफटीआईएल ने सरकार के विरूद्ध मामला फाइल किया है। एमएमटीसी भी विलय का समर्थन करने वाले विभिन्न मामले में एक हस्तक्षेप करने वाली पार्टी है। सीबीआई ने भी मामला रजिस्टर किया है तथा जाचं प्रगति पर है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियॉं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
ए. दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य	**16.85**		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**14.14**		10.51	
iii. संदिग्ध माने गए	**3753.92**		3751.73	
	3784.91		3762.24	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए प्रावधान	**3753.92**	**30.99**	3753.92	8.32
बी. अन्य		**-**		-
		30.99		8.32
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**2.94**		4.17
कुल		**33.93**		**12.49**

7. चालू परिसम्पत्तियॉं

7.1 वर्तमान निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016	31-03-2015
म्युचुअल फंड़ों में निवेश	**-**	-
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी (अनकोटिड)	**2.60**	128.81
कुल	**2.60**	**128.81**

वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन न्यूनतम लागत तथा उचित मूल्य पर किया जाता है।

31.03.2016 को कोटिड निवेशों की लागत शून्य मिलियन रुपए(गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए) की तुलना में कुल बाजार मूल्य षून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए)।

अन–कोटिड निवेशों की कुल राशि 2.60 मिलियन रूपए है(गत वर्ष 128.81 मिलियन रूपए)।

7.2 इन्वैंट्रीज

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. कच्चा माल	**205.89**		233.91	
ख. तैयार माल	**812.03**		358.50	
ग. स्टॉक–इन–ट्रेड (627.73 मिलियन रुपए(गत वर्ष 544.19 मिलियन रुपए) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल हैं)।	**2997.27**		2601.69	
घ . पैकिंग सामान	**-**	**4015.19**	-	3194.10
		4015.19		3194.10
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**415.37**		144.12
योग		**4430.56**		**3338.22**

जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

स्टॉक इन ट्रेड में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1) 21020 प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआरएस) तथा 21020 सत्यापित कार्बन यूनिट्स (वीसीयूज) जिनका मूल्यांकन एएस –2 के अनुसार 0.8 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.78 मिलियन रुपए) किया गया है। अर्थात लागत अथवा सकल वसूली योग्य मूल्य से निम्नतर है।
2) प्रमाणन के अंतर्गत सीईआरज की संख्या शून्य है।
3) मूल्यह्रास उत्सर्जन कमी उपकरणों की ओ एण्ड एम लागत के लिए 28.96 मिलियन रुपए राशि व्यय की गई।

7.3 ट्रेड प्राप्य (रिसिवेबल्स)

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**2481.60**		529.92	
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	**2401.10**		3121.85	
iii. संदिग्ध	**205.57**		205.60	
	5088.27		3857.37	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**205.57**	**4882.70**	205.60	3651.77
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य (रिसिवेबल्स)				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**1422.29**		3553.63	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**1979.62**		23211.37	
iii. संदिग्ध	**-**		-	
	3401.91		26765.00	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**3401.91**	-	26765.00
		8284.61		30416.77
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**36.00**		19.58
योग		**8320.61**		**30436.35**

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
– उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्ट्स		**-**		0.99
– उपलब्ध रोकड़		**0.32**		0.08
- बैंकों के पास शेष				
i) चालू खाते में	**24.83**		56.32	
ii) कैश क्रेडिट खाते में(डेबिट शेष)	**328.24**		1005.19	
iii) तीन माह की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	**97.79**	**450.86**	221.80	1283.31
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
– मार्जिन राशि के रूप में/लियन के अर्न्तगत	**-**		-	
– तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल परिपक्वता के सावधि जमा में	**1364.88**		1330.49	
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल परिपक्वता में	**0.14**	**1365.02**	0.13	1330.62
		1816.20		2615.00संयुक्त
उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**72.68**		1566.49
योग		**1888.88**		**4181.49**

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
क. संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	-		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**7866.44**		-	
iii. संदिग्ध	-		-	
	7866.44		-	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**7,866.44**	-	-
अन्य				
i. रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
वसूली योग्य, सुरक्षित	**64.19**		79.91	
वसूली योग्य असुरक्षित*	**4226.04**		12,199.62	
संदिग्ध	**50.03**		50.03	
	4340.26		12329.56	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**50.03**	**4290.23**	50.03	12279.53
ii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
वसूली योग्य– सुरक्षित	**0.01**		-	
वसूली योग्य – असुरक्षित	**213.13**		41.79	
संदिग्ध	**4.77**		4.77	
	217.91		46.56	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.77**	**213.14**	4.77	41.79
iii. आयकर (इसमें अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा देय रिफंड तथा वैट शामिल हैं)				
वसूली योग्य – असुरक्षित		**97.28**		181.92
		12467.09		12503.24
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**719.37**		284.99
योग		**13186.46**		**12788.23**

'अगस्त 2012 से आगे की अवधि के लिए राज्य सरकारों के लिए खाद्य तेलों के आयात के प्रति प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्य 2913.75 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3732.90 मिलियन रूपये) की सब्सिडी शामिल है। नियमित बजट तथा अनुपूरक मांग में निधियों का आबंटन न किए जाने के कारण यह राशि लम्बित है।

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियॉं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2016		31-03-2015	
आस्थगित प्रीमियम	**24.14**		33.92	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	**3518.05**		3150.89	
	3542.19		3184.81	
घटाएं : संदिग्ध राशि के लिए प्रावधान	-	**3542.19**	-	3184.81
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**1.90**		18.98
योग		**3544.09**		**3203.79**

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. उत्पादों की बिक्री		**123261.24**		181426.10
ख. सेवाओं की बिक्री		**262.41**		46.20
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
–अर्जित डिस्पैच	**13.04**		12.68	
–दावे	**185.89**		231.21	
–आर्थिक सहायता	**206.81**		-	
–अन्य व्यापारिक आय	**36.81**		210.36	
	442.55		454.25	
घटाएं				
घ. उत्पाद शुल्क	**1.75**	**440.80**	5.56	448.69
		123964.45		181920.99
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**63931.48**		57395.43
योग		**187895.93**		**239316.42**

9. अन्य आय

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. ब्याज				
– फिक्स डिपोजिट पर ब्याज	**48.15**		328.24	
– ओवरड्यू राशि पर ग्राहकों से ब्याज	**324.39**		40.15	
– अन्य (i)	**892.46**	**1265.00**	659.22	1027.61
ख. लाभांश				
– संयुक्त उपक्रम कम्पनी से लाभांश	**122.12**		52.34	
– अन्य(म्युचुअल फंड)	**2.33**	**124.45**	19.40	71.74
ग. अन्य गैर–प्रचालन आय (उक्त आय पर सीधे आरोप्य सकल व्यय)				
– स्टाफ क्वार्टर किराया	**5.15**		5.85	
– विविध प्राप्तियॉं (ii)	**68.03**		87.09	
– रिटन बैक देयताएं	**79.97**		87.38	
– विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	**0.62**			
-घटाएं : विदेशी मुद्रा हानि	**-**	**153.77**	-	180.32
		1543.22		1279.67
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**163.19**		169.39
योग		**1706.41**		**1449.06**

(i) समय–समय पर एक असोसिएट कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को दी गई लघु अवधि लोन सुविधा पर 767.09 मिलियन रूपए (गत वर्ष 543.32 मिलियन रूपए) का ब्याज शामिल है।

(ii) नोट 6.2 'गैर चालू निवेश' के अंतर्गत दर्शाई गई बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स में निवेश संपत्ति से प्राप्त 15.02 मिलियन रूपये (गत वर्ष 24.18 मि.रु.) की किराया आय शामिल है।

10. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
कच्चा माल		**602.40**		1,222.05
पैकिंग सामग्री		**-**		-
		602.40		1,222.05
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**-**		-
योग		**602.40**		**1,222.05**

11. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2015-16		2014-15	
क. क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	**64646.26**		43788.27	
धातुएं	**5176.79**		9263.37	
उर्वरक	**28757.37**		79702.15	
खनिज	**4565.24**		16019.90	
कृषि उत्पाद	**4204.70**		2949.59	
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**7329.92**		16218.18	
सामान्य व्यापार/अन्य	**40.88**	**114721.16**	839.03	168780.49
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं		**(1.21)**		(6.65)
अलौह धातुएं		**-**		(85.98)
		114719.95		168687.86
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**63497.98**		56580.52
योग		**178217.93**		**225268.38**

12. इन्वेंट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	**10.60**		886.98	
अंतिम शेष	**938.54**		649.91	
तैयार माल की इन्वैंट्री में परिवर्तन		**(927.94)**		237.07
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	**3182.65**		2197.28	
अंतिम शेष	**3076.62**		2718.31	
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वैट्री में परिवर्तन		**106.03**		(521.03)
		(821.91)		(283.96)
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**(264.09)**		(57.03)
योग		**(1,086.00)**		**(340.99)**

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2015-16			
वेतन				
वेतन तथा भत्ते	**1382.21**		1316.66	
छुट्टी नकदीकरण	**114.99**		142.33	
बोनस	**0.89**		2.68	
परफॉरमेंस से जुडा वेतन	**55.40**		27.64	
चिकित्सा व्यय	**70.74**		72.65	
सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा व्यय	**152.88**		149.49	
ग्रुप बीमा	**1.10**		1.14	
डीएलआईएस में अशंदान	**4.16**	**1782.37**	3.23	1715.82
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान				
भविष्य निधि	**105.30**		100.52	
ग्रेच्युटी निधि	**1.77**		14.06	
परिवार पेंशन योजना	**20.20**		17.99	
अधिवर्षिता लाभ	**83.38**	**210.65**	79.12	211.69
स्टाफ कल्याण व्यय		**66.40**		37.25
		2059.42		1964.76
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**77.45**		56.20
कुल		**2136.87**		**2020.96**

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
I. ब्याज व्यय		**296.08**		161.24
II. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम		**7.12**		26.46
		303.20		187.70
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**199.84**		203.31
योग		**503.04**		**391.01**

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2015-16		2014-15	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**1945.74**		5051.41	
डेमरेज	**19.92**		10.60	
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**663.55**		1070.30	
एलसी नेगोशियेशन एवं अन्य प्रभार	**8.22**		10.57	
विनिमय में अंतर	**(167.00)**		41.20	
सीमा शुल्क	**5629.38**		3783.78	
बीमा	**2.81**		9.48	
गोदाम बीमा	**9.14**		6.92	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**10.90**		14.18	
पैकिंग सामग्री	**4.13**		8.18	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.47**	**8127.26**	0.67	10007.29
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स एवं स्पेअयर पार्ट्स की खपत	**-**		0.30	
ऊर्जा एवं ईंधन	**1.97**		1.67	
किराया	**34.99**		39.69	
दरें एवं कर	**15.01**		17.25	
बीमा	**1.12**		1.12	
भवनों की मरम्मत	**76.45**		47.31	
मशीनों की मरम्मत	**0.45**		0.78	
मरम्मत एवं नवीकरण	**32.11**		18.41	
बिजली एव जल प्रभार	**37.18**		25.90	
विज्ञापन एवं प्रचार	**21.10**		16.69	
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	**6.36**		7.23	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**1.75**		3.09	
टेलीफोन	**16.14**		15.05	
टेलीकम्यूनिकेशन	**8.22**		8.09	
यात्रा	**36.13**		39.17	
वाहन	**19.63**		19.32	
मनोरंजन	**7.80**		7.18	
विधिक	**52.79**		48.55	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**6.90**		6.56	
बैंक प्रभार	**8.17**		4.17	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.50**		0.43	
ट्रेड	**5.33**		5.67	
कम्प्यूटर	**0.25**		0.18	
अंशदान	**3.96**		3.56	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**4.27**		7.54	
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**20.91**		23.46	
सीएसआर व्यय	**4.57**		4.68	
विनिमय में अंतर	**11.28**		(3.48)	
सेवा कर	**12.29**		8.54	
पूर्वावधि मदें (ii)	**6.39**		16.00	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**34.53**		6.86	
बट्टे खाते में डाले गए/निकाले गए (विदड्रान) अशोध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तिया	**0.97**		299.96	
गोमिया कोल ब्लॉक पर व्यय	**-**		78.35	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2.80**		12.36	
विविध व्यय	**74.13**	**566.45**	66.24	857.88
		8693.71		10865.17
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी		**341.09**		282.68
कुल		**9034.80**		**11147.85**

(i) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
लेखा परीक्षकों के रूप में	**3.74**	3.45
कराधान मामलों के लिए	**1.41**	1.38
कंपनी के विधिक मामलों के लिए	**-**	-
प्रबंधन सेवाओं के लिए	**-**	-
अन्य सेवाओं के लिए	**1.70**	1.66
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.05**	0.07
योग	**6.90**	**6.56**

(ii) पूर्वावधि मदें

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
व्यय		
बिक्री की लागत	**(51.11)**	3.43
वेतन एवं मजदूरी	**0.30**	-
प्रशासनिक व्यय	**1.43**	1.63
ब्याज	**0.73**	(0.02)
अन्य	**8.09**	3.06
अनुयोग	**(40.56)**	8.10
आय		
बिक्री	**(51.76)**	0.29
ब्याज	**0.45**	(15.80)
अन्य प्राप्तियां	**4.35**	7.61
अनुयोग	**(46.96)**	(7.90)
कुल (नेट)	**6.39**	**16.00**

16. अपवाद मदें

अपवाद मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(₹ मिलियन में)

	2015-16	2014-15
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वैंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**1.14**	141.14
स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.83)**	(0.32)
दीर्घावधि निवेश का निपटान (i)	**(100.00)**	-
चोरी के कारण हानि	**-**	3.54
मुकदमों का निपटारा (ii)	**(306.94)**	323.39
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है (iii)	**(247.04)**	(698.31)
संयुक्त उद्यमों में हित के हिस्सेदारी	**3.96**	(230.56)
कुल	**(649.71)**	**(230.56)**

i) आईसीईएक्स के पांच रुपए के अंकित मूल्य वाले, 2 करोड़ (10%) शेयरों को 5 रुपए के अधिमूल्य पर बेचने से हुआ लाभ दर्शाता है।

ii) (क) यूरिया के आयात से संबंधित निष्पादन बैंक गारंटी को रोके जाने के विरूद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा फाइल किए गए दावे के प्रति कंपनी के विरूद्ध मध्यस्थता निर्णय के संबंध में ₹33.45 मिलियन (गत वर्ष ₹321.77 मि.) की देयता शामिल है। निगम द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को में इस निर्णय को चुनौती दी गई जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध निगम ने अब माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन फाईल की है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। तथापि, दिनांक 31.03.2016 तक दावे (₹230.17 मि.), ब्याज (₹134.89 मि.) तथा अन्य लागत आदि (₹17.15 मि.) के प्रति ₹352.21 मि. की कुल देयता का प्रावधान किया गया है।

(ख) गेहूं खाता एफसीआई की निर्यात आय के प्रति निगम द्वारा रोकी गई ₹609.90 मि. की राशि में से एफसीआई से वसूली योग्य बकाया देय पर ओवरड्यू ब्याज के विरूद्ध उपयोग की गई ₹389.90 मिलियन की राशि का क्रेडिट शामिल है, वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान एफसीआई से अन्य वसूली योग्य राशि के लिए ₹220 मि. का पहले ही उपयोग कर लिया गया है। जहां राशि को रोके जाने को उक्त कार्यवाही का एफसीआई द्वारा विरोध किया जा रहा है वहीं निगम ने यह निर्णय किया है कि वसूली योग्य एवं ब्याज आय राशि के प्रति रोकी गई राशि का उपयोग कर लिया जाये।

iii) (क) ग्राहक से बकाया राशि की वसूली हो जाने पर अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹221.35 मिलियन) के प्रावधानों को हटाया जाना शामिल है। वर्ष 2014–15 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तथा नोट 15(बी) में बट्टे खते में डाले गए अशोध्य ऋणों के रूप में दर्शाए गए ऋणों के संबंध में किए गए शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹284.53 मिलियन) के प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, भी इसमें शामिल हैं।

(ख) ''सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना'' को परिभाषित अंशदान योजना में परिवर्तित किये जाने के परिणामस्वरूप हटाए गए शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹145.85 मिलियन) के अधिक प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।

(ग) शत प्रतिशत अधिमूल्य पर आईसीईएक्स की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी (स्टेक) की बिक्री के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आईसीईएक्स में किए गए निवेश में स्थायी ह्रास के लिए किए गए ₹241.10 मि. (गत वर्ष शून्य मि. ₹) के प्रावधान को हटाना भी इसमें शामिल है।

17. असाधारण मदें

18. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नहीं)

i) आकस्मिक देयताएं

ए) करार के निष्पादन के प्रति निगम की ओर से बैंक द्वारा ग्राहक के पक्ष में ₹1129.56 मि. (गत वर्ष ₹2039.36 मि.) की गारंटियां तथा शून्य मिलियन ₹ (गत वर्ष ₹404.00 मि.) की कारपोरेट गारंटियां जारी की गईं जिनकी एवज में एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं के ₹1255.78 मिलियन (गत वर्ष ₹3764.60 मिलियन) की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गईं हैं।

बी) एनआईएनएल को दिए गए ऋण के संबंध में मूलधन तथा ब्याज की राशि प्राप्त करने के लिए एक एसोसिएट कंपनी, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर निगम द्वारा वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में ₹14605.60 मिलियन (गत वर्ष ₹14693.70 मिलियन) की कारपोरेट गारंटी दी गई। एक बैंक द्वारा एनआईएनएल को दिए गए ₹1800.00 मिलियन के ऋण के संबंध में निगम द्वारा कम्फर्ट लेटर भी जारी किया गया। जिसके प्रति निगम द्वारा ₹900.00 मि. की कारपोरेट गारंटी दी गई है। निगम के बैंक खाते से प्रत्येक माह ₹25.00 मि. डेबिट करने ऋण की अवधि अर्थात एनआईएनएल द्वारा अक्तूबर 2014 में लिए गए ऋण से 4 वर्ष के दौरान उसी बैंक में बनाए गए एनआईएनएल के चालू खाते में क्रेडिट करने के लिए निगम द्वारा बैंक को प्राधिकृत करने के साथ साथ स्थायी आदेश भी जारी किए गए हैं। दिनांक 3.03.2016 को उक्त स्थायी अनुदेश के प्रति ₹750.00 मिलियन की बचनबद्धता थी।

सी) वर्ष 2008–09 में एनआईएनएल (एसोसिएट कंपनी) को आगे बिक्री करने के लिए कोकिंग कोल के आयात हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ निगम ने एक क्रय करार किया था। करार का निष्पादन न किए जाने के कारण आपूर्तिकर्ता ने मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित किया। ₹5216.80 मिलियन (दिनांक 31.03.2016 को ₹66.27 की दर से 78.72 मिलियन अमरीकी डालर) तथा दिनांक 31.03.2016 तक इस राशि पर 3304.55 ₹मिलियन के ब्याज/लागत के लिए एमएमटीसी के विरूद्ध निर्णय दिया गया। निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी गई परन्तु माननीय न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। इस निर्णय के विरूद्ध निगम ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई की अगली तिथि 18.07.2016 है।

चूंकि वरिष्ठ वकीलों की विधिक राय के अनुसार आपूर्तिकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए निगम का मामला मजबूत है इसलिए विधिक कार्यवाही का परिणाम आने तक प्रबंधतंत्र ने दिनांक 31.03.2016 को अपनी लेखा बहियों में

लगभग ₹8520.99 मिलियन की मांग राशि के लिए प्रावधान करने का निर्णय लिया है। निगम द्वारा प्राप्त की गई विधिक राय के अनुसार यदि इस दावे के प्रति कोई देयता होगी तो इसका वहन केवल एनआईएनएल द्वारा ही किया जायेगा। संदर्भित विवाद के कारण होने वाली किसी देयता को वहन करने की विधिक स्थित के विषय में निगम ने एनआईएनएल को किए अपने पत्राचार में पुनः दोहराया है।

डी) कंपनी के विरूद्ध ₹4614.32 मिलियन (पिछले वर्ष ₹3439.48 मिलियन) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

ई) निगम द्वारा साख पत्र खोले गए तथा ₹2167.86 मि. (गत वर्ष ₹3143.05 मि.) बकाया शेष हैं।

एफ) ₹2342.94 मिलियन (पिछले वर्ष ₹2248.73 मिलियन) के विवादित बिक्रीकर मांग जिसके लिए ₹181.17 मिलियन (पिछले वर्ष ₹183.53 मिलियन) जमा कराये गये और ₹0.67 मिलियन (पिछले वर्ष ₹0.67 मिलियन) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

जी) ₹613.02 मिलियन (गत वर्ष ₹701.79 मिलियन) की विवादित मांग के प्रति ₹455.56 मिलियन (गत वर्ष ₹373.70 मिलियन) जमा किए गए।

एच) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में ₹942.72 मिलियन (पिछले वर्ष ₹849.45 मिलियन) की सेवा कर मांग।

आई) विभाग द्वारा ₹7.59 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन ₹) की टीडीएस मांग।

जे) वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान विलंबित भुगतान के लिए एक ग्राहक को बैक–टू–बैक आधार पर कोयले की आपूर्ति के संबंध में बढ़े हुए रेलवे भाड़े अस्वीकृत बैंक सेम्पलिंग, अस्वीकृत रेक तथा ब्याज के प्रति स्टीम कोल एक बैक–टू–बैक आपूर्तिकर्ता ने ₹504.30 मिलियन (गत वर्ष ₹504.30 मिलियन) का दावा किया है जिस पर ग्राहक द्वारा विवाद किया गया है।

के) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2016 को असमाप्त बांडो की राशि ₹6221.85 मिलियन (गत वर्ष ₹9372.80 मिलियन) है। जिनमें से कंपनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में ₹58.28 मिलियन (गत वर्ष ₹47.41 मिलियन) के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा अपील फाइल की गई है।

एल) स्थायी मार्जिन आधार पर बैक–टू–बैक शर्तों से एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पावर युटिलिटीज को निगम से आपूर्ति स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी/ब्याज/दण्ड आदि के लिए कस्टम विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से ₹1902.44 मिलियन (गत वर्ष ₹351.21 मिलियन) की मांग की है! इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय कोलकता एवं मुंबई ने अपनी खाता बहियों में क्रमशः ₹174.82 मिलियन (गत वर्ष ₹174.82 मिलियन) तथा ₹215.61 मिलियन (गत वर्ष ₹251.61 मिलियन) की फर्म देयता दिखाई है। कस्टम ड्यूटी के प्रति किसी भी देयता का वहन बैक अप आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।

एम) ₹193.17 मिलियन (गत वर्ष ₹193.17 मिलियन) की आबकारी शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) के विरूद्ध कंपनी ने पहले ही सीईएसटीएटी में अपील फाईल की हुई है। विधिक राय के सुझाव के आधार पर निगम ने दावे का विरोध किया है।

ओ) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

पी) कर निर्धारण हो जाने पर बिक्री कर की मांग कुछ कर्मचारियों के विवादित मामले, हैंडलिंग एजेंट्स/ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि की कटौती न करने के कारण तथा आकस्मिक देयता के संबंध में ब्याज/दण्ड/विधिक लागत आदि के प्रति यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो यह अनिश्चय है। अतः इस पर विचार नहीं किया गया।

क्यू) आकस्मिक देयताओं में संयुक्त उद्यमों के शेयर उनके आडिटेड लेखा विवरणों ₹2973.19 मिलियन (गत वर्ष ₹33.43 मिलियन) पर आधारित हैं।

आर) आकस्मिक देयताओं में असोसिएट्स के शेयर उनके आडिटेड लेखा विवरणों ₹1767.15 मिलियन (गत वर्ष ₹1595.92 मिलियन) पर आधारित हैं।

II वचनबद्धताएं :

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि ₹7.41 मिलियन (पिछले वर्ष शून्य मिलियन ₹) की राशि का प्रावधान नही किया गया।

(ख) पूंजी खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि तथा जिनका संयुक्त उद्यमों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है उनके आडिटेड लेखा विवरणों ₹47.07 मिलियन (गत वर्ष ₹22.94 मिलियन) पर आधारित हैं।

(ग) पूंजी खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि तथा जिनका असोसिएट्स के लिए प्रावधान नहीं किया गया है उनके आडिटेड लेखा विवरणों ₹648.59 मिलियन (गत वर्ष ₹886.41 मिलियन) पर आधारित हैं।

सामान्य प्रकटन :–

19. एएस–17 के अनुसरण में कंपनी खनिजों, कीमती धातुओं,

धातुओं, कृषि उत्पादों, कोल व हाइड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार/अन्य को प्रमुख रिपोर्ट करने योग्य बिजनेस सेग्मेंट्स माना है। सेकेंड्री सेग्मेंट्स में भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत के भीतर तथा भारत के बाहर माना गया है। विवरण अनुलग्नक 'ए' पर दिया गया है।

20. एएस–18 के अनुसार पार्टियों से संबंधित प्रकटन (जैसाकि प्रबंधतंत्र ने पहचाना तथा प्रमाणित किया है)

ए. संबंधित पार्टियों के नाम व विवरण :

ए) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्यपालक

i. श्री वेद प्रकाश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – प्रबंध निदेशक

ii. श्री राजीव जयदेव, निदेशक

iii. श्री एम. जी. गुप्ता, निदेशक (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

iv. श्री आनंद त्रिवेदी, निदेशक

v. श्री पी.के.जैन, निदेशक

vi. श्री अश्वनी सौंधी, निदेशक (दिनांक 06.01.2016)

vii. श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रबंध निदेशक, एमटीपीएल

viii. श्री आनंद कुमार दुआ, निदेशक, एमटीपीएल

बी) सहायक कंपनी
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, (सिंगापुर)

सी) एसोशिएटस
नीलाचल इस्पाल निगम लिमिटेड

डी) संयुक्त उद्यम

- फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
- हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड) वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
- एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
- इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
- सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
- टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
- ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.

बी. वर्ष 2015–16 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	प्रमुख प्रबंधतंत्र के कार्यपालक	
	2015-16	2014-15
पारिश्रमिक	45.47	36.09
प्राप्य	0.15	0.15

21. प्रति शेयर अर्जन

(₹ मिलियन में)

विवरण	2015-16	2014-15
कर पश्चात लाभ (मिलियन ₹ में)	(1,045.09)	(424.78)
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन)	1000	1000
प्रति शेयर बेसिक डायल्यूटिड अर्जन (₹) (प्रति शेयर ₹1 अंकित मूल्य) (गत वर्ष प्रति शेयर ₹1 अंकित मूल्य)	(1.05)	(0.42)

22. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट'/लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में निगम के स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व पूंजीगत वचनबद्धताओं के विवरण निम्नानुसार हैं :–

(₹ मिलियन में)

क्र सं	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसंपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत वचन बद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	भारत	168.13	164.81	0.66	0.62	0.07	-
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	26	भारत	1571.85	953.94	64019.12	63819.98	2920.99	39.19
3	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	भारत	1696.96	1359.10	-	-	49.88	7.88
4	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	16	भारत	61.21	55.12	1.14	13.07	0.00	-
5	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि	26	भारत	67.08	48.23	73.74	76.28	2.25	-
6	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	26	भारत	0.03	0.09	-	0.08	-	-
7	ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.*	18	भारत	-	-	-	-	-	-

* कंपनी ने दिनांक 31.03.2016 तक संयुक्त उपक्रम कम्पनी की इक्विटी में निवेश नहीं किया है।

23. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	01.04.2015 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2016 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	0.67	0.67	0.47	0.47
बोनस/पीआरपी	53.64	7.22	56.29	102.71
कराधान के लिए प्रावधान	160.74	160.74	61.00	61.00
प्रस्तावित लाभांश	250.00	250.00	300.00	300.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	50.89	50.89	61.07	61.07
मुकदमों के निपटान के लिए प्रावधान	321.77	0.00	60.44	382.21

24. कंपनीज अधिनियम 2013 के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में अतिरिक्त सूचना

ए) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनियों, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यमों की सूची निम्नानुसार है:–

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	31.03.2016 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	100%

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	31.03.2016 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
नीलाचल इस्पाल निगम लिमिटेड	भारत	49.78%

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	31.03.2016 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
फ्री ट्रेड वेरयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड	भारत	26.00%
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	भारत	26.00%
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	भारत	26.00%
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.00%
एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड	भारत	26.00%
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	भारत	26.00%
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड (एफटीडब्ल्यूपीएल की सहायक कंपनी)	भारत	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. के वित्तीय विवरणों में समेकन किया गया
इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड (एफटीडब्ल्यूपीएल सहायक कंपनी)	भारत	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. के वित्तीय विवरणों में समेकन की किया गया

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल न की गई सहायक कंपनियों, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यमों की सूची तथा उसके कारण निम्नानुसार है:–

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	31.03.2016 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.	भारत	18.00%

ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. के वित्तीय विवरणों को समेकन में शामिल नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. की पूंजी/इक्विटी में कोई योगदान नहीं किया है।

सी) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनी, एसोसिएटस तथा संयुक्त उद्यमों की निवल परिसंपत्तियों लाभ/(हानि) में हिस्सेदारी

क्र. सं.	संस्था का नाम	समेकित निवल परिसंपत्तियों में %	राशि (मिलियन रुपए में)	समेकित लाभ/(हानि) का %	राशि (मिलियन रुपए में)
	मूल				
	एमएमटीसी लिमिटेड	113.57	13,779.39	78.14	548.55
	सहायक विदेशी कंपनी				
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड	8.19	993.78	(1.15)	(20.17)
2	अल्प हिस्सेदारी	-	-	-	-
	एसोसिएटस – इंडियन				
1	नीलाचल इस्पाल निगम लिमिटेड	(24.07)	(2,920.94)	(97.83)	(1,709.11)
	संयुक्त उद्यम – इंडियन				
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	0.03	3.30	(0.00)	(0.03)
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	3.65	443.45	21.86	153.45
3	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	(0.00)	(0.14)	-	-
4	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	(1.27)	(153.91)	(0.68)	(11.93)
5	एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड	(0.09)	(11.04)	(0.33)	(5.69)
6	टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड	(0.01)	(0.72)	(0.01)	(0.16)
	कुल	**100.00**	**12,133.18**		
			अर्जित लाभ	100.00	702.00
			हुई हानि	(100.00)	(1,747.09)
	कुल		**निवल लाभ/(हानि)**		**(1,045.09)**

25. संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनियों का प्रचालन विभिन्न वातावरण में होने के कारण संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनियों की लेखा नीतियां कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखा नीतियों से अलग हैं। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

विवरण	संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनी का नाम	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर। उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित शेष लाभप्रद कार्यकाल एवं बाद में की गई पुनरीक्षा के अनुसार अगर प्रावधान कम है तो प्रबंधतंत्र के अनुमान के आधार पर लाभप्रद कार्यकाल/शेष लाभप्रद कार्यकाल के मूल्यह्रास का प्रावधान उच्च दरों पर किया गया।	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	प्रबंधतंत्र द्वारा अनुमानित लाभप्रद कार्यकाल के आधार पर मूल्ह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है। प्रबंधतंत्र की अनुमानित दरें अनुभवी व्यक्तियों के मूल्यांकन के आधार पर हैं जिनमें प्लांट एवं मशीनरी की कुछ परिसंपत्तियों के लिए वास्तविक लाभप्रद कार्यकाल 15 साल का है जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में ऐसी मदों के लिए दिखाया गया लाभप्रद कार्यकाल कम अवधि का है।	मात्रा योग्य नहीं
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाता है। जिस किसी परिसंपत्ति की लागत 5000 रुपए से कम है उसे उसके खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है। अर्मूत परिसंपत्ति अर्थात् सोटवेयर को स्ट्रेट लाइन आधार पर उसके अनुमानित उपयोगी जीवन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। जिसकी गणना उसके प्रयोग करने की तारीख से की जाती है।	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास रिटन डाउन वैल्यू पर किया जाता है जिसका आधार कंपनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित विभिन्न मूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन होता है।	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।	मूल्यह्रास के लिए 1.63 मिलियन रूपए की अतिरिक्त राशि चार्ज की गई तथा लेखों में अमोर्टाइज किया गया ।
इंवेंट्री मूल्यांकन	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	वेटिड औसत लागत	विशिष्ट पहचान पद्धति	मात्रा योग्य नहीं

विवरण	संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनी का नाम	
	एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड	वेटिड औसत लागत	फिफो के आधार पर तथा वेंडरवाइज औसत के आधार पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	वेटिड औसत लागत	फिफो के आधार पर	मात्रा योग्य नहीं
विदेशी मुद्रा विनिमय	नीलाचल इस्पाल निगम लिमिटेड	गैर मौद्रिक मदें लेन–देन विनिमय दर की तिथि को रिपोर्ट की जाती हैं	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में पूंजी एवं राजस्व दोनों के लेन देन के निपटान की तिथि को प्रचलित दर पर की जाती है।	मात्रा योग्य नहीं
	नीलाचल इस्पाल निगम लिमिटेड	लाभ व हानि खाते में चार्ज की गई स्थाई परिसंपत्तियों की देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर	ऐसी परिसंपत्तियों की ले जाई गई राशियों में परिसंपत्तियों से संबंध देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर का समायोजन किया जाता है	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड	मात्रा योग्य नहीं
राजस्व पहचान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	अक्रूवल आधार पर लाभांश की पहचान	प्रभावी ब्याज विधि पर ब्याज आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	नगद आधार पर लाभांश आय की पहचान	समय अनुपात आधार पर लाभांश आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	नगद आधार पर लाभांश आय की पहचान	म्युचुअलों फंड़ों की यूनिटों पर लाभांश आय की पहचान की जाती है। जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार रिपोर्टिंग तारीख तक बिना शर्त के साबित हो जाता है।	मात्रा योग्य नहीं
व्यापार व अन्य प्राप्तियां	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
व्यापार व अन्य भुगतान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
टर्मिनल लाभ	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	परिभाषित लाभ योजना सिवाय सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्स लाभ	परिभाषित अंशदान योजना	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय परिसंपत्तियां व देयताएं	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
उधारी	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
आयकर	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	तुलन पत्र की तिथि को लागू दरों के अनुसार	भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि अथवा टैक्सा अथॉरिटीज से वसूली जाने वाली राशि की पहचान	मात्रा योग्य नहीं

26. ए) निगम द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर उड़ीसा में 1.1 मी.टन इंटिग्रेटेड इस्पात संयंत्र नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना किए जाने के साथ–साथ इस एसोसिएट कंपनी में ₹49.78 प्रतिशत इक्विटी पूंजी के प्रति ₹3796.85 मिलियन (गत वर्ष ₹3796.85 मिलियन) का निवेश भी किया है। (नोट 6.2)

बी) एनआईएनएल की दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निरंतर आधार पर निगम द्वारा इसे ₹8000 मिलियन की लघु अवधि क्रेडिट सुविधा दिए जाने के साथ–साथ इसको ऋणों के पुन भुगतान के लिए एक मुश्त ₹1300 मिलियन दिए जा रहे हैं। इसके प्रति व्यापारिक प्राप्यों के अंतर्गत ₹1417.03 मिलियन (गत वर्ष ₹1478.45 मिलियन) (नोट 7.3) तथा लघु अवधि ऋणों व अग्रिमों के अंतर्गत (नोट 7.5) ₹7866.44 मिलियन (गत वर्ष ₹7191.48 मिलियन) शेष हैं जिनका सकल योग ₹9283.48 मिलियन (गत वर्ष ₹8669.93 मिलियन) है।

सी) एनआईएनएल द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों/अन्य के पक्ष में निगम ने ₹14605.60 मिलियन (गत वर्ष ₹14693.70 मिलियन) की कारपोरेट गारंटी भी दी है तथा बैंक को स्थायी अनुदेश जारी किए हैं कि वह ऋण की अवधि अर्थात अक्तूबर 2014 से चार वर्षो के दौरान प्रति माह ₹25 मिलियन एनआईएनएल के खाते में क्रेडिट कर दे जिसके प्रति दिनांक 31.03.2016 को ₹750 मिलियन की शेष बाध्यता है(नोट 19(1)(ख)

डी) एनआईएनएल को हानि हो रही है (वित्त वर्ष 2015–16 के लिए बिक्री के 30.67 प्रतिशत की सकल हानि) तथा दिनांक 31.03.2016 को एमएमटीसी को देय राशि को छोड़ कर उनके वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹11315.62 मिलियन की सकल परिसंपत्तियां हैं। वैश्विक इस्पात में अपेक्षित पुनरुत्थान तथा एनआईएनएल को आबंटित लौह अयस्क खदान के खनन अधिकार की अपेक्षित स्वीकृति पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र द्वारा निवेश को खरा (गुड) माना है।

27. 1993–94 से पूर्वावधि से संबंधित जीआर–I फार्मों के संबंध में देय तिथि के पश्चात बकाया राशि निगम ने प्राधिकृत डीलरों को समय विस्तार/छोड़ने के लिए (वेवर)/बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन पर निर्णय होने तक देयता, यदि कोई हो तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने ₹19.31 मिलियन (गत वर्ष ₹19.01 मिलियन) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत ₹0.30 मिलियन (गत वर्ष शून्य मिलियन ₹) की राशि जमा करवाई गई है तथा ₹10.30 मिलियन (पिछले वर्ष ₹10.30 मिलियन) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हैं।

28. एमएमटीसी–पैंप इंडिया प्रा. लि. (जेवी कंपनी) : जेवी कंपनी तथा पैंप एसए के बीच हुए लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत देय भुगतान के संबंध में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट दिनांक 22 अक्तूबर 2008 (एसएचए) की व्याख्या तथा जेवी कंपनी तथा एमकेएस (स्वीजरलैंड) एसए के बीच हुए डोर सोर्सिंग एग्रीमेंट के तहत देय भुगतान के बारे में पैदा हुए मतभेद को दूर करने के लिए शेयरहोल्डर्स की बीच बातचीत चल रही है। कंपनीज अधिनियम, 2013 के अनुसार निदेशक मंडल ने दोनों एग्रीमेंट्स का बहुमत के साथ अनुमोदन किया है। एसएचए की शर्तों के अनुसार शेयरहोल्डर्स इन दोनों मामलों को आर्बिट्रेशन के माध्यम से हल करने के लिए सहमत हो गए हैं। परिचालन आरंभ होने के समय वर्ष 2012 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए जेवी कंपनी ने ₹267.26 मिलियन की राशि लाइसेंस फीस के रूप में भुगतान की है तथा ₹884.40 मिलियन की राशि डोर प्रोक्युरमेंट चार्जेज के रूप में भुगतान की है।

29. कंपनी ने एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) में एमएमटीसी के संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में ₹338 मिलियन (गत वर्ष ₹338 मिलियन) का निवेश किया था। हालांकि नवंबर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को अधि.त नहीं किया गया। कामराजार पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववत्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु इस सुविधा में सुधार तथा बदलाव का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। शिपिंग मंत्रालय ने एसआईओटीएल को मना करने का प्रथम अधिकार देते हुए पुनः बोली करने का निर्णय किया है। प्रतिपूर्ति राशि का आकलन छूट करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जिसे सफल बोलीदाता (एसआईओटीएल के अतिरिक्त) के समक्ष बोली दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा जिसे यदि एसआईओटीएल प्रस्ताव को मैच करने से मना करती है तो इसका भुगतान करना होगा। तदनुसार प्रबंध–तंत्र द्वारा निवेश में किसी स्थायी ह्रास पर विचार नहीं किया जाएगा।

30. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में आरंभिक तौर पर 52 मिलियन इक्विटी शेयर में निवेश की गई ₹260.00 मिलियन (एक्सचेंज में कंपनी की 26 प्रतिशत होल्डिंग) के प्रति वर्ष 2013–14 में ₹241.10 मिलियन का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी की मैनेजमेंट ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि के लिए रिर्टन बैक का प्रावधान किया है।

I. कंपनी ने दिसंबर/जनवरी 2016 के दौरान 20 मिलियन इक्विटी शेयरों को अपने निवेश लागत के 100 प्रतिशत के

लाभ पर बेच दिया था।

II. एक्सचेंज ने फरवरी/मार्च 2016 में 100 प्रतिशत के प्रीमियम पर राइट इश्यू जारी किया जो पूर्ण रूप से सब्सक्राइब हो गया था। (एमएमटीसी ने राइट इश्यु में भाग नहीं लिया)

III. एक्सचेंज ने रिवाईवल प्लान तैयार कर ली है तथा इसे एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद रगुलेटर (सेबी) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

IV. राइट इश्यु के बाद एक्सचेंज के नेटवर्थ में सकारात्मक सुधार हुआ है।

31. वर्ष के दौरान निगम ने निम्नलिखित लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है

i सामान्य सूचना 1 में निगम के प्रमुख कार्यकलापों को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय पैराग्राफ के अंत में 'कृषि उत्पाद, बहुमूल्य धातुएं, कोल/कोल आदि के घरेलू व्यापार' शब्दों को शामिल किया गया है।

ii निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए कर्मचारी लाभों से संबंधित लेखा नीति 2.10(i) के अंत में वर्ष के अंत में किए गए बीमाकंक मूल्यांकन में प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट प्रणाली अपनाई गई है बीमाकंक लाभ/हानियों को लाभ व हानि के विवरणों में प्रभारित किया जाता है, शब्दों को शामिल किया गया है।

iii स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित लेखा नीति 2.5 के बिन्दु (सी) में इन शब्दों को शामिल किया गया है – 'जहां अंतिम बिल अभी प्राप्त किए जाने हैं अथवा परिसंपत्ति निर्माणाधीन है/लीज डीड अभी निष्पादित की जानी है, वहां कार्यालय भूमि/भवन/फलैटस/पुलियां, सिवरेज तथा जल निकासी की लागत को अंनतिम रूप से लेखों में लिया जाता है'' लेखा नीति के एक भाग के रूप में इसे टिप्पणी संख्या 6.1.1 की टिप्पणी के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त परिवर्तनों का निगम पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

32. कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 29(3) के अनुसरण में सहायक कंपनियों/असोसिएट्स कंपनियों/संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं निर्धारित फार्म एओसी–I में अनुलग्नक–बी में दी गई हैं।

33. शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखे गए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि वे शेष की पुष्टि करें अथवा निर्धारित तारीख तक अपनी टिप्पणी भेजें अन्यथा पत्र में दिए गए शेष को कंफर्म्डक माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो गए हैं। किसी भी पार्टी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नही हुई है।

34. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया रिग्रुप/रि–कास्ट किया गया है।

35. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृत्ते ओपी तुलसियन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ आर सं. 500028एन

(सीए राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम. नं. 81808

दिनांकः 27.05.2016
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 02200405

(पी. के. जैन)
निदेशक
डीआईएनः 6594855

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02988628

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2015–16 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण

(प्राथमिक प्रकटन)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज व अयस्क	
खंडवार राजस्व	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15
बाहरी बिक्री						
– भारत में	**132974.42**	106879.55	**3279.97**	3321.93	**340.07**	1798.93
– भारत के बाहर			**2361.20**	6626.22	**4552.37**	14517.42
योग (क)	**132974.42**	106879.55	**5641.17**	9948.15	**4892.44**	16316.35
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत में						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व (क+ख)	**132974.42**	106879.55	**5641.17**	9948.15	**4892.44**	16316.35
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**70.94%**	44.75%	**3.01%**	4.16%	**2.61%**	6.83%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**484.62**	1456.72	**152.89**	77.89	**(92.35)**	(50.72)
– भारत के बाहर			**55.70**	176.76	**113.94**	284.49
कुल खण्डीय परिणाम	**484.62**	1456.72	**208.59**	254.65	**21.59**	233.77
गैर–आवंटित आय के सकल						
गैर–आवंटित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/आय						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**6734.78**	5197.73	**1398.96**	8018.88	**2859.64**	2169.38
गैर–आवंटित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**5097.49**	2507.03	**766.04**	81.99	**2376.38**	2337.34
गैर–आवंटित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**66.44**	0.32				
गैर–आवंटित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**59.58**	2.80				131.96
गैर–आवंटित मूल्यह्रास						
कुल मूल्यह्रास						
मूल्यह्रास के अलावा गैर–रोकड़ व्यय						

(₹ मिलियन में)

व्यापार खंड									
कोल व हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		सामान्य व्यापार/अन्य		कुल	
31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15	31 मार्च 16	31 मार्च 15
11230.09	21238.22	**3557.14**	703.48	**28820.27**	79892.59	**115.88**	931.54	**180317.84**	214766.24
221.96	385.58		2566.08					**7135.53**	24095.30
11452.05	21623.80	**3557.14**	3269.56	**28820.27**	79892.59	**115.88**	931.54	**187453.37**	238861.54
11452.05	21623.80	**3557.14**	3269.56	**28820.27**	79892.59	**115.88**	931.54	**187453.37**	238861.54
6.11%	9.05%	**1.90%**	1.37%	**15.37%**	33.45%	**0.06%**	0.39%	**100.00%**	100.00%
131.30	163.67	**948.39**	200.73	**(8.07)**	(210.90)	**54.78**	87.29	**1671.56**	1724.68
0.76	0.19		32.40		45.81			**170.40**	539.65
132.06	163.86	**948.39**	233.13	**(8.07)**	(165.09)	**54.78**	87.29	**1841.96**	2264.33
								3576.16	3053.48
								(1734.20)	(789.15)
								503.04	391.02
								1265.00	1027.61
								72.85	272.22
								(1045.09)	(424.78)
								(1045.09)	(424.78)
9551.92	9918.66	**4551.43**	6501.79	**3308.90**	21148.23	**934.62**	4579.57	**29340.26**	57534.24
								9553.44	5467.39
								38893.70	63001.63
7170.31	9825.49	**1374.01**	2379.26	**1090.51**	2184.50	**482.66**	70.17	**18357.40**	39534.41
								8403.12	9824.14
								26760.52	49358.55
						0.66		**67.10**	0.32
								240.52	234.39
								307.62	234.71
						29.74		**89.32**	134.77
								16.81	102.52
								106.13	237.29
								4.90	855.19

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क' जारी.....

वर्ष 2015–16 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण (सकेंडरी प्रकटन)

(₹ मिलियन में)

विवरण	भौगोलिक खंड					
	भारत के बाहर		भारत के भीतर		कुल	
	31 मार्च 16	**31** मार्च 15	**31** मार्च 16	**31** मार्च 15	**31** मार्च 16	**31** मार्च 15
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**7,135.53**	24,095.30	**1,80,317.84**	2,14,766.24	**1,87,453.37**	2,38,861.54
अंतर खण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**7,135.53**	24,095.30	**1,80,317.84**	2,14,766.24	**1,87,453.37**	2,38,861.54
खण्ड परिणाम	**170.40**	539.65	**1,671.56**	1,724.68	**1,841.96**	2,264.33
खण्ड परिसंपत्तियां	**1,757.03**	1,757.03	**27,583.23**	55,777.21	**29,340.26**	57,534.24
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**67.10**	0.32	**67.10**	0.32

एओसी – 1

अनुलग्नक 'ख'

सहायक/एसोसिएट कंपनीज/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का विवरण (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) की अनुसरण में)

भाग ''क'' : सहायक कंपनियां

1	क्रम संख्या	**1**
2	सहायक	**एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड सिंगापुर**
3	यदि सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी से भिन्न है तो उस रिपोर्टिंग अवधि का उल्लेख करें।	**लागू नहीं**
4	विदेश सहायक कंपनी के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम दिनांक को रिपोर्ट करेंसी तथा विनिमय दर	**अमेरिकन डॉलर, एक्सचेंज रेट रु. 64.64 (औसत दर)**
5	शेयर पूंजी	**31.45**
6	रिजर्व तथा सरप्लस	**994.07**
7	कुल परिसंपत्तियां	**1,425.31**
8	कुल देयताएं	**399.79**
9	निवेश	**-**
10	टर्नओवर	**7,089.53**
11	कराधान पूर्व लाभ	**(22.45)**
12	कराधान के लिए प्रावधान	**(2.28)**
13	कराधान के बाद लाभ	**(20.17)**
14	प्रस्तावित लाभांश	**शून्य**
15	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	**100**
क)	ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है।	**शून्य**
ख)	सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण अथवा बिक्री हुई है।	**शून्य**

एओसी–1 भाग "ख" असोसिएट्स तथा संयुक्त उद्यम

(₹ मिलियन में)

असोसिएट्स/संयुक्त उद्यम का नाम	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	एमएमटीसी पैम्प इडिया प्रा. लि.	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	टीएम माइनिंग कंपनी लि.	ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.
1. नवीनतम आडिटेड तुलनपत्र की तारीख	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित असोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर								
संख्या	289342744	2600	17446000	33800000	2987400	32000000	57200	
असोसिएट्स/संयुक्त उद्यमों में निवेश की गई राशि	3796.85	0.03	174.46	338.00	29.87	160.00	0.57	
होल्डिंग का प्रतिशत	49.78	26.00	26.00	26.00	26.00	16.00	26.00	
3. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	इक्विटी व प्रबंधन नियंत्रण	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	लागू नहीं
4. कारण जिसकी वजह से असोसिएट/संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	31.03.2016 तक कंपनी ने इक्विटी में कोई निवेश नहीं किया है।
5. नवीनतम आडिटेड तुलनपत्र के अनुसार शेयरहोल्डिंग के अनुपात में नेटवर्थ	1011.61	3.32	638.90	337.86	18.86	6.09	(0.06)	
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि								
i. समेकन में लिया गया	(1,665.28)	(0.03)	153.45	-	(5.67)	(11.93)	(0.08)	
ii. समेकन में नहीं लिया गया	लागू नहीं							
ए) ऐसे असोसिएट्स अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनमें परिचालन कार्य अभी शुरू होना है।	शून्य							
बी) ऐसे असोसिएट्स अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण अथवा बेची गई हैं।	देवोना थर्मल पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.							

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (12)/519 दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन वित्त वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

सांविधिक लेखा परीक्षक		क्षेत्र
ओ पी तुलस्यान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	–	उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित) माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय

शाखा लेखा परीक्षक		
दास मोहंती एण्ड एसोसिएट्स, कटक	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय
बी. जे. पटेल एण्ड जे. एल. शाह, अहमदाबाद	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
पी. चंद्रशेखर, बंगलोर	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय
कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, मुम्बई	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय
सी एन हुन्नोरगीकर एंड कंपनी, बेलगाम	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय
अभिजीत दत्त एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया एवं गिरिडिह के माइका प्रभाग
सी रामाचन्द्रन एंड कंपनी, हैदराबाद	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय
भंडावत एंड कंपनी, अजमेर	–	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
आनंद एंड पोन्नपन, चेन्नई	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय गुडुर में माइका प्रभाग
बाशा एंड नरसिम्हन, विशाखापटनम	–	उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय

एमएमटीसी बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बैंक आफ इंडिया
5. बैंक आफ बड़ौदा
6. बैंक आफ महाराष्ट्र
7. यूनियन बैंक आफ इंडिया
8. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
9. पंजाब नेशनल बैंक
10. इंडियन ओवरसीज बैंक
11. आईडीबीआई बैंक
12. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
13. देना बैंक
14. डयूस बैंक
15. इंडसइंड बैंक
16. ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स
17. एक्सिस बैंक
18. आईसीआईसीआई बैंक
19. आईएनजी वैश्य बैंक
20. डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक
21. यस बैंक
22. डीबीएस
23. कोटक महिन्द्रा बैंक
24. एएनजैड़ बैंक
25. एचएसबीसी बैंक

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोन : 91-11-24362200, ई–मेल : mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimited.com

क्षेत्रीय कार्यालय

<u>उत्तरी जोन</u>	<u>दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय</u> एफ 8–11 झंडेवालान लेटिड फैक्ट्रीज काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली – 110055 टेलीफोन 011–23623950, 23623952, 23670408 फैक्स : 011 –23633175 ईमेल : head_jjc@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : आगरा, कानपुर, लुधियाना** **जयपुर** द्वितीय तल, ब्लाक–सी, गौरव टावर–II मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग जयपुर–302017 फोन : 0141–2554809, 2554053, 2554735 फैक्स : 0141–2722501 ईमेलः head_jaipur@mmtclimited.com
<u>साउथ जोन</u>	<u>चेन्नई</u> एस्सार हाउस, 6, एसप्लेनेड, चेन्नई – 600108 (तमिलनाडु) फोन – 044–25341942, 25341938 फैक्स – 044–25340544,25340317 ईमेल : head_chennai@mmtclimited.com, jvnrao@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : कोची** **बेंगलुरू** "शिक्षक सदन", भूतल, के. जी. रोड, बेंगलुरु – 560 002 फोन : 080 –22534800 से 22534830 फैक्स : 080 – 22272043 ईमेल : head_bangalore@mmtclimited.com, mmtcbglr@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : मंगलौर, गजेंद्रगढ़, बेल्लारी, बन्नीहट्टी, हॉस्पेट, रणजीतपुरा,** **विजाग** एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पोस्ट बाक्स नं. 132, विशाखापट्नम 530 035, (आंध्र प्रदेश) फोन : 0891–2562356, 2562771 फैक्स : 0891–2562611 ईमेल : mmtcvizag@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : काकीनाडा** **हैदराबाद** 9–1–76 से 77/1/बी, तीसरा तल, एस. डी. रोड, सिकंदराबाद – 500 003 फोन : 040 – 27804033, फैक्स : 040 – 27804038, 27725401 ईमेल : mmtchyd@mmtclimited.com, tsrao@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : गुंटूर**
<u>ईस्ट् जोन</u>	<u>कोलकाता</u> एनआईसी बिल्डिंग, चतुर्थ व पांचवां तल, 8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता– 700 001, (पश्चिम बंगाल) फोन : 033–22101079, 22421252, 22421261 फैक्स सं. 033–22421292 ईमेल : head_kolkata@mmtclimited.com, mmtccol@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : हल्दिया, जमशेदपुर, गुवाहाटी**

	भुवनेश्वर आलोक भारती काम्पलेक्स, सातवां तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751 007 (ओडिशा) फोन : 0674– 2546848, 2518517, 2503336, 2544783 फैक्सः 0674–2546847, 2512832 ई मेल : head_bhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : पारादीप, बडबिल, क्योंझर**
वेस्ट जोन	**मुम्बई** एमएमटीसी हाउस, सी – 22, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई – 400051 दूरभाष : 022 – 26572437, 26594100, 26573193, 61214500 फैक्स – 022–26572541, 26572807 ईमेल : head_mumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimitd.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : नागपुर, गोवा** **अहमदाबाद** 2, नगीनदास चौम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380 014 (गुजरात) दूरभाष : 079 – 27540643, 27543796, 40244712, 40244711, 27545563 फैक्स – 079 – 27543739 ई मेल head_ahmedabad@mmtclimited.com, mmtcahm@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : कांडला, मोरवी, राजकोट**
प्रोन्नत प्रोजेक्ट	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनेक्सीब का प्रथम तल, आईपीआईसीओल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर – 751022 फोन – 0674–2543231 फैक्सः 0674–2541763
विदेश कार्यालय	**सिंगापुर** एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, 3 रैफल्स प्लेस # 08–01, भारत बिल्डिंग, सिंगापुर – 048617 फोन : (65)–65385313, फैक्स : (65) 65385316 ईमेलः info@mtpl.com.sg **जोहान्सबर्ग** एमएमटीसी लिमिटेड, प्रथम तल, सेंडटन आफिस टावर, सीएनआर रिवोनिया रोड एवं 5वीं स्ट्रीट, सैंडहस्ट एक्सन. 3, सैंडटन, जोहान्सिबर्ग, साउथ अफ्रीका फोन : 0027723286739 ईमेल : chakma@mmtclimited.com

एम.एम.टी.सी.
का एक कदम
स्वच्छ भारत की ओर
(सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एमएमटीसी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से
एम.जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

CORPORATE OFFICE
New Delhi

Published by
M.G. Gupta, Director (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division

info@nirmanadvertising.com